श माला, खंड 19, अंक 29

शुक्रवार, 31 अगस्त, 2001
9 भाद्रपद, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

FOR REFERENCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

सातवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date 6.2.2002

सत्यमेव जयते

(खण्ड 19 में अंक 21 से 29 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 19, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 29, शुक्रवार, 31 अगस्त, 2001/9 भाद्रपद, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 561 से 563	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 564 से 580	24-53
अतारांकित प्रश्न संख्या 5852 से 6081	53-295
सभा पटल पर रखे गए पत्र	295-312
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	312
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	
सातवां प्रतिवेदन	313
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
अठारहवां प्रतिवेदन	313
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
भारत-पाक संबंधों का संवर्धन	
श्री जसवंत सिंह	313-316
सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित	
(एक) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक	316
(दो) संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक	317
(तीन) संचार अभिसारिता विधेयक	323
(चार) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक	324
(पांच) महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक	324
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) राजस्थान में तेल शोधन कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० रासासिंह रावत	325
(दो) बिहार के सारण जिले में डीजल/रसोई गैस/पेट्रोल के और अधिक बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री राजीव प्रताप रूडी	326

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) छत्तीसगढ़ राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	326
(चार) आन्ध्र प्रदेश में सुल्लूरपेट में नवजीवन एक्सप्रेस का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता	
डा० एन० वेंकटस्वामी.	327
(पांच) कर्नाटक की मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम संबंधी परियोजना के लिए जापानी इन्टरनेशनल कोआपरेटिव एजेंसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा. . . .	327
(छह) आन्ध्र प्रदेश में पार्वतीपुरम में रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
डा० डी०वी०जी० शंकर राव . . .	328
(सात) तवारिया अनुसूचित जनजाति के लोगों को समाज विरोधी/आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकने के लिए इन लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवि प्रकाश वर्मा	328
(आठ) बिहार में भोजपुर और इसके समीपवर्ती जिलों में उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम प्रसाद सिंह.	328
(नौ) देश के विशेष रुप से बिहार के गन्ना उत्पादकों को देय राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीवन सिंह	329
(दस) मुरादाबाद जिले में बिजली की निरन्तर आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र विजय सिंह	329
(ग्यारह) देश में निजी "टेलीविजन पे चैनलों" पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल	330
(बारह) उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए पुनरीक्षित दीर्घकालिक कार्ययोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री बिक्रम केशरी देव	330
(तेरह) राजस्थान में बीकानेर में रेल परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामेश्वर डूडी	330

विषय	कॉलम
(चौदह) कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में समुद्री भू क्षरण रोकने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार	331
(पन्द्रह) राजस्थान में बाजरे का समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम रघुनाथ चौधरी	331
(सोलह) देश में बीड़ी कर्मकारों की दशा में सुधार लाए जाने की आवश्यकता	
श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी	332
(सत्रह) प्रसिद्ध लेखक और स्वतंत्रता सेनानी श्री यशपाल की जन्मशताब्दी के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	332
(अठारह) रक्षा कार्मिकों के लिए समान रैंक समान पेंशन स्कीम लागू किए जाने की आवश्यकता	
श्री के०पी० सिंह देव . . .	332
(उन्नीस) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाने की आवश्यकता	
श्री अधीर चौधरी . . .	333
(बीस) केरल में नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक के एजेंटों के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री टी० गोविन्दन	333
(इक्कीस) आन्ध्र प्रदेश में, विशेष रुप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मस्तिष्क शोथ (जापानी ऐनसेफैलाइटिस) रोग के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला	334
विदाई उल्लेख	
अध्यक्ष महोदय .	345
श्रीमती सोनिया गांधी	347
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	349
राष्ट्रगीत	350

लोक सभा

शुक्रवार, 31 अगस्त, 2001/9 भाद्रपद, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निर्यात फर्मों द्वारा सुविधाओं का दुरुपयोग

[हिन्दी]

+

*561. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के लाभ उठाने वाली निर्यात फर्मों के राज्यवार आंकड़े केन्द्र सरकार रख रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी निर्यात फर्मों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार विभिन्न राज्यों में निर्यात फर्मों द्वारा इन सुविधाओं के किए जा रहे दुरुपयोग से संबंधित सूचना की किस तरीके से जांच-पड़ताल कर रही है;

(ङ) उन निर्यात फर्मों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध सरकार को निर्यात संवर्धन योजनाओं के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(च) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में इन सुविधाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने हेतु क्या तंत्र विकसित किया गया है ?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार के पास डी०जी०एफ०टी० के देश भर में फैले सभी 32 कार्यालयों और 7 विकास आयुक्त के कार्यालयों के बारे में आयातक-निर्यात कोडवार आंकड़े हैं। इस समय कुल वैधीकृत आयातक-निर्यातक कोड धारी 139889 हैं। इसके कार्यालयवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

	कार्यालय का नाम	वैधीकृत आई०ई०सी०
	1	2
1.	कलकत्ता	7434
2.	मुम्बई	37701
3.	चेन्नई	11322
4.	कानपुर	2217
5.	सी०एल०ए०, नई दिल्ली	32282
6.	बंगलौर	5924
7.	अहमदाबाद	4319
8.	हैरदाबाद	3301
9.	एनाकुलम-कोचीन	3091
10.	भोपाल	1113
11.	अमृतसर	1194
12.	जयपुर	4138
13.	गुवाहाटी	355
14.	वाराणसी	1096
15.	शिलांग	443
16.	पंजिम, गोआ	405
17.	जम्मू	532
18.	पांडिचेरी	231
19.	पटना	537
20.	चंडीगढ़	840
21.	कटक	246
22.	राजकोट	2334
23.	विशाखापत्तनम	378
24.	मुरादाबाद	1401
25.	लुधियाना	3784
26.	पुणे	3333
27.	कोयम्बटूर	4411
28.	पानीपत	1364

	1	2
29.	बड़ौदा	1029
30.	मदुरई	1494
31.	सूरत	959
32.	गांधीधाम	53
33.	सीपज़, मुम्बई	81
34.	कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र	137
35.	चेन्नई निर्यात प्रसंस्करण जोन	131
36.	कोचीन निर्यात प्रसंस्करण जोन	83
37.	फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन	53
38.	नोएडा निर्यात प्रसंस्करण जोन	117
39.	विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन	26
	योग	139889

(घ) से (छ) प्रत्येक निर्यात संवर्धन योजना विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 के तहत जारी किए गए लाइसैंस तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक लाइसैंस में विभिन्न शर्तें हैं जिसमें निर्यात दायित्व को पूरा करने की शर्त भी शामिल है। किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में लाइसैंसधारी के विरुद्ध लाइसैंसिंग प्राधिकारी द्वारा अर्द्ध-न्यायिक कार्रवाईयों के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाती है। जिसके फलस्वरूप वित्तीय दंड भी लगाया जाता है और ऐसे लाइसैंसधारक को आगे लाइसैंस देने से इंकार भी कर दिया जाता है। प्रति वर्ष 100000 ऐसे लाइसैंस जारी किए जाते हैं और समाप्ति के समय प्रत्येक ऐसे लाइसैंस को सीमाशुल्क तथा डीजीएफटी प्राधिकारियों के समक्ष हिसाब में लिया जाता है। योजना के दुरुपयोग के ऐसे मामलों के अतिरिक्त धोखाधड़ी, जालसाजी, गलत बयानी आदि के मामलों की जांच भी राजस्व आसूचना निदेशालय जैसे जांच अभिकरणों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय मंत्री महोदय का उत्तर अस्पष्ट है और किसी भी तरह से संतोषजनक नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि सरकार ने उन निर्यात फर्मों, जो विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं का दुरुपयोग कर रही है और अनुचित लाभ उठा रही हैं, के विरुद्ध क्या ठोस कार्रवाई की है ताकि इन फर्मों द्वारा इस प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके और वास्तविक निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जा सके।

[हिन्दी]

डॉ० रमण : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि फर्म्स के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से इन्हें जानकारी देना चाहूंगा कि 1995-96 में हमने लगातार ऐसे फर्म्स में जिन लोगों को यह फेसिलिटी है, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। उनके खिलाफ हमने लगातार कार्यवाही की और उस कार्यवाही में हम अलग-अलग स्तर पर कार्यवाही करते हैं। केस रजिस्टर करने के बाद अगर गंभीर आरोप रहते हैं तो उनके खिलाफ डिबारमेंट आर्डर पास किया जाता है। अगर कोई गंभीर केस हो तो उसे सी०बी०आई० को सौंपा जाता है। इनडिविजुअल केस में पेनल्टी इम्पोज की जाती है और साथ-साथ इज्यूडीकेशन आर्डर्स पास किए जाते हैं। मैं माननीय सदस्या को जानकारी देना चाहता हूं कि 1995-96 में पेनल्टी इम्पोज 68.21 करोड़, 1996-97 में 32 करोड़, 1997-98 में 85 करोड़ और 1998-99 में 20 करोड़ पेनल्टी की गई। हमने इस दौरान 1995-96 में 15 केस सी०बी०आई० को दिए। 1996-97 में आठ और दो केस दिए और अलग-अलग स्तर में डिबारमेंट आर्डर पास किया गया। 1995-96 में 37, 1996-97 में 66, 1997-98 में 60 1998-99 में सात और 1999-2000 में तीन केस दिए। हमें जो शिकायत मिलती है, उसके आधार पर कार्यवाही करते हैं। हमारा डी०जी०एफ०टी० का इतना बड़ा नेटवर्क फैला है, जिसमें 32 आफिस हैं और सात डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, उनके पास करीब-करीब आज की तारीख में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 1,39,879 इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं, जो इस माध्यम से काम करते हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद इन्हें जो छूट दी जाती है और सरकार द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत एक्सपोर्टर को छूट दी जाती है, उसे क्लोजली मोनिटर किया जाता है। केस वाइस डी०जी०एफ०टी० के आफिस में मोनिटर होता है, जिसके पूरे देश में करीब-करीब 32 आफिस फैले हुए हैं। हम जब एक्सपोर्ट के लिए इनपुट का इम्पोर्ट करते हैं और उसमें जो ड्यूटी की छूट दी जाती है उसमें उनको एक्सपोर्ट ऑब्लीगेशन होता है कि यदि आपने इतना इनपुट मंगाया तो उसके अंगेस्ट आपको जो एक्सपोर्ट करना है। वह करीब-करीब फिक्स रहता है और उस आंकड़े के आधार पर हमने जो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट नार्म्स हैं उसके आधार पर केलकुलेशन किया जाता है कि इतने इनपुट का एक्सपोर्ट करने के बाद वह फाइनल रिकार्ड देता है। उसने यदि मिसयूज़ किया है तो उसके ऊपर हम अलग-अलग कार्यवाही करते हैं और कार्यवाही का तरीका भी उस केस के आधार पर होता है। उसकी सीरियसनस के आधार पर रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार विभाग इसमें केस के हिसाब से कार्यवाही करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या ने यह पूछा है कि क्या सरकार अच्छा एक्सपोर्ट करने वालों को कुछ प्रोत्साहन दे रही है या नहीं ?

डॉ० रमण : हमने सन् 1995 से 2000 तक लगातार इतने केसों में पैनल्टी और साथ-साथ में सी०बी०आई० को भी केस दिए हैं यह पूरी कार्रवाई मिसयूजर के खिलाफ हुई है। इस साल के भी आंकड़ें में अलग-अलग स्कीमवाइज़ देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 2000-2001 में मिसयूज केसेज ये हैं। डी०ई०पी०बी० के 4 केसेज, ड्रा बैक के 33 केसेज, डी०ई०ई०सी० के 13 केसेज, ई०पी०सी० जी० के 13 केसेज, ए०एस०ई०जेड० के 3 केसेज, ई०एच०टी०पी०

का 1 केस ई०ओ०यू० के 209 केसेज। इस तरह से 276 केसेज में 2000-2001 में कार्रवाई की गयी है।

[अनुवाद]

श्री संगीता कुमारी सिंह देव : महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि शुल्क मुक्त योजना के माध्यम से किए गए निर्यात का प्रतिशत क्या है; और क्या देश को इस श्रेणी के अन्तर्गत किए गए निर्यात की मात्रा से पर्याप्त लाभ हो रहा है। साथ ही विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के बाद भी क्या सरकार निर्यात फर्मों के लिए किसी अन्य प्रोत्साहनों पर विचार कर रही है; और क्या वे निर्यात फर्में, जिनके द्वारा इन योजनाओं के दुरुपयोग की बात सामने आयी है, वे भी सरकार द्वारा जिन नए प्रोत्साहनों की योजना बनायी जा रही है। उसका लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी।

[हिन्दी]

डॉ० रमण : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक्सपोर्ट की स्कीम है उसके तहत ही 80 प्रतिशत एक्सपोर्ट होता है और बाकी 12 प्रतिशत ई०ओ०यू० और ई०पी०जेड० के तहत व्यापार होता है। जो सारी छूट हमने दी है उसी पर हमारा एक्सपोर्ट केन्द्रित है। हम दुनिया के बाजार में खड़ा होना चाहते हैं और आज दुनिया में कम्प्टीशन बढ़ा है और जो हामरी इंफ्रास्टक्चर की परेशानियां हैं जिसके कारण एक्सपोर्टर्स को दुनिया की मार्किट में खड़ा होने में परेशानियां होती हैं दिक्कतें होती हैं। इसलिए हमने यह छूट उनको दी है ताकि वे कम्प्टीशन में खड़ा हो सकें और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके।

दूसरा पार्ट जो इन्होंने पूछा है कि टोटल शेयर क्या है?

[अनुवाद]

विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अन्तर्गत कुल निर्यात के 10 से 12 प्रतिशत के बराबर शुल्क माफ किया गया जो औसतन लगभग 25% के सीमा शुल्क और 16 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क को देखते हुए न्यायसंगत है।

[हिन्दी]

इन्होंने पूछा है कि क्या एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इन स्कीमों के अतिरिकत कोई और स्कीम है जिससे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े। क्या हम एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को सुविधा देना चाहते हैं। कामर्स डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है कि हम उनको और सुविधा देना चाहते हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। आज से दस साल पहले जो दशमलव चार दुनिया के ट्रेड में हमारा शेयर था वह अब दशमलव सात हुआ है। हम मार्किट स्टडी करवा रहे हैं जिसके लिए हम शो-रुम्स के लिए फंडिंग करेंगे। दुनिया के जो बड़े-बड़े शहर हैं हम चाहते हैं कि वहां हमारे शो-रुम्स बनें। उसके लिए भी हम मदद करेंगे। वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज भी हम देना चाहते हैं। दुनिया के बड़े देशों में जो बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहां भी हमारी डिस्प्ले करने की योजना है। पब्लिसिटी कैम्पेनिंग के लिए भी इसमें प्रावधान है। आने वाले समय में यह योजना बने कि दुनिया के बाजार में हम अपने प्रोडक्ट्स किस प्रकार से बढ़ा सकें और "मेड इन इंडिया" मार्क दुनिया के बाजार में उतारें ताकि दुनिया के बाजारों में हमारी बिक्री बढ़े। जो बड़े ट्रेड फेयर होते हैं। उनमें हमारी भागीदारी ज्यादा बढ़े। रिसर्च एंड प्रोडक्ट डैवलेपमेंट में हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पैसा दें — यह हमारी कोशिश रहेगी। यह सब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कर रही है।

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : महोदय, मैं ने यह पूछा कि वे फर्में जो इन योजनाओं का दुरुपयोग कर रही हैं और इनसे अनुचित लाभ उठा रही हैं क्या वे, भारत सरकार द्वारा जिन अन्य प्रोत्साहनों की योजना बनायी गयी हैं, उसके लिए भी पात्र होंगी। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

डॉ० रमण : माननीय सदस्या का स्पैसिफिक किसी फर्म के ऊपर आरोप है कि उन लोगों ने सुविधा का मिसयूज किया है तो बताएं? क्योंकि एक लाख चालीस हजार के जो आंकड़ें हैं और अलग-अलग ऑफिस में केसवाइज जानकारी देना कठिन है। अगर कोई स्पैसिफिक केस है तो वे बताएं, हम उसकी जांच करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : महोदय, मेरी किसी विशेष फर्म में रूचि नहीं है परंतु मोटे तौर पर मैं यह जानना चाहती हूं क्योंकि ये योजनाएं निर्यात के संवर्द्धन के लिए है और वास्तविक निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए है न कि चूककर्ताओं और अनुचित लाभ उठाने वाले लोगों को लाभ देने के लिए।

[हिन्दी]

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, लोक लेखा समिति ने इस संबंध में जांच की थी। उसका एक प्रतिवेदन आया है जिस में कहा है कि ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं, जो एक्सपोर्ट के नाम पर फ्री ड्यूटी का लाभ उठा कर बहुत सी मशीनों का इम्पोर्ट करती हैं लेकिन एक्सपोर्ट की ऑबलिगेशन्स को पूरा नहीं करती हैं। ऐसी कम्पनियों के बारे में बाद में पता चला कि उन कम्पनियों का पता भी नहीं है जिन्होंने मशीनें इम्पोर्ट कर लीं। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इस बारे में प्रतिवेदन दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कोई एक्शन लिया है? यदि हां, तो उसकी जानकारी हमें दें।

डॉ० रमण : अध्यक्ष महोदय, कुछ केसिज 1995 से पहले के हैं। अभी की स्थिति के बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने जब ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की तो उन्होंने रिपोर्ट दी। मैंने कहा है कि 1995 से लेकर 2000 तक के ऐसे केसिज पर लगातार कार्रवाई की जाए। हमें जहां-जहां शिकायतें मिली हैं, हमने कार्रवाई की है। हमारे विभाग में ऐसी शिकायतें आने पर हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से एक बात जान सकता हूं ? वर्तमान आर्थिक वातावरण जिसे हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, में निर्यात की दिशा और परिभाषा पूरी तरह बदल गयी है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि हमारे निर्यात की तीन धाराएं — मुक्त व्यापार क्षेत्रों (एफ०टी०जेड०) के माध्यम से निर्यात, निर्यात-अभिमुख इकाईयों (ई०ओ०यू०) और कुछ मामले में शत-प्रतिशत निर्यात-अभिमुख इकाईयों द्वारा यह सुनिश्चित और प्रख्याभूत किया जाता है कि उनका निर्यात उच्च कोटि का है ? मैं माननीय मंत्री की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब मैं इस विषय को देख रहा था, मैंने पाया कि इसमें तीन आधारभूत कमियां हैं। जब कोई एक विशेष उत्पाद बाजार में आता है तो उसी तरह का उत्पाद हमारे देश में भी तैयार किया जा सकता है पर हमारे पास अवसंरचनात्मक सहयोग नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री हमें इसके बारे में बतायेंगे।

'अभियान' का अधिकांश व्यापार सिंगापुर के माध्यम से किया जाता है। यूरोपीय व्यापार रोट्टरडेम के माध्यम से केन्द्रित है। मैं विशेषकर चाय व्यापार के बारे में पूछना चाहता हूं। दार्जीलिंग लोगों और असम लोगों के हमारे अपने सुपर ब्राण्ड उन दिनों जर्मनी के बाजार में सबसे अधिक कीमत पर बिक रहे थे। यह अभी भी इस स्थिति को बनाए हुए हैं। वाणिज्य मंत्रालय नवीं योजना के अंत में हमारे निर्यात में वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निर्यात गृहों, व्यापार गृहों तथा सरकार की सहायता से कौन-कौन से अतिरिक्त अवसंरचनात्मक सहयोग प्रदान करने पर विचार कर रही है।

दूसरे क्या आप मुक्त व्यापार क्षेत्रों तथा निर्यात-अभिमुख इकाईयों के माध्यम से बड़े निर्यात गृहों के मूल्य वर्द्धित निर्यात की जिम्मेदारी की त्रैमासिक निगरानी के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक स्थायी प्रणाली बनायेंगे यदि वे इसका पालन नहीं करते हैं तो आप उन तथ्यों का संज्ञान लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि वे किसी एक अवसर पर ऐसा नहीं कर पाए तो दूसरे अवसर पर उसकी पूतिपूर्ति करते हैं, क्या प्रणाली अपनायेंगे। मैं आपको हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के मामले का उदाहरण देता हूं। पिछले कई दशकों से उनके द्वारा कहा गया है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से वे निर्यात लाभ के लिए मूल्य वर्द्धित उत्पादों का उत्पादन करेंगे परंतु इसका उन्होंने कभी भी पालन नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इन चीजों के लिए किसी प्रणाली का विकास कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

डॉ० रमण : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात की है और नीतिगत विषय उठाया है। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट के लिए जो इनपुट्स हमारे पास आते हैं, उन पर ड्यूटी की छूट कई मामलों में नहीं दी जाती है। उनका दूसरा सबजैक्ट था कि दुनिया के अन्दर स्पैसिफिक आइटम्स को देखने के लिए मार्किट का सर्वे होता है चाहे वह चाय हो, कॉफी हो या लौंग हो। इन की अलग-अलग मार्किट है, स्पैसिफिक कंट्रीवाइज, आइटमवाइज, कम्पनी वाइज पूरी इंटरनैशनल मार्किट का सर्वे किया जाए। उन मार्किट्स में एक्सपोर्ट की जो गुंजाइश है, हम उसे कैसे प्रेरित कर सकते हैं। स्पैशल इकॉनोमिक जोन्स के बारे में उन्होंने कहा है कि इनपुट्स पर हमने ड्यूटी की छूट नहीं दी है। मैं दासमुंशी जी को बताना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने कहा था कि मुख्यत: रॉटरडेम तथा सिंगापुर के बाजारों में भारतीय निर्यातकों द्वारा निर्यात किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बेहतर निर्यात तथा व्यापार के लिए हम अपने भंडारण सुविधाओं के निर्माण हेतु स्थायी अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले पर माननीय मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ? मंत्री महोदय, क्या आप जानते हैं कि दार्जीलिंग 'लोगो' की यूरोप के बाजारों में सर्वाधिक मांग है ? परंतु उस 'लोगो' में गलत चीजों को डालने और 'लोगो' को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कृपया बताएं कि क्या आप इस तथ्य से अवगत हैं और क्या आपने इस संबंध में पर्याप्त सावधानी बरती है।

[हिन्दी]

डॉ० रमण : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि वेयरहाउसिंग फैसिलिटी दुनिया के चुने हुए मार्किट्स में इन प्रोडक्ट्स के लिये किया जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन इसके लिये बात हो रही है। आने वाले समय में कामर्स डिपार्टमेंट बड़े पैमाने पर दुनिया में करने वाला है। इसकी नीति बन चुकी है और हम चाहेंगे कि हमारे छोटे एक्सपोर्टर्स को मदद मिल सके।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों की स्थापना कुछ विशिष्ट तथा सकारात्मक उद्देश्यों के लिए की गयी थी। परतु मैं एक विशेष निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में फाल्टा का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां पर कोई अवसंरचनात्मक सुविधा नहीं है, सड़कों की स्थिति अत्यन्त खराब है। इस बिन्दु पर मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। मेरा प्रश्न अत्यन्त सरल है। विभिन्न राज्यों के निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों के कार्य नहीं कर पाने के लिए मुख्यत: कौन जिम्मेवार है और देश के अन्य निर्यात क्षेत्रों की तुलना में फाल्टा निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र का निष्पादन ग्रेड क्या है और इसकी नितांत असफलता के लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा ?

[हिन्दी]

डॉ० रमण : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पैसिफिक ई०पी०ज़ैड के बारे में शिकायत की है कि वहां कार्यवाही नहीं हो रही है। यदि माननीय सदस्य अलग से इस बारे में प्रश्न करेंगे तो उसकी जानकारी दी जायेगी।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : महोदय, वर्षों से नेपाल में बनी वस्तुओं को भारत में शुल्क मुक्त लाए जाने की सुविधा दी जा रही है। यह

पाया गया है कि नेपाल के रास्ते से चीन में निर्मित वस्तुओं के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिससे स्वदेशी उत्पादों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अन्तर्गत नेपाल सरकार को एकतरफा आधार पर रियायतें दी गयी। अब क्या आप चीन में निर्मित वस्तुओं का नेपाल के माध्यम से निर्यात पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रहे हैं ताकि स्वदेशी उत्पाद को इस प्रकार के अतिक्रमण से बचाया जा सकता है।

[हिन्दी]

डॉ० रमण : अध्यक्ष महोदय, इंडो-नेपाल ट्रीटी के तहत 40 ऐसी आइटम्स हैं जो नेपाल से भारत में आ रही हैं और इससे हमारी डोमैस्टिक मार्किट को इंजुयरी हो रही है, इसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। इस मामले में हमारी सैक्रेटरी लैवल पर चर्चा हो रही है। मैं भी नेपाल गया था और वहां के मिनिस्टर से बात की थी। जब वहां के प्रधानमंत्री यहां अजाये थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनसे बातचीत की थी। जब इस विषय में आने वाले राउंड में चर्चा होगी तो हम अपनी बात और आपत्ति रखेंगे कि किस-किस सेंसेटिव आइटम को कम कर सकते हैं जो हिन्दुस्तान की मार्किट को प्रभावित कर सकती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण सहकारी बैंक

***562. श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण सहकारी बैंकों को सहायता देने के लिए एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'नाबार्ड' ने सहकारी बैंकों को सहायता देने के लिए कोई योजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने सहकारी ऋण प्रणाली के कार्य संचालन का अध्ययन करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व उप गवर्नर श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता में एक कृतिक बल का गठन किया था। कृतिक बल ने 24 जुलाई, 2000 को अपनी रिपोर्ट माननीय वित्त मंत्री जी को प्रस्तुत की थी। सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करके इस रिपोर्ट की जांच की है, क्योंकि उनकी सक्रिय भागीदारी सहकारी बैंकों के पुनरूद्धार के लिए आवश्यक है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि सरकारी ऋण संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से उसने संस्था विशिष्ट उपायों के उद्देश्य से विकास कार्य योजनाओं (डी०ए०पी०)/समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) का तंत्र शुरू किया था। विकास कार्य योजनाओं से निकले कार्य निष्पादन दायित्व समझौता ज्ञापन के आधार थे। डी०ए०पी० के कार्यान्वयन एवं एम०ओ०यू० की प्रसंविदाओं के अनुपालन की राज्य एवं जिला स्तरों पर एक ऐसी समिति द्वारा निगरानी की जा रही है जिसमें राज्य सरकार, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं। नाबार्ड इस प्रयोजन के लिए गठित सहकारी विकास निधि सी०डी०एफ० से इन संस्थाओं के कार्य निष्पादन को सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुदान, सुलभ ऋण या अनुदान-सह-सुलभ ऋण के रूप में संस्थागत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी ऋण संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी देता है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पूर्व एक दिवसीय सम्मेलन हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री और दोनों वित्त मंत्री भी मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता क्षेत्र के सभी बैंकों और विशेषकर ग्रामीण सहकारिता बैंकों के प्रबंधन और उनके वित्तीय प्रदर्शन के बारे में काफी चिन्ता जताई थी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नई योजना में इन सहकारी बैंकों में व्याप्त वर्तमान खामियों को दूर करने के लिये कोई प्रस्ताव तैयार किया है, यदि हां तो माननीय मंत्री जी उसका पूर्ण ब्यौरा दें। मैं अपने प्रश्न के बी० पार्ट में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बी० पार्ट बाद में पूछिये, पहले इसका जवाब आने दीजिए।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि मार्च 1999 में इस सदन और दूसरे सदन के कई माननीय सदस्य जो सहकारिता आन्दोलन में रुचि रखते हैं, विभिन्न संगठनों में पदाधिकारी हैं, उनका एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिलने आया था। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सहकारी बैंकों की विभिन्न समस्याओं की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया था। उसी समय मैंने यह तय किया कि हम एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करेंगे, जो पूरे समेकित ढंग से सहकारी क्षेत्र में बैंकिंग की समस्याओं पर विचार करेगी। इसी तरह से श्री जगदीश कपूर, जो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर थे, उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। उस समिति ने अपनी सिफारिशें की और उनकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए दिसम्बर, 2000 में हम लोगों ने कोऑपरेशन मिनिस्टर्स का एक सम्मेलन बुलाया था। कई विषयों पर उस सम्मेलन में सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि जो अनुशंसाएं इस समिति ने की थीं, वे काफी व्यापक थीं और इसीलिए हम लोगों ने अभी हाल में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन इस पर विचार करने के लिए बुलाया। जैसा कि

माननीय सदस्यों ने कहा कि इस सम्मेलन को माननीय प्रधान मंत्री जी ने न केवल सम्बोधित किया, बल्कि उन्होंने उस सम्मेलन में ढाई-तीन घंटे रहकर राज्यों में आये हुए मुख्य मंत्रियों, सहकारिता मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की बातों को सुना। उसके बाद दिन भर चले उस सम्मेलन में कई मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन दो-तीन मुद्दे ऐसे थे जैसे डीलेयरिंग का मुद्दा था कि कोऑपरेशन मूवमैन्ट की कितनी श्रंखलाएं होनी चाहिए, जिसके चलते इंटरमीडिएशन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके बाद एक बड़ा मुद्दा यह था कि जगदीश कपूर समिति ने सिफारिश की थी कि सहकारिता बैंकों में कैपिटल का जो इरोजन हुआ है, जो लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपये हैं, उसकी पूर्ति हम कैसे करें। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 40 प्रतिशत राज्य सरकारें और 20 प्रतिशत सहकारी समितियों के सदस्य इसके भार का आपस में बंटवारा करें। इस विषय पर और डीलेयरिंग के विषय पर आपस में पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई। कई लोगों ने सुझाव दिये कि जो विशेष दर्जे के राज्य हैं, उनका पूरा का पूरा भार केन्द्र सरकार को वहन करना चाहिए। चूंकि सम्मेलन में इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए यह काम हम लोगों ने पोलिटीकल लैवल पर समिति बनाकर उसके जिम्मे छोड़ा है। हमारे सहयोगी मंत्री श्री विखे पाटील जी उसके अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल के सहकारिता मंत्रियों को उसमें सदस्य के रूप में रखा गया है। उसके अलावा कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव, चेयरमैन, नाबार्ड, डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। ये समिति तीन महीने के भीतर राजनीतिक तौर पर बातचीत करके सुझाव दे कि आज जो सबसे बड़ी समस्या कोऑपरिटिव बैंक्स के कैपिटलाइजेशन को बढ़ाने की है, उसका भार आपस में स्टेक होल्डर्स कैसे वितरित करें। इसलिए समिति को तीन महीने का समय दिया गया है और निवेदन किया गया है कि डीलेयरिंग के मुद्दा, इंटरमीडिएशन की कॉस्ट का मुद्दा और भार वहन करने का मुद्दा जो रीकैपिटलाइजेशन का मुद्दा है, इनके बारे में समिति सिफारिश दे।

श्री सुरेश रामराव जाधव : हम कुछ भी क्यों न बोलें लेकिन वास्तविकता यह है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बैंक्स हैं, खास तौर पर महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में नाबार्ड का बहुत अधिक धन होता है। यह बैंक डिस्ट्रिक कोआपरेटिव बैंक किसानों का बैंक है लेकिन वास्तविकता यह है कि जो बैंक किसानों का होता है, वहां से किसानों के लिए कोई लोन नहीं मिलता है, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल परपज़ के लिए लोन दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं हैदराबाद कृषि बैंक का उदाहरण देना चाहता हूं। जो काश्तकार हैं, उनका धन लूटा गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विशेषकर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक जहां नाबार्ड का हिस्सा अधिक होता है, नॉन एग्रीकल्चरल परपज के लिए जो लोन दिया जाता है, उसको रोकने के लिए आप क्या करने वाले हैं और जो हैदराबाद कृषि बैंक है जिसमें काश्तकारों का धन लूटा गया, वह धन वापस करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष जी, हैदराबाद कृषि बैंक का जो जिक्र किया, वह नागरिक सहकारी बैंक है।

श्री सुरेश रामराव जाधव : वह कृषि बैंक है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : नाम कृषि बैंक है लेकिन काम नागरिक बैंक का है। लेकिन यह बात सही है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जिला सहकारी स्तर पर किसान को जितना ऋण मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है, क्योंकि कई ऐसे बैंक हैं जो घाटे में चल रहे हैं और कुछ राज्यों में राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से गांव स्तर पर ऋण दिया जाता है। कुछ राज्यों में राज्य बैंक और जिला बैंक के बाद गांव की सोसाइटीज़ हैं। कुछ राज्यों में जिला बैंक और गांवों की सोसाइटीज के माध्यम से ऋण दिया जाता है। देश में अलग-अलग व्यवस्था, अलग-अलग मॉडल इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए कई बार कमेटी ने सिफारिश की है कि उनके डिपॉज़िट के माध्यम से 10 प्रतिशत तक नॉन फार्मिंग के लिए ऋण देना जरूरी है। लेकिन किसान की जैसे डेयरी है, पोलट्री है, वह सब्स्टीट्यूट है, बेरोज़गारी के लिए भी होता है और किसान की खेती घाटे में होती है, उसके लिए भी वह जरूरी होती है। जहां तक कोई ऐसा बैंक जिसने कृषि के अलावा ऋण दिया है, कानून के खिलाफ दिया है, वैसे हमारा घाटा भी बढ़ रहा है, कई बैंक सैक्शन एस 11(1) में आ रहे हैं और नाबार्ड समय समय पर कार्यवाही कर रहा है। कोई स्पेसेफिक केस हो तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनको कॉमर्शियल फाइनेन्स किसी ने नहीं दिया है।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास पाटिल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या माधवपुरा बैंक घोटाले के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों के कारण देश में सहकारी बैंकों की वित्तीय कार्यकुशलता में कमी आयी है और यदि ऐसा है तो सहकारी बैंकों की लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए किन उपाय करने का सुझाव दिया जायेगा। आज की तारीख में केवल एक बैंक की चूक के कारण कई बैंकों को मुसीबत हो गयी है और लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य बैंकों को ढेरसारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि किन उपायों को किए जाने का सुझाव दिया गया है और क्या उन बैंकों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा जो अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, माधवपुरा बैंक नागरिक सहकारी बैंक है, लेकिन रिजर्व बैंक ने और गलतियां न हों, उसके लिए कुछ पाबंदी लगाई है जिसका असर बैंक के काम पर हुआ है। इसलिए मैं एक मीटिंग कर रहा हूं और मंत्री जी ने एक बार हाउस में भी कहा था कि यदि एक-दो आदमियों ने गलती की है तो सभी लोग गलत चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि सब लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : गलती नहीं की है, अपराध किया है, क्राइम किया है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : जिन्होंने अपराध किया है, उन पर सख्त कार्यवाही हो रही है। अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है लेकिन अगर किसी संसद सदस्य ने अपराध किया तो सबको दोषी नहीं ठहराया जाता। इसलिए कई अपराधी भी आते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने कहा माधवपुरा ने गलती नहीं की है, क्राइम किया है। जिन लोगों ने किया है, उनको आप सज़ा दें।

वह कई बार डिसकस हो चुका है। इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देने हेतु ही कपूर कमेटी का गठन हुआ है। मुझे बताया गया है कि कई सांसद भी उस समिति के सदस्य हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हैं। कुछ राज्य सरकारी बैंक और कुछ जिला सहकारी बैंक भी बीमार हैं। जब कपूर कमेटी का अंतिम निर्णय होगा, तो उनके सुधार के लिए कुछ न कुछ कार्रवाई होगी।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री एस० बंगरप्पा : महोदय, जैसा कि हम सबको जानकारी है, हमारी मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की दुर्दशा के बारे में सभी जानते हैं, जो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और सूखे की स्थिति तथा इन चीजों के अलावा अत्यधिक जनसंख्या के कारण हो सकती है, जो हम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं। लोगों ने अपने गांवों को छोड़कर सूखे की स्थिति के कारण और हर जगह पर जाना शुरू कर दिया है, विशेषरूप से कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में और बाढ़ के कारण वे बिहार अथवा असम में आ रहे हैं।

महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि साहूकारों के चंगुल से लोगों को बचाने के बाद माननीय मंत्री जी के वास्तव में क्या अनुभव हैं। वास्तव में यह सहकारी आन्दोलन कई दशक पहले आरम्भ हुआ था। मेरे विचार से इससे प्राप्त ऊंचा लाभांश वास्तव में एक सकारात्मक पहलू है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में हमें अभी एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस सहकारी आन्दोलन के सहकारी बैंकों के माध्यम से एक अधिक शक्तिशाली आन्दोलन तैयार करने के लिये, जिसमें सभी निर्धन लोगों की निर्धनता को दूर किया जा सके और गरीब लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके, क्या वह भारतीय रिजर्व बैंक को एक संरक्षक संगठन के रूप में तैयार करने की बात सोचेंगे, जिसके नियंत्रणाधीन ये सभी सहकारी बैंकों के संस्थान अथवा सोसाइटियां आयेंगी। वास्तव में ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आम व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हैं। अत: सरकार को इस आन्दोलन को अत्यधिक सुदृढ़ बनाना चाहिये ताकि बाढ़ अथवा सूखे की स्थिति जैसी आपदाओं के दौरान लोग वास्तव में सरकार और इन वित्तीय संस्थानों से भी कुछ सहायता की अपेक्षा कर सकें।

अब मैं जानना चाहूंगा कि उनका वास्तविक अनुभव क्या है और क्या हमने वह प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। यदि वे अनुभव करते हैं कि इसे प्राप्त करने में थोड़ी सी भी कमी है तो क्या वे इन सभी सहकारी समितियों और बैंकों की सहायतार्थ भारतीय रिजर्व बैंक को इनसे तुरंत जोड़कर इस आंदोलन को सुदृढ़ बनायेंगे।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की बात सही है। बात इतनी है कि जो कृषि की समस्या है, उससे सभी बातें जुड़ी हुई हैं, फिर चाहे वह आयात हो, निर्यात हो, उपज हो या कीमत हो। जहां तक बैंक ऋण का सवाल है, मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि सहकारिता आंदोलन अधिक से अधिक मजबूत हो जिससे मनी लैंडर समाप्त हों। जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है कि सभी सहकारी समितियों, बैंकों और ग्रामीण बैंकों का जो सिस्टम है उसका नियंत्रण आर०बी०आई० के एक कक्ष से हो, अच्छा सुझाव है। जो व्यवस्था अभी है, उसमें थोड़ा अन्तर है। आपका सुझाव विचार के लिए ठीक है। हम नोट करेंगे और जब समय आएगा उस पर गौर करेंगे।

[अनुवाद]

ताकि सहकारी बैंकिंग प्रणाली कुल मिलाकर एक ही छतरी तले आयेगी।

दूसरे, बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से कृषि ऋण समग्रत: दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक 18 प्रतिशत की तुलना में केवल 15.6 प्रतिशत ही वितरित करते हैं, किन्तु जहां तक कृषि ऋण का प्रश्न है, सहकारी बैंक 82 प्रतिशत से अधिक दे रहे हैं। जबकि कृषि ऋण का लक्ष्य 54000 करोड़ रु० था, हमने आने वाले वर्ष में 64000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। अत:, स्वाभाविक है कि हम सरकारी के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण के कार्यकलापों का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु अन्तत: हम इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक देश में सामान्य रूप से सहकारिताओं का प्रश्न है, वे सभी राज्यों में अच्छी स्थिति में नहीं हैं। वहां कुछ असन्तुलन हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक कुछ कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश कुछ कर रहा है। कुछ राज्य उस तरह से नहीं कर रहे। सहकारी आन्दोलन को सुधारने के बहुत अच्छे प्रयास किये गये हैं। अत: सरकार ने मॉडल नियम बनाने के लिये ब्रह्मप्रकाश समिति का गठन किया था। हमने सभी राज्यों से मॉडल नियम लागू करने का अनुरोध किया किन्तु केवल कुछेक राज्यों ने ही मॉडल नियम पारित किये हैं और अन्य राज्यों ने पिछले सम्मेलन में केवल वचन दिया है कि वे इस पर कार्य करेंगे। जैसे ही वह मॉडल अधिनियम कार्यान्वित किया जाता है, मेरे विचार से सहकारिता की सार्वभौमिक प्रगति होगी और जहां तक कृषि का प्रश्न है, यह आगे और प्रगति करेगा।

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को ऋण देने की जो बात है, नाबार्ड स्टेट कोआपरेटिव्ज़ को देती है, स्टेट कोआपरेटिव्ज

डिस्ट्रिक्ट कोऑपरोटिव्ज को देती है और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ज़ विलेज कोआपरेटिव्ज को देती है। सरकार जितने इंटरस्ट पर ऋण देती है, वह उससे पांच टका ज्यादा बढ़ जाता है। किसानों को जो ऋण दिया जाता है, उसमें पांच टका ऐडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज और सर्विस चार्ज लेते हैं। जो ऋण नाबार्ड देती है, उससे किसानों को 14 प्रतिशत पर ऋण मिलता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नाबार्ड के साथ ऐसा कोई नियम बनाया हुआ है कि कितने प्रतिशत सर्विस चार्ज और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेना चाहिए ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : यह बात सही है कि कोआपरेटिव क्रैडिट सिस्टम स्लाइटली एक्सपैंसिव है। राज्य बैंक, जिला बैंक की सोसाइटी में ऐसा कोई नियम नहीं है लेकिन बात इतनी है कि नाबार्ड और स्टेट गवर्नमैंट के लिए बहुत कम मार्जिन है। स्टेट गवर्नमैंट से जिला स्तर में भी बहुत कम मार्जिन है लेकिन जिला स्तर से जब टैक्स जाता है, तीन-चार राज्यों की समस्या है, 3 से 4 प्रतिशत तक वे गुंजाइश रखते हैं। किसानों को जब सोसाइटी से ऋण मिलता है, वे 3 प्रतिशत और भी लेते हैं। नाबार्ड को आर०बी०आई० से 7 प्रतिशत पर मिलता है, स्टेट बैंक में साढ़े सात प्रतिशत हो जाता है, फिर साढ़े आठ प्रतिशत जिला बैंक और 9 से 10 प्रतिशत तक सोसाइटी में हो जाता है। उसके बाद 4 प्रतिशत, यह कभी-कभी 16 प्रतिशत तक भी हो जाता है। जब खुद का भी कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है, मुझे लगता है कि इसमें मंत्री जी ने कूपर कमेटी में जो बात कही, इसके बारे में गौर करने की जरूरत है कि हम इंटरमीडिएट कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं और किसानों को सस्ते दाम पर कैसे ऋण पहुंचा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री ई० पोन्नुस्वामी : धन्यवाद, महोदय। जब कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक बनाया गया था, तो सरकार का विचार विशेष रूप से वास्तविक कृषकों और निर्धन लोगों की सहायता करना था। किन्तु यह बताया गया है कि एक छोटा-सा ऋण लेने के लिये, सिक्योरिटी के नाम पर, कृषकों और अन्य लोगों से उनके गहने और भूमि लेकर उन्हें ठगा जाता है, किन्तु वे इन चीजों को कभी छुड़ा नहीं पाते और कृषकों हेतु आसान ऋणों अथवा अनुदानों के नियमों के आधार पर नहीं दिया जाता।

अतः महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वास्तविक कृषकों को ऋण का वितरण करने के तरीकों की निगरानी के लिये क्या कदम उठाये गये हैं क्योंकि केवल पार्टी विशेष अथवा सत्ता पक्ष के लोगों के जानकार लोग ही ऋण प्राप्त कर पाते हैं, जबकि अधिकतर लोग छोटा सा ऋण भी नहीं ले पाते। मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि उनके दुखों को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं
(व्यवधान)

श्री बालासाहिब विखे पाटील : उपाध्यक्ष महोदय, सभा को इस बात की पूरी जानकारी है और सामान्य रूप से इस सम्पूर्ण ऋण प्रणाली को राजनीति से मुक्त करने के लिये, दो वर्ष पूर्व भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड आरम्भ किया था। मेरे विचार से अब तक 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं और अब तक ऋण किसान क्रेडिट कार्ड पर स्वीकृत भी कर दिये गये हैं। स्वाभाविक रूप से तीन वर्ष का किसान क्रेडिट कार्ड उन्हें इसलिए दिया जाता है ताकि ऋण की स्वीकृति और ऋण का वितरण राजनीति के प्रभाव से मुक्त किया जा सके। मेरे विचार से यहां कुछ राहत है। मैं उनसे सहमत हूं कि ग्राम स्तर पर कुछ समूह होते हैं क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, न कि केवल गांवों के दौरे पर जा रहा हूं। मेरा मुद्दा यह है कि सम्पूर्ण सहकारिता आन्दोलन को राजनीति के प्रभाव से मुक्त करना भी एक मुद्दा है और यह राजनीतिक दृष्टि से ही सुलझाया जाना चाहिये; यह प्रशासनिक तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता। किन्तु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड के कारण अब वास्तविक कृषक ऋण प्राप्त कर रहे हैं।

श्री ई० पोन्नुस्वामी : वहां पर कुछ वास्तविक प्रणाली होनी ही चाहिये, क्योंकि कृषक हमारी अर्थव्यवस्था के मेरूदंड हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न उठाने के लिये मुझे अवसर देने के लिये मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर मेरी तरफ से कुछ सुझाव है और सवाल भी है। नाबार्ड बैंक को भारत सरकार की तरफ से आम जनता के लिए किसानों को डायरैक्टली लोन देने के लिए क्या डायरैक्टिव्ज़ नहीं दिया जा सकता है ?

[अनुवाद]

भारत सरकार नाबार्ड को जरूरतमंद किसानों को ऋण प्रदान करने के लिये निर्देश क्यों नहीं दे सकती और यह ऊट पटांग तरीके से क्यों किया जा रहा है ? किसान ब्याज की ऊंची राशि क्यों दें ?

असम में एक असम सहकारिता शिखर बैंक समिति (असम को-आपरेटिव अपेक्स बैंक सोसाइटी) है।

[हिन्दी]

उस बैंक के मैनेजमैंट में ऐसे कुछ आफिसर्स हैं, जिन्होंने इतनी गड़बड़ी की कि आम जनता को लोन देने के बजाय कुछ इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को लोन दे दिया। वह लोन अभी तक वापस नहीं मिल पाया।

[अनुवाद]

एक प्रारम्भिक जांच की गई थी। उस पर कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये किन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया। इस संबंध में माननीय मंत्री की ओर से क्या जवाब है ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं उनके प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब दूंगा। यदि यह सदस्य द्वारा चलाया जा रहा सहकारी संगठन है तो

[हिन्दी]

गड़बड़ कुछ नहीं होगी, लेकिन पोलिटिकल ड्रिवन हो तो गड़बड़ होती है।

[अनुवाद]

सदस्यों को स्वयं ही इसकी स्थानीय स्तर पर जांच करनी चाहिये। अध्यक्ष और पदाधिकारियों को भी इस तथ्य के बारे में कुछ भय होना चाहिये कि लोग उन पर निगाह रख रहे हैं और उन्हें समस्त राशि जरूरतमंदों से अलग कर अवांछित परिवारों अथवा व्यक्तियों को नहीं दे देनी चाहिये। उसका यही एकमात्र समाधान है।

नाबार्ड केवल पुनर्वितपोषण करता है और यह एक प्रत्यक्ष वित्तपोषण करने वाली एजेन्सी नहीं है। अत: स्वाभाविक है कि वे सहकारी समितियों का पुनर्वितपोषण करते हैं। सरकार ने दो वर्ष पहले प्रायोगिक आधार पर यह निर्णय किया कि नाबार्ड कुछ पी०ए०सीज़० प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का प्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण कर सकती है। यदि यह प्रयोग अच्छा रहता है, तो इस पर बाद में विचार किया जा सकता है।

कपूर समिति में यह सिफारिश भी है कि नाबार्ड प्रत्यक्ष रूप से जिला सहकारिताओं को वित्त दे सकता है और जिला सहकारितायें अनुसूचित बैंक बन सकती है। इस प्रकार इस दिशा में कई ऐसी बातें हो रही हैं।

जहां तक स्थानीय बातों का संबंध है, हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिए; तथा हमें पदाधिकारियों को निधियों का अन्यत्र उपयोग नहीं करने देना चाहिए।

श्री प्रकाश वी० पाटील : भूमि विकास बैंकों में, कृषि ग्रामीण बैंकों के रूप में, निधियां प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण समाप्त हो गई थीं। दूसरी बात यह है कि वे कृषि के लिए अवसरंचना तैयार कर रहे हैं। अत:, सरकार हरेक दस वर्ष पर उस क्षेत्र में बार-बार निवेश कर रही है। भूमि विकास बैंकों के क्रियाकलापों में सुधार लाने के लिए सरकार की आगे क्या योजना है ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मेरे मित्र श्री प्रकाश पाटील बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश में राज्य भूमि विकास बैंकों की स्थिति अत्यधिक खराब होती जा रही है। इस संबंध में कुछ राज्यों की स्थिति तो बहुत ही खराब है। कपूर समिति ने भी सुझाव दिया है कि हम उनके लिए सार्वभौमिक बैंकिंग की व्यवस्था कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ हमें यह देखना चाहिए कि वे जमा राशियों आदि सहित किस प्रकार संसाधन जुटा सकते हैं। अत:, यह बात सरकार के विचाराधीन है। यदि इस संबंध में अत्यधिक नकारात्मक बातें हैं और यदि निधियां पूरी तरह समाप्त हो गई हैं, तब, उन्हें बन्द किया जा सकता है। अथवा उस क्षेत्र में नया बैंक स्थापित किया जा सकता है। यह भी कपूर समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक है।

जहां तक उनके प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, मैं उनके विचारों का पूरी तरह समर्थन करता हूं। जब प्राकृतिक आपदा आती है, तो सहकारी बैंक किसानों को राहत एवं सहायता प्रदान करते हैं तथा वे समाधान निकालने का प्रयास करते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग रोजाना काम करते हैं, जो किसान होते हैं और जो सामान्य लोग होते हैं, उनकी पूंजी कोआपरेटिव बैंक में रखी जाती है, लेकिन कोआपरेटिव बैंक के डायरैक्टर्स इस तरह से लोन देते हैं कि उनका पैसा वसूल नहीं होता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आपने लिखा है :

[अनुवाद]

"यह रिपोर्ट राज्य सरकार के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है तथा कोऑपरेटिव बैंकों को पुन: सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।"

[हिन्दी]

उनको पैसा वसूल करने के लिए, एवार्ड देने के लिए ज्यादा अधिकार देने के लिए जगदीश कपूर कमेटी ने कुछ सुझाव दिये हैं। दूसरे लोग विश्वास से बैंक में पैसा रखते हैं ... *(व्यवधान)* जब फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा जाता है तो उसे सरटेन इंटरैस्ट दिया जाता है, लेकिन आपने बाद में नीति बदल दी है और नीति बदलने के बाद वह इंटरैस्ट कम हो जाता है, इसलिए धोखा हो जाता है। मेरा सुझाव है कि जैसे पहले पैसा रखा जाता था कि जितना इंटरैस्ट होगा, वह लगना चाहिए। आगे के लिए आपकी जो नीति होगी, आगे से वह फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे तो वह नीति अपनानी चाहिए, क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : वे शहरी कोऑपरेटिव बैंकों का उल्लेख कर रहे हैं जिसके लिए माधवराव समिति कार्य कर रही है। वह बिल्कुल अलग मामला है।

श्री मोहन रावले : वसंत सरकारी बैंक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : यह एक शहरी कोऑपरेटिव बैंक है। यह माधवराव समिति से संबंधित है। फिर भी, मैं उनसे सहमत हूं। शहरी कोऑपरेटिव बैंकों के भी कुछ मुद्दे हैं।

श्री श्रीनिवास पाटील ने आरंभ में ऐसे नियंत्रक उपायों के बारे में पूछा जिन्हें भा०रि०बैंक को करने चाहिए तथा यह कहा कि भा०रि०बैंक को जमाकर्ताओं अथवा ग्राहकों के हित में बैंकों में अनुशासन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि शहरी कोआपरेटिव बैंक किस प्रकार कार्य कर सकते हैं और साथ ही साथ, हमें यह भी देखना चाहिए कि शहरी कोऑपरेटिव बैंकों का किस तरह विकास किया जा सकता है।

जहां तक ब्याज दरों का संबंध है, आज तक की स्थिति के अनुसार, भा०रि०बैंक के नियम लागू हैं। जब हमारी पहले ही किसी विशेष अवधि के लिए जमाराशि है, तो उस जमाराशि की परिपक्वता तक, ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु जब हम कोई नई राशि जमा करना चाहते हैं, तब इस राशि पर ब्याज निम्न दर पर होगी क्योंकि पूरे विश्व में ब्याज दरों में कमी आ गई है। स्वाभाविक रूप से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का पालन करना चाहिए। इसलिए, जब हमारे पास कुछ नयी जमाराशियां हों, तो ब्याज दरें निस्संदेह कम होंगी और हमें उसका पालन करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : कार्यदल समिति ने एक वर्ष पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी; तथा सरकार अपनी सिफारिशों के कार्यान्वियन के बारे में राज्य सरकारों से अब भी चर्चा कर रही है। सरकार सिफारिशों के कार्यान्वियन के संबंध में किसी निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंची है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि सरकार को कार्यदल समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

प्रश्न का भाग 'ख' इस प्रकार है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण कृषि हेतु ऋण प्रदान करने के संबंध में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुन: संरचना और पुनर्गठन से संबंधित मामला लम्बे समय से लंबित है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार राज्य-वार ग्रामीण बैंकों अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों की व्यवस्था रखने पर विचार कर रही है जैसा कि भा०रि०बैंक द्वारा सिफारिश की गई थी ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : पहले, माननीय वित्त मंत्री ने उत्तर दिया था कि पुन: पूंजी प्रदान करने और पुन: जीवन-संचरण संबंधी मुख्य सिफारिशें बजट रिपोर्ट आने से पहले तीन महीने के अंदर की जाएंगी। अवश्य ही, तब वह इसके बारे में विचार करेगी। परंतु जहां तक अन्य सिफारिशों का संबंध है, वे अत्यधिक जटिल हैं – कुछ नाबार्ड के बारे में हैं, कुछ भा०रि०बैंक के बारे में हैं और कुछ अन्य विविध एजेंसियों के बारे में हैं। इसलिए, निस्संदेह इसमें कुछ समय लगेगा। परंतु अब सरकार ने एक कार्रवाई योजना के संबंध में विचार किया है।

दूसरे, जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संबंध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि वे एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। एकमात्र मामला मजदूरी के बारे में है; इस संबंध में संशोधित करार हुआ है और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के अनुसार हम उन्हें भी मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं।

पुन: संरचना और अन्य ऐसे ही शेष मुद्दों के संबंध में, मुझे मालूम है कि इस मुद्दे के बारे में उनका क्या विचार है। परंतु इसके साथ ही साथ, सरकार आज ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संपूर्ण क्षेत्र की पुन: संरचना करने जा रहे हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर ऐसा करेंगे। कपूर समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं कि इसे नाबार्ड द्वारा नियंत्रित किया जाना है। समय आने पर हम उसपर भी विचार करेंगे।

डा० विक्रम सरकार : पिछले 30 वर्षों में, अनेक समितियों ने इस मुद्दे पर विचार किया है। जगदीश कपूर समिति भी अपना कार्य कर रही है। परंतु तथ्य यह है कि जहां तक देश में सहकारी आंदोलन का संबंध है, एक अथवा दो अथवा तीन राज्यों को छोड़कर, इसकी जड़ें जम नहीं पाईं। यह सरकार-प्रायोजित आंदोलन रह गया है और यह जन-आंदोलन नहीं बना। मुख्य कारण यह है कि संपूर्ण मामलों को नियंत्रित किया जाता है; ग्रामीण धनी लोगों द्वारा शक्ति नियंत्रित की जाती है; हम गांव के धनी लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं तथा गांव के गरीब लोग-दुर्भाग्यवश और दु:खपूर्ण ढंग से – इस स्थिति में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। हम जितनी चाहें उतनी समितियां गठित कर लें। मेरा यही सुझाव है और मैं बाद में इस प्रश्न के संबंध में बात करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। आप केवल अपना पूरक प्रश्न ही पूछ सकते हैं। किसी सुझाव की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए समय नहीं है।

डा० विक्रम सरकार : ठीक है; मैं अपना पूरक प्रश्न रखूंगा। सहकारी आंदोलन को पुन: शक्ति प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार का क्या विचार है ? मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। पश्चिम बंगाल में, समितियों के इन सभी प्रतिवेदनों के बाजूद, पिछले 35 वर्षों में, इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं पड़ा है; और अब भी गांव के 85 प्रतिशत गरीब लोगों को इस क्षेत्र से बाहर रखा जा रहा है। इस बारे में केन्द्र सरकार क्या कर रही है ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिफारिश कपूर समिति की सिफारिशों में से एक है। हम उन सहकारी बैंकों को जो सुधार कार्य कर रहे हैं, पुन: जीवन-शक्ति प्रदान करने में सहायता तथा सभी प्रकार की मदद देंगे। संपूर्ण सहकारिता व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैंने आपको गुजरात और महाराष्ट्र के संबंध में स्थिति पहले ही बता दी है। परंतु किसी सहकारी संस्था को आवश्यकता-आधारित और सदस्यों द्वारा संचालित होना चाहिए। जैसा कि प्रधान मंत्री द्वारा इस बात की ओर ठीक ही ध्यान दिलाया गया है, इसका पूरी तरह राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसे सरकार के स्वामित्व वाली किसी कंपनी की तरह पूरी तरह नौकरशाही वाली संस्था बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक पांच वर्ष में निर्वाचन होने चाहिए। मुझे कानूनी स्थिति की जानकारी नहीं है कि संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता है अथवा नहीं। परंतु सहकारिता संस्थाओं के निर्वाचन नियमित रूप से और समय पर होने चाहिए। केवल तब ही, सभी कार्य ठीक तरह से होंगे।

[हिन्दी]

अंत्योदय योजना

\+
***563. श्री रामशकल :**
श्री रामदास आठवले :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंत्योदय योजना अब तक किन-किन राज्यों में शुरू की गई है;

(ख) किन राज्यों में अंत्योदय योजना शुरू किए जाने के बावजूद भी निष्पादित नहीं की गई है;

(ग) इस योजना को अब तक निष्पादित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) अंत्योदय अन्न योजना निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है :–

क्र०सं०	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
2.	छत्तीसगढ़	दादरा व नगर हवेली
3.	गुजरात	दमन व द्वीव
4.	हरियाणा	
5.	हिमाचल प्रदेश	
6.	जम्मू व कश्मीर	
7.	झारखंड	
8.	कर्नाटक	
9.	केरल	
10.	मध्य प्रदेश	
11.	महाराष्ट्र	
12.	मिजोरम	
13.	पंजाब	
14.	राजस्थान	
15.	उत्तर प्रदेश	

(ख) ऐसा कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। योजना उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहां यह लागू की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री रामशकल : माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि देश के 15 राज्यों में यह योजना चलाई जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि यह 'अंत्योदय योजना' सभी राज्यों में नहीं चलाई जा रही है और खासकर बिहार में क्यों नहीं चलाई जा रही है जहां गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और बिहार जैसे राज्य में यह योजना अभी तक चालू क्यों नहीं की गई है?

श्री शांता कुमार : केन्द्र सरकार इस योजना को प्रत्येक प्रदेश में शुरू करना चाहती है और उसके लिए हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। 18 प्रदेशों में यह योजना शुरू की गई है। एलोकेशन कर दिया गया है और ऑफ-टेक का प्रतिशत भी बहुत अच्छा है। जिन प्रदेशों में यह योजना शुरू नहीं हुई है, हम निरन्तर उन प्रदेशों से सम्पर्क कर रहे हैं। हमारे राज्य मंत्री स्वयं प्रदेशों में गये हैं और हम सभी प्रदेशों को बार-बार कह रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : इन्होंने बिल्कुल सीधा बिहार के बारे में सवाल पूछा है। आप बिहार के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं कि बिहार में यह योजना अभी तक क्यों नहीं शुरू की गई? *(व्यवधान)*

श्री शांता कुमार : सभी प्रदेशों में हम इस योजना को शुरू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक बिहार का संबंध है, उसके संबंध में हमें अभी तक सूचना यह है कि वहां फैमिलीज आइडेंटिफिकेशन काड्स इश्यू करने का काम पूरा नहीं हुआ है। *(व्यवधान)*

श्री रामशकल : मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत धांधली है और वहां डिस्ट्रिक्ट्स सप्लाई ऑफिसर्स और वहां के अधिकारी, जहां से मैं बिलांग करता हूं, मिले हुए हैं, वहां 60000 फर्जी राशन कार्ड गरीबों के नाम पर बना दिये गये हैं और खाद्य सामग्री तथा मिट्टी का तेल इत्यादि ब्लैक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में धांधली की गई है, मैं मांग करता हूं कि क्या उनकी जांच कराएंगे?

श्री शांता कुमार : राशन कार्ड बनाना और जो गलत बने हुए हैं, उनको ठीक करने का काम राज्य सरकार का है क्योंकि कल भी यहां 6 घंटे चर्चा हुई है और कल भी मैंने कहा था कि इस देश के अंदर 1 करोड़ 83 लाख राशन कार्ड ऐसे हैं जो इल्लीगल और बोगस हैं। केन्द्र सरकार बार-बार राज्यों से कह रही है कि इसको दुबारा देखें क्योंकि एक तरफ सी०ए०जी० की रिपोर्ट यह है कि उचित लोगों को राशन-कार्ड नहीं मिले हैं और दूसरी तरफ बोगस राशन-कार्डों की संख्या इतनी है कि राज्य सरकारों से हम कह रहे हैं कि उनको ठीक करें। जहां तक धांधली की बात माननीय सदस्य ने कही है, जहां तक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था राज्यों के अंदर की जो है, वे सारी बातें राज्यों को देखनी हैं। हमारे देखने में कोई शिकायत आएगी तो हम उस पर उचित कार्रवाई अवश्य करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, जो राज्यों की सूची दी गई है और जिस अंत्योदय योजना पर हम चल रहे हैं, 18 राज्यों के नाम हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जिन राज्यों को पहले शामिल किया गया था, क्या उसके लिए कोई मापदंड निर्धारित किया गया

था और अगर मापदंड निर्धारित किया गया था तो वह क्या था ? उक्त मापदंड बिहार में नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

दूसरी बात, जैसा कहा गया कि कार्डों में गड़बड़ी है और छानबीन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र और राज्यों के बीच विवाद को लेकर गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसकी समीक्षा के लिए व्यवस्था की है ? अगर की है, तो उस व्यवस्था के तहत अभी तक आपकी क्या समीक्षा है — कृपया बतायें ?

श्री शांता कुमार : महोदय, यह योजना पांच करोड़ अति गरीब लोगों के लिए है। उन गरीब लोगों का चयन राज्य सरकार ने करना है। हमारे ओर से कोई मानदंड नहीं है। एक ही मापदंड है कि प्रत्येक राज्य के अन्दर जो गरीबी का परसेंटेज हैं, उसके हिसाब से परिवारों का आवंटन कर दिया जाए। केन्द्र सरकार की ओर से राज्यों को कह दिया गया है, आपके प्रदेश में गरीबी का यह परसेंटेज है और आपने इतने परिवार चुनने हैं। उसके बाद जो-जो प्रदेश परिवारों का चयन करके कार्ड दे रहा है, हमें बता रहा है, हम एलोकेशन कर रहे हैं। हम स्वयं प्रत्येक प्रदेश में यह योजना जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन योजना को शुरू करने के लिए जो कार्यवाही करनी है, वह प्रदेश ने करनी है।

जहां तक राशन कार्ड इशू करने और वैरिफिकेशन का सवाल है, राशन कार्ड चैक करके गलत राशन कार्ड हटाना राज्य सरकारों का काम है। इसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच कोई विवाद नहीं है। एक ही विवाद है कि उचित राशन कार्ड जारी किए जायें और गलत राशन कार्ड्स को काटा जाए। *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, जानबूझ कर राजनीतिक आधार पर छांटने का काम किया है। जब कार्य करना होता है, तो वहां भी छांटने का काम कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का चांस दूंगा। आप पूछिएगा।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, जो सूची तैयार की गई है, उसमें बहुत से गलत नाम आ गए हैं और बहुत सारे गरीबों को छोड़ दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सूची में उन नामों में सुधार किया जाएगा ? सासंद कह रहे हैं कि गलत नाम आ गए हैं, लेकिन सुधार करवा पाने की स्थिति में नहीं है। दूसरे — कल सदन में भुखमरी से संबंधित विषय पर बहस हुई। ऐसे लोगों के नाम मरने वालों की सूची में तो होंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, इस योजना में ऐसे लोगों के नाम तुरन्त जोड़ दिए जायें और उनको अनाज उपलब्ध कराया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था है ?

श्री शांता कुमार : महोदय, इन परिवारों का चयन करने की प्रक्रिया, गाइडलाइन्स केन्द्रीय सरकार द्वारा दे दी गई है, इन परिवारों को चयन करने का पूरा का पूरा काम प्रदेश की सरकार को करना है। प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। उन्हीं का निर्णय इस बारे में अंतिम होगा। जो-जो प्रदेश सरकारें कर रही है, हम वहां पर खाद्यान्न दे रहे हैं। बिहार सरकार चयन पूरा करे और उसके मुताबिक जितने खाद्यान्न की जरूरत होगी, वह खाद्यान्न दे देंगे। *(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, अन्त्योदय अन्न योजना के तहत 15 राज्यों का जिक्र है और जिन राज्यों का जिक्र नहीं है, वे हैं — बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कि इन राज्यों में गरीब से गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए गाइडलाइन्स भारत सरकार ने कब भेजी ?

मध्याह्न 12.00 बजे

सरकार ने उन्हें कोई कालबद्ध योजना मार्क की है कि इतने समय तक आप आईडेंटिफिकेशन करके भारत सरकार को भेजें।

श्री शांता कुमार : महोदय, यह योजना रिकार्ड टाइम में शुरू हुई। 25 दिसम्बर को माननीय प्रधान मंत्री जी ने 12 बजे इस योजना की घोषणा की और उसी दिन चार बजे हमारी तरफ से मुख्य मंत्रियों को पत्र चला गया। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले मंत्री जी की पूरी बात सुनने की कृपा करें।

श्री शांता कुमार : 25 दिसम्बर को ही निर्देश दे दिए गए थे। आपने पूछा है कि एक करोड़ परिवार कैसे चुने। *(व्यवधान)* 1997 में सैम्पल सर्वे रिपोर्ट द्वारा इन परिवारों की संख्या तय की है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

'स्टैण्डर्ड एंड पुअर्स' द्वारा साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

***564. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साख निर्धारण करने वाली एजेंसी 'स्टैण्डर्ड एंड पुअर्स' ने विदेशी मुद्रा हेतु भारत के 'सोवेरन' साख निर्धारण को पहले से कम आंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साख निर्धारण को कम आंकने के कारणों का पता लगाया है;

(घ) देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर इस निर्धारण का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) "स्टैंडर्ड एंड पुअर्स" ने दिनांक 7 अगस्त, 2001 को भारत के संबंध में अपनी ख ख-दीर्घावधिक और ख-अल्पावधिक विदेशी मुद्रा प्रभुसत्ता ऋण पात्रता निर्धारण की पुष्टि की। दीर्घावधिक पात्रता निर्धारण पर दृष्टिकोण संशोधित करके स्थायी से नकारात्मक किया गया।

(ग) 'स्टैंडर्ड एंड पुअर्स' का दृष्टिकोण अन्य बातों के साथ-साथ लोक वित्त और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मंदी के बारे में उनकी अपनी अवधारणा पर आधारित है।

(घ) इसके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहों पर अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ङ) सरकार ने केन्द्र और राज्यों की राजकोषीय स्थिति सुधारने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

***565. श्री उत्तमराव पाटील :**
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काम कर रहे गैर-सरकारी उपभोक्ता संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन संगठनों को अनुदान देने/आवंटन करने के लिए कोई मानदंड तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) क्या सरकार को इन संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक संगठन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1406 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन (उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन) हैं। उनके ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) विभाग उपभोक्ता कल्याणोन्मुख परियोजनाओं के लिए उन गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करता है जो उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत वित्तीय सहायता की मंजूरी से संबंधित दिशा-निर्देशों और नियमों के अनुसार कम से कम 3 साल से पंजीकृत हैं और जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपभोक्ता संरक्षण/जागरूकता से संबंधित कार्य किए हों।

(घ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में उपभोक्ता कल्याण कोष से 112 गैर-सरकारी उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उनके ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) विभाग को उड़ीसा में एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा निधियों के कथित दुरुपयोग की शिकायत मिली है। राज्य सरकार से शिकायत की जांच करने का अनुरोध किया गया था और उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	342*
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	8
5.	बिहार	20
6.	चंडीगढ़	6
7.	छत्तीसगढ़	5
8.	दादरा व नगर हवेली	–
9.	दमण व दीव	1
10.	दिल्ली	26
11.	गोवा	5
12.	गुजरात	123
13.	हरियाणा	16
14.	हिमाचल प्रदेश	9*
15.	जम्मू व कश्मीर	6
16.	झारखण्ड	10
17.	कर्नाटक	78

1	2	3
18.	केरल	63*
19.	लक्षद्वीप	2*
20.	मध्य प्रदेश	66
21.	महाराष्ट्र	70*
22.	मणिपुर	3
23.	मेघालय	6
24.	मिजोरम	2
25.	नागालैण्ड	3
26.	उड़ीसा	46
27.	पाण्डिचेरी	31*
28.	पंजाब	70*
29.	राजस्थान	79
30.	सिक्किम	3
31.	तमिलनाडु	161
32.	त्रिपुरा	5
33.	उत्तर प्रदेश	95
34.	उत्तरांचल	8
35.	पश्चिम बंगाल	36
	कुल	1406

*दी गई तारीख को, अन्य आंकड़े 1998 में सूचना के आधार पर।

विवरण-II

गैर-सरकारी संगठन जिनको 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान वित्तीय सहायता दी गई

	नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि (राशि रुपयों में)
	1	2	3
आन्ध्र प्रदेश			
1.	सर्वोदय यूथ आर्गनाइजेशन, जिला वारंगल	1999-2000	28,800
2.	मन्सा सोशियल सर्विस, कृष्णा जिला	1999-2000	22,500
3.	शान्ति महिला मण्डली, जिला – गुन्टूर	1999-2000	22,500
4.	श्री विनायक युवजन संगम जिला – चित्तौर	1999-2000	31,500
5.	युवजन संगम, जिला – कुड्डप्पा	1999-2000	27,000
6.	नेहरू युवक मण्डली, जिला – कृष्णा	1999-2000	22,500
7.	अरुणा महिला मण्डली, शेड नं०-5 फेज-II, ऑटो नगर, नेल्लोर – 524004	1999-2000	27,000
8.	कन्ज्यूमर वेलफेयर सोसायटी, 2-160, विद्यानगर कालोनी, अदोनी – 518302	1999-2000	13,500
9.	गर्थापुरी कन्ज्यूमर्स काउंसिल, त्रिपुरामल्लुवरी वीदि, ओल्ड – गुन्टूर	1999-2000	27,000
10.	जागृति वोलन्टरी आर्गनाइजेशन हाउस नं०-11-3-34/2, नेहरू नगर खम्मान – 507001, जिला – खम्मान	1999-2000	22,500
11.	कस्तूरीबाई महिला मण्डली इलचुरु, सान्थामागुलुरु मण्डल, प्रकाशम जिला	1999-2000	22,500
12.	मछलीमत्तनम कन्ज्यूमर्स प्रोटेक्शन काउंसिल, डी०नं०-18-120, सुकरलाबाद, मछलीमत्तनम – 521001	1999-2000	31,500
13.	माधुरी महिला मण्डली, भरतपेट, फस्ट लाइन, गुन्टूर – 522002	1999-2000	27,000

	1	2	3
14.	श्रीदेवी वीकर सेक्शन महिला मण्डली टी०एस०आर० बिल्डिंग, सेकन्ड लाइन, नल्लाचेरुवु गुन्टूर – 522003	1999-2000	22,500
15.	विजय वॉलेन्टरी आर्गनाइजेशन, (वी०वी०ओ०), हाउस नं० 13-74, डा० राम रेड्डी कम्प्लेक्स, पो० – जदाचेला, जिला महबूब नगर, आन्ध्र प्रदेश	2000-2001	60,000
16.	इन्टिग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, प्रसन्नायपल्ली गा०, इंजीनियरिंग कालेज, पोस्ट-रापथाड मंडल, जिला अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश	2000-2001	50,000
17	प्रकाशम जिला महिला कंज्यूमर काउन्सिल (आन्ध्र प्रदेश)	2000-2001	50,000
	बिहार		
18.	जन जागरण समिति, पटना	1999-2000	8,100
19.	लोक मंगलम मोहल्लागुदरी, पो०ऑ० लहरियासराय, जिला – दरभंगा	1999-2000	22,500
20.	सेवा संस्थान, मार्फत रामबिलास रॉय, (चंदवारा) कानहौली मठ, रोड, पो०ऑ० रमणा, जिला मुजफ्फरपुर	1999-2000	18,000
21.	विकासयान गांव, पो०ऑ० शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फपुर	1999-2000	22,500
22.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केन्द्र, सुतिहार, नवादा (सारन)	1999-2000	27,000
23.	महिला एवं बाल विकास केन्द्र, जय प्रकाश नगर, पटना – 800001,	1999-2000	12,500
24.	नॉर्थ बिहार समाज कल्याण संगठन, पैगम्बरपुर, बाया सिलौट, जिला–मुजफ्फरपुर	1999-2000	22,500
25.	राधिका सेवा संस्थान, गांव प्रतापु, पोआ० मोसी (थाना) जिला – पूर्वी चंपारन	1999-2000	22,500
	झारखण्ड		
26.	भारतीय ग्रामोत्थान एवं जनहित सेवा संस्थान, बोकारो, झारखण्ड	2000-20001	45,000
	चंडीगढ़		
27.	कंज्युमर फोरम चंडीगढ़, रूम नं० 3, तीसरा तल, करूणा सदन, सेक्टर 11-बी, चंडीगढ़ – सी०सी०पी०सी० मेम्बर	2000-2001	35,000
	दिल्ली		
28.	कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउन्सिल, 62, कुतुब व्यू आपर्टमेंट्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016 – सी०सी०पी०सी० मेम्बर	1999-2000	5,00,000
29.	कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउन्सिल, 62, कुतुब व्यू आपर्टमेंट्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016 – सी०सी०पी०सी० मेम्बर	1999-2000	54,000
30.	सिटीजन डेवलपमेंट सोसायटी, 1-वेस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली	2000-01	2,50,000
31.	कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउन्सिल, 62, कुतुब व्यू आपर्टमेंट्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016 – सी०सी०पी०सी० मेम्बर	2000-01	5,00,000
32.	कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउन्सिल, 62, कुतुब व्यू आपर्टमेंट्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016 – सी०सी०पी०सी० मेम्बर	2000-01	2,50,000
33.	दिल्ली मेडिकल काउन्सिल, नई दिल्ली	2000-01	5,00,000
34.	**वॉइस**, नई दिल्ली	2000-2001	2,35,000

	1	2	3
	गुजरात		
35.	कंज्यूमर अफेर्स एंड प्रोटेक्शन एजेन्सी ऑफ गुजरात, एन०आर० वाली टैंक, सारंगपुर, अहमदाबाद	1999-2000	1,80,000
36.	जागृत ग्राहक, दीपक चेम्बर्स नवाबवादा रावपुरा, वडोदरा – 390001 (गुजरात)	1999-2000	36,000
37.	कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, विज्ञान भवन, पी०एन० इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कैम्पस, क्लिनीकल रिसर्च सेंटर, जय सोमनाथ, हिम्मतनगर, साबरकंठ, गुजरात – 383001 – पूर्व सी०सी०पी०सी० मेम्बर	2000-01	40,000
	हरियाणा		
38.	आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति, ककरोई रोड, सोनीपत (हरियाणा)	1999-2000	31,500
39.	हरियाणा लोक कल्याण शिक्षा समिति, ब्लू जय रोड, समालका, जिला पानीपत, हरियाणा	1999-2000	31,500
40.	ऑल इंडिया कामन वील ऑर्गनाइजेशन, 665/20, प्रेम नगर, रोहतक, हरियाणा	2000-20001	35,000
	जम्मू और कश्मीर		
41.	जम्मू कंज्यूमर्स काउन्सिल, कश्मीर टाइम्स बिल्डिंग, रेसीडेंसी रोड, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)	2000-01	54,000
	कर्नाटक		
42.	येलाहांका विश्व भारती वेल्फेयर सोसायटी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर	2000-2001	41,400
43.	आदर्श यूथ एसोसिएशन, तुमकुर, जिला	2000-2001	36,000
44.	प्रशान्ति रूरल एंड एज्यूकेशनल डिवलपमेंट सोसायटी, बेल्लरी जिला	2000-2001	31,500
45.	विद्या, गुलबर्ग जिला	2000-2001	40,500
46.	कंज्यूमर राइट्स एंड एज्यूकेशनल अवेयरनेस ट्रस्ट, बंगलौर	2000-2001	2,35,000
47.	हजरत अलीपुर मोरल एंड स्पीरिचुअल एसोसिएशन (आर), अरमानगलु-577558, हिरियुर तालुक, चित्राद्वेगा जिला, कर्नाटक	2000-2001	35,000
48.	सेवा भारतीय ट्रस्ट, फर्स्ट क्रोस बरमारम्बा एक्सटेंशन चमरागानगर – 571313, कर्नाटक	2000-2001	40,000
49.	बाल केदारा वेदिका (आर) कंज्यूमर फोरम (आर) सागर, कर्नाटक	2000-2001	25,000
50.	श्री अक्षयमकेथानी ट्रस्ट (आर), स्वम्गाहाली, माण्ड्या (तालुक एंड जिला), कर्नाटक	2000-2001	25,000
	छत्तीसगढ़		
51.	जय प्रकाश मेमोरियल सेंटर, 11/89, जिला बस्तर, किरन्दुल – 494556	1999-2000	27,000
	मध्य प्रदेश		
52.	उपभोक्ता संरक्षण सलाहकार समिति, भोपाल, एम०पी०	2000-2001	2,50,000
53.	कंज्यूमर एंड सिविल राइट्स एसोसिएशन, जनकगंज हनुमान चौराहा लस्कर, ग्वालियर, एम०पी०	2000-2001	2,50,000

	1	2	3
	महाराष्ट्र		
54.	बहुजन एज्यूकेशन सोसायटी, तेम्भरी, तेम्भान, पोस्ट – सिल्ली, तहसील कुही, जिला नागपुर – 441202	1999-2000	18,000
	मणिपुर		
55.	रिसोर्स सेंटर फॉर सोसियल वेल्फेयर एंड कम्यूनिटी डिवीजन, जफौ बाजार पो०ऑ० 18, जिला चंदेल, मणिपुर	2000-01	2,50,000
	मिजोरम		
56.	मिजोरम कंज्यूमर यूनियन (एम०सी०यू०) आइजोल, मिजोरम	2000-2001	1,20,000
	नागालैण्ड		
57.	क्वघी केमेहाई जी (कंज्यूमर वेल्फेयर ऑर्गनाइजेशन), त्सेमिन्यू, जिला कोहिमा, बॉक्स नं० 197, नागालैण्ड – 797001	1999-2000	27,000
	उड़ीसा		
58.	कार्ड, जिला गंजाम	1999-2000	49,500
59.	आशा, भुवनेश्वर	1999-2000	27,000
60.	नवज्योति क्लब, ढेंकनाल	1999-2000	18,000
61.	प्रोजेक्ट स्वराज्य, कटक	1999-2000	31,500
62.	ऑल उड़ीसा रिसर्च इंस्टीटयूट फॉर डिवलपमेंट ऑफ विमेन मेमोरियल, जिला अंगुल	2000-2001	58,500
63.	होली होम, जिला केओन्झार	2000-2001	50,850
64.	सेवा, जिला कटक	2000-2001	40,500
65.	संस्कृति, जिला मयूरभंज	2000-2001	40,500
66.	कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउन्सिल, सी/66, सेक्टर-2, राउरकेला-769000	1999-2000	2,35,000
67.	उड़ीसा कंज्यूमर्स एसोसिएशन (एक्स मेम्बर सी०सी०पी०सी०) विश्वनाथ लेन, कटक-753002	1999-2000	45,000
68.	नेशनल काउन्सिल ऑफ चाइल्ड एंड रूरल टेक्नॉलोजी, रेन्धागढ़, पो०ऑ० गोरुआल, जिला पुरी – 752002	1999-2000	22,500
69.	प्रोजेक्ट स्वराज्य, मोती भवन, केशवपुर रोड, बक्सीबाजार, कटक – 753001	1999-2000	31,500
70.	मौसमी सोसियल एंड चेरिटेब्ल ऑर्गनाइजेशन, प्लाट नं० 3456, पलासुनी, रसूलगढ़, भुवनेश्वर – 751010	1999-2000	30,600
71.	नव ज्योति क्लब, माधापुर, पी०ओ० कबारा, माधापुर, जिला ढेंकनाल	1999-2000	18,000
72.	जिला परिषद, सुन्दरगढ़ जिला, उड़ीसा	2000-2001	2,50,000
73.	जिला परिषद, क्योंझार जिला, उड़ीसा	2000-2001	2,50,000
74.	इंटीग्रेटेड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, पो०ऑ० बौसिंह, वाया – महिमागड़ी, जिला ढेंकनाल (उड़ीसा)	2000-2001	60,000

	1	2	3
75.	संचार, पी०ऑ० – फकीरपुर जिला क्योंझार – 758022 (उड़ीसा)	2000-2001	60,000
76.	बेटर इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एक्शन (बी०आई०आर०डी०ए०), कंकालुण्डा, पो०ऑ० – महिमागाडी, जिला ढेंकनाल – 759014	2000-2001	45,000
77.	सोसियल अवेयरनेस इंस्टीट्यूशन (एस०ए०आई०), डिवाइन नगर, नयाबाजार, कटक (उड़ीसा)	2000-2001	30,000
78.	"सुप्रतीवा", फकीरपदा, बरीबाती, सकद ब्लॉक, कटक (उड़ीसा)	2000-2001	40,000
79.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्यूनिटी एंड चाइल्ड डिवलपमेंट, खुर्दा, उड़ीसा	2000-2001	50,000
80.	थानापल्ली मिल्लित जुवक संघ, पो०ऑ० थानापल्ली, वाया-कालापाथिर, जिला खुर्दा (उड़ीसा)	2000-2001	40,000
	राजस्थान		
81.	**कट्स,** जयपुर	1999-2000	2,35,000
82.	अजमेर जिला ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान, मसूदा, जिला अजमेर	1999-2000	22,500
83.	अजमेर जिला ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान, मसूदा (राज), सी०सी०पी०सी० मेम्बर	2000-2001	50,000
84.	निराश्रित महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति पाई बाग भरतपुर (राज)	2000-2001	40,000
	तमिलनाडु		
85.	नेहरू सोसियल एज्यूकेशन सेंटर, जिला नगाई	2000-2001	72,000
86.	ऑर्गनाइजेशन फॉर रूरल डिवलपमेंट जिला मदरै	2000-2001	69,300
87.	मलार सोसायल सोसायटी, जिला थेनी	2000-2001	49,200
	उत्तर प्रदेश		
88.	अवध ग्रामीण विकास संस्थान, विलेज एंड पी०ओ०–धम्मौर, जिला सुल्तानपुर	1999-2000	22,500
89.	भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति, एल-124, सेक्टर-11, नोयडा, जिला गोतम बुद्ध बिहार	1999-2000	25,500
90.	ग्राम विकास सेवा संस्थान, विलेज मन्नीपुर, पो०ऑ० गोलाबाजार, गोरखपुर	1999-2000	22,500
91.	इंस्टीट्यूट फॉर सोसियो-कल्चरल एंड रूरल डिवलपमेंट 32, नरेन्द्र नगर, उन्नाव	1999-2000	27,000
92.	जनता सेवा समिति, विलेज पकरदेर, पी०ओ० महसोन, जिला बस्ती	1999-2000	31,500
93.	कल्याण शिक्षा सेवा संस्थान, चौदाह मील, पो०ऑ० – घुड़वारा, जिला – रायबरेली	1999-2000	22,500
94.	स्वर्गीय रामरखर रांडे जनहितकारी केन्द्र, ग्राम - पो०ऑ० – मलूकबारीर, फतेहपुर – 212658	1999-2000	22,500
95.	महिला मंडल सेवा संस्थान, 476, राम जानकी नगर, नियर विवेकानन्द स्कूल, बसरातपुर, गोरखपुर (यू०पी०)	1999-2000	18,000
96.	मनीषी बाल विद्या मंदिर समिति, 402/1, शर्मा सदन, राज कालोनी, जौनपुर	1999-2000	27,000
97.	रसूलपुर लतीफ नगर, परोपकारी संस्था, विलेज रसूलपुर, पोस्टर – भटगांव, जिला लखनऊ	1999-2000	22,500

1	2	3
98. संग्राम समाई सेवा संस्थान, विलेज एंड पो०ऑ० बेटाबार कलां, जिला — गाजीपुर	1999-2000	22,5000
99. शार्प डिवलपमेंट, एल-124, सेक्टर-XI, नोयडा, 201301	1999-2000	27,000
100. पुष्पांजलि, विलेज् एंड पो०ऑ० बरूरा (बरौरा), जिला — उन्नाव	2000-01	22,500
101. सूर्य ग्रामोद्योग विकास समिति, विलेज एंड पो०ऑ० सारी, जिला फैजाबाद	2000-01	36,000
102. सफी उद्योग विकास सेवा संस्थान, विलेज एंड पो०ऑ० कोट, जिला गौतम बुद्धनगर	2000-01	31,500
103. श्री नागेश्वर जन कल्याण समिति, 125/1, चोटा बागरा, प्रयाग, इलाहाबाद	2000-01	39,240
104. सूर्या ग्रामोद्योग विकास समिति, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	2000-01	36,000
105. कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एंड सर्विस काउन्सिल (यू०पी०), हरिसेवक निवास, 2/22, जगतनारायण स्ट्रीट, साधवर, फर्रूखाबाद	2000-01	13,500
106. भारत ज्योति, 16, जोपलिंग रोड़, लखनऊ — 226001, (उत्तर प्रदेश)	2000-01	2,35,000
पश्चिम बंगाल		
107. फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल, 39, शेक्सपीयर सरणी, कलकत्ता — 700017	1999-2000	1,90,000
108. फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल, 39, शेक्सपीयर सरणी, कलकत्ता — 700017	1999-2000	4,41,000
109. फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल, 39, शेक्सपीयर सरणी, कलकत्ता — 700017	1999-2000	400,000
110. बेटर बिजनेस ब्यूरो, ए० सोसायटी इनकोर्पोरेटेड, 39, शेक्सपीयर सारणी, कलकत्ता — 700017	2000-2001	5,00000
111. बेटर बिजनेस ब्यूरो, ए० सोसायटी इनकोर्पोरेटेड, 39, शेक्सपीयर सारणी, कलकत्ता — 700017	2000-2001	2,50,000
112. नौतनहाट होस्पीटल पारा खादी उन्नयन समिति, नौतनहाट (डब्ल्यू०बी०)	2000-2001	40,000

विदेशों में प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना

*566. **श्री वाई०जी० महाजन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात संवर्धन के लिये विभिन्न देशों में अपने प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ऐसी प्रदर्शनियों से क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं, जहां वे केन्द्र स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त कार्य के निष्पादन के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई ''निर्यात वृद्धि एवं निर्यात अध्ययन — बाजार पहुंच संबंधी प्रोत्साहन'' योजना में अन्य बातों के साथ-साथ चुनिंदा भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनी एवं प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से चुने गए केन्द्रों पर शो रूम, भण्डारण सुविधाएं स्थापित करने और अभिज्ञात अंतरराष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोरों में चुनिंदा उत्पादों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। इन केन्द्रों का चयन देश वार उत्पाद फोकस पद्धति के अनुसार निर्यात संवर्धन परिषदों (ई०पी०सी०) और व्यापार संवर्धन संगठन (टी०पी०ओ०) द्वारा विपणन संबंधी अध्ययनों के आधार पर किया जाएगा। ई०पी०सी० और टी०पी०ओ० से अनुरोध किया गया है कि वे अनुमोदन के लिए परियोजना आधार पर उपयुक्त प्रस्ताव भेजें। इस वर्ष के लिए अपेक्षित निधियों की पूर्ति वाणिज्य विभाग के लिए अनुमोदित योजना आवंटन में से किए जाने का प्रस्ताव है और चुनिंदा केन्द्रों में चुनिंदा उत्पादों के

प्रदर्शन से देश, इसके उत्पादों की ब्रांड छवि का संवर्धन होगा और निर्यातों में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम०एम०टी०सी०) द्वारा सोने के आयात में अनियमिततायें

***567. श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1998 से ही "यूनाटेड बैंक आफ स्विट्जरलैण्ड" के माध्यम से अधिक दर पर सोना आयात करने के लिये एम०एम०टी०सी० के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो/केन्द्रीय सतर्कता आयोग से जांच के आदेश जारी किये हैं जब कि नब्बे के दशक के मध्य में "क्रेडिट सुइस बैंक" के साथ काफी कम दर पर करार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1988 से सोने के आयात से एम०एम०टी०सी० को हुये घाटे का ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में सोने का आयात किया गया;

(घ) नब्बे के दशक के मध्य में क्रेडिट सुइस बैंक के साथ हुये समझौते को लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) स्वर्ण आयात के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) सरकार द्वारा इस मामले की इस समय जांच की जा रही है ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) एम०एम०टी०सी० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सोने के आयातों के कारण एम०एम०टी०सी० को कोई हानि नहीं हुई है। 1988-89 से 31.7.2001 तक की अवधि के दौरान एम०एम०टी०सी० द्वारा आयातित सोने की कुल मात्रा लगभग 395 टन है।

(घ) एम०एम०टी०सी० और क्रैडिट सुइस फर्स्ट बोस्टन बैंक के बीच करार पर अक्तूबर, 1994 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद से ही इस पर कार्यान्वयन हो रहा है।

(ङ) मौजूदा निर्यात एवं आयात नीति (1997-2002) के अंतर्गत सोने का आयात प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नामित अभिकरणों और भारतीय रिजर्व बैंक/वित्त मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोने का आयात करने की अनुमति दी गई है, जैसा कि एक्जिम नीति में विनिर्दिष्ट किया गया है।

बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बैंक ऋण

***568. श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को आवास निर्माण और आर्थिक पुनर्वास हेतु व्यापार शुरू करने के लिए उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में स्थित वाणिज्यिक बैंकों को विशेष ऋण सहायता देने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले उपरोक्त लोगों को आसान शर्तों पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 1984 में (जून 1998 में संशोधित) बैंकों को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपलब्ध कराने हेतु स्थायी निर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :—

- प्रभावित किसानों को नए फसल ऋण देना।
- 1000/- रुपए तक उपभोग ऋण देना।
- अल्पावधि उत्पादन ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलना।
- मौजूदा मियादी ऋण किस्तों को पुन: निर्धारित/स्थगित करना।
- प्रतिभूति और मार्जिन मानदण्डों में छूट।
- परिवर्तित/पुन: निर्धारित ऋणों के भाग को अनुपयोज्य आस्तियों के रूप नहीं मानना।
- दाण्डिक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। बैंकों को चक्रवृद्धि ब्याज लगाने को भी उपयुक्त रूप से आस्थगित करना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने की घोषणा करते हुए औपचारिक आदेश जारी करने के बाद ही ये मार्गनिर्देश लागू होंगे। उड़ीसा राज्य सरकार ने 13 अगस्त, 2001 को आदेश जारी किया। बैंक तद्नुसार कार्रवाई प्रारम्भ कर रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

***569. श्री नरेश पुगलिया :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोक उद्यम विभाग की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दे सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मई, 2000 में अधिसूचित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पैकेज की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दिये जाने वाले संशोधित सेवानिवृत्ति पैकेज को कब तक अधिसूचित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मई, 2000 में अधिसूचित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत देय पैकेज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मई, 2000 में अधिसूचित की जा चुकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से सम्बन्धित पैकेज के अन्तर्गत सुदृढ़ वित्तीय स्थिति तथा अपने संसाधनों के बल पर योजना के वित्तपोषण में समर्थ सरकारी उपक्रम वर्तमान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से भिन्न किसी अन्य योजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं। तथापि, क्षतिपूर्ति की राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 60 दिनों के वेतन अथवा अधिवर्षिता तक सेवा के शेष माह के वेतन, इनमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

मामूली लाभ अर्जित करने वाले अथवा घाटा उठाने वाले उद्यमों को गुजरात में शुरू की गई एक योजना के मॉडल पर आधारित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाना है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिनों के वेतन तथा अधिवर्षिता तक सेवा के शेष प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिनों के वेतन के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा। तथापि, क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारी की शेष सेवावधि के कुल वेतन से अधिक नहीं होगी।

रुग्ण, आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य एककों के मामले में भारी उद्योग विभाग की स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वी०एस०एस०) के अन्तर्गत देय पैकेज अपनाया जाएगा। रूपात्मकता के तौर पर वी०एस० एस० को गुजरात पैटर्न पर बनाया जा सकता है। बहरहाल, कर्मचारियों को प्रस्ताव किए जाने के तीन माह के अन्दर वी०एस०एस० स्वीकार करना होगा और ऐसा नहीं होने पर वे सिर्फ छंटनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

योजना की समीक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा समय-पूर्व भुगतान

***570. श्री राजो सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यू०टी०आई०, आई०एफ०सी०आई०, आई०सी०आई० सी०आई०, आई०डी०बी०आई० जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाओं और अन्य वित्तीय संस्थाओं की उन योजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके संबंध में उक्त संस्थाओं ने इन योजनाओं के बारे में की गई घोषणाओं को नजरंदाज करते हुए अपनी ओर से प्रस्ताव भेजकर समय-पूर्व धन वापस लेने के लिए निवेशकों को बाध्य किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी गतिविधियों के लिए सरकार की अनुमति ली गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है; और

(घ) ऐसी गतिविधियों को रोकने तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) वित्तीय संस्थाओं आई०एफ०सी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई०, आई०डी०बी० आई० के अनुसार उन्होंने शीघ्र मोचन विकल्प (मांग विकल्प) का प्रयोग करते हुए अपने कुछ बांड निर्गमों का परिपक्वता-पूर्व मोचन किया। यू०टी०आई० ने यह सूचित किया है कि इसने अपनी तीन योजनाओं को परिपक्वता तिथियों से पहले समाप्त कर दिया। ब्यौरे इस प्रकार हैं —

संस्थान का नाम		योजना का नाम
आई०एफ०सी०आई०,	(i)	आई०एफ०सी०आई०, फैमिली बांड, 1996
आई०सी०आई०सी०आई०,	(i)	आई०सी०आई०सी०आई० मल्टी-ऑप्शन बांड (पूर्ववर्ती एस०सी०आई०सी०आई०, द्वारा 1996 में निर्गमित)
	(ii)	आई०सी०आई०सी०आई०, बांड (आशीर्वाद डीप डिस्काउंट बांड तथा अक्षय मासिक आय बांड) 1996
आई०डी०बी०आई०	(i)	फ्लेक्सी बांड — 1996
	(ii)	फ्लेक्सी बांड — 1997
यू०टी०आई०	(i)	राजलक्ष्मी यूनिट योजना (आर०यू०एस०-1992)
	(ii)	पैरेन्ट्स गिफ्ट एंड ग्रोथ फंड यूनिट योजना 1987 (पी०जी०जी०एफ० '87)
	(iii)	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1993 (आई०आई०एस०एफ०यू०एस० '93)

(ख) समय-पूर्व शोधन विकल्प (मांग विकल्प) तथा यू०टी० आई० योजनाओं की समय-पूर्व समाप्ति किए जाने का उनके संबंधित पेशकश दस्तावेजों में प्रावधान किया गया था तथा सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एफ०एम०रेडियो लाइसेंस

*571. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ०एम०रेडियो के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में सरकारी नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टाइम्स रेडियो और कुछ अन्य बोलीदाताओं ने कुछ आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सरकार ने निजी एजेंसियों के जरिए एफ०एम० प्रसारण सेवा नीति अनुमोदित कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पैरामीटरों को शामिल किया गया है :—

(1) मूल्य आधारित सेवाओं सहित एफ०एम० रेडियो प्रसारण सेवाओं का 40 केन्द्रों में विस्तार।

(2) यह लाइसेंस संगीत, शिक्षा, मनोरंजन तथा सूचना के मुक्त प्रसारण के लिए होगा और इसमें समाचार तथा समसामयिक विषयों को शामिल नहीं किया जाएगा।

(3) लाइसेंस-धारी कार्यक्रम तथा विज्ञापन मानकों एवं संहिताओं का अनुपालन करेगा।

(4) लाइसेंसधारियों के लिए पात्रता मानदण्ड तथा चयन प्रक्रिया का भी निर्धारण किया गया था।

(5) स्कीम के अंतर्गत पात्र कम्पनियां वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा पर निर्भर करते हुए विदेशी संस्थानिक निवेशक, अनिवासी भारतीय तथा विदेशी निगमित निकायों द्वारा सीमित शेयर पूंजी-धारकों के अलावा भारतीयों द्वारा शेयर पूंजी धारकों सहित भारत में पंजीकृत होनी चाहिए।

(ग) और (घ) कुछ कम्पनियों ने अभ्यावेदन दिया था कि मूल निविदा शर्तों की तुलना में आशय पत्र के निबन्धनों एवं शर्तों में अन्तर था। इन बिन्दुओं को स्पष्ट कर दिया गया था। कम्पनियां जो बैंक गारंटी प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस समझौतें पर हस्ताक्षर करने में असफल रही है तथा जिन्होंने अग्रिम आरक्षित लाइसेंस शुल्क वापस करने की मांग की है, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) संलग्न विवरण में दी गई सूची में से 9 कम्पनियां अदालत में चली गयी है और मामला न्यायाधीन है।

विवरण

उन कम्पनियों के नाम जिन्होंने चूक की है तथा आरक्षित लाइसेंसशुल्क के लिए अदालत में गयी है या मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है

क्र०सं०	कम्पनी का नाम
1.	न्यू मीडिया ब्रॉडकास्टिंग प्रा०लि०
2.	वरटेक्स ब्रॉडकास्टिंग कम्पनी प्रा०लि०
3.	इन्डिगो रेडियो प्रा०लि०
4.	हिन्द ब्रॉडकास्टिंग कम्पनी प्रा०लि०
5.	मैजिक रेडिया इन्डिया प्रा०लि०
6.	ड्रीम रेडिया इंडिया प्रा०लि०
7.	किस्मत रेडियो (इंडिया) प्रा०लि०
8.	धुन रेडिया प्रा०लि०
9.	बालीवुड ब्रॉडकास्टिंग प्रा०लि०
10.	ऑब्जर्वर नेटवर्क प्रा०लि०
11.	निम्बस कम्यूनिकेशंस लि०
12.	नेफ्स (इंडिया) प्रा०लि० गुवाहाटी
13.	मोदी इण्टरटेनमेण्ट नेटवर्क, नई दिल्ली
14.	राज टेलीफिल्म्स लि० चेन्नै

गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियमन

*572. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल में गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियमों में संशोधनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गत कुछ महीनों के दौरान गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जा रही विभिन्न अनियमितताओं के बारे में जानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमों में किए गए संशोधनों से गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जा रही विभिन्न अनियमितताओं पर किस सीमा तक रोक लगेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ठोस एवं सुदृढ़ रूप से कार्य करें, एक व्यापक नियामक और पर्यवेक्षी ढांचा स्थापित किया है। हाल ही में, 27 जून, 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके विभिन्न संविभागों में प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र प्रणाली के एक भाग के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में आस्ति-देयता प्रबंधन (ए०एल०एम०) प्रणाली के लिए मार्गनिर्देश जारी किए। मार्गनिर्देशों के अनुसार, उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, जिनकी आस्ति का आकार 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार उनके तुलन-पत्र के अनुसार 100.00 करोड़ रुपए और इससे अधिक या सार्वजनिक जमाराशियां 20.00 करोड़ रुपए और इससे अधिक हैं, आस्ति-देयता प्रबंधन (ए०एल०एम०) प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, जिसे 31.3.2002 को समाप्त होने वाले वर्ष तक कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को परामर्श दिया गया है कि संस्था में ए०एल०एम० प्रणाली को औपचारिक रूप प्रदान करने की तैयारी करने के लिए विशेषज्ञ सदस्यों सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी या अन्य वरिष्ठ कार्यपालक की अध्यक्षता में आस्ति-देयता प्रबंधन समिति गठित करना वांछनीय होगा। 1 अप्रैल, 2001 से ब्याज दरों की अधिकतम सीमा 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को समय-समय पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जमाराशियों की वापसी अदायगी न किए जाने या कंपनी विधि बोर्ड द्वारा पारित वापसी अदायगी के आदेशों का पालन न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों तथा उसके अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और अनुदेशों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने ठोस नियामक ढांचे की स्थापना की है। इसमें पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भारतीय रिवर्ज बैंक अधिनियम में प्रतिपादित मानदण्डों के अनुसार उनकी पात्रता का निर्धारन करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के आवेदनों की संवीक्षा करना, जमाराशियां स्वीकार करने की गतिविधियों आस्तियों की गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता के संदर्भ में, निरीक्षण संस्थाओं द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदण्डों के अनुपालन के स्तर और गुणवत्ता का पता लगाने के लिए स्थल पर निरीक्षण, स्थलेतर निगरानी और बाजार आसूचना प्रणाली शामिल है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों, को भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यकरण के संबंध में उनके ध्यान में अनियमितताओं, यदि कोई हों, की सूचना सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को देने की भूमिका सौंपी गई है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय III-ख, IV-ग और V को 1997 में संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कारगर पर्यवेक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई थीं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपना कार्यकरण भारतीय वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत करती हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2000 दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में पेश किया गया था। माननीय अध्यक्ष ने यह विधेयक स्थायी वित्त समिति को भेज दिया था। एक बार इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर, यह जमाकर्ताओं के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी ढांचे को और सुदृढ़ बनाएगा।

[हिन्दी]

गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं और सहकारी बैंकों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समितियां

***573. डा० जसवंतसिंह यादव :**
श्री टी० गोविन्दन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी बैंकों के नैमित्तिक कार्य पर निगरानी रखने के लिए अलग से उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन करने के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समितियों के कब तक गठित हो जाने की संभावना है; और

(घ) इन समितियों से गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं और सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के मामले में फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए पृथक पर्यवेक्षी निकाय की स्थापना हेतु मौद्रिक एवं ऋण नीति, 2001-02 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित पृथक निकाय शहरी सहकारी बैंक के संबंध में सम्पूर्ण पर्यवेक्षी कार्यों पर नियंत्रण रख सकता है। मामला सरकार के जांचाधीन है।

[अनुवाद]

मनोरंजन उद्योग के लिये भारतीय उद्योग परिसंघ के सुझाव

***574. श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिये कम सरकारी नियंत्रण वाली पारदर्शी विनियामक व्यवस्था बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) प्रिन्ट और टेलीविजन दोनों मीडिया तथा सिनेमा के लिए वर्तमान नियामक एवं सांस्थानिक ढांचा स्वयं में काफी पारदर्शी और उदार है तथा मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के विकास में सहायक है।

बदलती परिस्थितियों में सतत आधार पर सुधारों एवं समायोजनों पर विचार किया जाता है।

खाद्यान्नों की खरीद का विकेन्द्रीकरण

***575. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्यान्न भंडारों के प्रबंधन की मद में बढ़ रही राजसहायता को कम करने के लिए कोई तंत्र विकसित करने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्यान्नों की बर्बादी रोकने और राजसहायता संबंधी व्यय में कटौती करने के लिए खाद्यान्नों की खरीद की विकेन्द्रीकृत प्रणाली के संबंध में केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को राज्य सरकारों ने अस्वीकार कर दिया था;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समिति की सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ङ) मुख्यमंत्रियों के 21.5.2001 को हुए सम्मेलन के अनुसरण में खाद्य प्रबंध और कृषि निर्यात संबंधी केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की स्थायी समिति का गठन किया गया है। स्थायी समिति ने दिनांक 6.7.2001 को हुई अपनी पहली बैठक में विकेन्द्रीकृत वसूली के मुद्दे पर चर्चा की थी। तथापि, इस मुद्दे पर कोई मतैक्य नहीं हुआ था।

उक्त बैठक में भारत सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि यह योजना किसी राज्य सरकार पर थौंपी नहीं जाएगी। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि देश में सभी स्थानों पर सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को वास्तविकता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक था कि राज्यों को वसूली प्रचालन अपने हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। भारत सरकार स्थानीय वसूली के लाभों में हिस्सा बांटने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके विस्तृत योजना तैयार करेगी।

[हिन्दी]

न्यायालयों में लंबित पड़े राजस्व संबंधी मामले

***576. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोड़ों रुपये के राजस्व के अनेक मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार न्यायालयों में कितने तथा कितनी धनराशि के मामले लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या बकाया धनराशि की वसूली में कठिनाइयां आ रही हैं क्योंकि मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध मं सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इन बाधाओं को दूर करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क से संबंधित 8342 मामले लम्बित थे जिनमें 1382 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार आयकर के संबंध में 36055 मामले लम्बित थे और 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार ऐसे मामलो में 1545 करोड़ रुपए का राजस्व अन्तर्ग्रस्त था।

(ग) जी, हां।

(घ) जिन मामलों में न्यायालयों द्वारा स्थगन प्रदान किया जाता है, उन मामलों में प्राथमिकता के आधार पर निर्णय देने के लिए या स्थगन निरस्त करवाने के लिए सभी उपाय किए जाते हैं। लम्बित मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायनिर्णयों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के विषय-वार/मामले-वार समूहीकरण और ऐसे मामलों के एक बारगी निपटान और शीघ्र सुनवाई के लिए संबंधित न्यायालयों से अनुरोध करने के उपाय किए जाते हैं। सरकार की ओर से अदालती मामलों को देखने वाली कानूनी एजेन्सियों के सहयोग से अदालती मामलों से संबंधित कार्य की लगातार निगरानी और समन्वय भी किया जाता है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति

***577. श्री साहिब सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों में विदेशी निवेश के संबंध में अब तक क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जो स्वतः स्वीकृत सूची के अन्तर्गत नहीं आते हैं;

(ख) इन दिशा-निर्देशों से भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने में किस सीमा तक सहायता मिली है; और

(ग) विदेशी निवेश के कुल कितने प्रस्ताव इन दिशा निर्देशों के क्षेत्राधिकार में लाये गये और स्वीकृत हुये ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) विद्यमान नीति के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक अथवा एक से अधिक शर्तों को आकृष्ट करने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) के प्रस्तावों के लिए भारत में निवेश संबंधी क्रियाकलापों को स्थापित करने हेतु सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है :–

(1) ऐसे सभी प्रस्ताव जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक होता है, जिनमें ये प्रस्ताव शामिल हैं – (1) वे मद जिनके लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस लिया जाना अपेक्षित है; (2) लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों का उत्पादन करने वाली इकाइयों की इक्विटी पूंजी में 24 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश होने पर; और (3) ऐसी सभी मदें, जिनके लिए सरकार की नई औद्योगिक नीति, 1991 के तहत स्थापना-स्थल संबंधी शर्तों के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस लेना अपेक्षित होता है।

(2) ऐसे सभी प्रस्ताव, जिनमें विदेशी निवेशक का भारत में पहले से ही उद्यम/समझौता मौजूद है। ऐसे मामलों में दिनांक 14.12.1998 के प्रेस नोट सं० 18 (1998 की श्रृंखला) में दी गयी पद्धतियां लागू होंगी।

(3) ऐसे सभी प्रस्ताव, जो कि किसी मौजूदा कंपनी में शेयरों का अधिग्रहण किसी विदेशी/अनिवासी भारतीय (एन० आर०आई०)/विदेशी निगमित निकाय (ओ०सी०बी०) के निवेशक के पक्ष में किये जाने से संबंधित हैं।

(4) ऐसे सभी प्रस्ताव, जो अधिसूचित क्षेत्रीय नीति/सीमाओं से बाहर हैं अथवा ऐसे क्षेत्रों से संबंधित हैं जिनमें एफ०डी० आई० करने की अनुमति नहीं होती है और/अथवा जब कभी कोई निवेशक स्वतः मार्ग का लाभ प्राप्त करने की बजाय एफ०आई०पी०बी० को आवेदन करने का इच्छुक होता है।

सरकार द्वारा दूरसंचार, घरेलू विमान सेवा, परमाणु खनिज, रक्षा उद्योग, एकीकृत नगर विकास, प्रसारण और उपग्रह परिचालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) को शासित करने से संबंधित क्षेत्र विशेष दिशानिर्देश समय-समय पर अधिसूचित किये जाते हैं।

(ख) इन दिशा निर्देशों से शीघ्र और पारदर्शी निर्णायक प्रक्रिया बनाये जाने में सहायता मिली है, जिससे निवेशकों के विश्वास का स्तर ऊंचा हुआ है।

(ग) 1991 से जून, 2001 तक की अवधि के दौरान कुल 12,992 एफ०डी०आई० प्रस्तावों में से 10,338 प्रस्ताव सरकारी मार्ग के माध्यम से अनुमोदित किये गये हैं, जो कि कुल अनुमोदनों का 79.57 प्रतिशत बनता है।

खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र

***578. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए दिए गए खाद्यान्नों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के पृथक-पृथक नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं/प्रस्तुत नहीं किए हैं;

(ग) उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं;

(घ) सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए दिए जाने वाले खाद्यान्नों पर दी जा रही राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को गत कुछ महीनों में उन खाद्यान्नों की कालाबाजारी के संबंध में विभिन्न शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या ठोस कार्रवाई की गई है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) फिलहाल उन राज्यों के संबंध में राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के वितरण के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबद्ध करने का तंत्र मौजूद है जिन राज्यों में विकेन्द्रीकृत वसूली की जा रही है। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल अप्रैल, 2000 से यथा अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं जबकि उत्तर प्रदेश अप्रैल, 2001 से उपयोगित प्रमाण-पत्र दे रहा है। विकेन्द्रीकृत वसूली की प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को बिल प्रस्तुत करने पर उनके दावे के 90 प्रतिशत तक की राजसहायता रिलीज की जाती है। शेष 10 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रिलीज की जाती है।

(घ) सम्पूर्ण देश में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा वहन की गई उपभोक्ता राजसहायता की कुल राशि 4478 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ङ) और (च) इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। ये शिकायतें उचित कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दी गई हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती हैं। खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण और भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदामों तक ढुलाई करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है जबकि पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से लक्षित लाभभोगियों को खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*579. **श्री विजय गोयल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य स्थानों के विमान पत्तनों पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों का विमान पत्तनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान हवाई पत्तनों पर एयर कार्गों और यात्री निकासी का कार्य निपटान वाले सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों से संबंधित सूचना, हवाई पत्तन-वार निम्नानुसार है :–

क्रम सं०	हवाई पत्तन	प्राप्त शिकायतों की संख्या 1999	2000
1.	बंगलौर	शून्य	02
2.	चेन्नई	03	01
3.	त्रिची	01	शून्य
4.	हैदराबाद	03	03
5.	मुम्बई	10	11
6.	दिल्ली	10	05
7.	अमृतसर	शून्य	01
8.	लखनऊ	शून्य	02
9.	अहमदाबाद	03	06

(ग) शिकायतें अधिकांशत: हवाई पत्तनों पर आगमन पर एयर कार्गो और व्यक्तिगत सामान की निकासी के संबंध में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। शिकायतों में व्यक्तिगत सामान की निकासी के लिए गैर-कानूनी परितोषण की मांग, कार्गो की निकासी में देरी तथा माल का न्यूनमूल्यांकन आदि शामिल है। ऐसी शिकायतों की जांच-पड़ताल की जाती है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है, जिसमें गैर-संवेदी पदों पर स्थानान्तरण करना शामिल है, जहां आवश्यक होता है निलंबन और अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की चोरी

*580. **प्रो० दुखा भगत : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक** वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की चोरी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार चोरी हुए खाद्यान्न के अनुमानित मूल्य और उनकी मात्रा का खाद्यान्नवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चोरी की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चोरी हुए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है :–

वर्ष/जिंस	अंतर्ग्रस्त मात्रा (टन में)	अन्तर्ग्रस्त राशि (रुपये में)
1998-99		
गेहूं	86.305	6,47,525
चावल	21.520	1,26,787
धान	–	–
जोड़	107.825	7,74,312
1999-2000		
गेहूं	92.265	5,38,521
चावल	42.835	4,21,897
धान	26.260	1,73,379
जोड़	162.360	11,33,797
2000-2001		
गेहूं	153.065	10,82,033
चावल	50.785	4,25,624
धान	59.940	3,82,397
जोड़	263.790	18,90,054

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चोरी रोकने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :–

(i) संवेदनशील गोदामों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य मशस्त्र बल तैनात करना।

(ii) गोदामों की सुरक्षा के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है, भारतीय खाद्य निगम के सुरक्षा कर्मचारियों के अलावा होम गार्ड, विशेष पुलिस अधिकारी और प्राइवेट सुरक्षा गार्ड लगाना।

(iii) गोदामों की चारदीवारी पर कांटेदार तार लगाना और रोशनी करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाना।

(iv) सुरक्षा संबंधित कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर डिपुओं का निरीक्षण करना।

(v) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध रिकवरी करने सहित उचित दण्डात्मक कार्रवाई करना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

घी और कत्था में मिलावट

5852. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 नवम्बर, 1999 के ''दि हिन्दू'' में ''टैक्समैन अनकवर अनडिक्लियर्ड वैल्थ'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह ग्रुप दिल्ली और अन्य स्थानों पर दूध/घी और कत्था के व्यवसाय में लगा हुआ था;

(घ) यदि हां, तो इस ग्रुप के संदेहास्पद रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए यह आशंका है कि वे मिलावट में लगे हुए हैं और घी तथा कत्था में सिंथेटिक/घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के अलावा मिलावट के पहलुओं की जांच करने में पी०एफ०ए० प्राधिकारियों को भी शामिल किया है; और

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार मद में कत्था तथा घी/मिल्क पाऊडर के निर्माताओं के मामलों में की गई तलाशियों तथा तलाशी उपरान्त की गई जांचों के संबंध में सूचना निहित थी। तथापि, समाचार मद में सूचित किए गए तथ्य सही नहीं थे कि घी तथा मिल्क पाऊडर के निर्माताओं ने 10 करोड़ रुपये की लेखा-बाह्य आय की घोषणा की थी तथा हवाला लेन-देनों में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। कथित करोड़ों रुपये की धन राशि के शोधन संबंधी गिरोह तथा केसीन निर्यातों के अधिक बीजक बनाने के बारे में स्थिति संगत आयकर निर्धारणों को करने के उपरान्त ही स्पष्ट होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) आयकर जांचों से मिलावट अथवा सिंथेटिक/घटिया सामग्री के इस्तेमाल के बारे में पता नहीं चल पाया। अतः इसमें पी०एफ०ए० प्राधिकारी शामिल नहीं थे।

सी०बी०ई०सी० के अध्यक्ष की नियुक्ति

5853. **श्री महबूब जहेदी :**
श्री रामजी मांझी :
श्री सुबोध राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले श्री वर्मा के पूर्ववृत के बारे में कार्मिक विभाग को सूचित किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि आपत्ति पर विचार नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

[हिन्दी]

पाकिस्तान से स्वापक औषधि की तस्करी

5854. **कुंवर अखिलेश सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक औषधियों की पाकिस्तान से समुद्र मार्ग से भारत में तस्करी की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए और इनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पिछले वर्ष के दौरान समुद्री मार्ग के जरिये पाकिस्तान से भारत में स्वापक औषधियों की तस्करी किए जाने का ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं के भंडारण में अनियमितताएं

5855. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं के भंडारण में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार गोंडा, उत्तर प्रदेश के गोदाम में बरती गई अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई जांच करेगी ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) जी, हां। गौंडा, उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के कार्यकरण के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत प्राप्त होने पर जांच करने हेतु 17 जुलाई, 2001 को मंत्रालय के अधिकारियों का एक उड़न दस्ता तैनात किया गया था। इन्क्वायरी रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों पर आयकर

5856. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी पेंशनभोगियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के आयकर कटौती हेतु बैंकों को निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वरिष्ठ नागरिकों को फार्म भरना और काफी समय तक पंक्ति में खड़े रहना अपेक्षित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वरिष्ठ नागरिक विवरणी (कर विवरणी दाखिल करना) नहीं भरते हैं क्योंकि वे कर के दायरे में नहीं आते हैं लेकिन उन्हें जुर्माना अदा करने के नोटिस दे दिए जाते हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंकों जिनसे वे पेंशन का आहरण करते हैं को स्रोत पर कर योग्य राशि की कटौती करने की अनुमति देने का है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) आयकर कानूनों के अन्तर्गत ''वेतन'' शीर्ष जिसमें पेंशन भी शामिल है, के अन्तर्गत प्रभार्य किसी आय को अदा करने के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति, भुगतान के समय, ऐसी छूट और राहत, जो उस वित्तीय वर्ष जिसमें भुगतान किया जाता है, के लिए लागू दरों के आधार पर परिकलित आयकर की औसत दर पर कर कानूनों/नियमों के अनुसार ग्राह्य हो सकती है, प्रदान करने के पश्चात् देय राशि पर स्रोत पर आयकर की कटौती करेगा। चूंकि सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान बैंकों द्वारा किया जाता है, अत: वे देय पेंशन पर स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) और (घ) प्रत्येक नागरिक (वरिष्ठ नागरिकों सहित) जिसकी कराधेय आय है, को कार्फ भरना (आयकर विवरणी दायर करने) और उसे निर्धारित तारीख तक स्थानीय आयकर कार्यालय में नामोद्दिष्ट काउंटरों पर जमा करना होता है। आयकर विभाग द्वारा आखिरी समय की भीड़भाड़ पर नियंत्रण पाने तथा करदाताओं को असुविधा से बचाने के लिए अन्तिम तारीख के आस-पास वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य लोगों के लिए विवरणियां जमा कराने हेतु विभिन्न स्थानों पर विशेष प्रबंध किए जाते हैं।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त (ग) और (घ) में पहले ही बताया गया है, प्रत्येक नागरिक, जिसकी कराधेय आय है, को अपनी विवरणी दायर करनी आवश्यक है। जब कभी कर कानूनों के अनुपालन में चूक के किसी मामले का पता चलता है, जहां आवश्यक होता है, आय कर कानूनों/नियमों के अनुसार चूकत्ताओं को नोटिस जारी किए जाते हैं।

(च) और (छ) उपर्युक्त (क) और (ख) के बारे में स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

5857. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
प्रो० आर०आर० प्रमाणिक :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विनिवेश के द्वारा की जाने वाली बिक्री के बाद नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण से संबधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो की जाने वाली बिक्री से पहले दस्तावेज न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, सौदे के पूरा होने के बाद सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा करता है। यह लेखा परीक्षा सामान्यत: सौदे के पूरा होने के लगभग एक साल के बाद की जाती है। विशेष अनुरोध पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सभी विनिवेश मामलों की लेखा परीक्षा, विनिवेश सौदे के पूरा होने के तुरंत बाद करने के लिए सहमत हो गया है। यह लेखा परीक्षा सौदा पूरा होने से पहले नहीं की जा सकती

है। तथापि एयर इंडिया के विनिवेश के मामले में सरकार ने नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को सौदे से पूर्व मूल्य निर्धारण सिद्धांतों की जांच करने के लिए सहमत होने का प्रस्ताव किया था। नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ऐसा करने के लिए सहमत नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

भारत – स्पेन व्यापार संधि

5858. श्री पी०आर० खूंटे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी०एच०डी० चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री तथा मैड्रिड आफिशियल चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ स्पेन ने भारत और स्पेन के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पी०एच०डी० चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री तथा मैड्रिड ऑफिशियल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने दिनांक 14 फरवरी, 2001 को नई दिल्ली में प्रोतोकोल तथा सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि सामान्य रूप से दोनों देशों के व्यापारी समुदायों तथा विशेष रूप से उनके संबंधित सदस्यों के बीच वाणिज्यिक तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संबंधों की स्थापना और उनका विकास किया जा सके।

(ख) प्रोतोकोल तथा सहयोग संबंधी करार के ब्यौरों में शामिल हैं :– भारत तथा स्पेन के बीच व्यापार संबंधों का संवर्द्धन करना, दोनों संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ाना, एक-दूसरे देश में व्यापार एवं बाजार अनुसंधान मिशनों, सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों, व्यापार प्रदर्शनियों, सेमिनारों तथा व्यापार संवर्द्धन संबंधी अन्य क्रियाकलापों का आयोजन, व्यापारियों तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के अन्योन्य दौरों को बढ़ावा देना, दोनों संगठनों के पदाधिकारियों के दौरों की व्यवस्था करना, आर्थिक विकास तथा उनके सदस्यों के व्यापारिक हितों को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना, उनके सदस्यों के बीच वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना और उसे सुकर बनाना इत्यादि।

(ग) प्रोतोकोल तथा सहयोग संबंधी-करार पर हस्ताक्षर होने के बाद मैड्रिड ओ०सी०सी०आई० ने पी०एच०डी०सी०आई० के परामर्श से तथा कुछेक यूरोपीय चैम्बरों के सहयोग से नई दिल्ली में मार्च, 2002 में दो दिवसीय एशिया इंटरप्राइज इवेंट, जिसका केन्द्र बिन्दु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होगा, का आयोजन करने के लिए एशिया निवेश कार्यक्रम के तहत यूरोपीय आयोग को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें भारतीय खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के साथ कार्यनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की लगभग 40 यूरोपीय कंपनियों के भाग लेने की आशा है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक में डिस्पेंसरी सुपरवाइजर

5859. श्री अनन्त नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नई दिल्ली और कोलकाता कार्यालयों में डिस्पेंसरी सुपरवाइजर की आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित करने हेतु निदेशक मंडल से भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन/सहमति प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन पदों पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति करके रिक्तियों को भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करके अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के साथ न्याय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नई दिल्ली कार्यालय में औषधालय पर्यवेक्षक की रिक्ति को अनारक्षित करने के लिए भारत सरकार का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया था। कोलकाता की रिक्ति के लिए, ऐसी कोई औपचारिकता आवश्यक नहीं समझी गई थी।

(ख) और (ग) नई दिल्ली में रिक्ति मई 1989 में हुई थी और पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाला अनुसूचित जाति का कोई भी उम्मीदवार नहीं था। इसलिए यह पद, इस पद के लिए सूची में शामिल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा गया था और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति के बकाए को आगे ले जाया गया था। कोलकाता में, पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाले एकमात्र उम्मीदवार का चयन साक्षात्कार बोर्ड द्वारा किया गया था और उसे 1992 में पदोन्नत किया गया था।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है और सुधारात्मक कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

पी०डी०एस० के माध्यम से सस्ती दरों पर चीनी का वितरण

5860. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में निर्धन व्यक्तियों को राशन की दुकानों के माध्यम से सस्ती दरों पर चीनी के वितरण के प्रस्ताव पर सभी राज्य सरकारों की राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) भारत सरकार ने इस संबंध में अधिशेष चीनी उत्पादक राज्यों और चीनी की कमी वाले राज्यों से विचार मांगे हैं कि क्या चीनी से नियंत्रण पूर्णतया समाप्त करने के बाद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी का वितरण जारी रखा जाए, यदि हां तो इसके क्या तौर-तरीके अपनाए जाएं। अधिकांश राज्य सरकारों ने सुझाव दिया है कि चीनी से नियंत्रण पूर्णतया समाप्त करने के बाद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी का वितरण जारी रखा जाए। जहां तक ऐसे वितरण की विधियों का संबंध है, इस बारे में विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं।

(ग) फिलहाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी का वितरण जारी है।

बैंकों के माध्यम से ऋण देना

5861. **श्री सुरेश कुरूप :**
प्रो० आर०आर० प्रमाणिक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी तथा बागवानी जैसे क्षेत्रों में नियमित निगरानी सहित ऋण देने में वृद्धि किए जाने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) क्या शिक्षा के क्षेत्र में ऋण दिए जाने की आवश्यकता है ताकि होनहार छात्र निधियों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन क्रियाकलापों के लिए ऋण मानकों में छूट देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि पारंपरिक/परंपरेतर रोपड़ और बागवानी साथ ही सभी बागान बागवानी को मध्यम और दीर्घावधि ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है और उसे कृषि को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खाद्य और कृषि संसाधन को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को भी प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और इनकी उपलब्धि की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय बैंक संघ (आई०बी०ए०) द्वारा तैयार की गई नई शैक्षणिक ऋण योजना, जो सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित है, को इस शैक्षणिक सत्र के दौरान कार्यान्वयन के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच परिचालित की गई है।

इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :—

- भारत और विदेश में स्कूल और कालेजों के पाठ्यक्रम कवर होते हैं।
- भारत में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ऋण और विदेश में अध्ययन हेतु 15 लाख रुपए तक का ऋण।
- 4 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए जमानत अथवा मार्जिन की आवश्यकता नहीं।
- 4 लाख रुपए तक ऋणों पर ब्याज पी०एल०आर० से अधिक नहीं होगी और 4 लाख रुपए से अधिक के ऋणों पर ब्याज पी०एल०आर० + 1 प्रतिशत होगी।
- पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद 5-7 वर्षों की अवधि में वापसी अदायगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि 27 बैंकों में से 26 बैंकों ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अपनी शाखाओं को पहले ही मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं और शेष एक बैंक शीघ्र ही परिपत्र जारी करने जा रहा है।

कर्नाटक में विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना

5862. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और विश्व बैंक ने कर्नाटक में शुरू की जाने वाली विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए तीन कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को विकसित करने हेतु, विश्व बैंक कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) कर्नाटक को इससे कितना लाभ होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर की तारीख	पूरा होने की तारीख	सहायता की राशि (मि०अम० डालर में)	प्रत्याशित लाभ
1.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना	26.7.2001	31.12.2001	150.00	कर्नाटक सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सुधारों के राजकोषीय खर्च को पूरा करने के लिए इस परियोजना में बजटीय सहायता मुहैया करायी जाएगी।
2.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	26.7.2001	30.6.2006	360.00	यह परियोजना कर्नाटक सरकार की इसके महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क और राज्य राजमार्गों को सुधारने में सहायता करेगी।
3.	कर्नाटक जलसंभार विकास परियोजना	26.7.2001	31.3.2007	100.40	यह परियोजना चुनिंदा जलसंभारों तथा उनसे सम्बद्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार की उत्पादनकारी संभावनाओं को सुधारेगी तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए सामुदायिक और संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएगी।

[हिन्दी]

चावल का निर्यात

5863. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात प्रयोजन हेतु चावल निर्यातकों को बेचे जाने वाले चावल पर प्रति क्विंटल बैंक गारंटी देने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 2001 से आज तक चावल निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुसूचित बैंकों द्वारा दी गई बैंक गारंटियों का ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम को चावल निर्यातकों से अप्रैल, 2001 से प्राप्त बैंक गारंटियों के ब्यौरे बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय, नई दिल्ली में प्राप्त बैंक गारंटियों को दर्शाने वाला विवरण

	निर्यातकों के नाम	बी०जी० संख्या और तिथि	राशि	वैधता अवधि	राष्ट्रीकृत अनुसूचित बैंकों के नाम
	1	2	3	4	5
1.	मैसर्स प्रियंका ओवरसीज लि०, नई दिल्ली	344/2001 दिनांक 1.5.2001	2,75,00,000/-	1.5.2002	जे एंड के बैंक लि०, नई दिल्ली
2.	मैसर्स अमीर फूड लि०, नई दिल्ली	95/2001 दिनांक 2.5.2001	2,75,00,000/-	24.4.2002	केनरा बैंक, नई दिल्ली
3.	मैसर्स पदम श्री इंटरनेशनल, दिल्ली	011/बी०जी०-057 दिनांक 13.6.2001	3,50,00,000/-	12.6.2002	केनरा बैंक, चांदनी चौक, दिल्ली
4.	आई०टी०सी०लि०, सिकन्दराबाद	5012020038 दिनांक 21.7.2001	5,67,00,000/-	20.7.2002	एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, हैदराबाद
		50122900043 दिनांक 17.8.2001	5,70,50,000/-	16.8.2002	-वही-

1	2	3	4	5
5. मैसर्स एल०एम०जे० इंटरनेशनल लि०, कोलकाता	कॉम/बी०आर०/372 2001-2002 दिनांक 17.8.2001	2,80,00,000/-	16.8.2002	भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता
6. मैसर्स बिशन स्वरूप रामकिशन, दिल्ली	25/2001-2002 दिनांक 22.8.2001	38,50,000/-	21.8.2002	मैसूर स्टेट बैंक, दिल्ली

क्षेत्रों में, चावल निर्यातकों से प्राप्त बैंक गारंटियों को दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम जहां से चावल के स्टाक का निर्यात हेतु उठान किया जा रहा है	निर्यातकों के नाम	बी०जी० संख्या और तिथि	राशि	वैधता अवधि	राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम
1	2	3	4	5	6
नागपुर	1. मैसर्स हरि शेलाक इंडस्ट्रीज, गोंडिया	(i) 29/31 दिनांक 14.7.2001	10,00,000/-	12.8.2002	बैंक ऑफ इंडिया
		(ii) 29/32 दिनांक 14.7.2001	10,00,000/-	12.8.2002	-वही-
		(iii) 29/33 दिनांक 14.7.2001	10,00,000/-	12.8.2002	-वही-
		(iv) 29/34 दिनांक 14.7.2001	6,75,000/-	12.8.2002	-वही-
		(v) 29/39 दिनांक 1.8.2001	10,00,000/-	30.8.2002	-वही-
		(vi) 29/40 दिनांक 1.8.2001	10,00,000/-	30.8.2002	-वही-
		(vii) 29/41 दिनांक 1.8.2001	10,00,000/-	30.8.2002	-वही-
		(viii) 29/42 दिनांक 1.8.2001	7,45,000/-	30.8.2002	-वही-
		जोड़ :	74,20,000/-		
	2. मैसर्स शाह नांजी, नागपुर	आई०एफ०बी०/2001/सी 28 दिनांक 4.7.2001	70,00,000/-	3.1.2002	भारतीय स्टेट बैंक
हैदराबाद	1. अल गयाम एक्सपोर्टर्स, मुम्बई	3707 दिनांक 14.7.2001	87,50,000/-	13.7.2002	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई
	2. बागडिया ब्रदर्स, रायपुर	104/2001 दिनांक 21.7.2001	94,05,000/-	20.7.2002	देना बैंक, रायपुर

1		2	3	4	5	6
	3.	एम०एम० एक्सपोर्टस, चैन्नई	27/2001 दिनांक 24.7.2001	81,20,000/-	23.7.2002	इंडियन ओवरसीज बैंक, चेन्नई
	4.	जीवन लाल एंड संस, मुंबई	30038 दिनांक 3.8.2001	84,87,500/-	2.8.2002	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई
	5.	आई०टी०सी० लि०, सिकंदराबाद	5012150041 दिनांक 3.8.2001	1,99,50,000/-	2.8.2002	एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, हैदराबाद
	6.	आई०टी०सी० लि०, सिकंदराबाद	5012210042 दिनांक 9.8.2001	1,99,50,000/-	8.8.2002	-वही-
	7.	फूड डेट एंड फर्टीलाइजर लि०, हैदराबाद	8/01-02 दिनांक 14.8.2001	91,00,000/-	13.8.2002	एस०बी०एच० बैंक, हैदराबाद
	8.	भारत एक्सपोर्टस, हैदराबाद	2001/6 दिनांक 20.8.2001	84,70,000/-	19.8.2002	आंध्रा, बैंक कामारेड्डी
हरियाणा	1.	शिव शक्ति राइस मिल्स, तराओरी	2001/19 दिनांक 18.7.2001	87,50,000/-	—	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करनाल
	2.	मैसर्स लेख राज नरिंदर कुमार कैथल	6614 दिनांक 6.8.2001	70,00,000/-	—	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विदेश शाखा, नई दिल्ली
	3.	मैसर्स पवन जैन एंड संस, दिल्ली	09/2001-02 दिनांक 14.8.2001	1,05,00,000/-	—	बैंक ऑफ राजस्थान, विदेश शाखा, नई दिल्ली
	4.	मैसर्स बंसल ओवरसीज, करनाल	2001/16 दिनांक 5.7.2001	70,00,000/-	—	भारतीय स्टेट बैंक, करनाल
	5.	मैसर्स डी०डी० इंटरनेशनल इनकारपोरेशन, तराओरी	239/41/2001 दिनांक 6.7.2001	70,00,000/-	—	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, अमृतसर
			239/44/2001 दिनांक 10.8.2001	14,31,500/-	—	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, अमृतसर
	6.	मैसर्स महावीर राइस मिल्स, तराओर	2000/1 दिनांक 10.8.2001	84,00,000/-	—	भारतीय स्टेट बैंक, तराओरी
	7.	मैसर्स वीर ओवरसीज लि०, घरौंदा	53003 दिनांक 19.7.2001	70,00,000/-	—	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			53004 दिनांक 20.7.2001	15,40,000/-	—	-वही-
	8.	मैसर्स अमित इंटरनेशनल राइस कं०लि०, नई दिल्ली	2001123 दिनांक 17.8.2001	3,30,00,000/-	—	बी०एन०पी० परीबा हंसालय, नई दिल्ली
			2001124 दिनांक 17.8.2001	30,00,00,000/-	—	
	9.	मैसर्स लेख राज नरिंदर कुमार, कैथल	6611 दिनांक 20.7.2001	70,00,000/-	—	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
	10.	मैसर्स एल०टी० ओवरसीज, नई दिल्ली	28/2001 दिनांक 14.8.2001	70,00,000/-	—	कारपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

1	2	3	4	5	6
कोलकाता	1. मैसर्स बी के उद्योग लि०, कोलकाता	निर्यात/4048/जी/2000-01/ 60 दिनांक 17.3.2001	27,50,000/-	3/4 को जारी	बैंक ऑफ इंडिया, विदेश शाखा, कोलकात
		निर्यात/4048/जी/2000-02/ 06 दिनांक 11.4.01	13,75,000/-	16/5 को जारी	वही
		निर्यात/4048/जी/2000-02/ 07 दिनांक 11.4.01	13,75,000/-	निर्यात दस्तावेजों पर कार्रवाई जारी	यही
	2. मैसर्स ब्रिज किशोर प्रसाद	निर्यात/4048/जी/2000-02/ 1005 दिनांक 11.4.01	27,50,000/-	अपूर्ण निर्यात दस्तावेजों को जमा करने के कारण जारी नहीं	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, कोलकाता
	3. मैसर्स आर पियारे लाल इंटरनेशनल	ओ०एस०सी०/बी०जी०/11/ 01 दिनांक 4.4.01	5,50,000/-	निर्यात दस्तावेज अभी तक जमा नहीं	विजया बैंक, विदेश शाखा, कोलकाता
		ओ०एस०सी०/बी०जी०/12/ 01 दिनांक 4.4.01	5,50,000/-	-वही-	-वही-
	4. मैसर्स पी०के०एस० लि०	एल०जी०/386 आई०एन० एल/2001 दिनांक 2.5.01	15,16,625/-	जारी नहीं	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विदेश शाखा, कोलकाता
		एल०जी०/394 आई०एन० एल/01 दिनांक 11.5.01	3,16,250/-	वही-	वही
	5. मैसर्स के०पी०एस० इंटरप्राइजेस	02/01 दिनांक 3.4.01	13,75,000/-	-वही-	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, कोलकाता
	6. मैसर्स एल०एन०सी० इंटरप्राईजेस	1/2001-02 दिनांक 3.4.01	5,50,000/-	19/4, 15/5 और 24/8 को जारी	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर कोलकाता
		4/2001-02 दिनांक 24.04.01	2,75,000/-	15/5 को जारी	-वही-
पंजाब	1. मैसर्स एमसंस इंटरनेशनल लि०	115/79/2001 दिनांक 8.6.01	1,67,50,000/-	7.6.02	इंडियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली
		115/एल०जी०/106/01 दिनांक 22.8.01	1,61,00,000/-	21.8.01	आई०सी०बी०, नई दिल्ली
	2. मैसर्स के०आर०वी०एल० लि० दिल्ली	000548 दिनांक 20.3.01	3,50,000/-	19.3.02	एस०बी०आई०, विदेश शाखा, नई दिल्ली
		000563 दिनांक 25.4.01	70,00,000/-	24.4.02	-वही-

1	2	3	4	5	6
		0070100000412 दिनांक 12.6.01	96,25,000/-	11.06.02	यू०टी०आई० बैंक लि०, नई दिल्ली
		0070100000418 दिनांक 25.6.01	87,50,000/-	24.06.02	वही-
		0480301 बी०जी० 000630 दिनांक 21.7.00	3,50,00,000/-	20.07.02	एस०बी०आई०, विदेश शाखा, नई दिल्ली
		04/01/02 दिनांक 25.7.01	1,22,50,000/-	24.7.02	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, दिल्ली
		06/01-02 दिनांक 27.7.01	2,27,50,000/-	26.7.02	-वही-
		बी०जी० 17/2001-02 दिनांक 17.8.01	96,25,000/-	16.8.02	कर्नाटक बैंक, दिल्ली
		बी०जी० 18/01-02 दिनांक 8.8.01	1,54,00,000/-	7.8.02	-वही
		एल०जी० 003370/01 दिनांक 13.8.01	84,00,000/-	12.8.02	ए०बी०एन० एमरो बैंक, नई दिल्ली
		एल०जी० 003369/01 दिनांक 13.8.01	1,15,50,000/-	12.8.02	-वही-
		048031 बी०जी० 00612 दिनांक 5.7.01	1,54,00,000/-	4.7.02	एस०बी०आई०, विदेश शाखा, नई दिल्ली
		0070/00000447 दिनांक 5.7.01	3,08,00,000/-	4.7.02	यू०टी०आई० बैंक लि०, नई दिल्ली
	3. बिशन स्वरूप राम कुमार एग्रो प्रा०लि०, नई दिल्ली	17/2001-02 दिनांक 18.6.01	75,00,000/-	17.6.02	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, दिल्ली
		024/01-02 दिनांक 17.8.01	1,15,00,000/-	16.8.02	-वही
		25/01-02 दिनांक 22.08.01	38,50,000/-	21.8.02	-वही-
	4. मैसर्स प्रियंका ओवरसीज लि०, दिल्ली	344/2001 दिनांक 1.5.01	2,75,00,000/-	1.5.02	जे० एंड के० बैंक, नई दिल्ली
	5. मैसर्स अमीर फूड प्रा०लि०, नई दिल्ली	95/2001	2,75,00,000/-	24.4.02	केनरा बैंक, विदेश शाखा, नई दिल्ली
		102/2001 दिनांक 8.6.01	75,00,000/-	7.6.02	-वही-
	6. मैसर्स अमीर चंद जगदीश कुमार, दिल्ली	एन०डी०ओ० 6042 17/14 दिनांक 15.6.01	3,50,00,000/-	14.6.02	बैंक ऑफ इंडिया, विदेश शाखा, नई दिल्ली
		6609 दिनांक 13.7.01	38,50,000/-	12.7.02	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
		बी०जी० 6616 दिनांक 17.8.01	38,50,000/-	16.8.02	यू०बी०आई०, विदेश शाखा, नई दिल्ली

1	2	3	4	5	6
7.	मैसर्स पदम श्री इंटर०, दिल्ली	011 बी०जी० 056 दिनांक 13.6.01	3,50,00,000/-	12.6.02	केनरा बैंक, दिल्ली
8.	मैसर्स जी०आर०एम० ओवरसीज लि०, पानीपत	04050001 बी०जी० 026014 दिनांक 4.7.01	70,00,000/-	3.7.02	एस०बी०आई०, पानीपत
9.	मैसर्स नवभारत एक्सपोर्टस, दिल्ली	108/2001 दिनांक 6.7.01	87,50,000/-	4.7.02	केनरा बैंक, विदेश शाखा, नई दिल्ली
		109/2001 दिनांक 13.7.01	1,22,50,000/-	12.7.02	-वही-
10.	मैसर्स डी०डी० इंटरनेशनल, अमृतसर	1/2001 दिनांक 5.7.01	70,00,000/-	4.7.02	पी०एन०बी०, अमृतसर
		2/2001 दिनांक 17.7.01	70,00,000/-	16.7.02	-वही-
		3/2001 दिनांक 3.8.01	70,00,000/-	2.8.02	-वही-
11.	मैसर्स शिव नाथ राय हरनारायण (भारत) लि०, दिल्ली	42/8 दिनांक 16.7.01	70,00,000/-	15.7.02	बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
12.	मैसर्स जी०एम० ओवरसीज राइस मिलरस एंड एक्सपोर्टर्स, दिल्ली	6610 दिनांक 18.7.01	70,00,000/-	17.7.02	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
13.	मैसर्स सतनाम ओवरसीज लि०, दिल्ली	जो०सी०/जी०बी०/एस०ओ० एल०/2001/134 दिनांक 18.7.01	1,05,00,000/-	17.7.02	ओ०बी०सी०, नई दिल्ली
14.	मैसर्स एम०एम० ओवरसीज, सहारनपुर	6/2001 दिनांक 19.7.01	70,00,000/-	18.7.02	पी०एन०बी०, सहारनपुर
15.	मैसर्स भंडारी राइस मिल्स, दिल्ली	442/एल०जी०/25/2001 दिनांक 20.7.01	70,00,000/-	20.7.02	इंडियन ओवरसीज बैंक, दिल्ली
16.	मैसस आई०टी०सी० इंटर-नेशनल लि०, सिकंदराबाद	5012020038 दिनांक 21.7.01	5,67,00,000/-	20.7.02	एच०डी०एफ०सी० बैंक, हैदराबाद
		50/2290043 दिनांक 17.8.01	5,70,50,000/-	16.8.02	वही
17.	मैसर्स अलाग्यास एक्सपोर्टस प्रा०लि०, मुंबई	3709 दिनांक 21.7.01	70,00,000/-	20.7.02	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
18.	मैसर्स जी०वी० (गॉड विष्णु) राइस मिल्स, करनाल	6/2001 दिनांक 23.7.01	70,00,000/-	22.7.02	केनरा बैंक, करनाल
19.	मैसर्स जिंदल निर्यात लि०, नई दिल्ली	26/2001 दिनांक 28.7.01	89,35,000/-	27.7.02	केनरा बैंक, नई दिल्ली
20.	मैसर्स विशाल एक्सपोर्टस ओवरसीज लि०, अहमदाबाद	2063 दिनांक 31.7.01	43,00,000/-	30.7.02	स्टेट बैंक, ऑफ सौराष्ट्र, अहमदाबाद
		30/47/2001	50,00,000/-	22.7.02	केनरा बैंक, अहमदाबाद
21.	मैसर्स शाह नांजी नागसी एक्स्पोर्टस प्रा०लि०, नागपुर	आई०एफ०बी०/2001/सी/39 दिनांक 1.8.01	83,00,000/-	31.1.03	एस०बी०आई०, नागपुर

1	2	3	4	5	6
22.	मैसर्स ग्लोब इंटरनेशनल, दिल्ली	952/2001 दिनांक 6.8.01	80,50,000/-	5.8.02	यू०बी०आई०, दिल्ली
23.	मैसर्स राइस इंडिया एक्सपोर्टस प्रा०लि०, दिल्ली	02/2001-02 दिनांक 6.8.01	2,31,00,000/-	5.8.02	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, दिल्ली
24.	मैसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्रा०लि०, गुड़गांव	796 बी०जी०जी० 01 00518 दिनांक 3.8.01	5,91,25,000/-	2.8.02	डचेज़ बैंक, नई दिल्ली
25.	मैसर्स बी० नाथ सिंह कर्म सिंह प्रा०लि०, दिल्ली	एस०बी०पी०/के०जी०एम०/163/01-02 दिनांक 9.8.01	73,50,000/-	10.8.02	एस०बी०पी० नई दिल्ली
26.	मैसर्स आर०के० ओवरसीज राइस मिल्स, जालंधर	एस०बी०पी०/बी०जी०/11/01-02 दिनांक 7.7.01	70,00,000/-	6.8.02	एस०बी०पी० जालंधर

[अनुवाद]

विदेशी सहायता की प्राप्ति और ऋण का पुनर्भुगतान

5864. प्रो० ए०के० प्रेमाजम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान अप्रैल से जनवरी तक विदेशी सहायता की प्राप्ति और ऋण के पुनर्भुगतान से 3647 करोड़ रुपए का शुद्ध बहिर्गमन हुआ जबकि गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान इसी अवधि में केवल 2365 करोड़ रुपए का बहिर्गमन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो बहिर्गमन में भारी वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। जैसाकि नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है, आंकड़े सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों प्रकार के खातों पर सकल संवितरण और ऋण शोधन अदायगियों, दोनों को ध्यान में रखते हुए, निवल विदेशी सहायता स्थिति को प्रतिबिम्बित करते हैं।

निवल विदेशी सहायता

(करोड़ रु०)

	अप्रैल०-जन० 1999-2000	अप्रैल-जन० 2000-01
	1	2
1. सकल संवितरण	10,312	10,419
2. ऋण शोधन अदायगियां	12,677	14,066
(क) शोधन	8,096	9,502
(ख) ब्याज अदायगियां	4,581	4,564
3. निवल विदेशी सहायता (1-2)	-2,365	-3,647

(ख) जनवरी, 2000 की तुलना में जनवरी, 2001 के अंत तक बहिर्प्रवाहों में वृद्धि होने के मुख्य कारणों में 580 करोड़ रु० के अतिरिक्त बहिर्प्रवाह वाले उच्च लागत के आठ आई०बी०आर०डी० ऋणों की पूर्व अदायगी और गैर-सरकारी परियोजनाओं के संबंध में संवितरणों की धीमी गति का होना है।

(ग) सभी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को गहन रूप से मॉनिटर किया जाता है ताकि संवितरणों को अधिकतम किया जा सके।

शराब पर उत्पाद शुल्क

5865. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अगस्त, 2001 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एक्साइज डिपार्टमेंटस" गिफ्ट "लिकर फर्म्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या शराब के मूल्य में भारी वृद्धि से केवल शराब की फर्मों को लाभ हुआ है न कि उत्पाद शुल्क विभाग को; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा शराब का अधिक मूल्य निर्धारित करने के पीछे क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) चूंकि शराब पर उत्पाद शुल्क का मामला राज्य का

विषय है, इसलिए केन्द्र सरकार इस सूचना को उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

पी०डी०एस० के माध्यम से अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण

5866. **श्री रामेश्वर डूडी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान में अकाल की स्थिति से निपटने के लिए उपभोक्ताओं को उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण किए जाने वाले गेहूं, चावल, चीनी और तेल इत्यादि वस्तुओं की मात्रा बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों, चीनी और तेल का आवंटन करने संबंधित नीति सम्पूर्ण देश में एक समान है। तथापि, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए मामला दर मामला आधार पर संबंधित राज्यों को अतिरिक्त आवंटन किए जाते हैं।

राष्ट्रीय बचत संगठन

5867. **डा० चरणदास महन्त :**
श्री रामेश्वर डूडी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बचत संगठन के कर्मचारियों की संख्या 1191 से 25 तक कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों को किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित किए जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो इन पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त व्यय में राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों से आने वाले व्यय की तुलना में कमी आने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय बचत संगठन के आकार को छोटा करने के पीछे क्या औचित्य है; और

(च) राष्ट्रीय बचत संगठन के आकार को छोटा करने के बाद अतिरिक्त कर्मचारियों का भविष्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय बचत संगठन की स्टाफ संख्या को 1191 से घटाकर लगभग 25 करते हुए इसके आकार को कम करने के लिए व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

(ग) से (च) स्टाफ की पुनः-तैनाती/स्थानान्तरण के तौर तरीकों और अन्य संबंधित मामलों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

एस्सार ग्रुप पर वित्तीय संस्थाओं की देय राशि

5868. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सार ग्रुप आफ कंपनीज पर आई०डी०बी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई० और जी०आई०सी० को देय बकाया ऋण के रूप में 400 करोड़ रुपए से अधिक है जो अभी तक नहीं दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस ग्रुप को ऋण ग्रस्तता से उबरने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस ग्रुप से देय राशि की वसूली के लिए क्या कारवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) आई०डी०बी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई० और जी०आई०सी० ने भी एस्सार समूह की कंपनियों को वित्तपोषित किया है। तथापि, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसरण में और सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शासित सांविधियों के उपबंधों और साथ ही साथ लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधो के अनुरूप अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय

5869. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों की दक्षता और लाभार्जकता सुधारने के लिए इनके विलय का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नरसिम्हन समिति ने भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने विलय हेतु आवेदन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इन आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) नरसिंहम समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच विलय के लिए पहल संबंधित बैंकों के प्रबन्ध द्वारा शुरू की जानी चाहिए और यह सहक्रिया एवं व्यावसायिक अनुपूरकता पर आधारित होनी चाहिए।

(घ) से (च) अब तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने अन्य बैंक के साथ विलय हेतु कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है।

सकल घरेलू उत्पाद में चालू खाते का आगम

5870. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2000-2001 में सकल घरेलू उत्पाद में चालू खाते का आगम 18.9 प्रतिशत था;

(ख) यदि हां, तो क्या भुगतान संतुलन की स्थिति को स्थिर बनाने हेतु इच्छित प्रतिशत से चालू खाते का 18.9 प्रतिशत आगम कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने 2001-2002 के लिए चालू खाते लक्ष्य 21 प्रतिशत निर्धारित करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो चालू खाता आगम की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद 21 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु की गई नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अल्पकालिक वित्तीय नीतियों की सावधानीपूर्वक समान रही हैं; और

(च) यदि हां, तो भुगतान संतुलन की स्थिति को स्थिर बनाने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) वर्ष 2000-01 में भुगतान संतुलनों के चालू खाते पर हुआ सकल अंतर्प्रवाह अंतरणों सहित) सकल घरेलू उत्पाद का 16.7 प्रतिशत था जो कि 1999-2000 प्रतिशत के स्तर से अधिक है।

(ख) भुगतान संतुलन (बी०ओ०पी०) की क्षमता को निरन्तर सुलभ पूंजी प्रवर में चालू खाता संतुलन से बेहतर तरीके से आंका जा सकता है। वर्ष 2000-01 के भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटा स०घ०उ० का केवल 0.5 प्रतिशत था के 2 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से काफी नीचे हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-02 के लिए ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापित, देश के भुगतान संतुलन की स्थिति की सरकार तथा भारतीय पूंजी दोनों के द्वारा गहन मॉनीटरिंग की जाती है तथा निर्यातों और अदृश्य को बढ़ाने तथा और ऋण सृजक पूंजी प्रवाहों, विशेषकर विदेशी निवेशों की करने के लिए जब भी जरूरी हो उचित उपाय किए जाते हैं ताकि एक सक्षम संतुलन स्थिति तथा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का पर्याप्त स्तर बना रहे।

(ङ) और (च) अर्थव्यवस्था में राजकोषीय प्रवृत्तियों की लगातार समीक्षा है और उभरती हुई प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए उचित उपाय किए जाने की भुगतान संतुलन स्थिति ने हाल के वर्षों में स्पष्ट सुधार प्रदर्शित किये हैं लगातार संतोषजनक बनी हुई है।

एन०सी०सी०एफ० द्वारा खरीद

5871. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०सी०सी०एफ० आपूर्तिकर्ताओं से खरीददारी वितरकों न कि विनिर्माताओं से अधिकार पत्रों के आधार पर करती है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करने और एन०सी०सी०एफ० को केवल विनिर्माताओं से सीधे खरीद करने का निदेश देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त सहकारी संगठन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में व्यावसायिक और अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के निदेशक मंडल द्वारा इसकी उप विधियों के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने 1 जुलाई, 2001 से मुख्य ब्रांड वाली मदों को खरीदने की प्रक्रिया को संशोधित कर दिया है और सभी प्रमुख ब्रांड वाली मदों की खरीद इनके द्वारा नामित विनिर्माताओं और एजेंसियों से की जाती है। केवल कम कीमत की मदों को ही वितरकों/विनिर्माताओं से खरीदा जाता है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वानिकी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

5872. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वानिकी परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह धनराशि उलपब्ध कराई गई तथा किन शर्तों पर उपलब्ध कराई गई;

(ग) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन परियोजनाओं के अंतर्गत धनराशि मिली; और

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। बैंक ने कुछ राज्यो को वानिकी परियोजनाओं के लिए निधियां मुहैया कराई हैं।

(ख) इस समय केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल लाभानुभोगी राज्य हैं। विश्व बैंक द्वारा वानिकी क्षेत्र में मुहैया कराई गई निधियां उन्हीं मानक शर्तों और निबन्धनों के तहत हैं जो विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई०डी०ए०) द्वारा दिए गए सभी ऋणों पर लागू होती हैं।

(ग) महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल राज्यों ने वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में परियोजनाओं के तहत निधियां प्राप्त की थीं जबकि उत्तर प्रदेश और केरल ने वर्ष 2000-2001 में परियोजनाओं के तहत निधियां प्राप्त की।

(घ) परियोजनाएं निर्विघ्न चल रहीं हैं। उन्हें नियमित रूप से मॉनीटर तथा सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नौवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

5873. डा० बलिराम : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से यह तथ्य सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ उठाने में सक्षम नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के असफल रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभेक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) योजना आयोग ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि आकलन में उत्तर प्रदेश में किए गए एक अध्ययन का उदाहरण दिया है जिसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबों को सहायता नहीं मिली है। अध्ययन में बताए गए प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं—

1. खराब प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण उत्तर प्रदेश सरकार अपना कोटा नहीं उठाती है।
2. जिसका उठान किया जाता है उसका काफी भाग कालाबाजारी को बेच दिया जाता है।
3. अपुष्ट लक्ष्यीकरण के कारण पात्र परिवार शामिल नहीं किए गए हैं।
4. लाभभोगियों के चयन के आधार में पारदर्शिता की कमी है और स्थानीय कर्मचारियों के लिए इसे लागू करना काफी जटिल है।
5. राजनैतिक वचनबद्धता की कमी है और उचित दर दुकानों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता है।
6. एजेंसियों की बहुलता, खराब समन्वय और कम प्रशासनिक जवाबदेही के कारण सुपुर्दगी मशीनरी पंगु हो गई है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की वसूली, भंडारण और नामित डिपुओं तक ढुलाई करने और उन्हें राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की पहचान करने, राशनकार्ड जारी करने और कार्डधारकों को उचित दर दुकानों के माध्यम से पारदर्शी और जवाबदेह तरीकों से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का वितरण करने का दायित्व राज्य सरकारों का है।

उत्तर प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए संसद सदस्यों, राज्य खाद्य मंत्रियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ 31.8.2000 को लखनऊ में हुई बैठक में राज्य सरकार द्वारा पहचान की गई गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, जाली राशनकार्डों, खाद्यान्नों के आवंटन और उठान और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मानीटरिंग की स्थिति सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित दर दुकानों के लिए खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करने हेतु गरीबी की पहचान करने के लिए और सामाजिक लेखापरीक्षा के उपाय के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल करके उचित दर दुकान स्तर पर पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से वितरण के लिए पुख्ता व्यवस्था तैयार करें और क्रियान्वित करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपभोक्ताओं तक दक्षतापूर्वक आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उसे अपनाने के लिए परिचालित किया गया है। इस चार्टर में उचित दर दुकानों, राशनकार्ड जारी करने की प्रक्रिया, निरीक्षण और जांच, सूचना का अधिकार और सतर्कता तथा सार्वजनिक प्रतिभागिता के बारे में आवश्यक

सूचना दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिटीज न चार्टर अपना लिया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निर्धनतमों के प्रति अधिक केन्द्रित और लक्षित करने के लिए प्रधान मंत्री ने 25 दिसम्बर, 2000 को "अंत्योदय अन्न योजना" की घोषणा की थी। योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से निर्धनतम परिवारों की पहचान करने और उन्हें 2/- रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3/- रुपये प्रति किलोग्राम चावल के अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 25 किलोग्राम खाद्यान्न देने की परिकल्पना की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में अंत्योदय परिवारों की पहचान करने और लाभभोगियों को अलग प्रकार के राशनकार्ड जारी करने का काम पूरा कर देने के बाद जुलाई, 2001 से अंत्योदय अन्न योजना क्रियान्वित कर दी गई है।

[अनुवाद]

आई०टी०डी०सी० का विनिवेश

5874. **श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी विनिवेश नीति के अनुसरण में आई०टी०डी०सी० के अन्तर्गत चंडीगढ़ और आनन्दपुर साहिब में अभी तक पूरी नहीं हुई परियोजनाओं को बेचने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सरकार ने, चण्डीगढ़ और आनन्दपुर साहिब में स्थित भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की होटल परियोजनाओं के विनिवेश के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी उत्पादन की लागत

5875. **श्री राजनारायण पासी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन की लागत अन्य राज्यों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य-वार चीनी उत्पादन की प्रति क्विंटल लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में किसान चीनी मिलों को जिन मूल्यों पर गन्ने की बिक्री करते हैं उसका ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) विभिन्न चीनी मिलों द्वारा चीनी के उत्पादन पर वहन की जाने वाली वास्तविक लागत का हिसाब-किताब सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। अत: उत्तर प्रदेश में चीनी के उत्पादन की लागत और अन्य राज्यों में चीनी के उत्पादन की लागत में तुलना करना संभव नहीं है।

(ग) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चीनी मौसम 2000-2001 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में स्थित फैक्ट्रियां द्वारा गन्ने के अदा किए गए मूल्यों की रेंज संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

चीनी मौसम 2000-2001 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में स्थित फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के अदा किए गए मूल्यों की रेंज दर्शाने वाला विवरण (अनन्तिम)

(रुपये प्रति क्विंटल

क्रम सं०	राज्य	
1.	उत्तर प्रदेश	86.00 से 95.00
2.	बिहार	81.00 से 86.00
3.	पंजाब	96.00 से 100.00
4.	हरियाणा	104.00 से 110.00
5.	असम	72.50
6.	पश्चिम बंगाल	76.00 से 84.00
7.	उड़ीसा	59.50 से 83.00
8.	मध्य प्रदेश	77.50 से 94.05
9.	महाराष्ट्र	60.00 से 96.60*
10.	गुजरात	65.00 से 85.50*
11.	आंध्र प्रदेश	67.90 से 88.10
12.	तमिलनाडु	59.50 से 87.93
13.	कर्नाटक	60.00 से 83.50*
14.	पांडिचेरी	59.50

*महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के एक भाग के मामले में, गन्ने का फाइनल मूल्य चीनी मौसम के समाप्त होने के बाद निश्चित किया जाता है।

[अनुवाद]

क्वार्ट्स पत्थर का निर्यात

5876. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितने क्वार्ट्ज-पत्थर/चूरे का निर्यात किया गया;

(ख) क्या क्वार्ट्ज पत्थर/चूरे के निर्यात को समर्थन देने की सरकार की कोई विशेष योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्वार्ट्ज खण्डों/चूरे के निर्यात हेतु कौन-सा प्राधिकरण लाइसेंस देता है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) निर्यातों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान क्वार्ट्ज पत्थरों/चूरे (एक्जिम कोड 2506) का कुल निर्यात निम्नानुसार रहा है :—

मात्रा टनों में
मूल्य करोड़ रु० में

1998-99		1999-2000		2000-2001	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	कूल
27366	9.15	48979	14.65	95650	23.43

स्रोत : डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०, कोलकाता।

(ख) से (घ) एग्जिम नीति 1997-2002 के अनुसार, क्वार्ट्ज पत्थर/चूरा मुक्त रूप से निर्यात योग्य है। इस प्रकार क्वार्ट्ज पत्थरों/चूरे के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वस्तुत: इनके निर्यातों में वृद्धि का रुख प्रदर्शित हो रहा है।

तम्बाकू के लिए कराधान नीति

5877. श्री अधीर चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगरेट, बीड़ी, चबाने वाला तम्बाकू, पान मसाला और सुंघनी जैसी तम्बाकू के संबंध में 1.4.2000 से 31.3.2001 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और ए०ई०डी० के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ख) सिगरेट, बीड़ी व अन्य उत्पादों के रूप में भारत में कितने प्रतिशत तम्बाकू की खपत हो रही है;

(ग) क्या सरकार की कराधान नीति तम्बाकू उत्पादों के सबंध में भी एक ही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) तम्बाकू उत्पादों (पान मसाला सहित, चाहे उसमें तम्बाकू मिला हो या न हो) के संबंध में 1.4.2000 से 31.3.2001 तक की अवधि के दौरान, कुल मिलाकर उत्पाद शुल्क से लगभग 6433 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। इसमें से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वसूली की राशि लगभग 1726 करोड़ रुपये थी।

(ख) कुल तम्बाकू खपत में सिगरेटों की खपत लगभग 16% है। बीड़ी और अन्य उत्पादों की खपत लगभग 84% है।

(ग) और (घ) सिगरेट, बीड़ी और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की अलग-अलग दरें लगायी जाती हैं। उत्पाद के स्वरूप उपभोक्ता वर्ग, राजस्व सम्भाव्यता आदि जैसे संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तम्बाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की संबद्ध दरें निर्धारित की गई हैं।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थानों को लाइसेंस

5878. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन वित्तीय संस्थानों के पास निवेश के क्षेत्र में कार्य करने का लाइसेंस है;

(ख) कितने वित्तीय संस्थान लाइसेंस लेने के बाद इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ग) कौन-कौन सी निष्क्रिय वित्तीय संस्थाओं के विरूद्ध सरकार ने कार्रवाई शुरू की है/नहीं की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हरियाणा में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

5879. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से हरियाणा के कुरूक्षेत्र और अन्य जिलों में कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) वर्ष 1998 से आज की तिथि तक उक्त प्रत्येक योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ग) योजनाओं के अंतर्गत क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। इस समय हरियाणा राज्य में विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त राज्य क्षेत्र की केवल एक परियोजना चल रही है अर्थात् हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना। इसके अतिरिक्त, दो बहु-राज्यीय परियोजनाएं हैं अर्थात् कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना और समेकित जल संभर विकास परियोजना (पहाड़ी) जिसमें हरियाणा एक सहभागी राज्य है।

(ख) राज्य क्षेत्र की परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा मुहैया कराई गई सहायता निम्नानुसार है :

परियोजना का नाम	प्राप्त निधियां करोड़ रु० में			
	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 जुलाई, 01 तक
हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	81.33	142.35	190.86	154.15

(ग) लक्ष्यों को परियोजना समाप्त होने की तिथि तक हासिल किए जाने वाले विकास उद्देश्यों से सम्बद्ध किया जाता है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन संतोषजनक है और वे विकास-उद्देश्यों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के मार्ग पर अग्रसर हैं।

करेंसी नोटों का जीवन काल

5880. **श्री उत्तमराव ढिकले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय करेंसी नोटों के जीवन काल में वृद्धि करने की संभावनाओं की जांच कराने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय बैंक नोटों को लंबे समय तक खराब न होने देने के विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के लिए 15 अक्टूबर, 1999 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। महा-प्रबंधक, करेंसी नोट प्रेस (सी०एन०पी०), नासिक को उक्त समिति का संयोजन नामजद किया गया और इसके अन्य छह सदस्यों में महा-प्रबंधक, बैंक नोट प्रेस (बी०एन०पी०), देवास; विभागाध्यक्ष, प्रतिभूति कागज कारखाना (एस०पी०एम०), होशगांबाद; मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग (डी०सी०एस०), भारतीय रिजर्व बैंक; भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लि० (बी०आर०बी०एन०एम०एल०), भारतीय रिजर्व बैंक से दो प्रतिनिधि और वित्त सलाहकार, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (आई०एस०पी०) नासिक शामिल है।

(ग) समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और आर्थिक कार्य विभाग इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है।

लघु उद्योगों पर उत्पाद शुल्क में कमी

5881. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "हथियारों के पुर्जे और गोलाबारूद" का बिना सीमा शुल्क के देश में आयात करने को बढ़ावा दे रही है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इस पद्धति को अपनाने से देश में इन वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली लघु उद्योग उत्पादक इकाइयों को गंभीर क्षति पहुंच रही है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। आयुद्ध कारखानों द्वारा प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए सीमा शुल्क छूट का लाभ प्राप्त करके हथियारों और गोला-बारूद के केवल उन्हीं पुर्जों का आयात किया जाता है जिनका देश में अपेक्षित मात्रा में निर्माण नहीं होता है। अतः, हथियारों और गोला-बारूद के पुर्जों का विनिर्माण करने वाले लघु उद्योगों को इन आयातों के कारण गम्भीर क्षति पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु के सी०बी०एफ०सी० द्वारा प्रमाणित फिल्में

5882. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा 1999 से 2001 के बीच जितनी तमिल फिल्मों को प्रमाणपत्र दिया गया उनका नाम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बोर्ड के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष और अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का ब्यौरा व उनकी पृष्ठभूमि क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सलाहकार पैनलों की नियुक्ति में अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ऐसे सलाहकार सदस्यों के बारे में शिकायतें मिली हैं जिनका फिल्मों के कुछ अश्लील दृश्यों को प्रमाणित करने में उनके निर्माताओं से गठजोड़ रहता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सुश्री आशा पारेख, एक प्रसिद्ध फिल्म कलाकार बोर्ड की अध्यक्ष है। बोर्ड के सदस्यों के नाम और उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि विवरण-II में दी गई है।

(ग) चलचित्रिकी अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार की रूप में औसत दर्शकों पर फिल्म के प्रभाव को समझने के योग्य हो, को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(घ) ऐसी शिकायतों का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

फिल्मों के नाम

(1999)

1. माया
2. मन्नावरू चिन्नावरू
3. थूल्लाथा मानामम थूल्लम
4. उन्नई थेडी
5. निनईत्वोरूवक्म वरई
6. चिन्न राजा
7. पूवासम
8. मनाम विरूमदुधे उन्नई
9. कालवां
10. क्ल्लाझागर
11. इन स्वसाक्त्रे
12. ईथिरम पुथिरम
13. धा धा दरबार
14. मारावदे कनमानिये
15. चिन्ना दुरई
16. पडयाण्ण
17. मि० अन्धन
18. गेस्ट हाऊस
19. पूमागल ऊयवलाम
20. निलावे मुगम कट्टू
21. पू मनावे वा
22. मनिषा इन मोनालिजा
23. काधल दहम
24. परियान्ना
25. ओर ईरावू
26. कामा
27. वाली
28. राजस्थान
29. नेनजिनिले
30. उन्रूवन
31. क्थालर धिनम
32. स्वयमवरम
33. संगमम
34. विरालुकेथा वीकम
35. आईपीसी 215
36. इन्यूयिर नन्वा
37. रोजावनम
38. पूवेल्लम क्ट्टूप्पर
39. सुर्योदयम
40. क्थालुक्कू ईचारिवर्क्ड
41. कट्टू कुथिरई
42. मालाबार पुलिस
43. कनावे क्लाईयाथे
44. मनासेका कावल
45. नी वरूवई इना
46. क्नोदु कनबेथेल्लम
47. सिनेमा शूटिंग
48. नीनईवूगलमराईवथिल्लई
49. मनिविक्कू मरियाथई
50. अमरवक्लाम
51. माया मालीगई
52. मिनसारा कन्ना
53. पूणरिक्का वेरीगिरम
54. अनबुल्ला क्थालुक्कू
55. सुंदरी नीयुम सुंदरन नानुन
56. जोडी
57. काकई सिरागिनिल्ले
58. उनाक्कागा ईलम उनाक्कागा
59. नेसम पुदूसु
60. मुधम
61. जयम
62. पुधू कुधिथन्नम
63. उल्टे
64. कन्नू पाडा पोगुथाईया
65. कनमणि उनाक्कागा
66. सेलू
67. सिवन
68. एड्स काट्टेरी
69. मुधलवन
70. ताजमहल
71. हैलो
72. अजादसामी
73. अधन्धा इधन्धा
74. उन्नारूज नान इरूंधल
75. अस्यायिल ओवर काधिथम
76. इरनियां
77. मुथल ईचारिक्कई
78. तिरूपति इजूमलाई
79. टाइम
80. प्पट्टालि
81. दुबाशी
82. अन्नई
83. तिरूनेलवली
84. भरानी
85. इरावू उनी पनिरेन्डू
86. हे राम
87. नीलावे इन्नई नेरूगाथे
88. कुम्मी पट्टू
89. रेगिना
90. पोन विजा
91. पर्थम
92. अनन्त पूंकात्रे
93. तालम
94. पई जेनमम
95. उनाक्कागा
96. पगईयाल
97. येलम
98. हरिकृष्णास
99. अवाला अविया
100. सुपरमैन
101. अमरनाथ
102. सिटी कमीशनर
103. एफ०आई०आर०
104. मवक्ल थिलगम
105. ईलामईक्कू ओरू इलाई
106. इथू अगेरू क्थल क्थई
107. मिन्नल
108. इरावू मोहिनी
109. थमबाथया वजावर्क्ड
110. ईधो मोगम येनो थगम
111. वाजू वाजाविदु
112. कमीशनर भवानी
113. ए
114. मिस्टर जेड
115. हैला सुन्दरी
116. ऐंगुक्रिल ओरू माधु
117. रग एण्ड टग
118. रावडी वमगम
119. गेयी वमसम
120. दि रियल फायर
121. लेडी टाइगर
122. ए०के० 47
123. अजागु रानी
124. नागा बंधम
125. नो इन्टरी
126. रम्बा उर्वशी मेनका
127. काकी चटया कारूण्यु चटया

128. मलारे मयनगाथे
129. नेसीक्किरन
130. गणेश
131. देवी
132. मक्कालुक्कागा
133. जिथ्थन
134. कालेज गल्लाटा
135. लेडिज स्पेशल
136. इंगा वीट्टू महालक्ष्मी
137. थेडी वंथा देवादी
138. टाइगर
139. इंगा माप्पिले
140. थलाणति कोट्टई
141. क्षत्रिय धर्मम
142. वानमुरई
143. नम्बर 1 पुलिस
144. अन्तापुरम
145. कामा शास्त्र
146. थुलूम इलामई
147. भारत रत्न
148. सिंगानन्दी
149. नी इनाक्कू उयिरमा
150. क्लिाडी मारूमगल
151. सिंगारा पुरूशान
152. 31वीं रात्रि
153. क्थालई सच्ची

(2000)

1. कन्नूक्कू नीलावू
2. वानाथईप्पोला
3. गुड लक
4. क्राइम फाइल
5. इजाइन सिरीप्पिल
6. अन्बे दियाना
7. था पोरनथाचु
8. मुघावारी
9. सुधनतिरम
10. देविल नाइट
11. थलाईवी
12. ब्रहमचारी औरू

कामसुत्र क्थाई

13. अलई पायथे
14. वल्लारासू
15. रजक्लईमम
16. सन्थिथा
17. वीरन्दल
18. कन्डाकोन्डइन

कन्डुकोडई

19. कंगल
20. जम्स पेंडु
21. अथे मणिथम
22. भाऊना दगाम
23. अन्वावन
24. कानन वारूवन
25. कुशी
26. करिसावकाट्टू पूवे
27. उनईक्कोडु इन्नई तारूवन
28. कांधा क्वम्बा कथिरवेला
29. नटचत्रा कावल
30. सेन्थाआजम पूवकल
31. मगलिरक्कागा
32. मुधल इरावूक्कू मुन्नाल
33. वेटरी कोडिकाट्टू
34. अप्पू
35. इन्नम्मा कान्नू
36. नगलिंगम
37. इंडिपन्डेन्स डे
38. पेन्निम मानाथी थोट्टू
39. उनाक्कागा मट्टयूम
40. इन इनिया णेन निलावे
41. कूडी वाजूथई कोडी मनमाल
42. कुबेरन
43. कन्नल पेसवा
44. सिम्हासन
45. कन थिरनथू परम्मा
46. थम्बथेयम पुथिरा पुनिथाम्मा
47. दसमी
48. डबल्स
49. पार्थन राशिथन
50. म्मायिए
51. पिरन्था माल
52. रिलैक्स
53. उन्नई कन थेडुथे
54. अर्गरम 2000
55. भारती
56. बजट पद्मनाभन
57. मरिना बीच
58. चीन्ना चाइना कन्निले
59. सबश
60. सोरोथम-2
61. अवलिन इरावुगल
62. लेयावन
63. निनईकेल्लम नी
64. व्यीरिले क्लनथाडु
65. रिथम
66. नी एन्थम वानम
67. स्नेहीथिये
68. पेन्नगल
69. प्लेयथूआम्मन
70. कानुक्क् क्न्नागा
71. वन्ना थमिह णट्टू
72. थेनाली
73. प्रिया मन्नावले
74. वनाविल
75. सीनू
76. पुथिया उदयम
77. पुभिरापुनिथमा
78. पुराटचीवक्रन
79. अनुबदन
80. निल्लावकालम
81. इन साहिये
82. थीरपुगल मत्र पटलम
83. मनामथा मायावक्म
84. नीलमबारी
85. कन्दन सीथायाई
86. इन्नावल्ले
87. मानु नीडी
88. सिनबाद
89. काडलपूवक्ल
90. पोट्टू अमन
91. लूटी
92. परूवा मजई
93. मनामे मयनगाथे
94. इनिया उधयम
95. अवल पावम
96. वृयिरिन वृगिराई
97. थीन्डम इन्थम
98. क्थानायकी
99. अझाक्यिा मैना
100. कन्नीमायाक्कम
101. नदावादिवक्ई
102. इन्नावले अदि

103. कश्मीर राजावक्ल
104. देवदासी
105. क्वालन
106. वथाल मझाई
107. वथाल अरंगेत्रम
108. राविकलिक्ल
109. वारंट
110. ईरावू रोजावक्ल
111. मन्दिरा कोट्टई
112. पुलिस अधिकारी
113. परूवा वसालिले
114. नागादेवथई
115. पुलाराइ रूथूरई
116. सुगुमाना अनुभवम
117. नी इनरी नानिल्लई
118. इन्धा पाडई पोडुमा
119. बाबिलोना
120. हनी मून सीक्रिट
121. सुन्दरा कन्नीगल जाक्रिथई
122. अनबे अझाईविकरन
123. मोहा अलईगल
124. लामई ओरू इन्बम
125. मोहिनी धागम
126. पेन्नगाले जागिराथई
127. आसईगल नूरू विधम
128. अम्मा कानु थिरन्धा
129. ईधू ओरू कन्धल अनुभवम
130. देवी समुन्दी
131. आझगु सिंगारिये
132. अमेरिका अमेरिका
133. राथी मनमुथम
134. देवा कान्नी
135. ममां जालम
136. एिटी रावडी
137. लेडिज होस्टल
138. काधल मोगम
139. शंकर
140. शानमुगा पांडियन
141. गुरू ब्रम्हा
142. काथल वेन्निला
143. काधल वानिले
144. आजागिया उन्नई कदाली विकरियन
145. ल्लामई थाप्पू थालुंगल
146. अम्मन कोयिल कुलंधन
147. नाल्लिरूवा
148. मूथावन
149. वीरा वामसम
150. सम्माधम थारूवाल्ला
151. ईलामई उन्नारचिगल
152. सिंगा जमिझम
153. कमांडर जयन्ती
154. नागथम्मन
155. धर्मा वामसम
156. लव इन खजुरा
157. ईलामई वेटई

(2001)

1. फेन्ड्स
2. धीना
3. वंचीनाथन
4. नागेश्वरी
5. थाली क्थाकलिमन
6. आई लव 7 यू जूली
7. उनमायिल अवालुम अप्पणदिथन
8. थुनई इरूप्पल पन्नारी
9. भिन्नाले
10. इंगालूक्कूम कालॉम वरूम
11. उल्लामकोल्लई गेगुधे
12. नेन्जी नेन्जी
13. रिषी
14. प्रियाधा वरम वन्दम
15. निनाईक्था नालिलई
16. अर्जुना
17. कुंगुमा पोट्टू गुंडर
18. विन्नूकुम मान्नूकुम
19. कुट्टी
20. परवई ओन्द्रे णेथुमे
21. इन्नपुरूससन कोझान थाई माथिरी
22. अझागिया लाईला
23. सीरी वरूम क्लाई
24. लिट्टल ओहन
25. डम डम डम
26. संथिया
27. बदरी
28. आझगेश्वरन
29. श्री राजा राजेश्वरी
30. मिडल क्लास माधवन
31. वादुगापती म्मापिल्लई
32. चिथिरम
33. सोन्नाल्थन क्थालिया
34. कबाडिये कबाडिये
35. सिन्हामनी रामामनी
36. आस्थई
37. कृष्णा कृष्णा
38. अंधम
39. ओरूवकु नूरूपर
40. लव चैनल
41. कन्ना उन्नई थहुकिरन
42. क्लाक्लाप्पू
43. सिटीजन
44. दोस्त
45. आजाकी
46. विदुथ्थारक्कु मुन्नल
47. वेगम
48. वझथूकिरन
49. गंधर्व रात्रि
50. कोवर स्टोरी
51. इलामई इथो ईथा
52. कथारा
53. कुट्टरावली
54. इन्न अथ्थल
55. चाइना चाइना थापुक्कर
56. थंगा थोनी
57. नी मनाक्कु मट्टम
58. द ग्रेट दादा साहेब
59. रासानिला
60. इन्धा राविल
61. रूची
62. इलामईकला
63. मयूरी
64. असाई अल।
65. उन्नई थेडी ह
66. ट्रेवल्र्स बंगालो
67. रामबाने ओरू आजा
68. उशार
69. कालेज स्टोरी
70. विल्लयाथू पून्नू
71. था उयिरई था
72. गाण
73. कुरूक्षेत्र
74. दिनामुम ओंरू रोजा

75.	कामाग्री	78.	सॉरी ऑन्टी	81.	णरूवम	84.	फरवरी 14 लवर्स डे
76.	ओझल	79.	कुझन्दल यूम दैवामुम	82.	मिस राथी	85.	आट्‌ची
77.	लेडी कैप्टन	80.	पेन्नाल्ला पेनी	83.	थीविरावथी	86.	वेट्‌टाकरन

विवरण-II

क्र०सं०	सदस्य का नाम	क्षेत्र	योग्यता
1.	श्री आर० स्वोरीराजन	चेन्नई	एम०ए० एम०फिल (हिन्दी) एम०ए० (तमिल) एम०ए० (संस्कृत)
2.	श्री आर०एस० मनोहर	चेन्नई	बी०ए०
3.	श्रीमती एस० राधाकृष्णन	चेन्नई	एम०ए० (सोशोलॉजी)
4.	श्री विनोद शर्मा	मुम्बई	1. हिन्दी में साहित्य रत्न 2. प्रभाकर रत्न संस्कृत प्रतिमा
5.	श्री अरविंद त्रिवेदी	मुम्बई	इन्टर
6.	सुश्री नमितला शंकर पाण्डे	मुम्बई	बी०ए०
7.	डा० (श्रीमती) स्नेहलेता देशमुख	मुम्बई	एम०एस०, एफ०आर०सी०एस०, एफ०ए०एम०एस०
8.	श्री एच०एन०वाई० पाथनंजलि	हैदराबाद	बी०कॉम
9.	श्रीमती एस० जानकी	हैदराबाद	बी०कॉम
10.	श्रीमती सरला कुमारी	हैदराबाद	बी०कॉम
11.	श्री सिताराम शास्त्री	हैदराबाद	बी०ए०
12.	सुसश्री सरोजा देवी	बंगलौर	एस०एस०एल०सी०
13.	डा० ए० श्रीधरा	बंगलौर	एम०बी०बी०एस० तथा डी०आई०एच०
14.	सुश्री जयन्ती	बंगलौर	मैट्रिकुलेशन
15.	श्रीमती लीला लाथीर	तिरूवनन्तपुरम	बी०ए०, बी०एड०
16.	श्री रॉसकोट कृष्णा पिल्लाई	तिरूवनन्तपुरम	आई०एम०एस०सी०, फ्रेंच में दक्षता प्रमाणपत्र
17.	श्री तपस पौल	कलकत्ता	बी०एस०सी०
18.	सुसश्री अरून्धती मुखर्जी	कलकत्ता	एम०ए०
19.	श्रीमती बिनापनी मोहन्ती	कटक	एम०ए० (इकॉनामिक्स)
20.	श्री अनन्त महाणत्र	कटक	बी०ए० (आनर्स)
21.	श्री हेमन्त दास	गुवाहाटी	बी०ए० पार्ट-I
22.	श्रीमती चित्रा मुग्दगिल	दिल्ली	एम०ए० (हिन्दी)
23.	श्री रामाकान्त गोस्वामी	दिल्ली	बी०ए०, एम०ए०, पत्राचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
24.	श्री दिनेश वैट्स	दिल्ली	स्नातक०
25.	श्रीमती सोकार जानकी	चेन्नई	त्यागपत्र दे दिया गया है।

वित्तीय संस्थानों की अनुप्रयोज्य आस्तियां

5883. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अगस्त, 2001 के 'द इंडियन एक्सप्रैस' में 'एफ०आई०ज०, प्रमोटर्स बिजी रिस्ट्रक्चरिंग स्टील लोन्स टु अवाइड एन०पी०ए०ज०' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार का तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निजी इस्पात कंपनियों से अनुप्रयोज्य आस्तियों के रूप में एकत्रित ऋण की वसूली करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) स्टील उद्योग द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं के संदर्भ में, जिसमें वित्तीय संस्थाओं ने काफी बड़ा निवेश किया है, वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त बड़ी स्टील परियोजनाएं और कार्यान्वियन की अग्रिम अवस्था पर इन परियोजनाओं को दीर्घकालीन अर्थक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए संस्थाओं द्वारा लगातार पुनरीक्षा की जा रही है। संस्थाओं के बीच इस बात पर आम सहमति है कि वित्तीय संस्थाएं न्यूनतम अपेक्षा पर अतिरिक्त निधीयन को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पर आधारित सहायता उपलब्ध करा सकती हैं बशर्ते कि प्रवर्तक यथोचित अंशदान कर सकें और कतिपय अन्तर्निर्हित सुरक्षापाय पर सहमत हों जिसका उद्देश्य प्रवर्तकों पर सख्त वित्तीय अनुशासन लगाना है। तथापि, बैंकों के बीच प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबंधों के अनुरूप और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार, अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित विवरण प्रकट नहीं किया जा सकता है।

विदेशी निवेश

5884. श्री मणि शंकर अय्यर : क्या वित्त मंत्री विदेशी निवेश के बारे में 28 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 922 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित कर लिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान अनिवासी शेयरधारकों को लाभांश तथा लाभ के रूप में 537 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया गया। अनिवासी जमाओं, अनिवासियों से ऋण तथा ऋणपत्रों, मुक्त दर वाले नोट (एफ०आर०एन०), वाणिज्यिक प्रपत्र (सी०पी०), सावधि जमाओं, आदि पर की गई ब्याज अदायगी की राशि 4928 मिलियन अमरीकी डालर थी। वर्ष 1999-2000 के दौरान 537 मिलियन अमरीकी डालर के लाभांश और लाभ का भुगतान 5191 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी निवेश अंतर्प्रवाहों की तुलना में कम था।

चर्म निर्यात

5885. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के लिए चर्म और चर्म उत्पादों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) आज की तिथि तक लक्ष्यों को किस सीमा तक हासिल किया गया है;

(ग) गत वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान चर्म निर्यात की वृद्धि दर कितनी है;

(घ) क्या सरकार चमड़े से बनी वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु विकसित देशों से आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अपनाने पर विचार कर रही है ताकि चर्म उत्पादों को विश्व बाजार में प्रतियोगिता कर सकने में सक्षम बनाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान चर्म और चर्म उत्पादों के निर्यात हेतु निर्धारित किया गया लक्ष्य 2405.24 मिलियन अमरीकी डालर का है।

(ख) अप्रैल-मई 2001 तक के लिए उपलब्ध डी०जी०सी० आई० एण्ड एस० के आंकड़ों के अनुसार इस लक्ष्य की 11.91% तक की प्राप्ति हो गई है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चर्म निर्यातों की वृद्धि दर डालर के रूप में 4.08% की है।

(घ) और (ङ) उत्पादों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार द्वारा स्थापित सेन्ट्रल लैदर रिसर्च इन्स्टिट्यूट और फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टिट्यूट जैसे संस्थान उत्पादों की उत्पाद डिजाइनों एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

यू०टी०आई० पर आयकर

5886. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आयकर विभाग ने यू०टी०आई० को आयकर बकाया के रूप में 1100 करोड़ रुपए की मांग करते हुए एक नोटिस भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय से यू०टी०आई० के यूनिट-धारकों और इसके व्यवसाय पर क्या असर पड़ने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) आयकर विभाग ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के खिलाफ ब्याज कर अधिनियम, 1974 की धारा 10(क) के अन्तर्गत कार्रवाईयां प्रारंभ की थी।

(ख) आयकर विभाग द्वारा ब्याज कर अधिनियम की धारा 10(क) के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1999-2000 तक के लिए जारी नोटिसों का भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने विरोध किया था और माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.4.2001 के अपने आदेश में जारी किए गए नोटिसों को रद्द कर दिया है।

(ग) ऊपर भाग (ख) में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस समय यूनिट धारकों/भारतीय यूनिट ट्रस्ट पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

प्रसारण अधिकारों/विपणन में कमियां

5887. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री बी० वेंकटेस्वरलु :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक समय का आवंटन करने वाले दूरदर्शन प्रबंधन ने प्रसारण अधिकार हासिल करने, विपणन का प्रबंधन करने, शुल्क निर्धारण और राजस्व हिस्सेदारी में गंभीर खामियों का पता लगाया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं। वाणिज्यिक प्रसारण परिदृश्य में प्रसारण अधिकार प्राप्त करना, विप्णन व्यवस्था, शुल्क निर्धारण तथा राजस्व भागीदारी सतत् प्रक्रिया है। वाणिज्यिक समय के प्रबंधन में पारदर्शिता, वास्तविकता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्यउ से प्रसार भारती ने निर्णय लिया है कि वाणिज्यिक दर ढांचे की प्रत्येक तीन माह में एक बार समीक्षा की जाएगी। वाणिज्यिक विपणन के परिवर्तनों के साथ तारतम्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो 1996 से विभिन्न खेल आयोजनों के प्रसारण अधिकार देने में बरती गई अनियमितताओं की जांच कर रहा है। उन्होंने 6 अधिकारियों के विरुद्ध पांच (5) प्राथमिकी दर्ज की है और उनके द्वारा आगे जांच की जा रही है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो दूरदर्शन केन्द्र कलकत्ता पर रविवार की बंगाली फिल्म के विपणन तथा प्रसारण अधिकार प्रदान करने में कथित अनियमितताओं की भी जांच कर रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस बारे में दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता के तीन (3) अधिकारियों तथा दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।

[अनुवाद]

विधायकों के वेतन पर आयकर

5888. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधायकों द्वारा लिए गए वेतन और भत्तों पर आयकर लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विधायकों को उसी प्रकार आयकर में छूट देने का है जिस प्रकार संसद सदस्य को दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विधायकों का वेतन आयकर से मुक्त नहीं है। परन्तु, किसी राज्य विधानमण्डल अथवा उसकी समिति के सदस्य द्वारा प्राप्त दैनिक भत्ते को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(17)(i) के उपबंधों के अन्तर्गत छूट प्राप्त है। किसी राज्य विधानमण्डल अथवा उसकी समिति के सदस्य द्वारा प्राप्त समग्र रूप में प्रति माह दो हजार रुपये तक के सभी अन्य भत्तों को दिनांक 7 अगस्त, 2000 की अधिसूचना सं० 11458 के अनुसार दिनांक 1.04.98 से धारा 10(17)(ii) के उपबंधों के अन्तर्गत छूट प्राप्त है।

(ग) विधायकों को छूट देने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर शून्य।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की बिक्री पर अचानक रोक

5889. श्री रघुनाथ झा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चस्तरीय सरकारी समिति द्वारा पंजाब के अत्यधिक भंडारण वाले गोदामों से बिक्री हेतु निकाले गए 6.5 लाख टन चावल की निपटान व्यवस्था अचानक रोक दी गई और बोलीदाताओं द्वारा जमा किए गए 50 करोड़ रुपये का बयाना उन्हें नहीं लौटाया गया है;

(ख) यदि हां, तो शेष चावल की मात्रा की बिक्री अचानक रोकने हेतु भारतीय खाद्य निगम के अचानक निर्णय लेने और दूसरे दो लाख टन चावल की बिक्री हेतु अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दूसरी बोली आमंत्रित करने और बोलीदाताओं को बयाना न लौटाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं में से किसी तारीख विशेष को किसी विशिष्ट समय पर खेली जाने वाली एक विशिष्ट तारीख तक आमंत्रित निविदाओं को एक आपूर्तिकर्ता, जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं था, से वस्तुओं की आपूर्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए स्थगित कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निविदाएं आमंत्रित करने और उन्हें खोलने में ऐसे कदाचारों पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) चावल की बिक्री कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर रोक दी गई थी और यह बिक्री 2.0 लाख टन के ढील दी गई विनिर्दिष्टयों के चावल की शेष मात्रा के लिए नई बोलियां आमंत्रित करने के कारण नहीं रोकी गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

5890. श्री सुकदेव पासवान :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री सुरेश कुरूप :
श्री जी०एस० बसवराज :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो उन दूरदर्शन अधिकारियों की अनेक मामलों में संलिप्तता की जांच कर रहा है। जो अनेक निजी प्रसारण कम्पनियों को अन्य सौदों में लाभ दिला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक जांच किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है अथवा विचार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्पाद शुल्क अपवंचन

5891. श्री रामजी मांझी : क्या **वित्त मंत्री** उत्पाद शुल्क अपवंचन के बारे में 27.4.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6200 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है जिसने इस मामले में निर्णय दिया था और फिर उस निर्णय की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, और सीमा शुल्क बोर्ड ने समीक्षा करनी थी और फिर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करनी पड़ी थी; और

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण अपीलीय न्यायाधिकरण में इस मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने और वसूली का रास्ता साफ करने हेतु रोकादेश को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) न्यायनिर्णयन एक न्यायिककल्प कार्य है, जिसमें न्याय-निर्णायक स्वतंत्र रूप से निर्णय देता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार मामलों की समीक्षा की जाती है। किसी आदेश की समीक्षा करने का आशय यह नहीं है कि न्याय-निर्णयन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण अपीलीय अधिकरण, मुम्बई द्वारा जनवरी, 2001 में इस मामले की सुनवाई की गई थी किन्तु सदस्य (तकनीकी) के सेवा-निवृत्ति हो जाने के कारण आदेश पारित नहीं किये जा सके। विभागीय प्रतिनिधि से इस मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स एण्ड सी०एम०सी० लिमिटेड की बिक्री

5892. श्री भीम दाहाल : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड तथा कम्प्यूटर मेन्टेनेंस कारपोरेशन लिमिटेड की बिक्री हेतु शेयर धारकों के समझौते को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आई०बी०पी० लिमिटेड की बिक्री को सुकर बनाने हेतु 'शेल कम्पनीज' स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, नहीं। शेयर धारक करार के अंतिम मसौदों को अभी तक सरकार ने अनुमोदित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने, बामर लारी लिमिटेड में इण्डो बर्मा पेट्रोलियम निवेश को अलग रखने के उद्देश्य से एक नई कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इण्डो बर्मा पेट्रोलियम द्वारा इस समय धारित बामर लारी के शेयरों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरा करने के बाद नई कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

कपड़ों से अर्जित राजस्व

5893. **श्री सी०पी० राधाकृष्णन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मिश्रित सूत से बने वस्त्रों के प्रसंस्करण और शत-प्रतिशत पॉलिस्टर क्षेत्रों से वर्ष-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : गत तीन वर्षों के अधिकांश भाग में, मिश्रित सूत से बने वस्त्रों और 100 प्रतिशत पॉलिएस्टर वस्त्रों सहित वस्त्रों के प्रसंस्करण के कार्य में लगे स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रौसेसर, क्षमता आधारित मिश्रित लेवी योजना के अंतर्गत मण्डल (चैम्बर) के आधार पर उत्पाद शुल्क देयता को पूरा कर रहे थे। अत: मिश्रित सूत से बने वस्त्रों और 100 प्रतिशत पॉलिएस्टर से बने वस्त्रों के संबंध में अलग से राजस्व आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्रसार भारती के सहायक नियंत्रक के विरुद्ध मामला

5894. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जून, 2001 के "दैनिक जागरण" में "प्रसार भारती के सहायक कंट्रोलर व कोयला माफिया के खिलाफ एक और मामला दर्ज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में राज्य-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सी०बी०आई० द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ कथित समाचार मद में उल्लिखित मुद्दों के बारे में निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध एक नियमित मामला दर्ज किया गया है :—

(1) श्री शशांक नारायण
सहायक बिक्री नियंत्रक,
प्रसार भारती, दूरदर्शन,
नई दिल्ली।

(2) श्री रमेश गांधी,
निदेशक,
मैसर्स आरंभ एडवरटाइजिंग,
एण्ड मार्केटिंग प्रा०लि०

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शनिवारीय रात्रि फिल्म के टाइम स्लाट की बिक्री

5895. **श्री अखिलेश यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन ने किस कम्पनी को बावन सप्ताह के लिए शनिवारीय रात्रि फिल्म का टाइम स्लाट बेचा था;

(ख) क्या उक्त कम्पनी की दूरदर्शन पर कुछ धनराशि बकाया थी;

(ग) यदि हां, तो टाइम स्लॉट देने से पूर्व देय धनराशि किन कारणों से वसूल नहीं की गई;

(घ) दूरदर्शन को उक्त सौदे में कुल कितना घाटा हुआ; और

(ङ) सरकार द्वारा जिम्मेवारी निर्धारित करके अपने घाटे को पूरा करने और दोषी को दंडित करने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि शनिवार हिन्दी फीचर फिल्म को प्रसारित करने के लिए समय स्लॉट 22 जनवरी, 2000 से मैसर्स श्री माधव पोली प्रोडक्टस और ट्रेडिंग प्रा०लि०, मुम्बई को दिया गया था।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जब इस कम्पनी को समय स्लॉट आबंटित किया गया था तो उस समय इसकी ओर कोई राशि बकाया नहीं थी।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बाल्को का विनिवेश

5896. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री सुनील खां :
श्री एस० अजय कुमार :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी भूमि का खनन पट्टा गैर आदिवासियों को दिये जाने के विरुद्ध समता मामले में निर्णय दिया गया था;

(ख) क्या बाल्को में विनिवेश संबंधी निर्णय लेने से पूर्व इस निर्णय को ध्यान में रखा गया था और इसके प्रभावों की समालोचनात्मक जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) सामता निर्णय के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र हस्तांतरण विनियमन 1959 की व्याख्या की थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थानीय संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, (खान एवं खनिज वकास विनियमन अधिनियम) 1957 के अनुच्छेद 11(5) के कारण अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों द्वारा मौजूदा खनन गतिविधि रोक दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि इन विधिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, आंध्र प्रदेश में 5वीं अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्रों में सम्मिलित क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों द्वारा धारित खनन पट्टे सामान्य हो गए थे। उच्चतम न्यायालय ने उन अन्य राज्य सरकारों, जिनके पास 5वीं अनुसूची के अधीन अधिसूचित क्षेत्र थे, को भी इस बात पर विचार करने के निर्देश दिए थे कि क्या आंध्र प्रदेश के इस कानून का अनुकरण किया जाए और ऐसे क्षेत्रों में नए खनन पट्टे इस बारे में राष्ट्रीय नीति उभरने के प्रदान किए जाएं।

बालको द्वारा धारित भूमि और खनन पट्टों पर सामता निर्णय की उपयुक्तता का विनिवेश से पूर्व सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया था। सामता निर्णय ने आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियमन, 1959 के उपबंधों की व्याख्या की है और छत्तीसगढ़ राज्य (अथवा पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य) में ऐसे विनियमनों के अभाव में और छत्तीसगढ़ (अथवा पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य) में खान तथा खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957 में किसी स्थानीय संशोधन के अभाव में, उस राज्य में भूमि के हस्तांतरण संबंधी स्थिति एकदम ही भिन्न थी। अत: यह पाया गया कि सामता निर्णय का बालको की विनिवेश प्रक्रिया पर कोई प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव नहीं था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल ग्रामीण बैंक

5897. श्री सुरेश चन्देल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब नैशनल बैंक द्वारा हिमाचल ग्रामीण बैंक की एस०एल०आर० जमा राशियों पर कम ब्याज का भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हिमाचल ग्रामीण बैंक को उक्त धनराशि का पुनर्भुगतान किए जाने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 4 मार्च, 1993 से लेकर 15 जुलाई, 1994 तक की अवधि के लिए एसएलआर जमाराशि पर 28,20,550 रुपए के ब्याज की उक्त धनराशि संबंधी दावे को हिमाचल ग्रामीण बैंक की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार चार्टर्ड लेखाकार द्वारा वापस ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ब्याज की शेष धनराशि के भुगतान हेतु प्रवर्तक बैंक द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) पंजाब नैशनल बैंक, जो कि हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी का प्रायोजक बैंक है, ने सूचित किया है कि दिनांक 15.01.1994 तक हिमाचल ग्रामीण बैंक सांविधिक चल निधि अनुपात (एस०एल०आर०) और गैर सांविधिक चल निधि अनुपात (नॉन एस०एल०आर०) निधियों के बीच कोई भेद किए बिना प्रायोजक बैंक के पास निधियां रख रहा था और पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय, मण्डी को हिमाचल ग्रामीण बैंक द्वारा दिए गए शपथ-पत्र के अनुसार सांविधिक चल निधि अनुपात के लिए अर्हक राशि पर ब्याज का भुगतान किया जा रहा था। दिनांक 16.01.1994 से हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी ने पंजाब नैशनल बैंक के पास अलग से एस०एल०आर० जमाराशियां रखनी शुरू कर दी और भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार उस पर ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2000 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल ग्रामीण बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुबंधित टिप्पणियों के अनुसार, यह बताया गया है कि ब्याज बकाया से संबंधित पंजाब नैशनल बैंक, मण्डी से 28,20,550 रुपए के दावे को बैंक के बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियां

5898. डा० रमेश चंद तोमर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन आफ इंडिया (जी०आई०पी०एस०ए०) विनियामक प्राधिकरण है और इसके निर्णय सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों पर बाध्यकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी संभावनाओं और इसकी कार्यविधि संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन आफ इंडिया ने कर्मचारी संघों को चेन्नई में पिछले नौ महीनों में अलग-अलग तारीखों पर वार्ता हेतु बुलाया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वार्ता के दौरान क्या निर्णय लिए गए; और

(ङ) बैठकों पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जनरल इंश्योरर्स (पब्लिक सेक्टर) एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिप्सा) सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों की एक स्वैच्छिक एसोसिएशन है। इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया जाना है। ''जिप्सा'' कोई विनियामक प्राधिकरण नहीं है और इसके निर्णय सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों पर बाध्यकारी नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। ''जिप्सा'' ने विकास अधिकारियों की भूमिका, कार्यालयों की पुनर्संरचना, पुनः प्रशिक्षण और तैनाती, स्थानांतरण नीति और गतिशीलता, ग्राहक सेवाओं, कार्य के घण्टों और कार्य दिवसों इत्यादि पर विचार-विमर्श करने के लिए विकास अधिकारियों की एसोसिएशनों और श्रेणी III/IV के कर्मचारियों की एसोसिएशनों को आमंत्रित किया था। ''जिप्सा'' को इन बैठकों में चर्चा किए गए मुद्दों पर अभी अंतिम निर्णय लेना है।

(ङ) इन बैठकों के आयोजन में हुआ व्यय, प्रतिनिधियों को दिए गए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते को छोड़कर, 7.46 लाख रु० था।

दूरदर्शन केन्द्र-2 मण्डी हाऊस

5899. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मण्डी हाऊस, नई दिल्ली में दूरदर्शन केन्द्र-2 के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निर्माण में कितना समय लगा और कितनी लागत वृद्धि आई;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना के शीघ्र निर्माण हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि निर्माण एजेंसी की विफलता के कारण दूरदर्शन भवन (चरण-2) के निर्माण में विलम्ब रहा है। इसलिए सिविल कार्यों हेतु पूर्व संविदा को रद्द कर दिया गया था तथा शेष कार्य को पूरा करने के लिए मई, 2001 में नये सिरे से ठेका दिया गया है। जबकि परियोजना को मूल रूप से मार्च, 1999 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, तथापि अब इसके वर्ष 2002-2003 तक पूरा होने की संभावना है। प्रसार भारती को 1994 की अनुमोदित लागत में फिलहाल किसी वृद्धि की प्रत्याशा नहीं है। प्रसार भारती द्वारा परियोजना को वर्ष 2002-2003 तक पूरा करने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

नेपाल में हुई घटनाओं पर उदासीनता

5900. श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाल नरेश की हत्या के बारे में नेपाल में दुखद मोड़ लेने वाली घटनाओं की तत्काल सूचना देने में दूरदर्शन की विफलता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन नेपाल नरेश की हत्या के बारे में तत्काल सूचना देने में विफल नहीं रहा था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि नेपाल नरेश की हत्या का प्रथम समाचार 2 जून, 2001 को 3.45 बजे पूर्वाह्न के आसपास प्राप्त हुआ था। आकाशवाणी (काठमाण्डू) संवाददाता से समाचार की पुष्टि करने के बाद इसे 0600 बजे के आसपास न्यूज चैनल की सूची में डाला गया था। सुबह 0700 के पहले समाचार बुलेटिन में यह समाचार पहला मुख्य समाचार था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों द्वारा उपगत व्यय

5901. श्री जे०एस० बराड़ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने खर्च को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों और कार्यालयों का आकार छोटा कर रही है जबकि मंत्रिपरिषद में उनके बहुत से सहयोगी अपनी पात्रता के पार जाकर औपचारिक और अनौपचारिक आधार पर निजी कर्मचारियों और वाहनों की लगातार सेवाएं ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपनी पात्रता के भीतर उनके कार्य करने और मितव्ययिता बरतने के लिए अपने सहयोगियों पर दबाव डाला है;

(ग) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 (जून तक) के दौरान मंत्रियों द्वारा मनोरंजन, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों निजी कर्मचारियों के वेतनों, यात्रा भत्तों और महंगाई भत्तों, टेलीफोन और वाहनों पर अलग-अलग कितना फालतू खर्च किया गया; और

(घ) उक्त मदों पर व्यय का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2001-02 में कितना नीचे लाए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) गैर-योजना व्यय में किफायत की दृष्टि से सरकारी कार्यबल को यथेष्टतम किया जाना तथा उसकी दक्षता में सुधार करना एक अनवरत प्रक्रिया है और इस पर मार्गदर्शी निदेश समय-समय पर जारी किए जाते रहे हैं। सभी मंत्रियों को संबोधित दिनांक 23.9.2000 के अपने पत्र में प्रधान मंत्री ने सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल, सरकारी आतिथ्य, वैयक्तिक स्टाफ के स्केल, विदेश यात्रा, टेलीफोन आदि से संबंधित मौजूदा हकदारियों का पालन किए जाने की जरूरत को विशेष रूप से संदर्भित करते हुए मितव्ययिता संबंधी वर्तमान दिशा-निर्देशों का अनुपालन किए जाने का अनुरोध किया है। तथापि विभिन्न मंत्रियों के कार्यालयों द्वारा व्यय की अलग-अलग मदों पर अलग-अलग और केन्द्रीय तौर पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

लिपिकों के रिक्त पद

5902. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं में बड़ी संख्या में लिपिकों के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा में भारतीय स्टेट बैंक की विशेषकर सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक, रेवाड़ी शाखाओं में ऐसे रिक्त पदों का शाखा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने हरियाणा राज्य में स्टाफ की अत्यधिक कमी के बारे में किसी रिपोर्ट से इन्कार किया है।

(ख) और (ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के अनुसरण में, कम और अधिशेष स्टाफ के पाकेट हरियाणा राज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में सृजित किए गए। बैंक ने अब रिक्त पदों को भरने के लिए अधिशेष पाकेट्स से कम स्टाफ वाले पाकेटों में कर्मचारियों को पुनर्नियोजित किया है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

5903. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम के पुनर्गठन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आदि को निरस्त करने के लिए जुलाई, 2001 में मुख्य मंत्रियों की समिति की बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और काम के बदले अनाज कार्यक्रम को और कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं ताकि इसके लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां। काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा अधिनियम के अधीन जारी नियंत्रण आदेशों की समीक्षा करना, बैठक में चर्चा की गई मदों में थे ताकि कृषि वस्तुओं का मुक्त संचलन सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) आठ सूखा प्रभावित राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल में सुनिश्चित रोजगार योजना के भाग के रूप में काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2001 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का लक्ष्य कृषि मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार और आय सृजित करना है।

संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार चूंकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का विस्तार किया गया है ताकि बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया जा सके। यह कार्यक्रम पहले 30 जून, 2001 को समाप्त हो जाना था, लेकिन अब इसे 30 सितम्बर, 2001 तक बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार को प्रत्येक प्रभावित राज्य के लिए अतिरिक्त संसाधन के रूप में और मुफ्त खाद्यान्नों की उचित मात्रा उपलब्ध करानी होती है ताकि प्रभावित राज्य जरूरतमंद ग्रामीण गरीबों के लिए पर्याप्त मजदूरी रोजगार अवसर मुहैया कर सकें। राज्य मजदूरी का भुगतान आंशिक रूप में जिन्स (प्रति व्यक्ति प्रति दिवस 5 किलोग्राम खाद्यान्न तक) और आंशिक रूप में नकद कर सकते हैं।

कार्यक्रम के अधीन पात्रता मानदंड में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर दोनों परिवार शामिल हैं। राज्य सरकारें इस बात के लिए स्वतंत्र होंगी कि वे मजदूरी में दिए जाने वाले खाद्यान्नों की गणना गरीबी रेखा से नीचे अथवा गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर या इन दरों के बीच कहीं भी कर सकती है। मजूदरों को शेष मजदूरी का भुगतान नकद किया जाएगा ताकि उन्हें न्यूनतम विहित मजदूरी के भुगतान के बारे में आश्वस्त किया जा सके। मजदूरी का नकद घटक और सामग्री की लागत को उस योजना को पूरा किया जाना होगा जिसके अधीन काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्रियानिवत किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से कार्यस्थल/सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान तक खाद्यान्नों की ढुलाई लागत और इसके वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी।

अब तक सूखा/भारी वर्षा/बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए राज्यों को 23.42 लाख टन मात्रा मुफ्त आवंटित की गई है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूखा/बाढ़ प्रभावित राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान
(जनवरी, 2001 से अब तक)

(मुफ्त आवंटित) (टन में)

	आवंटन (29.8.2001 तक)			उठान (अनंतिम) (23.8.2001 तक)		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
आंध्र प्रदेश	300000	0	300000	0	0	0
छत्तीसगढ़	507000	0	507000	407000	0	407000
गुजरात	31590	116515	148105	22771	76892	99663
हिमाचल प्रदेश	11549	0	11549	7286	0	7286
कर्नाटक	57460	42540	100000	0	0	0
महाराष्ट्र	10000	40000	50000	5110	14368	19478
मध्य प्रदेश	55254	175705	230959	39095	123846	162941
उड़ीसा	250000	0	250000	131815	14617	146432
राजस्थान	0	739505	739505	0	477441	477441
केरल	5000	0	5000	0	0	0
जोड़	1227853	1114265	2342118	613077	707164	1320241

उड़ीसा के मामले में 20,000 टन गेहूं का आवंटन चावल के आवंटन में बदल दिया गया है लेकिन 14617 टन गेहूं का उठान होने की सूचना प्राप्त हुई है।

ईराक द्वारा भारतीय गेहूं का आयात

5904. श्री जी०एस० बसवराज : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक ने सात लाख टन से अधिक भारतीय गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या ईराक ने भारतीय गेहूं के आयात हेतु भारतीय निर्यातकों के बजाय रूस, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो भारतीय निर्यातकों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन देशों के माध्यम से निर्यात किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इससे भारतीय निर्यातकों पर किस हद तक प्रभाव पड़ेगा ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) ग्रेन बोर्ड आफ ईराक ने अपनी निविदा के प्रति संयुक्त राष्ट्र के तेल के बदले खाद्यान्न कार्यक्रम के अधीन चरण 8 में राज्य व्यापार निगम सहित आठ पंजीकृत भारतीय निर्यातकों को 3.8 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करने के आदेश दिए थे। बाद में ग्रेन बोर्ड आफ ईराक ने संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के नौवें चरण में चौदह पंजीकृत निर्यातकों को 2.5 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करने के और आदेश दिए थे।

(ख) से (घ) राज्य व्यापार निगम ने सूचित किया है कि जार्डन और संयुक्त अरब अमीरात की कम्पनियों के साथ ईराक द्वारा हस्ताक्षर किए गए ठेकों के बारे में उनके पास विस्तृत सूचना नहीं है। तथापि, एक रूसी व्यापार कम्पनी ने राज्य व्यापार निगम के साथ पोथ पर्यन्त नि:शुल्क आधार पर पांच लाख टन गेहूं की आपूर्ति करने के लिए ठेका किया है। रूसी व्यापार कम्पनी, जिसने राज्य व्यापार निगम के साथ ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं, चाहती है कि ठेका की गई मात्रा में से गेहूं की कुछ मात्रा ईराक को निर्यात की जाए।

(ङ) भारतीय निर्यातकों को पहले ही कुल 6 लाख टन गेहूं की मात्रा ईराक को आपूर्ति करने के आदेश प्राप्त हो गए हैं। इसकी दृष्टि में भारतीय निर्यातकों के प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

जयपुर में एफ०एम० चैनल के कार्यालय का निर्माण

5905. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में एफ०एम० चैनल के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या उपरोक्त कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त चैनल से कार्यक्रमों के प्रसारण की तारीख नियत किए जाने के बावजूद कार्यक्रमों को प्रसारित नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त चैनल से श्रोताओं के लिए प्रसारण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से एच०टी० विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने के बाद जयपुर स्थित एफ०एम० चैनल कार्य करना शुरू कर देगा। तथापि, एफ०एम० चैनल को सितम्बर, 2001 में अंतरिम कैप्टिव ऊर्जा स्रोत के जरिए शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

फिल्म प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र

5906. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में फिल्म प्रभाग के कितने क्षेत्रीय केन्द्र हैं;

(ख) क्या ये केन्द्र उपकरणों से सुसज्जित हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश में फिल्म प्रभाग के और अधिक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) परिवार कल्याण और रक्षा प्रशिक्षण फिल्मों के निर्माण के लिए नई दिल्ली स्थित फिल्म प्रभाग के अलावा बंगलौर और कोलकाता में फिल्म प्रभाग के दो क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र हैं।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र कैमरों, सम्पादन मशीन और रिकार्डिंग उपकरणों जैसी आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित हैं। पुराने उपकरण के आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन संबंधी योजनागत स्कीम के अंतर्गत उन्नयन का कार्य किया जाता है बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बकाया देय राशि

5907. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक संगठन/कम्पनी पर वसूल की जाने वाली बकाया देय राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी राशि जारी की गई और प्रत्येक मामले में अभी कितनी राशि वसूल की जानी बाकी है;

(ग) सरकार ने प्रत्येक मामले में देय राशि की वूसली के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्ष के दौरान वसूली नहीं होने के कारण कतिपय बकाया देय राशियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अलग-अलग कितनी राशि बट्टे खाते में डाल दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) दूरदर्शन से सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	एजेंसी का नाम	बकाया 1.4.99	बकाया 1.4.2000	बकाया 1.4.2001	2001-2002 के दौरान वसूली गई राशि	शेष बकाया	देयों की वसूली के लिए की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आलिया प्रोडक्शन	0	75	60	0	60	एजेंसी कालीसूची में है दिल्ली उच्च न्यायालय में कानूनी मुकदमा।
2.	ए०बी०सी०एल०	1765	2032	678	388	290	देयताओं का समाधान प्रगति पर है मूल राशि का किश्तों में भुगतान किया जा रहा है। आखिरी किश्त का भुगतान सितम्बर 2001 में किया गया। ब्याज के संदर्भ में ए०बी०सी०एल० प्रसार भारती के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण करेगा।
3.	एड फैक्टर एडवर-टाइजिंग	7	7	7	0	7	
4.	एडवांस टी०वी० नेटवर्क	230	248	213	0	213	एजेंसी काली सूची में है। कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है।
5.	आनन्द एडवरटाइजिंग	140	140	140	0	140	कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है।
6.	ए०पी०सी०ए०	0	99	42	31	11	योजना के अनुसार भुगतान कर रही है।
7.	बी०वाई० पाध्या	13	13	13	13	0	
8.	बालाजी टेलीफिल्म्स	0	17	140	140	0	
9.	बैग फिल्म्स	2	43	2	2	0	
10.	विधान एडवरटाइजिंग	22	12	11	0	11	एजेंसी के साथ मामले को उठाया जा रहा है।
11.	नैत्र एडवरटाइजिंग	6	3	3	0	3	एजेंसी के साथ मामले को उठाया जा रहा है।
12.	सिनेमा विजन	28	13	38	0	38	बैंक गारंटी को भुनाने के लिए मामले को एजेंसी के पास भेजा जा रहा है।
13.	क्लैरियन एडवरटाइजिंग	46	30	17	17	0	
14.	कन्सेप्ट एडवरटाइजिंग	156	208	188	0	188	एजेंसी कालीसूची में है। कानूनी नोटिस जारीकर दिया गया है।
15.	कन्ट्रैक्ट एडवरटाइजिंग	42	10	10	10	0	
16.	कॉपी डैक्स	0	3	56	11	45	प्रत्यायन स्थगित कर दिया गया है कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। बैंक गारंटी के भुनाया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	कोरम कम्यूनिकेशंस	17	21	45	0	45	एजेंसी कालीसूची में है कानूनी नोटिस जारी किया गया है।
18.	क्रेयान एडवरटाइजिंग	18	6	6	6	0	
19.	क्रियेटिव आई	315	0	1341	376	965	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई के लिए कागजातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
20.	डी०ए०वी०पी०	28	0	0	0	0	
21.	डाउन मोड एडवरटाइजिंग	0	421	0	0	0	
22.	डाक विभाग	8	0	0	0	0	
23.	दृष्टि इंडिया	350	350	294	0	294	कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है।
24.	इण्टरप्राइज एडवरटाइजिंग	45	45	20	20	0	
25.	एवेरज एडवरटाइजिंग	56	45	20	20	0	
26.	फेम कम्यू०	512	0	1167	93	1074	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है कानूनी नोटिस जारी किया जा रहा है। बैंक गारंटी भुनायी गयी।
27.	फिल्म क्राफ्ट	158	0	787	100	687	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है अग्रिम भुगतान पर कार्रवाई की जा रही है। मामले को एजेंसी के साथ उठाया जा रहा है।
28.	फास्ट ऑप्सन टी/एफ	0	0	76	76	0	
29.	फ्यूचर कम्यूनिकेंशस	0	28	17	6	11	एजेंसी कालीसूची में है बैंक गारंटी भुनायी गयी।
30.	ग्लोबल इण्टरटेनमेंट	0	0	115	22	93	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है कानूनी कार्रवाई के लिए कागजातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
31.	जी०एन० कम्यूनिकेंशस	0	5	25	0	25	कानूनी कार्रवाई के लिए कागजातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
32.	गोल्ड वीडियो	13	0	0	0	0	
33.	गुरूजी एडवरटाइजिंग	0	150	90	5	85	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है कानूनी कार्रवाई के लिए कागजातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
34.	एच०एम०टी०	17	0	0	0	0	
35.	एच०टी०ए०	350	50	50	0	50	विवादित
36.	हंसा विजन	744	122	108	108	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	इन्नोविजन फिल्म एंड टी०वी० डिस्ट०	5	25	25	0	25	एजेंसी काली सूची में है मुम्बई उच्च न्यायालय में मामला है।
38.	जेटियार पब्लि०	34	34	25	25	0	
39.	जया एडवरटाइजिंग	60	60	49	0	49	कानूनी कार्रवाई के लिए कागजातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
40.	जोसलिन कम्यूं०	42	42	42	0	42	एजेंसी काली सूची में है कानूनी कार्रवाई के लिए कागजातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
41.	काइन स्कोप	126	70	70	0	70	एजेंसी काली सूची में है कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है।
42.	के०एल०आई०	106	50	59	59	0	कंपनी को किए जाने वाले भुगतान के लिए 50 लाख रुपये समायोजित किया जाना है।
43.	लहर पब्लिक सर्विस	0	0	32	2	30	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है कानूनी कार्रवाई के लिए कागजातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
44.	लिन्टास	205	0	0	0	0	
45.	मागोजेल	0	10	0	0	0	
46.	मैडिसन	70	0	0	0	0	
47.	मैजिक बॉक्स	0	14	14	0	14	एजेंसी काली सूची में है कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है।
48.	मैग्ना विजन	108	108	108	0	108	कानूनी कार्रवाई के लिए कागजातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
49.	मार्केट मूवर्स	0	329	314	0	314	एजेंसी काली सूची में है पंचाट की नियुक्ति के लिए मामले पर कार्यवाही की जा रही है।
50.	माया इण्टरटेनमेंट	0	0	212	14	198	एजेंसी काली सूची में है कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है।
51.	एम०बी०ए०	0	0	163	0	163	एजेंसी काली सूची में है कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है।
52.	मीडिया एशिया	146	146	146	0	146	एजेंसी काली सूची में है दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दर्ज है। पंचाट की नियुक्ति कर दी गयी है।
53.	मौलिस एडवरटाइजिंग	0	0	9	6	3	मामले को एजेंसी के साथ उठाया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	मुद्रा कम्यू०	55	0	0	0	0	
55.	मल्टी चैनल	1800	1500	1102	0	1102	कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है। आपराधिक शिकायत दर्ज की जा रही है।
56.	राष्ट्रीय बचत संगठन	0	2	2	2	0	
57.	एन०सी०वाई०पी०	0	61	11	0	11	
58.	नीरजा फिल्म्स	0	50	27	2	25	कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
59.	एन०एफ०डी०सी०	5500	2800	4230	557	3673	कंपनी को किये जाने वाले भुगतानों के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये समायोजित किया जाना है।
60.	निम्बस कम्यु०	870	834	612	0	612	पंजाट के अधीन
61.	न्यूमेरो ऊनो	0	0	1006	50	956	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है कानूनी कार्रवाई के लिए कागजातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
62.	पी०एन०सी०	212	338	224	70	154	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है। अग्रिम भुगतान की कार्रवाई की जा रही है मामले को एजेंसी के साथ उठाया जा रहा है।
63.	पास इण्टरनेशनल	0	30	166	114	52	किश्तों में भुगतान कर रहा है।
64.	पेन ए ट्रेट	0	4	4	4	0	
65.	प्लस चैनल	1205	1205	1205	0	1205	एजेंसी काली सूची में है परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी है।
66.	प्राइम टाइम मीडिया	413	0	46	26	20	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है। अग्रिम भुगतान की कार्रवाई की जा रही है मामले को एजेंसी के साथ उठाया जा रहा है।
67.	प्रौमिनेन्ट	172	72	10	0	10	विवादित
68.	आर०के० स्वामी	0	0	0	0	0	
69.	राधा पब्लिसिटी	0	19	18	0	18	
70.	रीजनेबल एडवरटाइजिंग	0	0	60	8	52	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है देयों का भुगतान करने के लिए भुगतान योजना प्राप्त कर लिया गया है।
71.	सागर इण्टरप्राइजेज	178	50	816	76	740	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है कानूनी कार्रवाई के लिए कागजातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैंक गारंटी भुनायी गयी।
72.	संवाद वीडिया	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
73.	श्री माधव	0	400	1270	0	1270	1230 (बैंक गारंटी को भुगतान के लिए भेजा गया है) कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है आपराधिक शिकायत दर्ज कर दी गयी है।
74.	स्ट्राकॉन	535	0	0	0	0	
75.	टी०एन०ई० एशिया	293	0	0	0	0	
76.	ट्रीटन कम्यु०	136	150	48	48	0	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है देय राशि के भुगतान के लिए भुगतान योजना प्राप्त की गई।
77.	यूनिवर्सल	88	88	73	0	73	कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है।
78.	यूरेनस	0	130	46	0	46	एजेंसी काली सूची में है कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है।
79.	यू०टी०वी०	2289	636	43	43	0	प्रत्यायन रद्द कर दिया गया है मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास है।
80.	विज्ञापन	0	27	5	2	3	एजेंसी काली सूची में है।
81.	डब्ल्यू०डी० कन्ज्यूमर	0	40	99	44	55	दूरदर्शन द्वारा कम्पनी को किए जाने वाले भुगतान में से अग्रिम को समायोजित किया जा रहा है।
82.	वर्ल्ड मीडिया	70	38	132	0	132	कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है।
83.	वर्ल्ड कॉम एम/एम	54	58	58	0	58	कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है।
84.	बी4यू मल्टीमीडिया	0	0	245	0	245	237 करोड़ रुपये का मामला विवादित है। मामला पंचाट में जा रहा है।
	कुल	19860	13616	18605	2596	16009	

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों को वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण दिया जाना

5908. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थानों ने विद्युत उत्पादन करने वाली कई कंपनियों को ऋण प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार कितना ऋण दिया गया और ऋण देने वाली वित्तीय कंपनियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या इन वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने वाली कंपनियों में कुछ विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये विदेशी कंपनियां कौन-कौन सी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि

5909. श्री महेश्वर सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 8 जून, 2000 को आदेश जारी किए कि ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन वृद्धि में हड़ताल की अवधि को रूकावट नहीं माना जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आदेश के बाजवूद भी हिमाचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि की वेतन वृद्धि न देने संबंधी प्रतिबंध को नहीं हटाए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर०आर०बी०) के कर्मचारी द्वारा हड़ताल में भाग लेने पर हड़ताल की अवधि को ध्यान में रखे बिना, उसकी वेतन वृद्धि में कोई स्थगन नहीं किया जाता, बशर्ते की यह हड़ताल कानूनी हो।

(ख) हिमाचल ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक – पंजाब नैशनल बैंक ने सूचित किया है कि कोई वेतन वृद्धि रोध हटाया नहीं गया है क्योंकि हिमाचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1990 में की गई हड़ताल गैर-कानूनी मानी गई थी।

[अनुवाद]

औषधि के स्थान पर चाक पाउडर का निर्यात

5910. श्री ए० नरेन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हैदराबाद से सीमा शुल्क वापसी योजना के अंतर्गत थोक औषधि निर्यात वाले तीन कंटेनरों से चाक पाउडर पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-कौन से व्यक्ति लिप्त पाये गये हैं;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान हैदराबाद से सीमा शुल्क ऐजेंट ने कितने कंटेनरों का निर्यात किया और ऐजेंट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस धोखाधड़ी में लिप्त दोषी व्यक्तियों और सीमा शुल्क कर्मचारियों के विरुद्ध अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) दुबई को भेजे जाने के लिए चाक पाउडर के दो आधानों का शुल्क छूट पास बुक स्कीम के तहत निर्यात करने का प्रयास किया गया था जिसे 15.1.2001 को राजस्व आसूचना निदेशालय, मुम्बई द्वारा मुंबई में (जे एन पी टी बन्दरगाह पर जब्त किया गया था, जिनकी अर्न्तवस्तु नेपरोक्सन (थोक औषध) के रूप में घोषित की गई थी। उपर्युक्त दो आधानों में माल का घोषित मूल्य 7.26 करोड़ रुपए था।

अब तक की गई जांच-पडताल से धोखा-धड़ी द्वारा निर्यात करने में पांच व्यक्तियों के शामिल होने के संकेत मिलते हैं। और आगे जांच-पड़ताल जारी है।

(ग) विगत एक वर्ष के दौरान, वह विशेष सीमा शुल्क गृह एजेंट जिसने चाक पाउडर की नेपरोक्सन के रूप में गलत घोषणा वाले प्रेषण के संबंध में कार्रवाई की थी, ने विभिन्न प्रकार के माल के 20 आधानों, जो भिन्न-भिन्न निर्यातकों के थे, का निर्यात करने संबंधी कार्रवाई हैदराबाद सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के माध्यम से की थी।

इस मामले में जांच-पड़ताल पूरी होने तक सीमा शुल्क गृह ऐजेंट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

(घ) पांच सीमा शुल्क अधिकारी जिनके इस मामले में लिप्त होने की शंका है, को निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई तथा सीमा शुल्क अधिनियम के तहत उन व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही, जांच-पड़ताल के पूरा हो जाने के पश्चात्, ये प्रमाणित हो जाने पर कि वे धोखाधड़ी संबंधी इस निर्यात में अंतर्ग्रस्त थे, की जाएगी।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मंचों की स्थापना

5911. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य और जिला-स्तर पर उपभोक्ता अदालतों/मंचों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने उक्त अदालतों/मंचों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित किए गए राज्य आयोगों और जिला मंचों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आयोगों/मंचों की स्थापना के लिए कोई सहायता नहीं दी गई। तथापि, राज्यों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए आयोगों/मंचों के आधार ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों को 1995-99 की अवधि के दौरान 61.80 करोड़ रुपए का एक बारगी अनुदान दिया गया।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोगों संख्या	जिला मंचों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1	25
अरूणाचल प्रदेश	1	13
असम	1	23
बिहार और झारखंड	1	55
गोवा	1	2

1	2	3
गुजरात	1	19
हरियाणा	1	19
हिमाचल प्रदेश	1	12
जम्मू व कश्मीर	1	2
कर्नाटक	1	22
केरल	1	14
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	1	61
महाराष्ट्र	1	34
मणिपुर	1	8
मेघालय	1	7
मिजोरम	1	3
नागालैंड	1	8
उड़ीसा	1	31
पंजाब	1	17
राजस्थान	1	33
सिक्किम	1	4
तमिलनाडु	1	30
त्रिपुरा	1	3
उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	1	87
पश्चिम बंगाल	1	19
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	2
चंडीगढ़	1	2
दादरा व नगर हवेली	1	1
दमण व दीव	1	2
दिल्ली	1	9
लक्षद्वीप	1	1
पाण्डिचेरी	1	1
योग	32	569

आई०डी०बी०आई० में शीर्ष पदों पर नियुक्ति

5912. **श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की, एस०बी०आई० और एल०आई०सी० जैसी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं में शीर्ष पदों पर इन्हीं संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आई०डी०बी०आई० में भी शीर्ष पदों पर नियुक्ति के संबंध में इसी नीति को अपनाने का विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन या ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी० आई०) सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में बोर्ड स्तर के पद उस नियुक्ति बोर्ड की सिफारिश पर भरे जाते हैं, जिसमें अध्यक्ष के पद पर भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर और पांच अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात्

1. वित्त सचिव,
2. अपर सचिव (वित्तीय क्षेत्र),
3. उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक,
4. प्रबंध विशेषज्ञ,
5. बैंकिंग विशेषज्ञ

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

बैंकिंग लेखा परीक्षा आयोग

5913. **श्री अनंत गुढे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन ने सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों में अप्रयोज्य आस्तियों संबंधी खातों के बढ़ने के कारणों को पहचाने करने के लिए नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की तर्ज पर एक स्वतंत्र बैंकिंग लेखा परीक्षा आयोग बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ कलकत्ता से 3 जून, 2000 के पत्र की प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरह ही एक स्वतंत्र बैंकिंग एवं लेखा परीक्षा आयोग होना चाहिए।

(ग) केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का विचार है कि बैंकों की बाह्य लेखा परीक्षा से सम्बन्धित मौजूदा व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं और एक पृथक बैंकिंग सेवा लेखा परीक्षा आयोग स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बसंती, पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन रिले केन्द्र

5914. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल के चौबीस परगना जिले में बसंती, सुंदरबन में दुरदर्शन रिले केन्द्र शुरू करने के लिए 1996 में एक भवन किराए पर लिया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि किराए के रूप में अदा की गई है;

(ग) क्या रिले केन्द्र ने कार्य आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रिले केन्द्र द्वारा कब से कार्य आरंभ करने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन ने बसंती में एक अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए 1996 में एक भवन किराये पर लिया था।

(ख) जून, 2001 तक इस भवन के लिए 1350/-रु० प्रति माह की दर से किराये का भुगतान किया गया है।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि बसंती स्थित अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर मार्च, 1997 से कार्य कर रहा है।

मुक्त व्यापार की मांग

5915. डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश सीमा पर मुक्त व्यापार जानों और परम्परागत सीमा मार्गों को मुक्त व्यापार हेतु पुन: खोलने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने नई दिल्ली में जून, 2001 में बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के दौरान इस मामले को उठाया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में बांग्लादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उचित सिफारिश करने के लिए इस मुद्दे को भारत तथा बंगलादेश के विशेषज्ञों के एक संयुक्त दल के पास भेजा गया है।

रेडियो स्टेशन

5916. श्री ए० कृष्णास्वामी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लश्कर-ए-तयबा आतंकवादी संगठन जम्मू-कश्मीर में प्रसारण हेतु पाकिस्तान में रेडियो स्टेशन की स्थापना करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी सहयोग से भारी उद्योग शुरू करना

5917. श्री टी० गोविन्दन : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विदेशी सहयोग से भारी उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान लगाए गए ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप सृजित रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) ''हैवी'' के रूप में उद्योगों के लिए कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है। अत: इसलिए यह संभवन नहीं है कि वांछित सूचना दी जाए। तथापि, अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेक्टर-वार विवरण और तकनीकी सहयोग के मामले तथा तीन वर्षों के दौरान (अर्थात् जनवरी, 1998 – दिसम्बर, 2000) उनमें परिकल्पित विदेशी इक्विटी की राशि संलग्न विवरण I में है।

(ख) ऐसे प्रस्तावों अर्थात् विदेशी साझेदार का नाम एवं देश, इक्विटी की प्रतिशतता, निर्माण/कार्यकलाप की मदों और परियोजनाओं के स्थान के ब्यौरे औद्योगिक सहायता सचिवालय (एस०आई०ए०) न्यूज लेटर में मासिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं, जिसे संसद पुस्तकालय सहित बडे पैमाने पर परिचालित किया जाता है।

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, (एफ०डी०आई०) से जुड़े विशेष रोजगार सृजन संबंधी डाटा का केन्द्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है।

विवरण

नीति अवधि (1.1.1998 से 31.12.2000) के बाद अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं तकनीकी सहयोग का सेक्टर-वार विवरण

(राशि करोड़ में)

क्र० सं०	उद्योग का नाम	अनुमोदन की संख्या कुल	तकनीकी	वित्तीय	अनुमोदित एफ०डी०आई० की राशि	कुल राशि का %
1	2	3	4	5	6	7
1.	मेटालर्जीकल इंडस्ट्री					
	फेरस	47	28	19	1966.21	2.04
	नॉन फेरस	5	2	3	3.14	0.00
	स्पेशल अलाइज	43	24	19	823.05	0.86
	माइनिंग सर्विस	47	12	35	2629.82	2.73
	विविध (अन्य मदें)-मेटालर्जी	25	7	18	27.61	0.03
	कुल	167	73	94	5449.82	5.66
2.	ईंधन					
	पावर	104	8	96	10787.69	11.21
	तेल शोधन	78	30	48	7708.56	8.01
	पावर (अन्य)	54	5	49	1065.74	1.11
	ऑयल रिफाइनरी (अन्य)	90	53	37	3815.48	3.97
	अन्य (ईंधन)	41	19	22	1953.54	2.03
	कुल	367	115	252	25331.00	26.33
3.	वायलर एंड स्टीम जनरेटिंग प्लांट	10	5	5	30.02	0.03
4.	इलेक्ट्रिकल के अतिरिक्त प्राइम मूवर्स	8	6	2	25.40	0.03
5.	विद्युतीय उपकरण					
	विद्युतीय उपकरण	338	159	179	2086.20	2.17
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग	973	20	953	13448.48	13.98
	इलेक्ट्रॉनिक्स	133	37	96	929.03	0.97
	कम्प्यूटर हार्डवेयर	2	0	2	0.90	0.00
	अन्य (एम/डब्ल्यू)	15	5	10	26.47	0.03
	कुल	1461	221	1240	16491.08	17.14

1	2	3	4	5	6	7
6.	**टेलीकम्युनिकेशन्स**					
	टेलीकम्युनिकेशन्स	114	11	103	1306.94	1.36
	रेडियो पेजिंग	8	2	6	64.50	0.07
	सेलुलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस	83	4	79	6373.50	6.62
	दूरसंचार (आई एंड बी)	75	1	74	7876.83	8.19
	अन्य (दूरसंचार)	12	1	11	622.02	0.65
	कुल	292	19	273	16243.78	16.88
7.	**ट्रांस्पोर्टेशन उद्योग**					
	ऑटोमोबाइल उद्योग	226	98	128	2031.32	2.11
	वायु/जल परिवहन	79	8	71	876.22	0.91
	यात्री कार	32	3	29	3020.58	3.14
	ऑटो एंसिलरीज/पार्ट्स	138	63	75	1701.54	1.77
	बंदरगाह	11	0	11	812.25	0.84
	अन्य (परिवहन)	46	8	38	361.05	0.38
	कुल	532	180	352	8802.96	9.15
8.	औद्योगिक मशीनरी	264	121	143	393.54	0.41
9.	मशीन टूल्स	48	14	34	124.91	0.13
10.	एग्रीकल्चरल मशीनरी	16	7	9	235.71	0.24
11.	अर्थ मूविंग मशीनरी	20	12	8	22.90	0.02
12.	विविध मकैनिकल इंजीनियरी	332	134	198	589.87	0.61
13.	वाणिज्यिक कार्यालय एवं घरेलू उपकरण	25	3	22	459.04	0.48
14.	मेडीकल एवं सर्जिकल उपकरण	31	7	24	116.04	0.12
15.	औद्योगिक यंत्र	26	15	11	8.11	0.01
16.	वैज्ञानिक यंत्र	6	1	5	5.44	0.01
17.	मकैनिकल सर्वेयिंग एवं ड्राविंग	3	1	2	38.00	0.04
18.	उर्वरक	12	11	1	0.00	0.00
19.	केमिकल (उर्वरक के अलावा)	353	133	220	2885.18	3.00
20.	फोटोग्राफिक रा-फिल्म और पेपर	10	3	7	15.23	0.02
21.	डाई स्टाफ	5	1	4	78.09	0.08
22.	ड्रग्स और फर्मास्यूटीकल	154	77	77	1785.55	1.86

1	2	3	4	5	6	7
23.	टेक्सटाइल (डाइड प्रिंटिड सहित)	204	36	168	787.43	0.82
24.	पेपर एवं पल्प पेपर उत्पाद सहित	37	3	34	956.42	0.99
25.	फर्मेंटेशन उद्योग					
26.	फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज					
	फूड प्रोडक्ट्स	137	17	120	1038.30	1.08
	मैरिन प्रोडक्ट्स	5	1	4	6.81	0.01
	विविध (फूड प्रोडक्ट्स)	6	0	6	4.32	0.00
	कुल	148	18	130	1049.43	1.09
27.	वेजिटेबल ऑयल एंड वनस्पति	7	0	7	49.15	0.05
28.	सॉप्स, कास्मेंटिक एंड ट्वायलिट प्रीपरेसंस	15	6	9	61.80	0.06
29.	रबर गुड्स	53	17	36	677.05	0.70
30.	लेदर – लेदर गुड्स एंड पीकर्स	43	7	36	99.82	0.10
31.	ग्लू एंड गिलेटिन	4	1	3	1.43	0.00
32.	ग्लास	42	6	36	638.30	0.66
33.	सिरामिक्स	48	9	49	181.92	0.19
34.	सीमेंट एंड जिप्सम प्रोडक्ट्स	24	9	15	1070.89	1.11
35.	टिम्बर प्रोडक्ट्स	9	0	9	18.27	0.02
36.	डिफेंस इंडस्ट्री	1	1	0	0.00	0.00
37.	कंसलटेंसी सर्विसिज					
	डिजाइजन एवं इंजीनियरिंग सर्विसिज	103	15	88	625.59	0.65
	मैनेजमेंट सर्विसिज	95	9	86	260.06	2.07
	मार्केटिंग	17	0	17	15.09	0.02
	कंस्ट्रक्सन	5	0	5	49.63	0.05
	अन्य (कंसलटेंसी सर्विसिज)	29	7	22	49.69	0.05
	कुल	249	31	218	1000.07	1.04
38.	सर्विस सेक्टर					
	वित्तीय	150	5	145	4225.11	4.39
	गैर-वित्तीय सेवाएं	113	7	106	841.30	0.87
	बैंकिंग सेवाएं	14	0	14	61.67	0.06
	हास्पीटल एंड डाईग्नोस्टिक केन्द्र	46	12	34	192.06	0.20
	अन्य सेवाएं	21	2	19	46.32	0.05
	कुल	344	26	318	5366.46	5.58

1	2	3	4	5	6	7
39.	होटल एवं टूरिस्म					
	होटल एवं रेस्टोरेंट	132	54	78	915.00	0.95
	टूरिस्म	36	8	28	486.78	0.51
	अन्य (होटल एवं टूरिस्म)	7	2	5	238.22	0.25
	कुल	175	64	111	1640.00	1.70
40.	ट्रेडिंग	177	13	164	1619.92	1.68
41.	विविध उद्योग					
	हार्टीकल्चर	28	1	27	38.77	0.04
	एग्रीकल्चर	59	17	42	194.54	0.20
	फ्लोरीकल्चर	12	5	7	7.28	0.01
	डायमंड	6	0	6	13.44	0.01
	ओरनामेंट एंड गोल्ड	7	0	7	11.84	0.01
	कंस्ट्रक्शन एक्टविटीज	35	5	30	475.69	0.49
	चाय/काफी	4	2	2	317.25	0.33
	सिगरेट	1	0	1	7.35	0.01
	पुस्तक की छपाई इत्यादि	8	1	7	9.88	0.01
	कॉयर	8	2	6	2.19	0.00
	अन्य (विविध उद्योग)	252	67	185	758.03	0.82
	कुल	420	100	320	1863.25	1.94
	सकल योग	6154	1511	4643	96219.49	

एयर इंडिया में बोली प्रक्रिया

5918. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयरधारक समझौते और शेयर खरीद समझौते के प्रारूप में कुछ शर्तों को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि विदेशी एयरलाइनों द्वारा बोली प्रक्रिया में बने रहने में रूचि नहीं दिखाई जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह आश्वासन देती है कि एअर इंडिया के विनिवेश के मामले में चुनिंदा महत्वपूर्ण भागीदारों के कहने पर इन समझौतों के उपबंधों में कोई मौलिक परिवर्तन या उनके प्रभाव में कमी नहीं की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, नहीं। जिन पार्टियों ने बोली प्रक्रिया से अपने नाम वापस लिए हैं, ऐसा उन्होंने अपने आंतरिक कारणों से किया है और उन्होंने शेयरधारक करार और शेयर खरीद करार के मसौदों की शर्तों को, अपने नाम वापस लेने का कारण नहीं बताया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मोटरवाहन संबंधी बीमा दावे

5919. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा कम्पनियों को 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष में मोटरवाहन बीमा से संबंधित निम्न अंकन के कारण घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष में मोटर वाहन बीमा से कुल कितनी आय हुई और भुगतान किए गए निवल दावों सहित कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या कुल संग्रहीत प्रीमियम कुल व्यय के 65 प्रतिशत के बराबर था;

(घ) क्या दावाकर्ताओं, एजेंटों और जी०आई०सी० अधिकारियों की मिलीभगत से झूठे दावों का निपटान किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो समुचित राशि सृजित करने के लिए व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों ने मोटर बीमा से संबंधित हामीदारी कारोबार में दि० 31.3.2000 को समाप्त वर्ष में घाटा उठाया है। संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

I.	मोटर बीमा से प्राप्त कुल प्रीमियम आय	:	3417.44 करोड़ रु०
II.	मोटर दावों पर कुल व्यय	:	4888.13 करोड़ रु०
III.	मोटर कोराबार पर हामीदारी घाटे	:	1470.69 करोड़ रु०

एकत्र किया गया कुल प्रीमियम मोटर दावों पर हुए कुल व्यय का 69.9 प्रतिशत था।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, साधारण बीमा कम्पनियों ने व्यय पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए घाटे पर काबू पाने के निम्नलिखित उपाय किए हैं ताकि पर्याप्त अधिशेष सृजित किया जा सके :

(i) छोटे दावों के लिए "संस्थांतर्गत" घाटा निर्धारकों को उपयोग में लाना;

(ii) दावों के शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालत के जरिए मामलों के निपटान, अदालत से बाहर समझौते इत्यादि के लिए "कानूनी सहायता एवं सलाहकार बोर्ड" के साथ निकट समन्वयन;

(iii) अधिवक्ताओं के कार्य-निष्पादन का आवधिक मूल्यांकन;

(iv) दुर्घटनाओं की प्रामाणिकता का पता लगाने और मामलों पर कारगर ढंग से कार्रवाई करने के लिए ब्यौरे इकट्ठे करने हेतु तीसरे पक्ष के दावों की जांच।

बैंकों का विलय

5920. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय करके एक संयुक्त बैंक बनाकर इसके पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने और इसके कारोबार को बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार प्राइवेट और सरकारी बैंकों की प्रति-स्पर्धा के दौर में उपरोक्त तीनों बैंकों को अर्थक्षम बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) 31 मार्च, 2001 तक उपरोक्त तीनो बैंकों की मौजूदा वित्तीय स्थिति कैसी थी और इन बैंकों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और भारत में इनकी कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दिनांक 31.3.2001 तक की स्थिति के अनुसार, वर्तमान वित्तीय स्थिति, कुल कर्मचारियों की संख्या और कुल शाखाओं की संख्या निम्नलिखित है :-

क्रमांक बैंक का नाम	सकल लाभ (करोड़ रु० में)	निवल लाभ (करोड़ रु० में)	कर्मचारियों की संख्या	शाखाओं की संख्या
1. इलाहाबाद बैंक	266	40	21,009	1,902
2. यूको बैंक	214	33	29,166	1,712
3. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	137	19	19,963	1,316

यूको बैंक और युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के पुनर्गठन की योजना तैयार कर ली गई है और उसे कार्यान्वित किया जाना है।

भूकम्प राहत संबंधी चैक

5921. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि 26 जनवरी, 2001 के भूकम्प के बाद पश्चिमी कच्छ में दूरदराज के गांवों के निवासियों को भूकम्प राहत संबंधी जो चैक दिये गये थे उन्हें स्थानीय बैंक प्रबंधक आज की तारीख तक स्वीकार करने से इंकार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन राहत संबंधी चैकों को स्वीकार करवाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीमा क्षेत्र की विकास दर

5922. श्री पदमसेन चौधरी :
डा० अशोक पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा;

(ख) क्या ये बीमा कम्पनियां गलत बीमा नीतियों और रीतियां अपनाए जाने के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभ नहीं कमा पा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कम्पनियों ने अपने कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक की ऋण दर

5923. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 6 अगस्त, 2001 से अल्प अवधि ऋणों की ब्याज दर और दीर्घ अवधि की जमाओं के लिए ब्याज की दर में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो यह कटौती किस सीमा तक की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित दूसरे बैंकों ने भी दरों में कटौती की है;

(घ) यदि हां, तो छोटे जमाकताओं और बड़े ऋणकर्ताओं और ऋणकर्ता फर्मों पर इसका क्या प्रभाग होगा; और

(ङ) छोटे जमाकर्ताओं की तकलीफों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने 6 अगस्त, 2001 से अपने अल्पावधि प्राथमिक उधार दरों (पी०एल०आर०) में 50 प्रतिशत आधार अंकों तक तथा दीर्घावधि जमाराशियों की दरों में 50 प्रतिशत आधार अंकों तक की कमी की है। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा एक गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक ने भी सूचित किया है कि उन्होंने दीर्घावधि जमाराशि दरों में कमी की थी। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 9 प्रतिशत और अधिक की दर से 3 वर्ष से अधिक की परिपक्वता के लिए दीर्घावधि जमाराशि की दरों पर जमाकर्ताओं को मिलने वाले प्रति लाभ को चालू मुद्रा स्फीति की दर के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो कि लगभग 5 प्रतिशत है।

विवरण

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 6 अगस्त, 2001 से प्रभावी अल्पावधि पी०एल०आर० तथा दीर्घावधि जमाराशि दर में परिवर्तन

बैंकों के नाम	उपर्युक्त तारीख से दरों में कटौती	पिछली दर	वर्तमान दर
भारतीय स्टेट बैंक			
अल्पावधि पी०एल०आर० (एक वर्ष से कम)	6.8.2001	10.50	10.00
दीर्घावधि जमा राशि दर (एक वर्ष से अधिक)	6.8.2001		
1-2 वर्ष		8.50	8.00
2-3 वर्ष		9.00	8.50
अन्य बैंक			
पंजाब नैशनल बैंक	13.8.2001		
1-2 वर्ष		8.50	8.00
2-3 वर्ष		9.00	8.50
3 वर्ष और उससे अधिक		9.25	9.00
विजया बैंक	13.8.2001		
1-2 वर्ष		8.50	8.00
2-3 वर्ष		9.00	8.50
3 वर्ष और उससे अधिक		9.50	9.00
जम्मू एवं कश्मीर बैंक	16.8.2001		
1-2 वर्ष		8.50	8.00
4-5 वर्ष		10.00	9.50

[हिन्दी]

राज्य सरकारों को ऋण

5924. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक कौन-कौन सी राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से ऋण लिया है और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ये ऋण किस प्रयोजन से लिए गए और ऋण की राशि का उपयोग किस कार्य के लिए किया गया;

(ग) क्या सरकार को इन ऋणों के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) योजना आयोग द्वारा संस्तुत राज्य योजना ऋणों और निवल लघु बचत जमाओं पर ऋण राज्य की वार्षिक योजना के वित्तपोषण का एक भाग बनता है, जो कि राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।

राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन निधियों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए करें जिसके लिए वे आबंटित या चिन्हित किए गए हों। योजनागत निधियों के उपयोग सहित राज्यों के वित्तीय प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबद्ध राज्य की होती है जिसके लिए वे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार की गई लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से संबंधित राज्य के विधान-मंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी योजनागत ऋणों/लघु बचत ऋणों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	राज्य	1998-99		1999-2000		2000-01	
		योजना ऋण	लघु बचत ऋण	योजना ऋण	लघु बचत ऋण	योजना ऋण	लघु बचत ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1360.58	986.60	1832.90	1141.07	1772.71	1787.14
2.	अरूणाचल प्रदेश	51.69	12.64	62.60	12.92	61.08	11.06
3.	असम	146.38	131.97	156.70	300.27	168.85	527.58
4.	बिहार	1383.32	1432.37	1587.25	1463.93	1247.84	1604.93
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	130.23	116.59
6.	गोवा	48.46	78.56	47.73	82.95	104.88	99.21
7.	गुजरात	906.80	2325.09	1050.15	2594.93	1465.79	3428.09
8.	हरियाणा	288.03	714.62	348.77	741.69	387.21	795.87
9.	हिमाचल प्रदेश	79.94	279.29	103.99	68.88	104.93	128.90
10.	जम्मू और कश्मीर	235.19	207.86	289.59	194.65	170.03	317.46
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	139.93	154.26
12.	कर्नाटक	726.58	799.74	900.73	1113.85	1029.40	1179.54
13.	केरल	469.09	392.77	495.29	571.37	463.92	440.15
14.	मध्य प्रदेश	982.63	886.81	1356.09	993.55	952.07	992.19
15.	महाराष्ट्र	1073.09	3694.10	849.09	4119.51	771.90	4659.53
16.	मणिपुर	51.08	13.79	75.41	18.86	38.02	22.83

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मेघालय	32.50	15.54	40.18	12.93	41.47	24.02
18.	मिजोरम	32.25	5.18	41.76	7.36	38.04	13.55
19.	नागालैंड	36.40	8.15	47.27	10.56	44.38	5.56
20.	उड़ीसा	850.19	378.31	860.17	384.47	938.52	602.85
21.	पंजाब	299.18	1350.44	285.83	1711.63	367.26	2330.40
22.	राजस्थान	806.96	1130.13	805.77	1705.34	706.94	2203.82
23.	सिक्किम	24.94	7.82	30.33	8.33	24.66	7.64
24.	तमिलनाडु	794.05	780.31	986.97	1013.56	1140.04	1286.97
25.	त्रिपुरा	54.84	65.01	94.69	64.52	74.68	103.68
26.	उत्तर प्रदेश	2050.57	3406.49	2451.78	3255.69	3236.89	3857.05
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	98.39	70.33
28.	पश्चिम बंगाल	1468.86	3922.90	1468.80	4160.40	1303.93	4949.27
	कुल	14253.60	23026.49	16269.84	25753.22	17023.99	31720.47

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों की शाखाएं

5925. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु स्थित विदेशी बैंकों की शाखाओ का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तमिलनाडु में इन बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों की ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में विदेशी बैंकों की कार्यरत शाखाओं और उनकी कुल जमाराशियों तथा अग्रिमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	तमिलनाडु में परिचालन कर रही शाखाओं की संख्या	कुल जमा-राशियां (रु० करोड़ में)	कुल अग्रिम (रुपये (करोड़ में)
1	2	3	4	5
1.	स्टेन्डर्ड चार्टर्ड ए० एन०जैड० ग्रीन्डलेज	4	41167	81606
2.	अमेरीकन एक्सप्रैस बैंक	1	14059	15595
3.	ए०बी०एन० अमरो बैंक	1	15370	41599
4.	बैंक आफ अमेरिका	1	10199	64261
5.	बैंक आफ सिलोन	1	6891	8904
6.	सिटी बैंक	2	36444	223969
7.	एच०एच०बी०सी०	1	49865	81944
8.	स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक	2	28044	54029
9.	बैंक आफ टोकियो मित्सुबीसी	1	6316	11113
10.	स्टेट बैंक आफ मॉरिशस	1	8710	12118
11.	क्रेडिट लेओनियस	1	1207	16612
12.	बी०एन०पी० पैरिबस	1	6265	8077
13.	डच बैंक	1	3445	9440
14.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	1	5157	34726

चीनी विकास कोष

5926. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी विकास कोष का सृजन वर्ष 1989 में 140 रुपये प्रति टन के केन्द्रीय उपकर सहित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान इस कोष का खाताशेष कितना है;

(ग) इस कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी;

(घ) क्या इस कोष का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) चीनी उपकर अधिनियम 1982 के अधीन लगाये गए और एकत्र किए गए उत्पाद शुल्क की प्राप्ति में से केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित एकत्रण लागत घटाकर शेष राशि के समतुल्य राशि संसद द्वारा कानून के जरिए उचित समायोजन करने के पश्चात जमा करके 20.3.1982 को प्राख्यापित चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के उपबंधों के अधीन चीनी विकास निधि बनाई गई थी। चीनी उपकर अधिनियमण 1982 के अधीन भारत में किसी भी चीनी फैक्ट्री द्वारा उत्पादित सम्पूर्ण चीनी पर 20.3.1982 से 5 रुपये प्रति क्विंटल का उत्पाद शुल्क लिया जाता था जिसे 29.10.1982 से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था।

(ख) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार चीनी विकास निधि में निवल निधि (मूलधन की वापसी और उस पर ब्याज को छोड़कर) 605.16 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार चीनी यूनिटों को दिए गए ऋण पर उनके द्वारा 627.76 करोड़ रुपये (मूलधन और ब्याज के रूप में) वापस किए गए हैं। अत: 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार चीनी विकास निधि में कुल 1232.92 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी।

(ग) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निधि का उपयोग किया जाएगा :-

(i) किसी भी चीनी फैक्ट्री का पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण करने के लिए ऋण देना।

(ii) जिस क्षेत्र में चीनी फैक्ट्री स्थित है उस क्षेत्र में गन्ने के विकास के लिए कोई योजना चलाने हेतु ऋण देना।

(iii) चीनी उद्योग के विकास के लिए लक्षित किसी अनुसंधान प्रयोजना के प्रयोजनार्थ अनुदान देना।

(iv) चीनी के मूल्यों को स्थिर रखने की दृष्टि से बफर स्टाक बनाने और उसका रखरखाव करने के प्रयोजनार्थ होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करना।

(v) अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी अन्य खर्च की प्रतिपूर्ति करना।

(घ) और (ङ) निधियों का उपयोग चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। चीनी विकास निधि की शुरूआत से 31.3.2001 तक उपर्युक्त शीर्षों पर 1917.69 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों का प्रकाशन

5927. **श्री ताराचन्द भगोरा :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने आई०एल०ओ० मानदंडों के अनुसार सभी वस्तुओं की पैकिंग 50 कि०ग्रा० (या कम) आकार के जूट/गैर-जूट के थैलों में किए जाने के बारे में विनिर्देश शीघ्र प्रकाशित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को निदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी की पैकिंग 50 कि०ग्रा० के जूट के थैलों में किये जाने के बारे में विनिर्देश प्रकाशित कर दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन विनिर्देशों को कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने 50 किलो ग्राम खाद्यान्न और चीनी की पैकिंग के लिए जूट/गैर जूट की थैलियों के लिए भारतीय मानकों के प्रतिपादन का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। निम्नलिखित मानक पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं :-

1. आई०एस० 12650 : 1997 टेक्सटाइल्स – 50 किलोग्राम खाद्यान्न की पैकिंग के लिए जूट की थैलियां – विनिर्देशन (प्रथम संशोधन)

2. आई०एस० 14887 : 2000 टेक्सटाइल्स – हाई डेन्सिटी पॉलीथिलीन (एच०डी०पी०ई०) पॉली प्रोपिलीन (पी०पी०) 25 कि०ग्रा० खाद्यान्न की पैकिंग के लिए बुने हुए बोरे – विनिर्देशन।

3. आई०एस० 14968 : 2001 टेक्सटाइल्स – हाई डेन्सिटी पॉलीथिलीन (एच०डी०पी०ई०) पॉली प्रोपिलीन (पी०पी०) 25 कि०ग्रा०/50 कि०ग्रा० चीनी की पैकिंग के लिए बुने हुए बोरे – विनिर्देशन।

(ख) से (घ) 50 कि०ग्रा० चीनी की पैकिंग के लिए जूट की थैलियों हेतु विनिर्देशन तैयार किए जा रहे हैं और उनके अक्तूबर, 2001 के अंत तक उपलब्ध होने की संभावना है।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल का निर्यात

5928. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक भारतीय गेहूं और चावल का प्रमुख आयातक है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ईराक को निर्यात किए गए गेहूं और चावल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत से ईराक को गेहूं और चावल के निर्यात में कमी आई है;

(घ) क्या भारत सरकार ने ईराक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गेहूं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) ईराक को 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 (अप्रैल-मई, 2001) के दौरान चावल का और 1999-2000 के दौरान गेहूं का कोई निर्यात नहीं किया गया था। 2000-2001 के दौरान, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिर्देशालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा समेकित भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकीय में निर्दिष्ट अनंतिम आंकड़ों के अनुसार ईराक को 23,600 टन गेहूं निर्यात किया गया है। तथापि, गेहूं की तीन खेपें ग्रेन बोर्ड आफ ईराक द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थीं, जिन्हें निर्यातक द्वारा दुबई में एक कम्पनी को बेच दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी।

(घ) और (ङ) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिया है कि वह कांडला पत्तन अथवा किसी अन्य पत्तन जहां से निर्यात होता हो, पर सफाई की सुविधाएं स्थापित करे। भारतीय खाद्य निगम को यह सनिश्चित करने का निदेश भी दिया गया था कि ईराक को गेहूं की कोई भी खेप तब तक न भेजी जाए, जब तक यह गेहूं ग्रेन बोर्ड आफ ईराक की आवश्यकताओं को पूरा करने की सीमा तक साफ न कर दिया जाए।

[अनुवाद]

सर्वप्रिय योजना

5929. **श्री विष्णु पद राय** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में सर्वप्रिय योजना शुरू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) भारत सरकार ने जुलाई, 2000 में "सर्वप्रिय योजना" नामक एक स्कीम शुरू की है जिसमें दैनिक उपयोग की 11 चुनी हुई वस्तुओं अर्थात अरहर दाल, चना दाल, लाल मल्का, साबुत उडद, नमक, चाय, नहाने का साबुन, कपड़े धोने के साबुन, अभ्यास पुस्तिकाएं, खाद्य तेल और टूथ पेस्ट के वितरण की संकल्पना की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह स्कीम लागू करती है और उन्हें अपनी जरूरतों/अधिमानों के अनुसार मदों को चुनने का विकल्प प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड जो देश में उपभोक्ता सहकारिताओं की शीर्षस्थ संस्था है, को इस स्कीम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है जो गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करेगा। राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग अपने राज्यों में स्कीम के तहत वितरण व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

दीर्घकालिक खाद्यान्न नीति

5930. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीर्घकालिक खाद्यान्न नीति तैयार करने के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने भारतीय खाद्य निगम को राज्य सरकार को सांविधिक लेवी के भुगतान से छूट दिए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त विषय पर प्रो० अभिजीत सेन द्वारा प्रस्तुत की गई अंतरिम रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) दीर्घकालिक खाद्यान्न नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) यह सिफारिश भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ग) अंतरिम रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है।

(घ) उच्च स्तरीय समिति की अंतरिम रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) आशा है कि उच्च स्तरीय समिति सितम्बर, 2001 के अंत तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

विवरण

दीर्घकालीन अनाज नीति से संबंधित उच्च स्तरीय समिति की अंतरिम रिपोर्ट में उनके द्वारा की गई सिफारिशें

(I) तत्काल कार्यवाही के लिए सिफारिशें

(1) कुछ राज्यों में खाद्यान्नों की खरीद पर लगाई गई सांविधिक लेवी वसूली मूल्यों का 12.5 प्रतिशत है। समिति यह समझती है कि राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा सांविधिक लेवी के रूप में किया गया भुगतान मूलत: केन्द्र से राज्य सरकारों को किया गया अंतरण है और उसे ऐसा ही हिसाब में लिया जाना चाहिए। अत: खाद्यान्न, जो एक आवश्यक जिंस है, पर ऐसी लेवी को समाप्त करने की सिफारिश करती है। तब तक, राज्यों द्वारा लगाई गई सांविधिक लेवी को भारतीय खाद्य निगम अथवा इसकी आर्थिक लागत को शामिल किए बिना केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच अलग से निपटान किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्यों के बिक्री कर अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करना अपेक्षित होगा। विकल्पत: केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सांविधिक लेवी के रूप में परोक्षत: अंतरित राशि वर्तमान अंतरण के रूप में सीधे अंतरित की जाए।

(2) समिति ने विभिन्न उत्पादक राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की खरीद के गुणवत्ता मानकों में समय-समय पर ढील देने के लिए किए गए प्रयासों पर चिंता व्यक्ति की है। बहुत सी उपभोक्ता राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए ऐसा खाद्यान्न लेने से इंकार कर दिया है। अत: समिति सिफारिश करती है कि उचित औसत किस्म के मानदण्ड का कड़ाई से पालन किया जाए। यदि कोई राज्य सरकार गुणवत्ता मानक में छूट देने का अनुरोध करती है तो सांविधिक राज्य लेवी में छूट के अलावा मूल्य में उचित कमी करने सहित यह अनुरोध भेजा जाना चाहिए।

(3) धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और चावल के लिए लेवी मूल्य इस समय साधारण और ग्रेड 'ए' के प्रति केवल एकल ग्रेड के लिए निर्धारित किए जाएं।

(4) खुला बाजार बिक्री योजना मूल्यों में न केवल अधिग्रहण लागत शामिल होनी चाहिए अपितु जहां तक संभव हो, बिक्री के विभिन्न बिन्दुओं पर परिवहन और भंडारण लागतों में अन्तरों को भी पूर्णतया परिलक्षित करना चाहिए। यह कम से कम भारतीय खाद्य निगम के अधिग्रहण लागत में से सांविधिक लेवी घटाकर निश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा, क्षेत्रों में अन्तर को पुन: बहाल करना चाहिए और प्रति तिमाही पूर्व घोषित ग्रेड वृद्धि होनी चाहिए।

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उठान में वृद्धि करने के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू मूल्यों को सांविधिक लेवियां हटाकर आर्थिक लागत के 80 प्रतिशत अथवा लेवियों सहित वर्तमान आर्थिक लागत के लगभग 75 प्रतिशत पर करके एक नेट पर लाने की आवश्यकता है। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लागू मूल्य को सांविधिक लेवियां छोड़कर आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर रखा जाना चाहिए। इससे वितरण नेटवर्क की व्यवहार्यता में सुधार होगा और इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे उठान में वृद्धि होगी।

(6) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए कोटा किसी परिवार में सदस्यों की संख्या पर निर्भर होना चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को गरीबी रेखा से नीचे के घोषित मूल्यों पर प्रतिमाह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक अथवा 20 किलोग्राम प्रति परिवार के आवंटन, जो भी अधिक हो, के हिसाब से खरीदारी करने की अनुमति होनी चाहिए। इससे अधिक आवश्यकता की पूर्ति गरीबी रेखा से ऊपर की परिवारों के मूल्यों पर की जानी चाहिए।

(7) सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पहले ही कवर किए गए क्षेत्रों (1775 ब्लॉकों) और वर्तमान सूखे से प्रभावित अथवा बाढ़, चक्रवात, भूकम्प आदि जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों और कोटे के अनुसार एक समान सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जाए।

(8) संशोधित संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में, आई०सी० डी०एस० के अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। इसी प्रकार मध्याह्न भोजन योजना के क्षेत्र का विस्तार माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों तक करके सुदृढ़ किया जा सकता है।

(9) समिति सरकार से पुरजोर अनुरोध करती है कि वे खाद्यान्नों के लिए प्रभावी मांग सृजित करने हेतु सरकार रोजगार सृजन के कार्यक्रमों के विस्तार के तरीकों की जांच करे।

(i) आदर्श रूप में काम के बदले अनाज जैसा विशाल कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों को शुरू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय की होनी चाहिए।

(ii) तथापि, वस्तुओं में भुगतान करने में व्यावहारिक क्रियान्वयन समस्याएं हो सकती हैं। इन मामलों में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विस्तार तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क के साथ-साथ रोकड़ में मजदूरी भुगतानों के नियोजन प्रावधानों में वृद्धि की जाए।

(iii) सुनिश्चित रोजगार योजना में केवल गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों का नियोजन करने संबंधी मौजूदा प्रतिबंध को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

(iv) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तीव्र क्रियान्वयन के लिए राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे की कम दरों पर 2 से 3 मिलियन टन खाद्यान्नों का अंतरिम आवंटन किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों द्वारा प्रधान मंत्री सड़क रोजगार योजना जैसी फिलहाल चलाई जा रही योजनाओं को अनुसमर्थन देना/तेज करना होना चाहिए।

(II) दीर्घकालिक सिफारिशें :—

(1) कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन और लागत सी० 2 (अर्थात् पारिवारिक मजदूर की आकलित लागत, मालिकाना पूंजी और मालिकाना भूमि का किराया, सभी लागतों को मिलाकर) के आधार पर बुआई मौसम के पहले घोषित करना चाहिए। उत्पादकों को उनकी लागत का समुचित प्रतिफल आश्वस्त करने के लिए केन्द्र सरकार को इस मूल्य पर उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों की खुली खरीदारी स्वीकार करनी चाहिए।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसी स्थितियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदारी कर सकती है, जब बाजार परिस्थितियों के कारण आदर्श बफर स्टाक में होने वाली किसी कमी को और सार्वजमिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसा करना पड़े। यह मूल्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष बाजार मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और यह अगले वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का आधार नहीं बनाना चाहिए।

(3) केन्द्र सरकार को अपनी वसूली एजेंसियों/राज्य सरकारों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों को असम, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों/क्षेत्रों में अधिक प्रभावी ढंग से चलाने का निदेश देने चाहिए जहां किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य मिलने की सूचना प्राप्त हुई है।

(4) आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर कराधान कम करने और निजी व्यापार में व्यवधानों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

(5) खुला बाजार बिक्री योजना को अत्यधिक राजसहायताप्राप्त मूल्यों पर अनाजों को बेचकर, बाजार को विकृत नहीं करना चाहिए। खुला बाजार बिक्री योजना के लिए न्यूनतम मूल्य भारतीय खाद्य निगम की अधिग्रहण लागत में से सांविधिक लेवियों को घटा कर तथा तत्पश्चात उसमें वर्ष के विभिन्न समयों पर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ढुलाई तथा भंडारण लागत को जोड़कर निकाले गए मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।

(6) खाद्यान्नों के आयात-निर्यात की पद्धति भिन्न-भिन्न शुल्कों की पद्धति पर आधारित होनी चाहिए जो कोटाव्यवस्था को बदल सके। यह खुली अर्थव्यवस्था में मूल्यों की स्थिरता के लिए आवश्यक है। जहां तक संभव हो सार्वजनिक स्टाक से निर्यात के लिए खाद्यान्न उत्तम वाणिज्यिक शर्तों पर जारी करने चाहिए।

(7) मूल्य स्थिरीकरण और खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता की दृष्टि से केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को कम किये बिना खाद्यान्नों की वसूली और वितरण प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण अपेक्षित है बशर्ते इसे राज्यों को अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक लचीलापन दिया जा सके और भारतीय खाद्य निगम को लागत नियंत्रण के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके।

(8) सिद्धांत रूप में समिति यह मानती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दोहरे/गुणात्मक मूल्य बाधापरक और लीकेज को बढ़ावा देने वाले हैं।

(9) समिति का मूल दृष्टिकोण अनाज बाजार से व्यापारिक बाधाओं को हटाने का है जिससे इसे राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक एकीकृत बनाया जा सके। सरकारी हस्तक्षेप प्राथमिक रूप से मूल्यों को स्थिर करने के लिए होना चाहिए और मूल्य स्थिरीकरण की किसी भी पद्धति का राष्ट्रीय स्वरूप होना चाहिए। इसके साथ ही विकेन्द्रीकरण राज्यों को तब ही स्वीकार्य होगा जब उसे इस प्रकार किया जाए कि उसमें केन्द्र को उस राजकोषीय लागत, जिसे वह वर्तमान में स्वयं वहन कर रही है, को राज्यों को अंतरित न किया जाए। समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट में उपर्युक्त उल्लिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेगी।

गुजरात में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना

5931. **श्री पी०एस० गढ़वी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, विशेष तौर पर कच्छ में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस०ई०जेड०) की स्थापना के बारे में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव या गुजरात के किसी संगठन या संसद सदस्यों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) एक विशेष आर्थिक क्षेत्र कांडला में कच्छ क्षेत्र में पहले ही कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, गुजरात पोजिटरा पोर्ट कम्पनी लि० से पोजिटरा में सौराष्ट्र में एक एस०ई०जैड० स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव का गुजरात सरकार द्वारा समर्थन किया गया था और इसे सिद्धांत रूप में पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। यह परियोजना मै० गुजरात पोजिटरा पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। केन्द्रीय सरकार के पास गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कोई अन्य एस०ई०जेड० स्थापित करने के लिए कोई अन्य प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

नशीली दवाओं के प्रयोग पर नियंत्रण हेतु आर्थिक सहायता

5932. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने राज्यों में नशीली दवाओं के प्रयोग पर नियंत्रक के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने हेतु आर्थिक सहायता के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए राज्यवार कितनी आर्थिक सहायता की मांग की है;

(ग) क्या सरकार ने यह धनराशि जारी कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) धनराशि को राज्यवार कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य सरकार से विशेष आसूचना और जांच सेल की स्थापना के लिए 28.28 लाख रुपये की धन राशि हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और कर्नाटक राज्य सरकार से नारकोटिक्स आसूचना सेल के लिए पदों के सृजन हेतु 88.62 लाख रु० की धनराशि के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार को राज्यों द्वारा विशेष सेल स्थापित करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि इन्हें उनके अपने संसाधनों से वित्त-पोषित किया जाए। केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई धन राशि निर्धारित नहीं की है।

आयातित वस्तुओं की गुणवत्ता

5933. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न कदम उठाए हैं कि आयात किये जाने वाले उत्पाद किसी विशेष मानक के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये उपाय पूरी तरह से लागू किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) भारत में होने वाले आयातों पर निर्यात एवं आयात नीति के प्रावधान लागू होने के अलावा, वे उन सभी घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण एवं सुरक्षा संबंधी मानदण्डों के भी अधीन होते हैं जो देश में उत्पादित वस्तुओं पर लागू होते हैं। इसके अलावा, 133 विनिर्दिष्ट उत्पादों के आयात को भी घरेलू रूप से उत्पादित इसी प्रकार की वस्तुओं पर लागू होने वाले अनिवार्य बी०आई०एस० गुणवत्ता संबंधी मानकों के अनुपालन के अधीन रखा गया है। उन उत्पादों में शामिल हैं – विभिन्न खाद्य, परिरक्षक एवं अभिवर्धक, दुग्ध पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, कुछेक प्रकार की सीमेंट, घरेलू चीजें तथा इसी प्रकार के बिजली के उपकरण, गैस सिलेंडर और बहुउद्देशीय शुष्क बैटरियां। सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों का आयात खाद्य अपमिश्रण निवारण (पी०एफ०ए०) अधिनियम, 1954 में निर्धारित गुणवत्ता एवं अन्य मानकों के अधीन होता है। सभी प्राथमिक कृषिजन्य उत्पादों का आयात पौध, फल एवं बीज (भारत में होने वाले आयात का विनियमन) आदेश, 1989 की शर्तों के अनुसार जारी किए जाने वाले आयात परमिट के अधीन होता है और मांस, अंडा, दुग्ध इत्यादि सहित पशु उत्पादों का आयात पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की शर्तों के अनुसार जारी किए जाने वाले आयात परमिट के अधीन होता है। ये सभी शर्तें संगत आयातों पर लागू होती हैं। आवश्यक अधिसूचनाएं पहले से ही लागू हैं और इन्हें ऐसे आयातों की सीमाशुल्क निकासी के समय लागू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक

5934. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक पिछले कुछ वर्षों से घाटे में चल रहा है जिसके कारण बैंक अपने शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो यह बैंक कितने वर्षों से घाटे में चल रहा है और 31.3.2001 तक उक्त बैंक का संचित घाटा कितना है और पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक को हुये घाटे का वर्षवार ब्यौर क्या है;

(ग) बैंक को हुए घाटे के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मामले की जांच कराने और बैंक के व्यय को नियंत्रित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय बाजार में चीनी सामान

5935. श्री रामजीवन सिंह :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाटनरोधी कदम उठाए जाने के बावजूद सरकार चीनी सामानों को भारतीय बाजार में आने से नहीं रोक सकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी सामान के भारी मात्रा में पाटन के कारण घरेलू उद्योग बंद होने की कगार पर है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रभावित घरेलू उद्योगपतियों ने उनसे मुलाकात करके अपनी मांगे प्रस्तुत की हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) घरेलू उद्योगों की रक्षा और भारतीय बाजारों में चीनी सामान का पाटन रोकने के लिये सरकार द्वारा और क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पाटनरोधी उपाय चीन सहित किसी भी देश से वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु ये घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्द्धा में लाने के लिए व्यापार की विकृति को हटाने के उपाय के रूप में तब लगाए जाते हैं जब उन्हें अनुचित व्यापार पद्धतियों का सामना करना पड़ता है।

(ख) से (घ) पाटन से प्रभावित घरेलू उद्योग पाटनरोधी तथा सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय को अभ्यावेदन भेजते हैं। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1995 में यथा संशोधित) की धारा 9, 9क और 9ख में उल्लिखित हमारे राष्ट्रीय कानून के अनुसार पाटनरोधी उपाय तब शुरू किए जाते हैं तथा निर्णय लिया जाता है जब घरेलू उद्योग डी०जी०ए०डी० के समक्ष पाटन, क्षति तथा आयातित वस्तुओं के पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य के साथ पूर्ण रूप में प्रलेखित याचिका दायर करता है। अब तक चीन से आयातों के संबंध में 46 मामले शुरू किए गए हैं जिनमें से 31 मामलों में अंतिम निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई है। 9 मामलों में प्रारंभिक निष्कर्षों की सिफारिश की गई है और 5 मामले प्रारंभिक जांच निष्कर्षों के लिए जांच के अधीन हैं तथा 1 मामले को क्षति के बारे में साक्ष्य के अभाव में समाप्त कर दिया गया था।

(ङ) चीन सहित पाटन की आशंका से निपटने के लिए सरकार द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं :—

(i) वर्ष 2001-2002 के बजट सहित हाल ही में कुछेक मदों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है।

(ii) सार्वजनिक महत्व की संवदेनशील मदों का पता लगाने, उनके आंकड़ों का मिलान करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए स्थायी दल का गठन किया गया है। सरकार 300 संवेदनशील मदों के आयात की निगरानी कर रही है।

(iii) सभी डिब्बा बंद वस्तुओं के आयातों को घरेलू उत्पादकों पर यथा-प्रभावी मानक भार एवं माप (डिब्बा बंद वस्तु) आदेश 1977 की शर्तों के अनुपालन के अधीन रखा जाएगा।

(iv) 131 उत्पादों के आयात को घरेलू सामानों पर यथा-प्रभावी अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अधीन रखा गया है। इस अपेक्षा के अनुपालन के लिए भारत को इन उत्पादों के सभी विनिर्माताओं/निर्यातकों को भारतीय मानक ब्यूरों में स्वयं को पंजीकृत कराना आवश्यक होगा।

(v) सभी खाद्य उत्पादों का आयात खाद्य मिलावट अधिनियम (पी०एफ०ए०) तथा उसके अंतर्गत नियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करने की शर्तों के अधीन होगा।

(vi) आयातों में वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए रक्षोपाय शुल्क भी उपलब्ध होंगे।

(vii) सरकार ने पाटनरोधी जांच में तेजी लाने, क्रियाविधियों को सरल और कारगर बनाने तथा घरेलू उद्योग को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं — पूर्णतः प्रलेखित याचिका के प्रस्तुत होने पर तुरंत जांच शुरू करना, घरेलू उद्योग को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभिक निष्कर्षों की सिफारिश करना तथा पाटनरोधी नियमों और क्रियाविधियों के बारे में लोगों को जानकार बनाने के लिए देश-भर में सेमिनारों/कार्यशालाओं/विचार-विनिमय सत्रों का आयोजन करना।

[अनुवाद]

गोदामों का निर्माण

5936. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गोदामों के निर्माण के लिए भूमि अर्जित की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अर्जित की गई भूमि पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है और इस भूमि पर गोदामों के स्थान पर अन्य प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इंदिरा गांधी विमानपत्तन पर वीजा डैस्क प्रणाली

5937. **श्री दिव्शा पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी विमनापत्तन, नई दिल्ली पर सीमा शुल्क विभाग को बार-बार अपराध करने वालो का पता लगाने के लिए हाल ही में वीजा डैस्क प्रणाली से सज्जित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ वर्ष पहले उपुर्यक्त विमानपत्तन पर इसी प्रकार की कोई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था;

(ग) इस प्रणाली का उपयेाग बंद किए जाने के क्या कारण थे और इस प्रणाली को किन अधिकारियों के कार्यकाल में अनधिकृत ढंग से हटाया गया; और

(घ) दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्प्रवास से संबंधित केन्द्रीयकृत वीजा डेस्ट प्रणाली से जुड़ी सीमा शुल्क वीजा डेस्क प्रणाली में कुछेक साफ्टवेयर से संबंधित खामियां पैदा हो गई थीं और वर्ष 1997 की दूसरी छमाही में किसी समय इसे प्रयोग में लाया जाना बन्द कर दिया गया था। बीमा शुल्क और उत्प्रवास कंप्यूटरों के बीच साऊंड-डेस्क सिद्धांत पर आधारित संयोजकता की बहाली में कुछ समय लग गया। इस अवधि के दौरान कंप्यूटरीकृत संयोजन और सूचना के आदान-प्रदान की पद्धति काम नहीं कर रही थी, और इसलिए राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जारी चेतावनियों को मास्टर फोल्डर में रख दिया गया था और इन्हें विशेष संदिग्ध यात्रियों की अनुवर्ती जांचों के लिए निर्देशित कर दिया गया था। इसी प्रकार, हालात के अनुसार स्थानीय चेतावनियों का भी परिवीक्षण किया जा रहा था और उत्प्रवास अधिकारियों की सहायता भी ली गई थी। सीमा शुल्क वीजा डेस्क प्रणाली को बंद करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे।

(घ) ऊपर (ग) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, इस प्रणाली के काम न करने के कारणों और इस पद्धति के प्रभावी ढंग से कार्यपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपायों की उत्प्रवास अधिकारियों के साथ मिलकर और आगे जांच की जा रही है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा विद्युत संयंत्रों में निवेश

5938. **श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 45 करोड़ से कम के निवल मूल्य वाले हैदराबाद के लैंकों ग्रुप ने, जो आई०डी०बी०आई० और आई०एफ०सी०आई० जैसी सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों से बड़ी राशियों के ऋण लेता है, ऋण प्राप्त करने के लिये 700 करोड़ रुपए तक की निगमित गारंटी प्रस्तुत की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने अब तक लैंकों समूह की कंपनियों में कितनी धनराशि का निवेश किया है और यह निवेश किन शर्तों और निबंधनों के अधीन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) आई०डी०बी०आई० एवं आई०एफ०सी०आई० ने भी लैंकों कोन्डापल्ली विद्युत निगम लि० (एल०के०पी०सी०एल०) को वित्त प्रदान किया है। तथापि, बैंकों में प्रचलित प्रथा एवं प्रचलन के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधि साथ ही सरकारी वित्तीय संस्थाओं के उपबंधों (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुरूप अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित और ब्यौरों को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

आई०टी०डी०सी० के होटलों की बिक्री

5939. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई०टी०डी०सी० को होटलों को निजी क्षेत्र को बेचे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इन होटलों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) निजीकरण किये जाने की स्थिति में इन कर्मचारियों का क्या भविष्य होगा; और

(घ) इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये कौन से विशेष कदम उठाए जाने का विचार है ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आई०टी०डी०सी०) में विनिवेश की प्रक्रिया, विनिवेश आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद आरम्भ की गई है। भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में विनिवेश की सिफारिश करते समय, आयोग ने यह पाया है कि :

- भारत पर्यटन विकास निगम गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने में, विशेषकर विलासित के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र अपंग है जो होटल उद्योग में सफलता की एक कुंजी है।

- महानगरीय केन्द्रों में, जहां निजी क्षेत्र ने बाजार में सुस्थापित पर्याप्त पैठ बना रखी है, सार्वजनिक क्षेत्र की, आतिथ्य सत्कार प्रदान करने की सेवाओं में कोई भूमिका नहीं है।
- गैर महानगरीय और अन्य स्थानों में जहां निजी क्षेत्र के होटलों को अपनी पैठ बनानी है वहां सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सीधा सेवा प्रदानकर्त्ता बनने के बजाए एक सुविधा देने वाले की भूमिका अदा करना उपयुक्त हो सकता है।
- पर्यटन क्षेत्र में सरकार की भूमिका को, पर्यटन के विकास को सुसाध्य बनाने की दिशा में पुन: अभिमुखीकृत किया जाना चाहिए और वास्तविक रूप से सेवा प्रदान करने से दूर रहना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में विनिवेश पर विचार किया जा रहा है तथा विनिवेश किया जा रहा है। इसके अनुसार, साधारण मामलों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-सामरिक उद्यमों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक या इसके निचले स्तर तक नीचे लाया जाएगां सार्वजनिक क्षेत्र के सामरिक उद्यम वे है। जो हथियार और गोला बारूद, रक्षा उपस्करों, रक्षा वायुयानों तथा युद्धपोतों आदि के संबद्ध मदों; नाभिकीय विद्युत के उत्पादन से संबंधित क्षेत्रों, विकिरण का उपयोग, कृषि के लिए आईसोटाप्स, गैर-सामरिक उद्योगों में औषधियों को छोड़कर परमाणु ऊर्जा; और रेल यातायात। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम शामिल हैं।

(ख) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों/रेस्तराओं में कर्मचारियों की कुल संख्या 6242 थी।

(ग) और (घ) जैसा कि वर्ष 2000-2001 के अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने उल्लेख किया है, सरकार, कर्मचारियों के हितों को संरक्षण प्रदान करनें के प्रति वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

5940. **श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को उनके खाद्यान्नों के स्टॉक पर ऋण मुहैया कराने के लिए वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थान इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को उनके खाद्यान्नों के स्टॉक पर वित्तीय संस्थानों द्वारा मुहैया कराए गये ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रीवेन्टिव डीविजनल यूनिट्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज को विघटित किया जाना

5941. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एन०टी० षणमुगम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रीवेन्टिव डीविजनल यूनिट्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज को विघटित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी नहीं। रथिन्दरन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों में मुख्यालयों के अपवंचन रोधी तंत्र और आयुक्तालयों के मण्डलीय कार्यालयों में निवारक इकाईयों को पुनर्गठित और मजबूत बनाने के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि उन स्थानों पर जहां मंडलीय कार्यालय ऐसे शहर में स्थित हैं जहां आयुक्तालय भी स्थित हैं, उस शहर में अपवंचन-रोधी काम को मुख्यालयों के अपवंचन-रोधी स्कन्ध को सौंप दिया जाना चाहिए और इसका पर्यवेक्षण एक संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। जहां कहीं मंडलीय कार्यालय, आयुक्तालय के कार्यालय से भिन्न स्थानों पर स्थित हैं, वहां मंडलीय निवारक इकाईयां पहले की भांति कार्य करती रहेंगी।

[हिन्दी]

करेंसी नोटों और सिक्कों का परिचालन

5942. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न मूल्यों के कितने करेंसी नोट और सिक्के चल रहे हैं;

(ख) क्या नोटों और सिक्कों की स्थिति की निगरानी सरकार करती है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न मूल्यों के नोटों और सिक्कों की कितनी कमी है; और

(घ) इन नोटों और सिक्कों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) देश में प्रचलित विभिन्न मूल्य वर्गों के करेंसी/बैंक नोटों एवं सिक्कों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है :—

करेंसी/बैंक नोट :

मूल्य वर्ग	मिलियन अदद में
1 रुपए	3066
2 रुपए	2356
5 रुपए	2032
10 रुपए	12336
20 रुपए	506
50 रुपए	6564
100 रुपए	10814
500 रुपए	1059
1000 रुपए	37

सिक्के

मूल्य वर्ग	मिलियन अदद में
5 पैसे	83489
10 पैसे	116405
20 पैसे	38921
25 पैसे	134844
50 पैसे	123015
1 रुपया	13890
2 रुपया	4070
5 रुपए	3088

(ख) जी, हां।

(ग) देश में करेंसी/बैंक नोटों की कोई कमी नहीं है। समय-समय पर सिक्कों की कुछ कमी की जानकारी प्राप्त होती रहती है। और इन कमियों पर तत्परता से ध्यान देते हुए प्रभावित इलाकों को शीघ्र ही सिक्कों की अतिरिक्त सप्लाई की जाती है।

(घ) सिक्कों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई स्थित टकसालों का उनकी ब्लैंकिंग और सिक्का निर्माण क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से आधुनिकीकरण किया गया है। जब भी जरूरी हो, इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार सिक्कों के आयात का सहारा भी लेती है।

[अनुवाद]

पशुओं का वध

5943. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ (इयू) ने हड्डियों/जिलेशन के आयात के लिये कतिपय शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो इनका भारत के निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या विशेष रूप से दिए गये उल्लेख में स्वास्थ्य हड्डियों और रोग मुक्त गोजातीय पशुओं की बात कही गई है;

(घ) क्या स्वस्थ गोजातीय पशुओं के इस तरह वध से मोहम्मद हनीफ कुरेशी के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का उल्लंघन नहीं होता है;

(ङ) क्या बछड़े और स्वस्थ पशुओं की हत्या से 1971 के खंड के 1982 के भारतीय संविधान का भी उल्लंघन होता है; और

(च) प्रजनन क्षमता वाले स्वस्थ पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। ईयू में हड्डियों एवं जिलेटिन का आयात यूरोपीय आयोग के संगत विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय के प्रमाण-पत्र की व्यवस्था है कि निर्यात किया जा रहा जिलेटिन विशिष्ट जोखिम तत्व (एस०आर०एस०) से मुक्त है। इसका प्रभाव भारत से पशु कंकाल और जिलेटिन के निर्यातों पर पड़ेगा।

(घ) से (च) भारत में गोजातीय पशुओं का वध केवल भू-भागीय कानूनों के अनुसार किया जा सकता है। पशु वध राज्य का विषय है और यह राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अधिनियमित किए जाने वाले राज्य अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होता है। वध हेतु पशुओं का चयन मौजूदा कनूनों/इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है।

प्राइम टाइम के स्लॉटों की नीलामी

5944. श्री महबूब जहेदी :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती राष्ट्रीय चैनल को पट्टे पर देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन चैनलों के प्राइम टाइम के स्लॉटों को नीलाम करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने डी०डी० मैट्रो चैनल को विद्यमान बाजार परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित करने के उद्देश्य से अधिक मात्रा में प्रसारण समय को नीलामी आधार पर आवंटित करने का निर्णय लिया था। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सायं

7.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे और रात्रि 9.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के बीच के समय स्लॉट एक मुक्त बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक वष्र की अवधि के लिए मैसर्स नाइन नेटवर्क आस्ट्रेलिया प्रार्टी लि० को आवंटित किए गए थे जो क्रमश: 10.9.2001 तथा 15.10.2001 को समाप्त हो रही है। रात्रि 10.00 बजे से रात्रि 12.30 बजे के समय स्लॉट पहले से खाली थे। इसलिए 7.00 बजे से रात्रि 12.30 बजे के बीच प्रसारण समय के लिए खुली बोलियां आमंत्रित की गयी थीं जिसमें सायं 7.00 से 11.00 बजे के बीच समय के लिए 115 करोड़ रुपये की न्यूनतम कीमत रखी गयी थी तथा रात्रि 11.00 बजे से 12.30 बजे के बीच समय के लिए न्यूनतम कीमत नहीं रखी गयी थी। इसके उत्तर में रात्रि 11.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे के स्लॉट के लिए केवल मैसर्स मूविंग पिक्चर्स कम्पनी इंडिया प्रा०लि० से 50 लाख रुपये निवल के प्रस्ताव सहित एक बोली प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात् प्रसार भारती ने कोई न्यूनतम कीमत निर्धारित किए बिना सायं 7.00 बजे से 11.00 बजे रात्रि के स्लॉट के लिए नये सिरे से बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया। इसके बावजूद 3 बोलियां ही प्राप्त हुई थीं जिन्हें बहुत कम माना गया था और अस्वीकृत कर दिया गया था।

गोदामों में अनाजों का पुराना भंडार

5945. डा० जसवंत सिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक की जून, 2000 की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय खाद्य निगम में अनाजों का जो भंडार है उसमें आधा तो कम-से-कम दो वर्ष पुराना है, 30 फीसदी दो से चार वर्ष पुराना है और कुछ तो लगभग 16 वर्ष पुराना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एफसीआई के पुराने भंडार को नियमित और प्राथमिकता के आधार पर न निपटाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अनाजों के पुराने भंडार को समाप्त करने के लिए नए सिरे से क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) यह कहना सच नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम के पास रखा आधा स्टका कम से कम 2 वर्ष पुराना था और 30 प्रतिशत स्टाक 2 से 4 वर्ष के बीच पुराना था। 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है :—

जिंस	कुल स्टाक	2 वर्ष तक पुराना	प्रतिशतता	2 से 4 वर्ष पुराना	प्रतिशतता	4 वर्ष से ज्यादा पुराना	प्रतिशतता
गेहूं	11216884	98585770	87.89	1292540	11.52	65574	0.59
चावल	12878448	12338362	95.80	379486	2.95	160600	1.25

(ग) भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों का स्टाक जारी करते समय प्रथम आमद प्रथम निर्गम के सिद्धांत का अनुसरण करना अपेक्षित है। लेकिन भारतीय खाद्य निगम कड़ाई से इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं कर पाता। स्थानीय उपभोक्ताओं की तरजीही के कारण राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भारत सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के पुराने स्टाक को स्वीकार/उठान नहीं करती और नया स्टाक जारी करने के संबंध में जोर देती हैं।

(घ) खाद्यान्नों के पुराने स्टाक का निपटान करने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया गया है और ऐसे स्टाक की बिक्री के लिए निविदाएं अनुमोदित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति की ओर आंचलिक प्रबंधकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

केन्द्रीय राजस्व में महाराष्ट्र का योगदान

5946. श्री किरीट सोमैया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राजस्व में महाराष्ट्र राज्य का कुल कितना योगदान है;

(ख) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय कोष से महाराष्ट्र को कितना धन आवंटित किया गया; और

(ग) महाराष्ट्र में कर उगाही के लिये दिये जा रहे कार्यों के निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य (मुम्बई एवं पूणे क्षेत्र) के संबंध में उत्पाद शुल्क, निगमित कर एवं आयकर का संग्रहण अनंतिम रूप से 39043 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है।

(ख) राज्यों की वार्षिक योजना के लिए, सहायता के रूप में गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार को, वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केन्द्रीय करों में हिस्सा एवं सहायता अनुदान का किया गया आबंटन निम्नानुसार है :—

(रुपए करोड़ों में)

1998-99	4525.20
1999-2000	4501.36
2000-2001	5066.17

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निष्पादन को इंगित करते हुए महाराष्ट्र राज्य के संबंध में कर संग्रहण के विवरण निम्नानुसार हैं :-

(रुपए करोड़ों में)

	1998-99	1999-2000	2000-2001
उत्पाद शुल्क	12579	13034	13133
निगमित कर	11901	14199	16301
आयकर	6041	8405	9609

शेयरों में पोर्टफोलियो निवेश

5947. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंपनियों के शेयरों में पोर्टफोलियो निवेश की जांच करना आवश्यक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डी०एस०क्यू० सॉफ्टवेयर्स शौंख टेक्नॉलोजी, लुपिन लैब, ग्रैसिम, सत्यम कम्प्यूटर्स, एच०सी०एल० टेक्नॉलोजी आदि जैसी कंपनियों के शेयरों के पोर्टफोलियो निवेश की निगरानी सरकार द्वारा की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा की गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ०आई०आई०) तथा उप-लेखों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम0 विनियम, 2000 के अंतर्गत यथा निर्धारित पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत शेयरों की खरीद करने की अनुमति प्रदान की गई है। सभी एफ०आई०आई०/उप-लेखों की कुल धारिताएं समग्र रूप से चुकता इक्विटी पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी जो कि 49 प्रतिशत तक बढ़ायी जा सकती है, बशर्ते कि शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प के माध्यम से इसका अनुमोदन कर दिया जाए।

(ख) से (घ) सेबी द्वारा डी०एस०क्यू० साफ्टवेयर शौंख टेक्नॉलाजिज, लुपिन लैब, सत्यम, आदि के संबंध में जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर सेबी अधिनियम, 1992 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार दोषी पाए गए व्यक्तियों/कंपनियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अपरिष्कृत चीनी का निर्यात

5948. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अपरिष्कृत चीनी के निर्यात को मंजूरी प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत से अपरिष्कृत चीनी के निर्यात के लिए बाजारों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस निर्णय का घरेलू बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(च) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) रॉ चीनी सहित चीनी का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त रूप से अनुमत है।

(ग) और (घ) रॉ चीनी सहित चीनी का निर्यात वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है। यह चीनी मिलों/चीनी के निर्यातकों का काम है कि वे रॉ चीनी को निर्यात के लिए बाजारों की पहचान करें।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) चीनी का निर्यात सरकार की निर्यात आयात नीति के अधीन है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

बैंक ऋणों के चूककर्त्ता

5949. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने बैंक ऋणों के बड़े-बड़े चूककर्त्ताओं से ऋणों की वसूली के अपने प्रयास में संरक्षण की मांग करते हुये सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन बड़े चूककर्त्ताओं की पहचान की है जो इस मामले में बैंकिंग उपयोग के लिये समस्याएं खड़ी कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है कि बड़े-बड़े चूककर्त्ता बैंकिंग क्षेत्र के लिये खतरा पैदा न करें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) एक मामले में, भारतीय बैंक संघ ने (आई०बी०ए०) ने जुलाई 2001 में एक सरकारी क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पत्र की प्रतिलिपि सरकार को भेजी थी, जहां ऋण वसूली अधिकरण (डी०आर०टी०) के माध्यम से कानूनी कार्रवाई तथा प्रतिभूति के रूप में बैंक को प्रभारित सम्पत्ति की बिक्री के पश्चात् उधारकर्ता ने बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। वित्त मंत्री की सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई बैठक में, आई०बी०ए० के अध्यक्ष ने बताया था कि देयराशियों की वसूली के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई करने वाले बैंक कार्यपालकों को शक्तिशाली उधारकर्ताओं द्वारा इस प्रकार की बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा और उन्होंने इस प्रकार की धमकियों के खिलाफ सरकार से सहायता की मांग की। वित्त मंत्री ने बैंकों की देयराशियों की वसूली के लिए उनके अभियान में बैंक कार्यपालकों को सरकार के पूर्ण संरक्षण का आश्वासन दिया और उनसे इन मामलों में सतत एवं उत्साहपूर्वक लगे रहने का आग्रह किया।

ग्रेनाइट का निर्यात

5950. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात बाजार में अन्य देशों के आगमन से भारत का कुल ग्रेनाइट निर्यात अवरूद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो देश में ग्रेनाइट के निर्यात को पुनर्जीवित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के ग्रेनाइट का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) प्रतिस्पर्धा के बावजूद पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रेनाईट के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए देश से हुए ग्रेनाईट तथा इसके उत्पादों का कुल निर्यात निम्नानुसार रहा है :–

ग्रेनाईट तथा इसके उत्पाद	मात्रा	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1998-99	हिसाब नहीं रखा जाता	1013.00
1999-2000	हिसाब नहीं रखा जाता	1671.20
2000-2001 (अनुमानित)	हिसाब नहीं रखा जाता	1830.00

[हिन्दी]

तम्बाकू क्षेत्र में विदेशी निवेश

5951. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू उद्योग में विदेशी निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विदेशी कंपनियों को देश में सिगरेट बनाने की अनुमति देने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विदेशी कंपनियों को सिगरेट बनाने के लिए प्रोत्साहन देने से पहले लोगों के स्वास्थ्य पर तम्बाकू के पड़ने वाले कुप्रभावों के पहलुओं पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तम्बाकू उद्योग को बढ़ावा देने के औचित्य क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (ङ) 1998 तक की अवधि में तम्बाकू के क्षेत्र में एफ० डी०आई० प्रस्तावों पर तत्कालीन लागू नीति के अनुसार विचार किया गया था। बाद की अवधि में, सिगरेटों के विनिर्माण सहित तम्बाकू के क्षेत्र में एफ०डी०आई० हेतु किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सिनेमाघरों में समाचार से संबंधित वृत्तचित्रों को पर्दे पर दिखाए जाने के लिए नियम

5952. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिनेमाघरों में समाचार से संबंधित वृत्तचित्रों को पर्दे पर अनिवार्य रूप से दिखाए जाने के लिए नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ सिनेमाघर इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास सिनेमाघरों में समाचार से संबंधित वृत्तचित्रों को पर्दे पर नियमित रूप से दिखाए जाने की निगरानी करने का कोई प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन नियमों का उल्लंघन करने वाले सिनेमाघरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) चलचित्रिकी अधिनियम, 1952 की धारा 12 (4) में अन्य बातों के साथ-साथ सिनेमा थिएटरों में समाचार आधारित वृत्तचित्र फिल्मों के अनिवार्य प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए संघ शासित प्रशासनों को निर्देश जारी करने हेतु केन्द्र सरकार को अधिकार दिए गए हैं।

चूंकि सिनेमा थिएटरों को लाइसेंस देना राज्य का विषय है इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों ने सिनेमा थिएटरों को लाइसेंस प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व-शर्त के रूप में सिनेमा थिएटरों में वृत्त-चित्रों सहित अनुमोदित फिल्मों के अनिवार्य प्रदर्शन हेतु अपने स्वयं के सिनेमा (विनियमन) अधिनियम बनाए हैं।

(ग) और (घ) फिल्म प्रभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पश्चिम बंगाल में 62 सिनेमाघर अनुमोदित फिल्में नहीं दिखा रहे हैं और इस दलील पर कोलकाता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है कि फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित वृत्त-चित्र फिल्में/समाचार पत्रिकाएं पश्चिम बंगला के फिल्म सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा राज्य के राजपत्र में अधिसूचित नहीं हैं। इन 62 सिनेमाघरों की सूची संलग्न विवरण में है। मामला न्यायाधीन है।

(ङ) से (छ) सिनेमा राज्य का विषय होने की वजह से वैधानिक अनिवार्यताओं का प्रवर्तन राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। जब भी इस बारे में शिकायतें मिलती हैं तो इन्हें चूककर्ता थिएटरों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित क्षेत्र/राज्य के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को भेज दिया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	शहर का नाम	जिला	सिनेमा का नाम
1	2	3	4
1.	बेहाला	कोलकाता	अजन्ता
2.	कोलकाता	-वहीं-	अलेया
3.	-वहीं-	-वहीं-	अलोच्य
4.	-वहीं-	-वहीं-	अनन्य
5.	-वहीं-	-वहीं-	अरूणा
6.	-वहीं-	-वहीं-	अशोक
7.	कोलकाता	कोलकाता	बेसुश्री
8.	-वहीं-	-वहीं-	भबानी
9.	-वहीं-	-वहीं-	भारती
10.	-वहीं-	-वहीं-	बिदूसरी
11.	-वहीं-	-वहीं-	बिजुली
12.	-वहीं-	-वहीं-	चैपलिन
13.	-वहीं-	-वहीं-	छविघर
14.	-वहीं-	-वहीं-	छाया
15.	-वहीं-	-वहीं-	क्राउन
16.	-वहीं-	-वहीं-	दर्पन
17.	-वहीं-	-वहीं-	एलाइट
18.	-वहीं-	-वहीं-	गनेश
19.	-वहीं-	-वहीं-	ग्लोब
20.	-वहीं-	-वहीं-	ग्रेस
21.	-वहीं-	-वहीं-	जगत
22.	-वहीं-	-वहीं-	जमुना
23.	-वहीं-	-वहीं-	जवाहर
24.	-वहीं-	-वहीं-	ज्योति
25.	-वहीं-	-वहीं-	कालिका
26.	-वहीं-	-वहीं-	खन्ना
27.	-वहीं-	-वहीं-	खातून महल
28.	-वहीं-	-वहीं-	कृष्णा
29.	-वहीं-	-वहीं-	लाइट हाऊस
30.	-वहीं-	-वहीं-	मेनका
31.	-वहीं-	-वहीं-	मेट्रो
32.	-वहीं-	-वहीं-	मीनार
33.	-वहीं-	-वहीं-	मित्रा
34.	-वहीं-	-वहीं-	मून लाइट
35.	-वहीं-	-वहीं-	नाज
36.	-वहीं-	-वहीं-	न्यू
37.	-वहीं-	-वहीं-	न्यू एम्पायर
38.	-वहीं-	-वहीं	नूर महल

1	2	3	4
39.	कोलकाता	कोलकाता	ओरिएण्ट
40.	-वहीं-	-वहीं-	पद्मश्री
41.	-वहीं-	-वहीं-	पैराडाइज
42.	-वहीं-	-वहीं-	पार्क शो हाऊस
43.	-वहीं-	-वहीं-	प्रभात
44.	-वहीं-	-वहीं-	प्रदीप
45.	-वहीं-	-वहीं-	प्रिया
46.	-वहीं-	-वहीं-	पुर्बी
47.	-वहीं-	-वहीं-	पूर्ण
48.	-वहीं-	-वहीं-	पूर्णश्री
49.	-वहीं-	-वहीं-	पुष्पश्री
50.	-वहीं-	-वहीं-	पी सन
51.	-वहीं-	-वहीं-	रेजिन
52.	-वहीं-	-वहीं-	रिजेन्ट
53.	-वहीं-	-वहीं-	रॉक्सी
54.	-वहीं-	-वहीं-	सोसायटी
55.	-वहीं-	-वहीं-	श्री
56.	-वहीं-	-वहीं-	टाकी एस०एच०
57.	-वहीं-	-वहीं-	तस्वीर महल
58.	-वहीं-	-वहीं-	हिन्द पैलेस
59.	-वहीं-	-वहीं-	उत्तरा
60.	-वहीं-	-वहीं-	वैशाली
61.	-वहीं-	-वहीं-	सूकत्रा
62.	-वहीं-	-वहीं-	लिबर्टी

सी०एफ०एस०आई० के परिव्यय में कटौती

5953. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों के माध्यम से विशेषकर बच्चों और युवाओं में शिक्षा और संस्कृति के संचार को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय बाल फिल्म सोसायटी (सी०एफ०एस०आई०) को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सी०एफ०एस०आई० के लिए वर्ष-वार कितने योजना परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस पर वास्तविक रूप में वर्ष-वार कितना योजनागत खर्च किया गया;

(घ) क्या पुनरीक्षण के अनुमानित चरण में योजनागत आकलन में व्यापक रूप से कटौती की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सी०एफ०एस०आई० की फिल्मों को देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख)	वर्ष	स्वीकृत योजना परिव्यय
	1998-99	560.00 लाख रुपये
	1999-2000	650.00 लाख रुपये
	2000-2001	650.00 लाख रुपये
	2001-2002	455.00 लाख रुपये

(ग)	वर्ष	व्यय
	1998-99	349.74 लाख रुपये
	1999-2000	430.29 लाख रुपये
	2000-2001	327.61 लाख रुपये

(घ) और (ङ) 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 वर्षों में संशोधित अनुमान स्तर पर परिव्ययों में कमी, मुख्य रूप से भूमि के आबंटन संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप हैदराबाद में बाल चित्र समिति, भारत कॉम्प्लेक्स के निर्माण की स्कीम हेतु किए प्रावधानों का समुपयोजन न करने के कारण रही।

(च) बाल चित्र समिति, भारत ने अपनी फिल्मों को थियेटरों, टैलीविजन चैनलों, स्कूल शो, विभिन्न राज्यों में फिल्म समारोहों तथा वीडियो कैसेटों की बिक्री के माध्यम से प्रदर्शित करने के साथ-साथ बाल फिल्मों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) वीडियो रूप में बाल फिल्मों का एक पैकेज नामशः 'वीडियो ट्रेजर चैस्ट' समस्त देश में स्कूलों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों में वितरित किया जा रहा है;

(2) बाल चित्र समिति, भारत की फिल्में नाममात्र की टिकट दरों पर समस्त देश में थियेटरों में प्रदर्शित की जा रही हैं;

(3) बाल फिल्मों को प्रमुख टेलीविजन चैनलों के नेटवर्कों पर प्रसारित करने के लिए उनके टेलीविजन अधिकार उक्त चैनलों को बेचे जा रहे हैं;

(4) एक प्रोत्साहक कार्यकलाप के रूप में एनीमेशन, पटकथा-लेखन, वीडियो तथा फिल्म मूल्यांकन कार्यशालाओं जैसी विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

खुले में पड़े अनाज

5954. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई लाख टन अनाज भारतीय खाद्य निगम में समुचित रख-रखाव के बिना खुले में पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान अब तक कितना अनाज सड़ा हुआ पाया गया है और इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) अधिशेष अनाज के समुचित भंडारण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के पास 8.3 मिलियन टन कैप (ढकी और प्लिथ) सहित कुल भंडारण क्षमता (अपनी और किराये की) 35.36 मिलियन टन है। भारतीय खाद्य निगम के पास 31.7.2001 की स्थिति के अनुसार 33.33 मिलियन टन स्टाक है जिसमें 7.14 मिलियन टन कैप (खुली) भंडारण शामिल है, वह भी भंडारण की वैज्ञानिक विधि पर है, जिसमें स्टाक का भंडारण आवश्यकता के अनुसार बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अस्थायी अवधि के लिए किया जाता है।

(ग) और (घ) चक्रवात, बाढ़, अभूतपूर्व वर्षा जैसे विभिन्न कारणों और बहु-हैंडलिंग, रेल और सड़क द्वारा ढुलाई, दीर्घावधि भंडारण आदि के कारण वर्तमान वर्ष के दौरान अप्रैल, 2001 से 31 जुलाई, 2001 तक क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मात्रा अनंतिम रूप से 1125.09 टन है।

खाद्यान्नों को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :-

(i) क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का निपटान करना।

(ii) प्रत्येक डिपु में उपलब्ध भंडारण क्षमता की कड़ी मानीटरिंग करना।

(iii) पंचवर्षीय योजना के दौरान माइक्रो स्तर पर महत्वपूर्ण स्थानों पर गोदामों का निर्माण करके अतिरिक्त भंडारण सृजित करना और

(iv) भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश करने हेतु अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाना।

भूमि अधिग्रहण के बदले में काम

5955. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उन केन्द्रीय उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने महाराष्ट्र के नवी-मुम्बई और रायगढ़ जिलों में अपनी परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) उक्त स्थानों में अपनी परियोजनाएं शुरू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के इन प्रत्येक उपक्रमों द्वारा ग्रामीणों की लगभग कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ग) क्या प्रभावित लोगों को काम देने या अन्य माध्यमों से उन्हें मुआवजा देने का कोई प्रावधान था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण आज की तारीख में कितने लोग प्रभावित हुए और इनमें से कितने लोगों को आज तक मुआवजा दिया गया ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के चार उपक्रमों, नामशः हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र के नवी मुम्बई एवं रायगढ़ जिले में अपनी परियोजनाएं स्थापित की हैं।

(ख) एच०ओ०सी०, एच०आई०एल०, आर०सी०एफ० तथा बी०पी०सी०एल० द्वारा ग्रामीणों की अधिग्रहीत भूमि लगभग क्रमशः 1061 एकड़, 124 एकड़, (लगभग), 246 हेक्टेयर — 72.22 आरस तथा 806.99 वर्ग मी० है।

(ग) और (घ) वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त परियोजना अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के सदस्यों के शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की भी सलाह दी जाती है, ताकि अन्तिम तौर पर रोजगार की प्रतिबद्धता के बिना रिक्तियां होने पर वे परियोजना में रोजगार प्राप्त करने तथा अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाने में सक्षम हो सकें।

(ङ) एच०ओ०सी० द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 580 थी, जिसमें से 565 को रोजगार दिया गया था। एच०आई०एल० ने भूमि खोने वाले परिवार के सदस्यों को रोजगार दिया था तथा 191 प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि दी थी। आर०सी०एफ० ने 385 प्रभावित परिवारों के 615 व्यक्तियों को तथा बी०पी०सी०एल० ने सभी 190 प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार दिया था।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राहत

5956. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राहत उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के वित्त पोषण का पैटर्न क्या है;

(ख) क्या बैंकों ने इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न बैंकों द्वारा राज्य-वार कितनी राहत राशि दी गई; और

(घ) इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपलब्ध कराने के लिए अगस्त, 1984 (जून, 1998 में संशोधित) में बैंकों को स्थाई मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न परिकल्पना की गई है।

- प्रभावित किसानों को नए फसल ऋणों की मंजूरी
- 1000/- रुपए तक के उपभोग ऋण की मंजूरी
- अल्पावधि उत्पादन ऋणों का मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन।
- विद्यमान सावधि ऋण किश्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगन।
- जमानत और मार्जिन मानदण्डों में छूट।
- परिवर्तित/पुनर्निर्धारित ऋणों के भाग को एन०पी०ए० (अनुपयोज्य आस्तियों) के रूप में न मानना।
- दाण्डिक ब्याज न लगाया जाना। बैंकों को प्रभारित चक्रवृद्धि ब्याज को उपयुक्त ढंग से आस्थगित करना चाहिए।
- ये मार्गनिदेश तब ही लागू होते हैं जब राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी करती है।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस०एल०बी०सी०) का तंत्र और भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मानीटरिंग, जिनके क्षेत्राधिकार में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

[हिन्दी]

उच्च पदों में नियुक्तियां

5957. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति के मामले में आसूचना ब्यूरो की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है और विभागीय पदोन्नतियों और नियुक्तियों के मामले में आसूचना ब्यूरो के सुझावों और सिफारिशों को उचित महत्व दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान कितने संयुक्त सचिव, अवर सचिव और बोर्डों के अध्यक्षों के रैक के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध आसूचना ब्यूरो और अन्य आसूचना एजेंसियों ने प्रतिकूल या अनुकूल रिपोर्टें दी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति करते समय, केवल उन्हीं अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाता है जिनके बारे में उनके संबंधित मूल संवर्ग द्वारा सतर्कता प्रमाण-पत्र दे दिया गया हो तथा केन्द्रीय कार्मिक स्कीम के अंतर्गत आने वाले पदों के मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग से भी प्रमाण-पत्र लिया जाता है। इसके अलावा, राजस्व विभाग में उच्चतर पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्तियों, जो कि भारत सरकार में कार्यरत नहीं हैं, के नामों पर विचार करते समय आसूचना ब्यूरो से सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है।

[अनुवाद]

कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में भुगतान संबंधी समस्या

5958. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री रामजी मांझी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहा जिसके कारण भुगतान की समस्या उत्पन्न हुई;

(ख) यदि हां, तो सी०एस०ई० द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा इस संबंध में आगे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

जी०टेलीफिल्म्स द्वारा प्रवर्तित अगरानी को आई०डी०बी०आई० द्वारा ऋण

5959. श्री रामजी मांझी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०डी०बी०आई० ने प्रवर्तकों से व्यक्तिगत गारंटी मांगे बिना जी० टेलीफिल्म्स द्वारा प्रवर्तित अगरानी कंपनी को 300 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर कर दिया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या आई०डी०बी०आई० और अगरानी के अधिकारियों के बीच ऋण देने के संबंध में कोई सांठगांठ थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि यह राशि अनत्रयोज्य आस्तियों में परिवर्तित न हो जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों एवं लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता) एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता (अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुरूप, अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते।

राज्य सरकारों द्वारा आटा मिल वालों को लाभ दिया जाना

5960. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ राज्य सरकारों ने वर्ष 1992-99 के दौरान आटा मिलों से बाजार मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य के बीच के अंतर न वसूल कर इन आटा मिलों को 372.56 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आटा मिलों जिन्हें लाभ पहुंचाया गया है और लाभ देने वाली राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोषी अधिकारियों की पहचान कर ली गयी है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आटा मिलों से मूल्यों के बीच अंतर को वसूल करने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ज) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31.3.1999 को समाप्त वर्ष के लिए इस विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी अपनी 2000 की रिपोर्ट संख्या 3 (सिविल) में उल्लेख किया है कि असम, कर्नाटक, करेल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा और दिल्ली ने सितम्बर, 1994 में कस्टम मिलिंग योजना के अधीन सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुसरण न करने के कारण मिल मालिकों को 372.56 करोड़ रुपये तक का अवांछित लाभ दिया था। जिन राज्यों ने यह योजना अपनाई थी उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे गए गेहूं की लागत और इस योजना के अधीन गेहूं से बनाए गए मैदा, सूजी, आटा और भूसी की बिक्री से प्राप्त लागत के बीच के अंतर की राशि जमा करानी थी। तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार के खाते में 7.79 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी है और शेष 19.70 करोड़ रुपये की राशि वह संगत खातों का मिलान कराने के बाद जमा करा देगी। कर्नाटक सरकार ने नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी को इस तर्क के आधार पर स्वीकार नहीं किया है कि लेखा परीक्षा द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित गेहूं उत्पादों के खुदरा मूल्य यथार्थपरक नहीं हैं और उनके प्रति किए गए दावे प्रामाणिक नहीं हैं। दिल्ली और मेघालय सरकारों ने कहा है कि उन्होंने यह योजना क्रियान्वित नहीं की है। केरल और उड़ीसा की सरकारों ने भी इस खाते पर सरकार को अदा की जाने वाली कोई देनदारी को स्वीकार नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है। असम सरकार ने कोई उत्तर नहीं भेजा है। जिन मिल मालिकों को कथित रूप से लाभ पहुंचाया गया है उनके ब्यौरा इस रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, असम के जरिए प्रति माह 30 हजार टन गेहूं के आबंटन में तथाकथित अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो, गुवाहाटी, असम के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। वे इस मामले की जांच कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आगे आवश्यक कार्रवाई करना संभव होगा। इसको छोड़कर किसी अन्य राज्य से कोई अन्य शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

चीनी का व्यापार

5961. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में चीनी के व्यापार में "डिम्यूचनाइजेशन" का विकल्प न चुनने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आवेदकों से अपने निदेशक मंडल में कुल सदस्यों में से एक-तिहाई गैर-व्यवसायी सदस्यों को चुनने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार चीनी नीति को गतिशील बनाने हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया को बदलने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ङ) सरकार ने हाल ही में चीनी के भावी सौदा व्यापार की अनुमति देते समय केवल आधुनिक, सुसंगठित, व्यापारिक रूप से व्यवस्थित एक्सचेंजों को ही

चुनने का निर्णय लिया है जिनके पास "ऑन लाइन" ट्रेडिंग सिस्टम हो, कुशल क्लीयरिंग, सैटलमेंट और गारंटी सिस्टम्स हों, प्रचालन और निर्णय लेने में पारदर्शिता हो, विश्वसनीय, प्रभावी और निष्पक्ष प्रबंधन, अभिमानत: अपारस्परीकीकृत (डिम्युच्युअलाइज्ड) स्वरूप का संगठन हो। पूर्ण अपारस्परीकीकरण (डिम्युच्युअलाइजेशन) एक निर्धारित मापदंड नहीं है, जबकि प्रभावी और निष्पक्ष प्रबंधन के लिए प्रबंधन में गैर-व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया है। सरकार चीनी उद्योग को चरणबद्ध तरीके से नियंत्रण से मुक्त करने की नीति के प्रति वचनबद्ध है।

मॉडर्न फूड्स के कर्मचारियों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकारने हेतु दबाव की शिकायत

5962. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्री विजय गोयल :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जुलाई 2001 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में "मॉडर्न फूड्स स्टाफ कम्पलेन ऑफ प्रेशर टू एक्सेप्ट वी०आर०एस०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने विनिवेश से पहले मॉडर्न फूड्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के मजदूरों को यह आश्वासन दिया था कि उनके हितों की रक्षा की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिये गये वचन के अनुसार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करने का है ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) आरंभ करने के लिए, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड (एम०एफ०आई०एल०) के कामगारों तथा कामगारों के प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त होने पर मॉडर्न फूड (इण्डिया) लिमिटेड के प्रबंधन ने, मॉडर्न फूड (इण्डिया) लिमिटेड के कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो परिसंघों के साथ विचार विमर्श किया था 16.06.2001 को परिसंघों के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर करने के बाद, मॉडर्न फूड (इण्डिया) लिमिटेड के सभी कारखानों में लागू होने वाली एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ की। मॉडर्न फूड (इण्डिया) लिमिटेड की दिल्ली डबल रोटी इकाई-1 के अल्पसंख्यक यूनियन के पदाधिकारी, जिसे एक सह-कर्मी पर हमला करने के लिए निलंबित किया गया है, ने प्रबंधन पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कामगारों द्वारा जबरन स्वीकार करवाने का दोष लगाया है। तत्पश्चात इकाई के प्रबंधन ने यह अधिसूचित तथा सूचित किया है कि जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार करने में दबाव महसूस किया था, वे उन्हें प्रदान की गई सेवानिवृत्त लाभ की धनराशि लौटाने के बाद पुन: अपने काम पर वापस आ सकते हैं। अपने काम पर बिना शर्त वापस आने को कोई भी अभ्यर्थी आगे नहीं आया। इकाई को केवल नौ कामगारों से यह कहते हुए अनुरोध प्राप्त हुए कि वे काम पर वापस आने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि प्रबंधन उन्हें यह आश्वासन दे कि उनका स्थानांतरण किसी अन्य इकाई में नहीं किया जाएगा। चूंकि मॉडर्न फूड (इण्डिया) लिमिटेड में स्थानांतरण सेवा की शर्तों में एक शर्त है जो तब भी मौजूद थी जब मॉडर्न फूड (इण्डिया) लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम था। अत: प्रबंधन इस प्रकार का आश्वासन नहीं दे सका।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार तथा मॉडर्न फूड (इण्डिया) लिमिटेड के नए प्रबंधन ने कर्मचारियों के हित के बारे में वादा निभाया है। विनिवेश के बाद प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बाद कोई भी छंटनी नहीं की गई थी। कामगारों/कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन में बढ़ोत्तरी करते हुए संशोधन किया गया है जो तब संभव नहीं हो पाता यदि मॉडर्न फूड (इण्डिया) लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बना रहता। जून, 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की शुरूआत, जो आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से और अधिक उदार है, जो तब संभव नहीं हो पाती अगर मॉडर्न फूड (इण्डिया) लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बना रहता।

[हिन्दी]

दिहाड़ी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई

5963. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों के बहुत से कर्मचारी अपने मूल विभाग को सूचना दिये बिना आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार प्रभाग में दिहाडी पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आई०पी०सी०एल० का विनिवेश

5964. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नासाथाणे और गंधार स्थिति आई०पी०सी०एल० की दो इकाइयों को इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार आई०पी०सी०एल० में अपनी इक्विटी के एक भाग को विनिवेश द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों के रूप में आम जनता को देने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) सरकार को नागोथाणे और गंधार स्थित भारतीय पेट्रो-रसायन लिमिटेड की दो इकाइयों को भारतीय तेल निगम लिमिटेड को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि पूरे इण्डो पेट्रो-रसायन लिमिटेड को भारतीय तेल निगम लिमिटेड को नामांकन आधार पर हस्तांतरित करने का एक सुझाव प्राप्त हुआ है। चूंकि इण्डो पेट्रो-रसायन लिमिटेड, बड़ौदा से भिन्न अन्य दो इकाइयों ने भारतीय तेल निगम लिमिटेड के साथ किसी सहयोग की पेशकश नहीं की है। अत: सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है।

(ग) और (घ) आर०पी०सी०एल० में अपनी इक्विटी धारिता की पेशकश जन साधारण को करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है।

मंत्रालय के अधीन विभाग को बंद किया जाना

5965. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत किसी विभाग को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त विभाग के सभी कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ङ) क्या ऐसा निर्णय लेने से पहले कर्मचारी वर्ग निरीक्षण इकाई की रिपोर्ट का विश्लेषण करने पर विचार किया गया;

(च) क्या कर्मचारियों/मजदूर संघों ने इस कदम का विरोध किया है;

(छ) यदि हां, तो उक्त विभागों को बंद करने के विरोध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आपूर्ति विभाग को बन्द करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों तथा आन्तरिक आकलन के आधार पर कर्मचारियों की संख्या में उचित कमी करने की प्रक्रिया जारी है।

(ङ) जी, नहीं। आपूर्ति विभाग के बारे में एस०आई०यू० की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(च) जी, नहीं। इस निर्णय के विरोध में कर्मचारियों/ट्रेड यूनियनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

वरिष्ठ नागरिकों को उच्च ब्याज

5966. श्री विजय गोयल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों की तरह डाकघरों में भी वरिष्ठ नागरिकों की जमाराशि पर उच्च ब्याज देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या डाक विभाग का विचार वरिष्ठ नागरिकों को कोई अन्य छूट देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वरिष्ठ नागरिकों को इन योजनाओं से अवगत कराने के लिए इन योजनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय होटल निगम का विनिवेश

5967. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :
श्री अनंत नायक :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय होटल निगम के विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितनी धनराशि अर्जित होने की संभावना है; और

(घ) भारतीय होटल निगम की वित्तीय क्षमता के बावजूद इसके विनिवेश के क्या कारण हैं ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया में विनिवेश की प्रक्रिया प्रगति पर है। होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संबंध में अभी वित्तीय बोलियां आमंत्रित नहीं की गई है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित विनिवेश से जुटाई जाने वाली राशि, बाजार परिस्थितियों, कंपनी के वित्तीय कार्य निष्पादन, बिक्री के निबंधन और शर्तों, संभावित निवेशकों की रूचि इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी। इसलिए विनिवेश से प्राप्त होने वाली संभावित आय का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(घ) होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया में विनिवेश की प्रक्रिया, विनिवेश आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद आरम्भ की गई है। होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया में विनिवेश की सिफारिश करते समय, आयोग ने यह पाया है कि :

- होटल उद्योग अत्यन्त प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योग है जहां सेवा की गुणवत्ता सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी होती है। होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को निजी क्षेत्र के साथ कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- सुविधाओं की खराब स्थिति ने नाम की छवि को बुरी तरह से प्रभावित किया है और होटलों को गुणवत्ता के बजाय मूल्य के संदर्भ में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए बाध्य किया है। इसके परिणामस्वरूप, होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया कमरों के किरायों पर प्रीमियम प्रभारित नहीं कर पा रहा है।
- होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया की तुलनात्मक स्थिति प्रति कमरा मस्म्मत लागत, प्रति कमरा बिक्री व्यय आदि के संदर्भ में अत्यन्त खराब है।
- उनके संचालनों के आकार की तुलना में इकाइयों में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक है।
- अन्य निजी क्षेत्र के होटलों की तुलना में होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के होटलों में ठहरने वालों की दर बहुत कम है। तथापि इनमें ठहरने की दर एयरलाइनों के व्यवसाय के उच्च अंश द्वारा विशेषीकृत होती है जो नियमित पर्यटक यातायात की तुलना में भारी छूट पर संचालित होते हैं।
- होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के अधीन सभी होटलों का भारी-भरकम पूंजी व्यय के साथ बड़े पैमाने पर नवीनीकरण करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में विनिवेश पर विचार किया जा रहा है तथा विनिवेश किया जा रहा है। इसके अनुसार साधारण मामलों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-सामरिक उद्यमों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक या इसके निचले स्तर तक नीचे लाया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के सामरिक उद्यम वे हैं जो हथियार और गोला बारूद, रक्षा उपस्करों, रक्षा वायुयानों तथा युद्धपोतों आदि के सम्बद्ध मदों; नाभिकीय विद्युत के उत्पादन से संबंधित क्षेत्रों, विकिरण का उपयोग, कृषि के लिए आईसोटोप्स, गैर-सामरिक उद्योगों में औषधियों को छोड़कर परमाणु ऊर्जा; और रेल यातायात। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम शामिल हैं।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय चीनी का आयात

5968. **श्री जे०एस० बराड़ : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस दर पर आयात करने का निर्णय लिया गया है और क्या यह दर विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत सर्वाधिक तरजीह प्राप्त राष्ट्र के आधार पर तय की गई है; और

(ग) आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए इस मात्रा में नियतिरत का घरेलू मांग पर क्या प्रभाव पड़ा ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) पाकिस्तान ने भारत को सर्वाधिक तरजीही प्राप्त राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया है। उसने उन वस्तुओं की सूची विहित की है जिनका भारत से आयात किया जा सकता है। इस सूची में फिलहाल 600 वस्तुएं हैं। सूची में चीनी शामिल नहीं है।

पाकिस्तान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2000-2001 में भारत से चीनी के आयात की अनुमति दी थी। उसने 7 मार्च, 2001 को भारत से चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया था। तथापि, उसने खोले गए ऋण पत्रों के प्रति 7.3.2001 तक चीनी के आयात को अनुमति दी थी। चूंकि 50000 टन चीनी के आयात के लिए ऋण पत्र अभी भी वैध हैं इसलिए पाकिस्तान सरकार ने 7 मार्च, 2001 से पूर्व खोले गए ऋण पत्रों के प्रति चीनी के आयात को अनुमति देने के पहले की निर्णय की तर्ज पर इन वैध ऋण पत्रों

के प्रति 50000 टन चीनी के आयात की अनुमति दी है। तथापि, भारत से चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगाने की पाकिस्तान सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और भारत से चीनी का आयात अभी भी प्रतिबंधित है।

पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों को भारत से चीनी का निर्यात वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है इस प्रकार विदेशी आयातकर्ता पार्टियों द्वारा पेशकश की गई दरें बताना संभव नहीं है।

(ग) देश में चीनी का भारी स्टाक है। चीनी मौसम 2000-2001 के लगभग 1 मिलियन टन इतिशेष स्टाक के साथ बंद होने की संभावना है। अत: पाकिस्तान को 50000 टन चीनी निर्यात करने से देश में चीनी की उपलब्धता और मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

5969. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री नरेश पुगलिया :
श्री शिवराजसिंह चौहान :
श्री साहिब सिंह :
श्री वी० वेत्रिसेलवन :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के घोषित रुग्ण उपक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन उपक्रमों के रुग्ण होने का एक मुख्य कारण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कुप्रबन्धन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाने का प्रस्ताव है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) वर्ष 1998 से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 10 उपक्रम रुग्ण घोषित किए जा चुके हैं तथा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम (विशेष प्रावधान) के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण में पंजीकृत किए जा चुके हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) रुग्णता के कारण उद्यम सापेक्ष हैं। तथापि, रुग्णता के सामान्य कारणों में गैर-सरकारी क्षेत्र से अधिगृहीत एककों के मामले में विरासत में प्राप्त रुग्णता, अप्रचलित संयंत्र एवं मशीनरी, प्राचीन प्रौद्योगिकी, निम्न क्षमता उपयोग, कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या, संसाधन संकट, लगातार घाटे के कारण निवल परिसम्पत्तियों का ह्रास, ऋण पात्रता का अभाव, उच्च ब्याज भार, कमजोर विपणन रणनीतियां तथा साथ ही प्रबन्धकीय समस्याएं इत्यादि शामिल हैं।

सम्भावित रूप से सक्षम एककों का नवीकरण तथा सुधार करना सरकार का सतत प्रयास है। मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड सक्षमता का निर्णय लेता है तथा पुनर्स्थापन योजना स्वीकृत करता है। सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय एवं विभाग भी विकल्पों का पता लगाते हैं तथा प्रत्येक मामले के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की अंतिम प्रक्रिया तैयार करते हैं।

सरकार द्वारा नवीकरण/पुनर्स्थापन के लिए किए गए उपायों में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवधिक समीक्षा, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, विविधीकरण तथा उत्पाद मिश्र में परिवर्तन, वित्तीय एवं व्यापार पुनर्गठन, जनशक्ति का यौक्तिकीकरण, संयंत्रों का आधुनिकीकरण मालसूची तथा लागत नियंत्रण, बेहतर विपणन रणनीतियां तथा साथ ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रबंधनों का व्यावसायीकरण तथा निदेशक मण्डल का पुनर्गठन इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

बी०आई०एफ०आर० के साथ पंजीकृत एवं 1998 से रुग्ण घोषित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की राज्यवार सूची

क्र० सं०	राज्य	सौंपे जाने का वर्ष	केन्द्रीय सरकारी उपक्रम का नाम	31.05.2001 की स्थिति के अनुसार बी०आई०एफ०आर० के साथ स्थिति	31.3.2000 के अनुसार लाभ/हानि (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1998	प्रागा टूल्स लि०	जांचाधीन	- 29.11
2.	बिहार	2001	भारत वैगन एण्ड इंजी० कं० लि०	जांचाधीन	- 10.77
3.	बिहार	1999	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	जांचाधीन	- 70.18
4.	बिहार	2001	भारत कोकिंग कोल लि०	जांचाधीन	- 693.32

1	2	3	4	5	6
5.	दिल्ली	1999	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो० लि०	जांचाधीन	6.50
6.	मध्य प्रदेश	1998	नेपा लि०	जांचाधीन	5.68
7.	राजस्थान	2000	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	जांचाधीन	– 2.91
8.	उत्तर प्रदेश	1998	भारत इम्युनोलॉजीकल एण्ड बायोलॉजिकल कारपो० लि०	मसौदा योजना परिचालित	0.04
9.	पश्चिम बंगाल	1999	बर्ड्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि०	जांचाधीन	– 4.46
10.	पश्चिम बंगाल	2000	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	जांचाधीन	– 728.23

[अनुवाद]

बगैर भुगतान के वापस किये गये चैक

5970. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बगैर भुगतान के वापस किये गये चैक की उलझी गई समस्या को सुलझाने के लिए एक पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है; और

(घ) बगैर भुगतान के चैकों के मामलों से कठोरता से निपटने के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में संशोधन करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की 138 से 142 तक की धाराओं से सम्बन्धित कानून की पुनरीक्षा करने तथा इन धाराओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने हेतु सिफारिश करने के लिए भारत के अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल श्री एस०बी० जैसिंधानी की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया है। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी जिसकी भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जांच की गई थी। तद्नुसार, परक्राम्य लिखत अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने के लिए 24 जुलाई, 2001 को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया था। माननीय अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक स्थायी वित्त समिति को भेज दिया गया है।

डाभोल विद्युत कंपनी लिमिटेड पर जुर्माना

5971. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग द्वारा विवादास्पद अमरीका की अति प्रतिष्ठित विद्युत कंपनी एनरॉन द्वारा प्रवर्तित डाभोल विद्युत कंपनी पर 283 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और विवरणों में झूठे दावों के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभाग ने डाभोल विद्युत कंपनी पर झूठे मूल्य बताकर और सरकार से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर बड़ी मात्रा में शुल्क राशि की चोरी का भी आरोप लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा डाभोल विद्युत कंपनी के विरुद्ध क्या अंतिम कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) डाभोल में एल०एन०जी० स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों/उपकरणों/सामग्रियों के आयात के लिए, मैसर्स डाभोल विद्युत कम्पनी ने विद्युत परियोजनाओं के लिए लागू दर पर सीमा शुल्क की रियायती दरों का दावा किया था। उन्होंने आयातित मशीनों/सामग्रियों आदि के मूल्य की घोषणा करते समय, यह भी दावा किया था कि उनके द्वारा विदेशी कान्ट्रैक्टरों को अदा किये गए 115 मिलियन डालर सेवा प्रभारों में से लगभग 88 मिलियन डालर की राशि सीमा शुल्क के मूल्य का हिस्सा नहीं होगी। मैसर्स डाभोल विद्युत कम्पनी के दावे की विस्तारपूर्वक जांच की गई थी और मैसर्स डाभोल विद्युत कम्पनी को 31.7.2001 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें 283.39 करोड़ रुपये के शुल्क की मांग की गई है। कारण बताओ नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि मैसर्स डाभोल विद्युत कम्पनी, डाभोल में द्रवित प्राकृतिक गैस सुविधा की स्थापना के लिए आयातित मशीनों, उपकरणों और सामग्रियों के संबंध में सीमा शुल्क की विद्युत परियोजना दर के लिए पात्र नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया है कि सेवा प्रभारों के एक बड़े भाग को माल के निर्धार्य मूल्य में शामिल नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा कथित रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के लिए उस के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया है। फिलहाल,

यह मामला क्षेत्राधिकारिक सीमा शुल्क आयुक्त के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

ग्रामीणों को पेयजल के लिए नाबार्ड की सहायता

5972. **श्री उत्तमराव पाटील :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विशेषकर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी गांवों को पेयजल प्रदान करने पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए नाबार्ड से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य सरकारों ने राज्य में गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने पर हुए खर्च को पूरा करने के लिए नाबार्ड से ऋण सहायता मांगी है। ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर०आई०डी०एफ०) के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के लिए मंजूर किए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य	पेयजल परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की गई राशि
1.	आन्ध्रा प्रदेश	495	9366.51
2.	गोआ	9	216.86
3.	हरियाणा	89	4863.84
4.	हिमाचल प्रदेश	30	1991.35
5.	महाराष्ट्र	195	9650.30
6.	पंजाब	297	9420.58
7.	सिक्किम	2	237.12
	कुल	1117	35746.66

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों/मुख्य सचिवों को विभिन्न ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोजनाओं, ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आर०आई०डी० एफ० के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए समय-समय पर पत्र लिखे हैं। नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय भी राज्य में ग्रामीण आधारभूत सुविधा के विकास के लिए आर०आई०डी०एफ० के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के संबंध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठकों आदि जैसे विभिन्न मंचों में राज्य सरकारों से आग्रह करता है।

[अनुवाद]

एल०पी०टी०/एच०पी०टी० स्थापित करने का लक्ष्य

5973. **श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों में अल्प क्षमता वाले ट्रांसमीटर/उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इन ट्रांसमीटरों की स्थापना में अब तक वास्तव में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या उड़ीसा में उपरोक्त वर्षों में एल०पी०टी०/एच०पी० टी० केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान, दूरदर्शन ने 40 उच्च शक्ति तथा 72 अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इन लक्ष्यों में से 38 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं और 33 अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इन ट्रांसमीटरों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। इसके अलावा वर्ष 2000-2001 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष योजना के भाग के रूप में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और 13 अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं पूरी की गई थीं।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान उड़ीसा में पूरा करने के लिए लक्ष्यित तीन उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में से सम्बलपुर में डी०डी०-1 संवर्धन और डी०डी०-2 परियोजना पूरी कर ली गई है। भवन के निर्माण में देरी होने के कारण बेरहामपुर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ है और इस परियोजना के वर्ष 2001-2002 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान पूरी की गई दूरदर्शन ट्रान्समीटर परियोजनाएं

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

राज्य	परियोजना
1	2
आन्ध्र प्रदेश	राजमुंदरी (स्थायी) विजयवाड़ा (डी०डी० 2)

1	2
असम	गुवाहाटी (डी०डी०-2)
	सिलचर (डी०डी०-2)
बिहार	मुजफ्फरपुर (डी०डी०-2)
	पटना (डी०डी०-2)
गोवा	पणजी (डी०डी०-2)
हिमाचल प्रदेश	शिमला (डी०डी०-?)
झारखण्ड	जमशेदपुर
	रांची (डी०डी०-2)
कर्नाटक	मंगलौर
केरल	कालीकट (स्थायी)
	कोचीन (डी०डी०-2)
	त्रिवेन्द्रम (डी०डी०-2)
महाराष्ट्र	नागपुर (डी०डी०-2)
मणिपुर	चुराचांदपुर
मध्य प्रदेश	भोपाल (डी०डी०-2)
	इन्दौर (डी०डी०-2)
	जबलपुर (डी०डी०-2)
उड़ीसा	सम्बलपुर (डी०डी०-1 विस्तार)
	सम्बलपुर (डी०डी०-2)
पाण्डिचेरी	पांडिचेरी (अन्तरिम)
राजस्थान	अजमेर (अंतरिम)
	जयपुर (डी०डी०-2)
	जोधपुर (डी०डी०-2)
तमिलनाडु	कुम्बकोणम (अंतरिम)
त्रिपुरा	अगरतला (डी०डी०-2)
उत्तर प्रदेश	बांदा
	लखीमपुर (अंतरिम)
	आगरा (डी०डी०-2)
	इलाहाबाद (डी०डी०-2)
	गोरखपुर (डी०डी०-2)
	लखनऊ (डी०डी०-2)
	वाराणसी (डी०डी०-2)
पश्चिम बंगाल	कृष्णानगर (अंतरिम)
	शांतिनिकेतन (अंतरिम)
	आसनसोल (डी०डी०-2)
	मुर्शिदाबाद (डी०डी०-2)

(ख) अल्प शक्ति तथा अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

राज्य	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
आन्ध्र प्रदेश	सिरपुर	
	वेमलवाडा	
अरूणाचल प्रदेश		संग्राम
बिहार	रामनगर	
छत्तीसगढ़	कोंटा	पाथलगांव
	चम्पा	
हरियाणा	भिवानी (डी०डी०-2)	
हिमाचल प्रदेश		तिसा
जम्मू और कश्मीर		चटालिक
		तुरतुक
कर्नाटक	मुंदरगी	
केरल	कोट्टारकारा	
मध्य प्रदेश	बरेली	
	आगर	
	लखनादौन	
महाराष्ट्र	भामरागाद	सकोली
	दरियापुर	
	रावेर	
	पुणे (डी०डी०-2)	
	शोलापुर (डी०डी०-2)	
मिजोरम		ऐजवाल
मेघालय		शिलांग
नागालैण्ड		बाड़ा बस्ती
राजस्थान		तिब्रि
तमिलनाडु	कल्लाकुरूचि	
	पलानी	
उत्तर प्रदेश	अलीगढ (डी०डी०-2)	
	बिधुना	
उत्तरांचल	खेतीखान	बद्रीनाथ
पश्चिम बंगाल	झालदा	

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन मानदंडों को शिथिल करना

5974. श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का उन बहुत से आयातित उत्पादों के लिए प्रमाणन मानदंडों को शिथिल करने का प्रस्ताव है, जिनके लिए पूर्व में भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन लेना अनिवार्य किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय ब्यूरो ने प्रमाणन मानदंडों को शिथिल करने के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्ताव अग्रेषित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आयातित उत्पादों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार/भारतीय मानक ब्यूरो का अन्य कौन से उपाय करने का विचार है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) वाणिज्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 24.11.2000 की अधिसूचना सं० 44 द्वारा लागू किए गए गुणवत्ता मानक अभी भी प्रचालन में है। तथापि, विशिष्ट रूप से आटोमोबाइल्स के लिए सी०एन०जी० किटों में प्रयुक्त किए जाने वाले सिलेण्डरों के आयात को भारतीय मानक ब्यूरों में पंजीकरण करवाने की शर्त से छूट दी गई है। यह छूट केवल उन सिलेंडरों और सिलेंडर बाल्व फिटिंगस पर लागू है जिनको मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(ग) और (घ) लाइसेंस मंजूर करने के लिए, खासतौर पर जहां आयातित उत्पादों का उपयोग भारतीय उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में किया जाता है, एक अधिक तीव्र तंत्र इजाद करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने वाणिज्य विभाग (विदेश व्यापार महानिदेशालय) को प्रस्ताव भेजा है कि वे अपनी भारतीय आयातक स्कीम के तहत इन 133 मदों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन की अनुमति प्रदान करें बशर्ते उन मदों की आवश्यकता निरंतर आधार पर अपनी खपत के लिए हो और उनकी खरीद, पूर्व अभिनिर्धारित स्रोतों से की जाए।

(ङ) भारत सरकार, वाणिज्य विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातित उत्पाद विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुरूप हों, विभिन्न अधिसूचनाएं आदि जारी करके कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

कार्यक्रम निर्माण स्टूडियो

5975. श्री रामजीलाल सुमन :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु स्टूडियो बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्टूडियो कहां-कहां बनाए गए हैं;

(ग) एक मास में औसतन कितने कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं; और

(घ) इन स्टूडियो पर औसतन कुल कितना वार्षिक खर्च आता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती के पास टी०वी० कार्यक्रमों के निर्माण के लिए इसके अपने स्टूडियो हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) दूरदर्शन स्टूडियो के अनुरक्षण के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान खर्च की गयी कुल राशि लगभग 8.15 करोड़ रुपए हैं।

विवरण

(24.8.2001 की स्थिति के अनुसार) मौजूदा स्टूडियो केन्द्र

क्र० सं०	राज्य/रा०शा० प्रदेश	स्थान
1	2	3
1.	असम	गुवाहाटी डिब्रुगढ़ सिलचर
2.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद विजयवाड़ा
3.	अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर
4.	बिहार	पटना मुजफ्फरपुर

1	2	3
5.	छत्तीसगढ़	जगदलपुर रायपुर
6.	गोवा	पणजी
7.	गुजरात	अहमदाबाद राजकोट
8.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
9.	झारखण्ड	रांची डाल्टनगंज
10.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर जम्मू
11.	केरल	त्रिवेन्द्रम
12.	कर्नाटक	बैंगलूर गुलबर्गा
13.	मध्य प्रदेश	भोपाल इन्दौर ग्वालियर
14.	मेघालय	शिलांग तूरा
15.	महाराष्ट्र	मुम्बई नागपुर पूणे
16.	मणिपुर	इम्फाल
17.	मिजोरम	एजवाल
18.	नागालैण्ड	कोहिमा
19.	उड़ीसा	भुवनेश्वर भवानीपटना सम्बलपुर
20.	पंजाब	जालंधर
21.	राजस्थान	जयपुर
22.	तमिलनाडु	चैन्नई
23.	त्रिपुरा	अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ गोरखपुर बरेली मऊ इलाहाबाद वाराणसी मथुरा
25.	उत्तरांचल	देहरादून
26.	प० बंगाल	कलकत्ता शान्तिनिकेतन जलपाईगुड़ी
27.	दिल्ली	दिल्ली
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्टबलेयर
29.	पांडेचेरी	पांडेचेरी
30.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़

तम्बाकू की खरीद

5976. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने अपंजीकृत तम्बाकू उत्पादकों द्वारा उत्पादित तम्बाकू को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा तम्बाकू बोर्ड के नीलामी मंचों पर अपना माल बेचने पर 40 प्रतिशत जुर्माना नहीं लगेगा;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस निर्णय से देश के तम्बाकू उत्पादकों को कहां तक मदद पहुंचेगी ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 24 मई, 2001 को जारी किए गए आदेशों के द्वारा तम्बाकू बोर्ड को 2000-01 के मौसम में आंध्र प्रदेश के अपंजीकृत उपजकर्त्ताओं द्वारा उत्पादित अनधिकृत फसल को न्यूनतम समर्थन कीमत पर खरीदने के लिए प्राधिकृत किया है। यह आदेश सरकार के 20 मार्च, 2001 को जारी किए गए पहले के आदेशों के अधिक्रमण में जारी किया गया है जिसमें तम्बाकू बोर्ड के नीलामी मंचों पर अनधिकृत फसल को बेचने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि प्रत्येक ऐसा उपजकर्त्ता बिक्री आय का 40% तम्बाकू निधि में अंशदान करेगा। इसका उद्देश्य कुछेक उपजकर्त्ताओं के अवैध क्रियाकलापों से प्राप्त लाभों को इस प्रकार समाप्त करना था कि उन्हें उस वर्ष कोई असहनीय कठिनाई

न हो, जब किसी उपजकर्त्ता को पंजीकृत करने या फसल आकार निर्धारित करने से रोकने के लिए अधिकांश तम्बाकू के उपजकर्त्ताओं और आंध्र प्रदेश की सरकार से प्राप्त विशेष अनुरोध पर सुविचारित निर्णय लिया गया था। तथापि, इन आदेशों के विरुद्ध दायर की गई विभिन्न याचिकाओं के बारे में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतरिम दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अनधिकृत तम्बाकू की तम्बाकू बोर्ड के नीलामी मचों पर नीलामी की गयी है। जिससे उपजकर्त्ताओं को न्यूनतम समर्थन कीमत पर बिक्री आय प्राप्त हुई है और अगले आदेश होने तक शेष को अलग खाते में रखा गया है।

(घ) वर्ष 2000-01 में आंध्र प्रदेश के उपजकर्त्ताओं द्वारा अनधिकृत तम्बाकू की बिक्री से प्राप्त आय को न्यूनतम समर्थन कीमत तक प्रतिबंधित करने के निर्णय मे भविष्य में उपजकर्त्ताओं के बीच बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किए बिना तम्बाकू की खेती की प्रवृत्ति को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। तम्बाकू बोर्ड घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों किस्म को मांग के आकलन के आधार पर प्रतिवर्ष एफ०सी०वी० के फसल आकार को निर्धारित करता है। कुछ उपजकर्त्ताओं की अधिकृत मात्रा से अधिक उत्पादन करने की प्रवृत्ति से समग्र रूप से तम्बाकू उपजकर्त्ता समुदाय के हितों की हानि होती है क्योंकि अधिक आपूर्ति की स्थिति में कीमतें घट जाती हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार

5977. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम विदेशी मुद्रा का भंडार कितना रहता है और इसे कैसे अनुरक्षित किया जाता है;

(ख) क्या देश का उक्त भंडार अपनी न्यूनतम सीमा से भी नीचे पहुंच गया था; और

(ग) जब विदेशी मुद्रा भंडार अपनी न्यूनतम सीमा से भी नीचे चला जाता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) देश के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों के न्यूनतम स्तर का निर्धारण सामान्यत: उनकी आयातों के लिए मुहैय्या की जाने वाली धनराशि की क्षमता से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, किसी भी समय विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों का स्तर तभी पर्याप्त समझा जाता है यदि वे आयातों के तीन माह के लिए धनराशि मुहैय्या करा सकें। 17 अगस्त, 2001 की स्थिति के अनुसार 44.59 बिलियन अमरीकी डालर पर भारत के विदेशी मुद्रा भण्डारों का स्तर (स्वर्ण एवं एस०डी०आर० सहित) वर्ष 2001-02 में अनुमानित आयातों के लगभग 8.2 महीनों के लिए धनराशि मुहैय्या कराएगा और अनिवार्य आयातों, ऋण शोधन दायित्वों सहित अल्पा-वधिक देनदारियों, और अन्य अप्रत्याशित आकस्मिक व्ययों के लिए भारत की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसे समुचित माना गया है।

(ग) जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भण्डार न्यूनतम से नीचे गिर जाता है और जब तक वह देश विदेशी मुद्रा की अपनी अल्पा-वधिक आवश्यकताओं को विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के सामान्य स्रोतों से पूरा करने की स्थिति में न हो तो अनिवार्य आयातों के लिए भुगतान करना और अल्पावधि देनदारियों की पूर्ति करना कठिन हो जाता है। इस स्थिति से बाजार के भागीदारों के बीच सट्टेबाजी और अफरा-तफरी की स्थिति के कारण भुगतान संकट उत्पन्न हो सकता है और विनिमय दर पर दबाव पड़ सकता है।

विनिवेश हेतु प्रस्तावित सरकारी उद्यम

5978. **श्री चन्द्रकांत खैरे :**
श्री पी०एस० गढ़वी :
श्री विष्णुदेव साय :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 13 उद्यमों का विनिवेश करने का प्रस्ताव विनिवेश विभाग को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी उद्यमों के नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनका, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उद्यमों का, कार्य-निष्पादन कैसा रहा है;

(ग) इन सरकारी उद्यमों का नाम विनिवेश विभाग को भेजने के पूर्व, उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए;

(घ) क्या घाटे में चल रहे कुछ सरकारी उद्यमों को पिछले तीन वर्षों के दौरान रुग्ण घोषित कर दिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उद्यम अभी भी घाटे में चल रहे हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) विनिवेश विभाग को संदर्भित भारी उद्योग विभाग के तहत् सरकारी उद्योग क्षेत्र के उपक्रम तथा विगत तीन वर्षों के दौरान उनका निष्पादन दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ग) भारी उद्योग विभाग के तहत् सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन में सुधार लाने के प्रयासों में बी०आई०एफ०आर० के जरिये पुनरुद्धार करना, जहां उपयुक्त है वहां वित्तीय पुनर्सरचना करना तथा जनशक्ति का युक्तिकरण करना आदि शामिल है।

(घ) और (ङ) विगत 3 वर्षों के दौरान भारी उद्योग विभाग के तहत् सरकारी क्षेत्र के 4 उपक्रमों अर्थात् नेपा लिमिटेड (नेपा), प्रागा टूल्स लिमिटेड (पी०टी०एल०) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बी०डब्ल्यू०ई०एल०) तथा हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एच०एस०एल०) को रुग्ण घोषित कर दिया गया है तथा ये उपक्रम अभी भी घाटे में चल रहे हैं।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम	स्थान	लाभ (+) हानि (-) की स्थिति			उत्पादन निष्पादन		
			1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-2001 ताजा परिणाम	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-2001 ताजा परिणाम
1.	बर्न स्टेंडर्ड कंपनी लि० (बी०एस० सी०एल०)	कोलकाता (पं०बं०)	-26.95	-35.41	-31.36	272.41	217.71	235.02
2.	भारत हैवी प्लेट्स एवं वेसल्स लि० (बी०एच०पी०वी०)	वीजाग (ए०पी०)	1.12	-24.80	0.54	209.58	154.00	266.40
3.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लि० (बी०बी०वी०एल०)	कोलकता (प०बं०)	-3.28	-7.02	-6.71	8.47	6.61	2.68
4.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि० (बी०पी०सी०एल०)	इलाहाबाद (उ०प्र०)	-12.91	-19.30	-5.38	45.09	42.53	61.40
5.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि० (बी०सी० एल०)	कोलकता (प०बं०)	0.41	-14.13	-4.90	161.74	118.59	147.54
6.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि० (ई०पी०आई०)	नई दिल्ली	-34.19	-48.14	-47.37	180.92	171.05	220.30
7.	हिन्दुस्तान केबल्स लि० (एच०सी० एल०)	कोलकता (प०बं०)	-138.73	-40.14	-66.56	220.99	804.31	858.34
8.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एच० एस०एल०)	जयपुर (राज०)	-2.16	-2.91	-2.81	4.59	3.82	5.09
9.	इंस्ट्रुमेंटेशन लि० (आई०एल०के०)	कोटा (राज०)	-13.35	-28.35	-28.56	126.88	124.48	96.16
10.	जेसप एंड कंपनी (जेसप)	कोलकता (प०बं०)	0.70	-43.93	-45.16	65.08	48.26	56.30
11.	नेपा लिमिटेड (नेपा)	नेपा नगर (म०प्र०)	-25.15	-21.29	-2.98	98.65	98.91	130.42
12.	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपो० (एन०आई०डी०सी०)	नई दिल्ली	-5.88	-5.02	-6.70	2.80	6.85	4.87
13.	स्कूटर्स इंडिया लि० (एस०आई० एल०)	लखनऊ (उ०प्र०)	6.60	6.78	4.88	125.91	132.05	122.29
14.	साँभर साल्ट्स लिमिटेड (एस०एस० एल०)	जयपुर (राज०)	-0.18	-2.03	-2.88	6.53	5.17	3.78
15.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लि० (टी०एस०पी०)	हॉस्पेट (कर्नाटक)	0.06	0.11	0.05	25.39	40.93	36.01

गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

5979. श्री अनन्त गुढे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश की गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या रूझान सामने आ रहे हैं;

(ग) इस व्यवस्था से प्रभावी ढंग से निपटन के लिए सुझाई गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1997 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को विनियामक और पर्यवेक्षी अभिकार प्रदान किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक जमाराशियां स्वीकार करने/धारण करने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों से प्राप्त नियंत्रण विवरणियों के माध्यम से गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के सम्बन्ध में अनुपयोज्य आस्तियों की स्थिति की आवधिक रूप से (छमाही आधार पर) समीक्षा करता रहा है। यह अद्यतन समीक्षा मार्च 2001 के बारे में उन 71 गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के सम्बन्ध में है। जिन्होंने यह दर्शाया कि अनुपयोज्य आस्तियों के अनुपात में कमी आई थी। पिछले तीन वर्ष के दौरान अनुपयोज्य आस्तियों का अनुपात निम्नानुसार था :

(करोड़ रुपए में)

	मार्च 1999	मार्च 2000	मार्च 2001
निवल अनुपयोज्य आस्ति %	12.18% (2740)	5.55% (1228)	3.00% (571)
सकल अनुपयोज्य आस्ति %	12.68% (2855)	11.00% (2499)	4.00% (643)

कोष्ठकों में आंकड़े अनुपयोज्य आस्तियों की राशि है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से कहा है कि वे प्रभावी कदम उठाकर अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली करें और बैंक द्वारा स्थिति की गहन निगरानी की जा रही है।

टेलीविजन कमेन्टेटरों और उद्घोषकों के प्रशिक्षणार्थ संस्थान

5980. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीविजन कमेन्टेटरों और उद्घोषकों के प्रशिक्षार्थ एक संस्थान शुरू करने हेतु कुछ सुझाव दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं। टेलीविजन कमेन्टेटरों और उद्घोषकों को प्रशिक्षित करने के बारे में एक संस्थान शुरू करने के लिए किसी संसद सदस्य या राज्य सरकार से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बीमा कंपनियों की प्रीमियम दरें

5981. श्री ए० कृष्णास्वामी :
श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बीमा कम्पनियों ने "तीसरे पक्ष का बीमा" की प्रीमियम दरें बढ़ा दी हैं;

(ख) क्या इस संबंध में "आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन" की तरफ से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन प्रीमियम दरों को कम करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो नई दरें कब से लागू होंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अपने दिनांक 2.8.2001 के पत्र के तहत तीसरे पक्ष के प्रीमियम में तथाकथित वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है और उसे वापस लिए जाने का अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का उत्पादन और निर्यात

5982. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान चीनी का कुल उत्पादन, घरेलू खपत और निर्यात, अलग-अलग कितना रहा;

(ख) चीनी की मांग और उत्पादन में कितना अंतर है;

(ग) क्या चीनी का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष घटता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या अगले वर्ष के लिए चीनी के उत्पादन और निर्यात के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) 1999-2000 और 2000-2001 के चीनी मौसमों के दौरान चीनी का कुल उत्पादन, घरेलू खपत तथा निर्यात निम्नानुसार रहा है :–

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	उत्पादन (लाख टन में)	घरेलू खपत (लाख टन में)	निर्यात (लाख टन में)
1999-2000	181.93	155.08	0.23 (अनन्तिम)
2000-2001	176.71 (अनन्तिम) (15.07.2001 तक)	145.84 (अगस्त, 2001 तक)	8.11 (अनन्तिम) (23.7.2001 तक)

(ख) चीनी की घरेलू खपत और उत्पादन के बीच अन्तर नहीं था। दूसरी ओर, चीनी का उत्पादन चीनी की आन्तरिक आवश्यकता से अधिक था।

(ग) से (च) चीनी का निर्यात चीनी के उत्पादन, आन्तरिक खपत के लिए चीनी की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्यों और देश में चीनी की अधिशेष उपलब्धता पर निर्भर करता है। 1996-1997 तथा 1997-1998 के चीनी मौसमों के दौरान चीनी के उत्पादन में गिरावट आने के कारण चीनी के किसी वाणिज्यिक निर्यात की अनुमति नहीं दी गई थी। 1998-1999 तथा 1999-2000 के चीनी मौसमों के दौरान चीनी का अधिक उत्पादन होने के कारण 10 लाख टन चीनी का वाणिज्यिक निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। 2000-2001 के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन अधिक होने से सरकार ने 01.04.2001 से चीनी के निर्यात पर मात्रात्मक सीमा समाप्त कर दी है।

व्यापार जगत से प्राप्त सूचना के अनुसार 23.07.2001 तक 8.11 लाख टन (अनन्तिम) चीनी का निर्यात किया गया है।

[हिन्दी]

विशेष निर्यात-प्रकोष्ठ की स्थापना

5983. श्री रामदास आठवले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न के निर्यात से संबद्ध मामलों की जांच करने के लिए केन्द्र सरकार का एक विशेष निर्यात-प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रकोष्ठ की स्थापना कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) सरकार ने केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के निर्यात की मानीटरिंग के प्रयोजनार्थ निर्यात सैल की स्थापना की हे जिसके निम्नलिखित कार्य हैं :–

(i) दैनिक आधार पर खाद्यान्नों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की मानीटरिंग करना।

(ii) खाद्यान्नों के निर्यात और आयात के संबंध में देशवार सूचना एकत्र और समेकित करना।

(iii) भाड़ा दरों के आंकड़ों को रखना और उनकी मानीटरिंग करना।

(iv) खाद्यान्नों के अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन के आंकड़ों को रखना।

(v) नीतिगत जोर का विश्लेषण करना।

(vi) खाद्यान्नों के निर्यात से संबंधित अभ्यावेदनों की जांच करना।

(vii) निर्यातकों की नैमत्तिक पूछताछ का शीघ्र निपटान करना।

(viii) निर्यात से संबंधित मुद्दों को निर्णय हेतु प्रस्तुत करना।

(ङ) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

छोटे निवेशकों के संबंध में 'सेबी' की रिपोर्ट

5984. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की 2 अगस्त, 2001 की उस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि 200 से अधिक फर्मों, जिनमें लगभग 65 फर्मे गुजरात की और 33 दिल्ली की हैं, के निदेशक करोड़ों रुपए उगाहकर फरार हो गए हैं और उनके अंशदाता मझधार में फंसे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(ग) अंशदाताओं द्वारा किए गए निवेश का संरक्षण करने हेतु ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह सूचित किया है कि 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार 176 कंपनियों की पहचान "गायब होने वाली कंपनियों" अर्थात वैसी कंपनियां जो सूचीकरण करारों की अपेक्षाओं का पालन नहीं कर रही हैं और/अथवा सार्वजनिक निर्गम के पश्चात् अपने पंजीकृत कार्यालय पर उपलब्ध नहीं हैं, के रूप में की गई है। इन कंपनियों के राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) इन कंपनियों को सेबी ने कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। 86 कंपनियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार की गतिविधियों से जुड़ने से विदर्जित कर दिया गया है। अन्य 90 कंपनियों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

इसके अतिरिक्त कंपनी कार्य विभाग ने 66 कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियां आरंभ की हैं; 26 कंपनियां परिसमापनाधीन हैं; 2 कंपनियां राज्य सरकारों द्वारा जब्त कर ली गई हैं; 16 अन्य कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है तथा 4 कंपनियों के संबंध में रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं।

छोटे निवेशकों के संबंध में सेबी की रिपोर्ट के बारे में श्री सुशील कुमार शिंदे तथा श्री माधवराव सिंधिया द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5984 दिनांक 31 अगस्त, 2001 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

176 कंपनियों के राज्य-वार ब्यौरे जिनकी पहचान दिनांक 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार "गायब होने वाली कंपनियों" के रूप में हुई है :—

गुजरात	59
कर्नाटक	08
उड़ीसा	04
महाराष्ट्र	06
पश्चिम बंगाल	17
तमिलनाडु	21
दिल्ली	17
आन्ध्र प्रदेश	20
उत्तर प्रदेश	08
पंजाब	14
मध्य प्रदेश	02
जोड़	176

[हिन्दी]

'फेरा' के मामले

5985. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक, राज्य-वार कितने व्यक्तियों को 'फेरा' उल्लंघन के मामले में दोषसिद्ध पाया गया;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा जुलाई, 2001 तक, राज्यवार 'फेरा' के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) क्या अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण 'फेरा' मामले के आरोपी बिना दंड पाये ही बच निकलते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय का कार्य सम्पूर्ण देश में सात क्षेत्रों में बंटा हुआ है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के सम्बन्ध में विभिन्न आंकड़े क्षेत्र-वार संकलित किए जाते हैं न कि राज्य-वार। गत दो वर्षों के दौरान तथा जुलाई, 2001 तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या और जांच के लिए पंजीकृत फेरा मामलों की संख्या के सम्बन्ध में क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(i) *फेरा में दोषी पाए गए व्यक्तियों की क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है :—*

क्षेत्र का नाम	1999	2000	2001 (जुलाई तक)
अहमदाबाद	04	01	—
बंगलौर	02	01	01
कलकत्ता	08	01	04
चेन्नई	02	05	19
दिल्ली	—	11	05
जालंधर	01	01	01
मुम्बई	21	17	13
कुल	38	37	43

(ii) *जांच के लिए पंजीकृत क्षेत्र-वार और वर्ष-वार फेरा मामलों की संख्या निम्नानुसार है :–*

क्षेत्र का नाम	1999	2000	2001 (जुलाई तक)
अहमदाबाद	324	234	32
बंगलौर	234	125	54
कलकत्ता	490	157	63
चेन्नई	528	87	01
दिल्ली	1658	567	133
जालंधर	446	801	25
मुम्बई	699	257	127
भारतीय रिजर्व बैंक के मामले*	–	–	481
कुल	4379	2228	916

*ये मामले जांच के लिए अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थानान्तरित किए गए हैं।

[हिन्दी]

आई०टी०पी०ओ० तथा सी०आई०आई० के बीच समझौता-ज्ञापन

5986. **श्री पी०आर० खूंटे :** क्या **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से आई०टी० पी०ओ० तथा सी०आई०आई० ने हाल ही में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। आई०टी०पी०ओ० और सी०आई०आई० के बीच 19.4.2001 को एक समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस एम०ओ०यू० की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :–

(i) आई०टी०पी०ओ० और सी०आई०आई० ज्ञानाधारित सेवाएं विकसित करेंगे जिनका उपयोग व्यापार एवं उद्योग के संवर्धन के लिए किया जाएगा;

(ii) सी०आई०आई० और आई०टी०पी०ओ० विभिन्न वस्तु क्षेत्रों एवं बाजारों में भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की संभाव्यता पर अध्ययन करेंगे। इन अध्ययनों में भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की लघु से मध्यम और दीर्घावधि में बिक्री करने की गुंजाईश का विश्लेषण किया जाएगा;

(iii) विचार-विमर्श एवं आपसी सहमति से सी०आई०आई० को वार्षिक रूप से चुनिंदा मेलों में आई०टी०पी०ओ० का साझीदार बनाया जाएगा। इस प्रकार के चुनिंदा आयोजनों में सी०आई०आई० की भूमिका उद्योग जगत की भागीदारी जुटाने, सेमिनार आयोजित करने और चुनिंदा देशों एवं प्रदर्शनों में व्यापार शिष्टमंडल भेजने में आई०टी०पी०ओ० की मदद करने की होगी। इन प्रत्येक व्यापार के लिए आई०टी०पी०ओ० और सी०आई०आई० के बीच पृथक कार्य चालन करार किया जाएगा;

(iv) आई०टी०पी०ओ० और सी०आई०आई० राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के आयोजना के संबंध में एक-दूसरे से परामर्श करेंगे;

(v) आई०टी०पी०ओ० और सी०आई०आई० भारत और भारतीय उत्पादों का संवर्धन करने के लिए भारत और विदेश, दोनों में संयुक्त रूप से रोड शो, सम्मलेन एवं सेमिनार आयोजित करेंगे। ये कार्य अत्यधिक ध्यान देने योग्य क्षेत्रों में और अभिज्ञात उत्पादों एवं सेवाओं के लिए किए जाएंगे।

गेहूं और चावल का निर्यात

5987. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल :**
श्री ए० ब्रह्मनैया :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान गेहूं और चावल का निर्यात, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रहा है या उससे अधिक;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान गेहूं और चावल के उत्पादन की तुलना में इनके निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस असंतुलन के कारण गेहूं और चावल के भंडारण की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो इनकी भंडारण-क्षमता व निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) क्या गेहूं और चावल के निर्यात हेतु किन्हीं पत्तनों को चुना गया है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल के निर्यात के लिए 50 लाख टन गेहूं और 30 लाख टन चावल की पेशकश की जा रही है। अब तक केन्द्रीय

पूल से 12.99 लाख टन गेहूं (31.7.2001 तक) और 1.21 लाख टन चावल (22.8.2001 तक) (मई, 2001 तक समग्र रूप से देश से 1.91 लाख टन) का निर्यात किया गया है।

केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का निर्यात करने संबंधी निर्णय बफर मानदंडों से अधिक उपलब्ध अधिशेष स्टाक की सीमा, आगामी वसूली के लिए भण्डारण स्थान की उपलब्धता, खाद्यान्नों की रखरखाव लागत आदि के आधार पर लिया जाता है और यह निर्णय देश में केवल खाद्यान्नों के उत्पादन के आधार पर नहीं लिया जाता है।

(घ) और (ङ) गेहूं और चावल का निर्यात हमारे कुल उत्पादन और केन्द्रीय पूल में रखे स्टाक का केवल एक छोटा सा भाग है।

तथापि, भारतीय खाद्य निगम पंचवर्षीय योजना के अधीन माइक्रो स्तर पर महत्वपूर्ण स्थानों पर गोदामों का निर्माण करके अतिरिक्त भण्डारण क्षमता भी सृजित करता है जिसके लिए खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय भण्डारण नीति के अधीन भण्डारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए निवेश हेतु अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाता है। 2001-2002 की वार्षिक योजना के दौरान गोदामों के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के लक्ष्य क्रमशः 1.29 लाख टन और 2 लाख टन हैं।

गेहूं और चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखकर इनके निर्यात मूल्य निर्धारित किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/एजेंसियों के साथ-साथ निजी पार्टियों को इन वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

(च) भारतीय खाद्य निगम को अपने पत्तन गोदामों से निर्यात हेतु खाद्यान्नों की पेशकश करने की अनुमति दी गई है। गेहूं और चावल का निर्यात करने के लिए पत्तनों के चयन के बारे में वास्तव में निर्यातकों द्वारा निर्णय लिया जाता है।

[अनुवाद]

पी०डी०एस० की मदों की उच्च दरों पर बिक्री

5988. **श्री विष्णु पद राय : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार में अंतर-द्वीपीय परिवहन-लागत लगने की वजह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) के अंतर्गत वितरित की जाने वाली मदों को, देश के अन्य भागों की तुलना में उच्च दरों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि इस अंतर-द्वीपीय परिवहन लागत को सरकार द्वारा भी वहन किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के खुदरा निर्गम मूल्य देश के अन्य भागों के समान है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन को द्वीपसमूह में विभिन्न स्थानों पर स्थित उचित दर दुकानों तक खाद्यान्नों की ढुलाई करने के लिए काफी ढुलाई, श्रम और हैंडलिंग लागत वहन करनी पड़ती है। यह अनुरोध किया गया है कि विभिन्न स्थानों पर स्थित द्वीपसमूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खाद्यान्नों की ढुलाई करने के लिए भारत सरकार द्वारा ढुलाई राजसहायता प्रदान की जाए।

छः नए प्रमुख वितरण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

खाद्य की कमी वाले राज्य

5989. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण खाद्य की कमी वाले राज्यों को होने वाली समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को ऐसे राज्यों, विशेषकर उड़ीसा से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राज्यों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जून, 1997 में लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विगत दस वर्षों के लिए खाद्यान्नों का औसत उठान गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए जारी रखा गया था। इस औसत उठान में से खाद्यान्नों की जो मात्रा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आवश्यकता से अधिक थी उसका आवंटन राज्यों को अस्थायी आवंटन के रूप में दिया गया था ताकि खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आवंटन उसी स्तर जारी रखा गया है, जिस स्तर पर यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के समय पर था। ऐसा 1.4.2001 से आवंटन को 10 किलोग्राम से दुगुना करके 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह करने और अब जुलाई, 2001 से 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह करने के बावजूद भी किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक विकास

5990. श्री जी०एस० बसवराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण उपलब्धता में सुधार के लिए बैंकों को सरल तरलता सुनिश्चित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों के सुधारने में सहायता होगी, जो अप्रैल, 2000 की 6.5 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में इस वित्त वर्ष के पहले माह में 2.7 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शा रहे थे;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को कम कर देने से देश मे औद्योगिक उत्पादन के विकास में कहां तक सहायता मिलेगी; और

(घ) देश में औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य और कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) अप्रैल, 2001 में घोषित मौद्रिक एवं ऋण नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण की सभी विधि सम्मत आवश्यकताएं कीमतों के स्वामित्व के अनुरूप पूरी की जाए। इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, मई, 2001 में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 50 आधार बिन्दुओं की कमी की। वर्ष 2001-2002 की मौद्रिक नीति के ढांचे में इस बात पर बाल दिया गया था कि ''मध्यावधि क्षेत्र में ब्याज दर को अधिक लचीलापन प्रदान करने के समग्र ढांचे के अन्दर, उस सीमा तक जितनी कि उत्पन्न होने वाली परिस्थिति अनुमति प्रदान करें, कमी को वरीयता प्रदान करते हुए वर्तमान स्थिर ब्याज दर ढांचे को जारी रखा जाए।''

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ब्याज दर निर्धारित करने और ऋण के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए बैंकों को पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया गया है। वस्तुत: ब्याज दरों में प्रत्याशाओं के अनुरूप कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बातया है कि वर्ष के उत्तरार्ध में औद्योगिक ऋण की मांग, सामान्यतया अधिक है, जबकि प्रापण के मौसम की वजह से पहली छमाही में खाद्य ऋण की मांग अधिक है। इसके अलावा, ऋण में वृद्धि, समग्र वृद्धि और कारबार के विश्वास पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था की समग्र संभावनाओं के बारे में अवधारणाओं में परिवर्तनों तथा निवेशकों के अधिक विश्वास से ऋण लिए जाने के मामलों में वृद्धि होगी।

चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में (10 अगस्त, 2001 तक) बैंक ऋण में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में हुई 21,826 करोड़ रुपए (5.0 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 15,269 करोड़ रुपए (3.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। चालू वित्तीय वर्ष में ऋण लिए जाने के मामले में यह कमी मंद औद्योगिक गतिविधि की द्योतक है, जैसाकि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आई०पी०पी०) से पता चलता है, जिसमें अप्रैल-जून, 2001 में 2.1 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

[हिन्दी]

बैंकों की निवेश और ऋण नीति

5991. श्री रामजीवन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घोटालों को देखते हुए बैंकों की निवेश और ऋण सीमाओं को संशोधित करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संशोधनों के फलस्वरूप घोटालों को रोका जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने शेयरों में बैंकों के निवेश और इक्विटियों को वित्तपोषित करने के संबंध में सभी वाणिज्यिक बैंकों को मई, 2001 में संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि संवेदनशील क्षेत्रों को समग्र निवेश के अध्यधीन बैंकों का प्राथमिक और गौण बाजारों के माध्यम से शेयरों, डिबेंचरों और म्युचुअल फंड (ऋण निधियों को छोड़कर) की इकाइयों में निवेशों के जरिए पूंजी बाजार में निवेश पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार इसके कुल बकाया घरेलू ऋण के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। 5% की उच्चतम सीमा में निम्नलिखित शामिल हैं :—

I. बैंक द्वारा इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों और इक्विटी-उन्मुख मयुचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश;

II. अलग-अलग व्यक्तियों को इक्विटी शेयरों (आई०पी०ओ० सहित), बान्डों और डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों, आदि में निवेश के लिए शेयरों पर अग्रिम राशि।

III. शेयर दलालों को प्रतिभूत एवं गैर-प्रतिभूत अग्रिम राशि और शेयर दलालों/शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी।

इन मार्गनिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि विवेकपूर्ण उपाय के रूप में इक्विटियों आदि में बैंकों का निवेश सामान्यत: उसकी शुद्ध मालियत के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) और (घ) बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि उनके कार्य निर्धारित विनियामक मार्गनिर्देशों के अनुरूप हों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने निरीक्षणों के जरिए और बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनके अनुपालन की पुष्टि की जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार पूंजी बाजार में निवेश के जरिए बैंकिंग प्रणाली को कुल निवेश 8770.55 करोड़ रु० था जो बैंकों की बकाया अग्रिम राशि का 1.97% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि शेयर, डिबेंचरों आदि जैसी प्रतिभूतियों पर अग्रिम राशि के जरिए बैंकों का कुल निवेश उनकी कुल अग्रिम राशि के 2% से कम था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में गिरावट के कारण निवेशों और ऋण कार्यों में बैंकों को अधिक घाटा नहीं हुआ था।

[अनुवाद]

घटिया खाद्यान्नों की खरीद

5992. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितनी प्रमात्रा में घटिया खाद्यान्नों की खरीद की गई;

(ख) घटिया खाद्यान्नों की खरीद के कारण कुल कितनी धनराशि का घटा हुआ और अन्य राज्यों को घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति के कारण उनके द्वारा कुल कितनी धनराशि की हानि उठाने की सूचना मिली है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के कुछ वरिष्ठ अधिकारी आपूर्तिकर्त्ताओं/बिचौलियों/किसानों की मिली-भगत से ऐसी भारी हानियों के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्कूल भवनों के लिए "नाबार्ड" द्वारा ऋण

5993. **कुंवर अखिलेश सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्कूल भवनों के निर्माण हेतु "नाबार्ड" से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) "नाबार्ड" ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि से प्रस्तावित सहायता के अंतर्गत राज्यवार किन-किन जिलों को शामिल किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और राजस्थान सरकार ने स्कूल भवन के निर्माण के लिए इससे ऋण सहायता मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल भवन निर्माण के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि के अधीन ऋण नहीं मांगा है।

(ख) नाबार्ड द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए मंजूर ऋण का राज्य वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

राज्य	संख्या	मंजूरियां
गुजरात	2360	2000.00
हिमाचल प्रदेश	1484	2858.00
जम्मू एवं कश्मीर	1860	3183.56
राजस्थान	2214	3609.00
कुल	7918	11650.56

(ग) स्कूल भवन निर्माण के लिए उपर्युक्त ऋण सहायता में शामिल किए जा रहे/होने वाले जनपदों के राज्य-वार नाम नीचे दिए गए हैं :—

राज्य	शामिल/शामिल किए जाने वाले जनपद
गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, कच्छ, खेड़ा, गांधी नगर, जामनगर, जूनागढ़, डांगस, पंचमहल, बानासकांठा, भरूच, भावनगर, मेहसाणा, राजकोट, वडोदरा, वलसाढ़, साबरकंठा सूरत और सुरेन्द्र नगर
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, मण्डी, शिमला, सोलन और ऊना
जम्मू एवं कश्मीर	बारामुल्ला, बेदगाम, अनन्तनाग, कूपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, लेह, कारगिल, जम्मू, कटरा, पूंछ, राजौरी, डोडा
राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, डौसा, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुन, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसामंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टांक और उदयपुर।

[अनुवाद]

पुष्पों का निर्यात

5994. श्री अनंत नायक :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को पुष्पों के निर्यात से सरकार द्वारा वर्षवार कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई;

(ख) क्या यूरोपीय बाजार में गेंदा और अन्य कई फूलों की भारी मांग है;

(ग) यदि हां, तो उन देशों को पुष्प निर्यात बढ़ाने हेतु किन-किन संभावनाओं का पता लगाया है; और

(घ) इस संबंध में क्या विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान फूलों के निर्यात से देश द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य निम्नानुसार है :–

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1998-99	97.22
1999-2000	116.72
2000-01	132.65

निर्यातों का देशवार ब्यौरा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी०जी०सी०आई० एंड एस०), कोलकाता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार संबंधी आंकड़ों के मासिक/वार्षिक अंकों में उपलब्ध है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गई हैं।

(ख) यद्यपि मैरीगोल्ड के निर्यात की मांग बहुत कम है तथापि अन्य भारतीय पुष्पों जैसे ताजा एंथुरियम, कारनेशन्स, क्राइसनथेमम, बल्बस और ट्यूबर्स तथा शुष्क पुष्पों इत्यादि की यूरोपीय बाजार में अच्छी मांग है।

(ग) से (घ) सरकार ने यूरोपीय बाजार समेत विभिन्न बाजारों को पुष्पों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। पुष्पों का उत्पादन बढ़ाने और इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कुछेक कदमों में शामिल हैं :–

(i) क्रेता-विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों, पुष्प शो एवं प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(ii) चुनिंदा पुष्पोत्पादों के निर्यातों पर वायु भाड़ा इमदाद प्रदान करना;

(iii) संभावित पुष्प उत्पादक राज्यों में पुष्प नीलामी केन्द्रों की स्थापना करना;

(iv) बाजार पहुंच पहल कार्यक्रम के जरिए भारतीय उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने में मदद करना;

(v) पुष्पोत्पाद एवं उद्यानोत्पाद जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर चलता-फिरता शीतागार एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागार सुविधाओं की स्थापना करना; इस प्रकार के शीतागारों की स्थापना गुवाहाटी और कोलकाता वायुपत्तनों पर की गयी है। एकीकृत शीतभण्डारण एवं कार्गो संचालन सुविधाएं इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई और तिरूवनन्तपुरम हवाई अड्डों पर स्थापित की गयी है। शीघ्र नष्ट होने वाली मदों के लिए एक एकीकृत कार्गो संचालन केन्द्र की स्थापना मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर की जा रही है।

(vi) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि के लिए कृषकों को प्रशिक्षित करने समेत व्यापार एवं उद्योग जगत को तकनीकी सेवाएं एवं अन्य सहायक सेवाएं प्रदान करना।

खाद्यान्नों का आवंटन

5995. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कुल कितनी प्रमात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी प्रमात्रा में खाद्यान्न उठाया गया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्यान्नों के आवंटन को बढ़ाने हेतु कोई अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 2001-2002 (अप्रैल-जुलाई, 2001) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मध्य प्रदेश में चावल और गेहूं का आबंटन और उठान निम्नानुसार हुआ है :–

(हजार टन में)

	आबंटन	उठान
चावल	118.09	45.22
गेहूं	261.37	39.80

उठान के आंकड़ों में विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई वसूली के स्टाक में से राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई मात्रा शामिल नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

खाद्यान्नों की खरीद

5996. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की खरीदारी हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वास्तव में कितनी उपलब्धि हासिल हुई है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खरीदारी नहीं की जा सकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) चूंकि वसूली प्रचालन स्वैच्छिक स्वरूप के होते हैं और किसानों के पास में विकल्प होता है कि वे अपना उत्पाद राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम अथवा खुले बाजार में, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, बेच सकते हैं इसलिए चावल और गेहूं की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि, चावल और गेहूं के अनुमानित उत्पादन और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 और रबी विपणन मौसम 2001-2002 के दौरान केन्द्रीय पूल में क्रमशः 173 लाख टन चावल और 192 लाख टन गेहूं प्राप्त होने की आशा थी।

20.8.2001 की स्थिति के अनुसार 188.31 लाख टन चावल और 206.14 लाख टन गेहूं की वसूली की गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

भारत में आई०एफ०सी० द्वारा निवेश

5997. श्रीमती निवेदिता माने : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक समूह से सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई०एफ०सी०) ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत में नए निवेश के लिए 400 मिलियन डालर की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत इस वित्तीय वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई०एफ०सी०) से सबसे अधिक धनराशि पाने वाला देश बन जाएगा;

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इस ऋण धनराशि का निवेश किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई०एफ०सी०) ने यह ऋण प्रदान करना शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जिन कम्पनियों/सुविधाओं के लिए चालू वर्ष के दौरान ऋण/इक्विटी/संरचनात्मक वचनबद्धताओं को अनुमोदित किया गया है, वे हैं :-

1. बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि०।
2. भारत टेलकोम।
3. कान्टीनेंटल कार्बन इंडिया लि०।
4. इगुरूकूल
5. जी०आई० विंड फार्म्स
6. ग्लोबल ट्रेड फाइनांस प्रा०लि०
7. जी०टी०बी० एस०एम०ई० फेसिलिटी
8. आई०सी० आई०सी०आई० गारन्टी फेसिलिटी
9. आई०सी० आई०सी०आई० रिस्क मैनेजमेंट फेसिलिटी
10. इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विप्मेंट लि०
11. इंडियन सीमलेस मेटल ट्यूब्स
12. इंटरनेट एक्सप्रेस
13. जेटएयर
14. महिन्द्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि०
15. एन०आई०आई०टी० होल इन द बाल
16. एन०आई०आई०टी० स्टूडेंट लोन प्रोग्राम
17. ओरचिड केमिकल्स
18. स्मृद्धि
19. सेमटेल कलर लि०
20. एस०बी०आई०-रिस्क मैनेजमेंट फेसिलिटी
21. पाइरेंस डाट काम
22. वरूण शिपिंग - राइट इश्यू
23. बेसया बैंक

(घ) और (ङ) ऋणों का संवितरण परियोजनाओं की संवितरण अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।

एस्सार समूह द्वारा धनराशि का दुरूपयोग

5998. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुरूप, पुनर्संरचना के नाम पर एस्सार समूह की कंपनियों द्वारा दुरूपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) एस्सार समूह की सूचीबद्ध कंपनियों से निजी स्वामित्व वाली कंपनियों में किए गए परिवर्तन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस्सार समूह द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की कुछ फर्जी कंपनियों में भारी धनराशि पंहुचाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या राजस्व आसूचना निदेशालय (डी०आर०आई०) द्वारा कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) बैंकों में प्रचालित प्रथाओं और रीतिरिवाजों के अनुसरण में और सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शासित करने वाली संविधियों के उपबंधों और साथ ही साथ लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुरूप अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय बचत संगठन की निगरानी

5999. **श्री ए० ब्रह्मनैया :**
श्री रामेश्वर डूडी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बचत संगठन की स्थापना किस तारीख को की गई थी और इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे;

(ख) राष्ट्रीय बचत संगठन (एन०एस०ओ०) पर वार्षिक प्रशासनिक खर्च कितना है;

(ग) राष्ट्रीय बचत संगठन की स्थापना के बाद से वर्ष 2000-2001 तक वर्ष-वार सकल और निवल कितनी धनराशि का संग्रहण हुआ है;

(घ) इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 2000-01 तक इस संगठन द्वारा किये गए कार्यों के संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या मूल्यांकन कराया गया है; और

(ङ) राष्ट्रीय बचत संगठन की निधियों पर निगरानी सख्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) राष्ट्रीय बचत संगठन का गठन जनता में किफायत और बचत की आदत डालने और भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1948 में किया गया था।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय बचत संगठन से संबंधित प्रशासनिक व्यय 17.29 करोड़ रुपए था।

(ग) वर्ष 1997-98 से 2000-2001 तक वर्ष-वार सकल और निवल लघु बचत संग्रहण (अनन्तिम) विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय बचत संगठन की स्थापना उस समय हुई जब देश में बैंकिंग प्रणाली कम विकसित थी। पिछले वर्षों में आम जनता की बैंकिंग आदतों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिया है। राष्ट्रीय बचत संगठन ने उत्पाद-डिजाइन और विकास, विपणन और उत्पाद-संवर्धन, बाजार अनुसंधान, उपभोक्ता सेवा तथा निवेशक शिकायत-निवारण, प्रशिक्षण और विकास आदि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ङ) सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 6 और उसके अन्तर्गत भारत सरकार के निर्णय यह निर्दिष्ट करते हैं कि प्रत्येक अधिकारी को हर कदम पर वित्तीय आदेशों और सही किफायत को लागू करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि सभी संगत वित्तीय नियमों और विनियमों का उसके अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा नियंत्रित निधियों का सख्ती से अनुवीक्षण करने के लिए समय-समय पर किफायत संबंधी अनुदेश जारी किए जाते हैं।

विवरण

पिछले वर्षों में लघु बचत संग्रहण

(करोड़ रुपए)

क्र०सं०	वर्ष	सकल संग्रहण	निवल संग्रहण
1	2	3	4
1.	1977-78	2037.29	560.90
2.	1978-79	2583.91	880.92
3.	1979-80	2921.93	1143.83
4.	1980-81	3266.58	1176.52
5.	1981-82	3945.49	1464.13
6.	1982-83	4463.00	1828.05
7.	1983-84	5672.11	2535.91
8.	1984-85	7199.82	3715.41
9.	1985-86	8571.07	4368.71
10.	1986-87	8384.52	3410.66
11.	1987-88	9916.61	3911.42

1	2	3	4
12.	1988-89	13064.93	5835.05
13.	1989-90	17149.45	8574.88
14.	1990-91	18904.69	9089.49
15.	1991-92	18571.42	6626.02
16.	1992-93	19366.04	5713.74
17.	1993-94	27280.06	9083.24
18.	1994-95	37465.94	16556.44
19.	1995-96	36643.50	12732.67
20.	1996-97	37973.16	15223.46
21.	1997-98	51811.15	24442.92
22.	1998-99	62049.51	32943.60
23.	1999-2000	75434.71	38570.52
24.	2000-2001 (अनन्तिम)	88468.41	45357.42

टिप्पणी : वर्ष 1997-78 से पूर्व के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

"सिडबी" को घाटा

6000. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वर्ष 2001-02 की प्रथम तिमाही में 37 करोड़ रुपयों से ज्यादा का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे घाटों के लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किये गये निवेश के संबंध में कोई रिपोर्ट मांगी है;

(घ) क्या सरकारी धन के ऐसे दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

समाचार संग्रहण

6001. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए समाचारों का संग्रहण करने वाले पत्रकारों की सूची प्रदान करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा समाचारों के संग्रहण और उनकी रिपोटिंग के कार्य में वास्तव में संलग्न गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों की भीड़ को रोकने और नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय किये गए है;

(घ) क्या ऐसे पत्रकारों के विरुद्ध राज्य-वार कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है कि समाचारों की कवरेज/रिपोर्टिंग प्रत्यायित पत्रकारों द्वारा ही की जाएगी।

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध बैंक

6002. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध बैंकों की कुल संख्या कितनी है और इसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के रूप में विदेशी बैंकों और निगमित निकायों को सूचीबद्ध न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी के निर्यात पर लेवी संबंधी बाध्यताएं

6003. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी मिलों से निर्यात की जाने वाली चीनी को लेवी की बाध्यताओं से छूट प्रदान करने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए ऐसी छूट प्रदान की गई है;

(ग) क्या ऐसी छूट की अवधि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) चीनी निर्यात को बढ़ावा देने हेतु चीनी मिलों को अन्य क्या प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ङ) सरकार ने पहले ही निर्यात के प्रयोजन की चीनी को लेवी दायित्व से 30.9.2001 अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी बाद में हो, तक छूट देने की अवधि बढ़ा दी है।

(च) सरकार ने चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

निर्यात के प्रयोजन की चीनी की लेवी दायित्व से छूट दी गई है। यह छूट जो आरंभ में पहली

(i) वाणिज्यिक निर्यात के लिए निर्यात की गई मात्रा को अग्रिम मुक्त बिक्री की निर्मुक्ति समझा जाए जिसे निर्मुक्ति की तारीख से 12 महीने की अवधि के पश्चात समायोजित किया जाना है।

(ii) यदि वाणिज्यिक निर्यात प्रयोजन की चीनी की मात्रा पर लेवी संबंधी छूट चीनी फैक्ट्री द्वारा अपना लेवी दायित्व पूरा कर लेने के कारण 1999-2000 मौसम के उत्पादन में नहीं ली जा सकी हो तो इसे संबंधित चीनी फैक्ट्री द्वारा 2000-2001 चीनी मौसम के उत्पादन में लिया जा सकता है।

(iii) निर्यातित चीनी की पोत पर्यन्त निःशुल्क कीमत की 5 प्रतिशत की दर पर डी०ई०पी०बी० की अनुमति दी गयी है।

(iv) सरकार ने चीनी के निर्यात से मात्रात्मक सीमा हटा दी है और 1.4.2001 से अपेडा से पंजीकरण सह आबंटन प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है।

खाद्यान्नों का व्यापार

6004. **श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापारियों को भंडारण सीमा में छूट देने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो इन उपायों से सूखे की स्थिति का किस सीमा तक निवारण किया गया है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों के संचलन के लिए सम्पूर्ण देश को एकल जोन मानने की राष्ट्रीय नीति अपनाई है। तदनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे गेहूं और चावल से संबंधित व्यापार और उद्योग पर से लाइसेंस, स्टाक रखने की सीमा और संचलन संबंधी प्रतिबंध आदि के रूप में लगाए गए सभी औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

(ख) लगभग सभी राज्यों द्वारा संचलन संबंधी प्रतिबंध हटाने के बाद सम्पूर्ण देश में उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की सुगम आवाजाही और आसान उपलब्धता काफी हद तक सुनिश्चित हुई है।

विनिवेश प्रक्रिया में एच०एफ०सी०एल० की भागीदारी

6005. **श्री किरीट सोमैया : क्या विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश विभाग ने मौजूदा पूंजी बाजार घोटाले की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा की जा रही प्रारंभिक जांच पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या विभाग ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य जांच एजेन्सियों से संपर्क किया है;

(ग) क्या विनिवेश भागीदारी में कार्य कर रही एक कंपनी अर्थात् एच०एफ०सी०एल० का नाम जांच में आया है;

(घ) क्या विनिवेश विभाग एच०एफ०सी०एल० को विनिवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देगा;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या विनिवेश प्रक्रिया में सक्रिय किसी कंपनी का नाम भी प्रारंभिक जांच में सामने आया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (छ) विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक बोलीदाताओं की अर्हताओं के

लिए 31.07.2001 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं (दिशा-निर्देश संलग्न विवरण में है।) इन दिशा-निर्देशों के प्रकाश में, सलाहकारों को यह प्रमाणित करने का निर्देश दिया गया है कि बोलीदाताओं में से कोई अयोग्यता मापदण्ड के अंतर्गत तो नहीं आते हैं। यदि बोलीदाता विधिवत विधि प्रक्रिया आरंभ करने के बाद अयोग्य पाए जाते हैं तो उन्हें विनिवेश सौदे में भागीदारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विवरण

सं० 6/4/2001 — वि०वि० II
भारत सरकार
विनिवेश विभाग

ब्लॉक न० 14, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, नई दिल्ली।

दिनांक 13 जुलाई, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय : विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक बोलीदाताओं की अर्हता के लिए दिशा-निर्देश

सरकार ने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश में इच्छुक बोलीदाताओं के लिए मापदण्डों को परिभाषित करने हुए व्यापक तथा पारदर्शी दिशा-निर्देश बनाने के मुद्दे पर विचार किया है ताकि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से चुनी गई पार्टियां, जन-साधारण के विश्वास को प्रेरित कर सकें। इससे पूर्व, निवल मूल्य, अनुभव आदि जैसे निश्चित मापदण्ड का उपयोग किया जाता था। अनुभव के आधार पर संबंधित विभागों के परामर्श के सरकार ने, विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक पार्टियों की अर्हता/अयोग्यता के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त मापदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया है :—

(क) देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से इतर अन्य मामलों के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की दोषसिद्धि अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसा अभ्यारोपण/प्रतिकूल आदेश जो सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट, जब इसका विनिवेश हो जाए, का प्रबंधन करने के लिए बोलीदाता की क्षमता पर आशंका प्रकट करता हो अथवा जो गंभीर अपराध से संबंध रखता हो, वह अयोग्यता का संघटक होगा। गंभीर अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा जो जन समुदाय की नैतिक संवेदना को आघात पहुंचाता हो। अपराध के प्रकृति के संबंध में निर्णय, सरकार द्वारा, मामले के तथ्यों तथा प्रासंगिक विविध सिद्धांतों पर विचार करने के बाद मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाएगा।

(ख) देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों के संबंध में बोलीदाता पार्टी अथवा बोलीदाता पार्टी की किसी सहायक कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए सरकार की किसी एजेन्सी द्वारा आरोप-पत्र/न्यायालय द्वारा अभ्यारोपण अयोग्यता का परिणाम होगा। सहायक कंपनियों के बीच संबंधों के बारे में निर्णय प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तथा यह विचार करने के बाद लिया जाएगा कि क्या दो कंपनियां एक ही व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा मूलतः नियंत्रित हैं।

(ग) (क) तथा (ख) दोनों में अयोग्यता उस अवधि तक बनी रहेगी जब तक सरकार उपयुक्त समझे।

(घ) किसी भी हस्ती को, जिसे विनिवेश प्रक्रिया में सहभागिता करने से अयोग्य ठहराया गया है, सम्बद्ध रहने अथवा सहयोजित होने की मात्र इस आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी कि उसने उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर रखी है जिसके आधार पर उसे अयोग्य ठहराया गया है। अपील के मात्र लंबित रहने का अयोग्यता पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

(ङ) अयोग्यता का मापदण्ड तत्काल प्रभाव से लागू होगा और विभिन्न विनिवेश सौदों के लिए, उन सभी बोलीदाताओं पर लागू होगा, जिन्हें अभी पूरा नहीं किया गया है।

(च) किसी कंपनी को अयोग्य करार देने से पूर्व, उसे इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि उसे अयोग्य करार क्यों न कर दिया जाए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा।

(छ) ये मानदण्ड, इसके बाद इच्छुक पार्टियों से हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों में विहित किए जाएंगे। इच्छुक पार्टियों को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ, उपरोक्त मानदण्ड पर जानकारी प्रदान करनी होगी। बोलीदाताओं को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ इस आशय की वचनबद्धता प्रदान करने की आवश्यकता होगी कि नियामक प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध कोई जांच-पड़ताल लंबित नहीं है। किसी कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी के विरुद्ध अथवा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा इसके किन्हीं निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित किसी जांच-पड़ताल होने के मामले में, आरोप/अपराध जिसके लिए जांच-पड़ताल आरंभ की गई है। उन व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम जिनके विरुद्ध जांच-पड़ताल आरंभ की गई है तथा अन्य संगत जानकारी सरकार की संतुष्टि के लिए प्रकट की जानी चाहिए। अन्य मापदण्ड के लिए भी, हित की अभिव्यक्ति के साथ इसी प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी।

(ए०के० तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग

केन्द्रीय भंडागार निगम का पुनर्गठन

6006. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय भंडागार निगम का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडागार निगम के लाभ में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय भंडागार निगम के स्वस्थ विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय भंडारण निगम के स्वस्थ्य विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) सरकार ने 30 जुलाई, 2001 को संसद में भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 प्रस्तुत किया है। इसे वर्तमान सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। प्रस्तावित संशोधनों से केन्द्रीय भंडारण निगम विदेशों में भांडागार स्थापित कर सकेगा और संयुक्त उपक्रमों में प्रवेश कर सकेगा।

(ii) केन्द्रीय भंडारण निगम बल्क साइलो भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रमुख भागीदार होगा।

(iii) स्थापना लागत को नियंत्रित करने की दृष्टि से केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा कोई नई भर्ती नहीं की जा रही है। इसके अलावा प्रस्ताव है कि स्थापना लागत को कम करने के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जाए।

(iv) निगम ने इसके पास उपलब्ध भंडारण क्षमता के प्रतिशत उपयोग में सुधार किया है। 1.6.2001 की स्थिति के अनुसार वर्तमान भंडारण क्षमता का प्रतिशत उपयोग 91 प्रतिशत है।

(v) 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा पांच नए कंटेनर फ्रेट स्टेशन खोले गए हैं।

डब्ल्यू०टी०ओ० के मुद्दे पर विकासशील देशों का सम्मेलन

6007. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अगस्त, 2001 के ''दि हिन्दू'' समाचार पत्र में ''स्पॉटलाइट ऑन डब्ल्यू०टी०ओ० इश्यूज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 20 अगस्त, 2001 को नई दिल्ली में विकासशील देशों का डब्ल्यू०टी०ओ० के मुद्दों पर कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(घ) सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के क्या विचार थे;

(ङ) भारत सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सम्मेलन के अंतिम निष्कर्ष क्या रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। डब्ल्यू०टी०ओ० प्रणाली में विकासशील देशों की चिंताओं के संबंध में उक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दि इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन और पाटन-रोधी एवं सबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से 20 और 21 अगस्त, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ग) इस सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था उनमें शामिल हैं –

– दोहा में अगले मंत्रिस्तरीय बैठक के समक्ष मुद्दे।

– पाटनरोधी शुल्क विकासशील राष्ट्रों के लिए प्रमुख मुद्दे और उभरता परिदृश्य।

– इमदादरोधी कानून – डब्ल्यू०टी०ओ० करारों की संगतता हेतु।

– खुले व्यापार के तहत प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति भारतीय परिदृश्य

– प्रतिस्पर्धा नीति के बारे में भारत में उभरती प्रतिस्पर्धा, विकासशील देशों की चिंता।

– डब्ल्यू०टी०ओ० में प्रतिस्पर्धा संबंधी नियम एवं प्रति-स्पर्धा नीति के बारे में विकासशील देशों की चिंताएं।

– गैट्स के अंतर्गत व्यापार सेवाएं-प्रभाव एवं दृष्टिकोण।

– व्यापार से संबद्ध बौद्धिक सम्पदा (ट्रिप्स)।

– व्यापार वार्ता प्रक्रिया – उभरते मुद्दों की समीक्षा।

– अन्य विकासशील देशों एवं उद्योग की टिप्पणियां।

(घ) से (च) इस सम्मेलन से डब्ल्यू०टी०ओ० प्रणाली के तहत उन प्रमुख मुद्दों पर सभी संबंधित नीति निर्माताओं, प्रशासकों, कार्यपालकों, विविध क्षेत्रों के व्यावसायियों, व्यापार प्रबंधकों, अर्थशास्त्रियों को विचार-विमर्श करने और अपने विचार व्यक्त करने का एक मंच उपलब्ध हुआ जिनसे सामान्य रूप से देश और विशेष रूप से उद्योग जगत जूझ रहा है। यह महसूस किया गया था कि डब्ल्यू०टी०ओ० प्रणाली में विकासशील देशों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए एकजूट होने की जरूरत है।

उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाना

6008. **श्री प्रभात सामन्तराय : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ शिकायतें हैं कि देश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विशेषकर उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का उन क्षेत्रों और देश के अन्य भागों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विशेषकर उड़ीसा में ऐसी योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की वसूली, भंडारण और नामित डिपुओं तक ढुलाई करने और उन्हें राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरण करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन का दायित्व राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होता है।

चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों में उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क सहित कई एजेंसियां शामिल हैं इसलिए उड़ीसा के कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में त्रुटि होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ख) से (घ) उड़ीसा सरकार सहित राज्य सरकारों से उचित दर दुकानों तथा अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कड़ी मानीटरिंग करने का अनुरोध किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपभोक्ताओं तक पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मॉडल स्टिीजन चार्टर तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उसे अपनाने के लिए परिचालित किया गया है। इस विश्वास के आधार पर कि सच्ची लोकतांत्रिक संस्थाएं अवश्य ही राज्य नौकरशाही की अपेक्षा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों की बेहतर सुरक्षा कर सकती हैं, सरकार ने राज्य सरकारों को यह परामर्श भी दिया है कि सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विशेष रूप से उचित दर दुकानों के स्तर पर इसके पर्यवेक्षण और मानीटरिंग करने के काम में ग्राम पंचायतों को अधिकाधिक रूप से शामिल किया जाए।

उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम में अंचल और राज्य स्तरों पर सलाहकार समितियों का गठन किया गया है जो भारतीय खाद्य निगम और राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बीच कड़ी का काम करेंगी। समितियां खाद्यान्नों की वसूली, वितरण और ढुलाई, बिक्री, खाद्यान्नों के निपटान और अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा करेंगी और सिफारिशें करेंगी।

[हिन्दी]

संगमरमर का निर्यात

6009. **डा० जसवंत सिंह यादव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगमरमर के निर्यात में गत तीन वर्षों के दौरान कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार कितना संगमरमर निर्यात किया गया;

(घ) क्या सरकार ने संगमरमर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के मद्देनजर यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए प्रमुख देशों को किया गया संगमरमर का वर्षवार निर्यात नीचे दिया गया है :—

(मूल्य: लाख रुपए में)

देश जहां निर्यात किया गया	1998-99	1999-2000	2000-01
चीन जनवादी गणराज्य	373	1086	4124
मिश्र अरब गणराज्य	50	589	1153
हांगकांग	577	1642	1453
इटली	3457	3774	3856
सऊदी अरब	850	2125	2340
यू०ए०ई०	1125	1264	1630
यू०एस०ए०	1213	1460	1932
अन्य	4046	5895	8219
कुल	11691	17835	24707

(घ) और (ङ) सरकार ने संगमरमर के विकास के संबंध में एक दल का गठन किया है जो खनन मंत्रालय के तहत गठित ग्रेनाईट विकास परिषद् के समग्र दिशा-निर्देशों के अधीन कार्य करेगा। इस दल के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं — संगमरमर के खदानों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का आकलन तथा प्रौद्योगिकी के उन्नयन, खनिजों के वैज्ञानिक उपयोग तथा संगमरमर, संगमरमर उत्पाद तथा इसके निर्यात में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उपायों की सिफारिश करना। यह दल इन मुद्दों पर विचार कर रहा है और अपनी सिफारिशें बाद में करेगा।

[अनुवाद]

वैनिला का निर्यात

6010. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन की आशंकाओं के बावजूद भी भारत के पास वैनिला, जड़ी-बूटी मसालों के निर्यात में एक प्रमुख देश बनने की बहुत शक्ति और अवसर हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जड़ी-बड़ी मसालों के निर्यात के लिए अवसरों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) इस समय देश में अपर्याप्त उत्पादन होने की वजह से भारत वैनिला और जड़ी-बूटी मसालों के विश्व बाजार में एक प्रमुख भागीदार नहीं है।

(ग) जड़ी-बूटी मसालों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) यू०एन०डी०पी० परियोजना के तहत मसाला बोर्ड द्वारा तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में होप नामक एक गैर सरकारी संस्था के जरिए कार्बनिक खेती के तहत जड़ी-बूटी मसालों मुख्यत: रोजमैरी, थीम, पार्सले और ओरेगनों के उत्पादन में सहायता प्रदान कर रहा है।

(ii) मसाला बोर्ड यू०एन०डी०पी० परियोजना के तहत जड़ी-बूटी मसालों के निर्जलीकरण एवं उनसे तेल निकालने के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने में भी सहायता प्रदान कर रहा है।

(iii) केन्द्र सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत, आमदनी पैदा करने वाले एक कार्यकलाप के रूप में जड़ी-बूटी मसालों की खेती करने हेतु दूरदराज के गांवों के जनजातीय लोगों को नीलगिरी में इसका प्रदर्शन किया जाता है।

[हिन्दी]

प्रसार भारती की परिसम्पत्तियां

6011. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार प्रसार भारती की कुल कितनी परिसम्पत्तियां हैं;

(ख) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार इस संस्था में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान प्रसार भारती द्वारा अर्जित आय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रमुख लेखा कार्यालय द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार प्रसार भारती की शुरूआत से इसकी कुल परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रगामी राजस्व परिव्यय 31.3.97 तक की स्थिति के अनुसार 3245 करोड़ रुपये है।

(ख) प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 41,349 है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां क्रमश: 493.06 करोड़ रुपये, 678.03 करोड़ रुपये तथा 711.41 करोड़ रुपये थी।

[अनुवाद]

शुल्क प्रतिअदायगी की दरें

6012. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री सुनील खां
श्री एस० अजय कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा निर्यातकों ने निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु हाल ही में अधिसूचित नई शुल्क प्रतिअदायगी की दरें आस्थगित करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 1.6.2001 को अधिसूचना सं० 29/2001 सीमाशुल्क (गै०टै०) के तहत प्रतिअदायगी की सर्व उद्योग दरों की की घोषणा के बाद चमड़े के लिए निर्यातों संबंधी परिषद ने चमड़ा निर्यातकों की ओर से चमड़े के उत्पादों के लिए प्रतिअदायगी की अपर्याप्त सर्व उद्योग दरों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था। उनके अनुरोध पर विचार करते हुए तथा परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए नए आंकड़ों को ध्यान

में रखते हुए, तारीख 22.6.2001 की अधिसूचना सं० 30/2001-सीमाशुल्क (गै०टै०) के तहत, इन उत्पादों के लिए प्रतिअदायगी की दरों तथा अधिकतम प्रतिअदायगी सीमा में उपयुक्त रूप से वृद्धि करके संशोधन किया गया था।

बी०एच०ई०एल० की इकाईयों का खराब कार्य निष्पादन

6013. **श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी०एच०ई०एल० की किन इकाईयों का इकाई-वार खराब कार्य निष्पादन रहा है;

(ख) क्या सरकार का प्रभावित इकाईयों के खराब कार्यकरण में सुधार लाने हेतु कुछ उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) 2000-2001 की अवधि में घाटे में रहने वाली भेल की इकाइयों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. हैवी इलेक्ट्रिकल (एच०ई०पी०), भोपाल।
2. ट्रांसफार्मर प्लांट (टी०पी०), झांसी।
3. सेन्ट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट (सी०एफ०एफ०पी०), हरिद्वार।
4. इंसुलेटर प्लांट (आई०पी०), जगदीशपुर।
5. कम्पोनेंट फैब्रिकेशन प्लांट (सी०एफ०पी०), रूद्रपुर; और
6. इंडस्ट्रियल सिस्टम्स ग्रुप (आई०एस०जी०), बैंगलोर।

(ख) और (ग) इन इकाइयों का खराब निष्पादन मुख्यत: सामान्य औद्योगिक मंदी एवं रेलवे से घटती हुई खरीदारी से है। यद्यपि, ये इकाइयां अपने निष्पादन को बढ़ाने के लिए लागत में कमी, कामगारों का युक्तिकरण, उत्पादकता उन्नयन, बेहतर माल सूची-नियंत्रण इत्यादि जैसे उपाय कर रही हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी

6014. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 2,467 करोड़ रुपए की लागत वाली 31 परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निधि में से अब तक कितनी राशि वितरित की गई है;

(घ) कितनी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है; और

(ङ) गत वर्ष के दौरान कितनी राशि वितरित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) आधारिक विकास वित्त कंपनी (आई०डी०एफ०सी०) ने वर्ष 2000-2001 के दौरान 31 परियोजनाओं के लिए 2467 करोड़ रु० मंजूर किए। आम तौर पर इनका संवितरण एक वर्ष से अधिक की अवधि में किया जाता है। आई०डी०एफ०सी० ने 15 परियोजनाओं के लिए वर्ष 2000-2001 में 762 करोड़ रु० संवितरित किए।

[हिन्दी]

निजी विमानन कम्पनियों के विरुद्ध फेरा मामले

6015. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) किन निजी विमानन कम्पनियों के विरुद्ध फेरा मामलों में जांच चल रही है;

(ख) किस वर्ष से ये जांच चल रही है और उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जिन निजी विमानन कंपनियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जांच आरम्भ की गई है, उनके नाम जांच आरम्भ करने के वर्ष सहित संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं।

(ग) इन कम्पनियों के विरुद्ध जांच की गई है।

विवरण

	निजी विमानन कम्पनी का नाम	जांच आरम्भ करने का वर्ष
1.	मै० सहारा इण्डिया एयरलाइन्स लि० (अब मै० सहारा एयरलाइन्स लि०)	1999
2.	मै० एन०ई०पी०सी० एयरलाइन्स लि० (मै० एन०ई०पी०सी० इण्डिया लि० का एक प्रभाग)	1999
3.	मै० यू०पी० एयरवेज लि०	1998
4.	मै० सैम एवियेशन प्रा०लि०	1996
5.	मै० इण्डिया एयरवेज प्रा०लि०	2001
6.	मै० डेल्टा एयरलाइन्स प्रा०लि०	1999
7.	मै० फ्रेंक एयरवेज प्रा०लि०	1997

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में अनियमितताएं

6016. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अगस्त, 2001 के जनसत्ता में ''कोशी का टेलीकाम पर आई०डी०बी०आई० मेहरबान'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कोशी का टेलीकाम को उस समय 100 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था जब उषा कंपनी समूह की इस कंपनी के पास कोई कार्य नहीं था और संचार मंत्रालय द्वारा मई, 1999 के दौरान 400 करोड़ रुपए के लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या आई०डी०बी०आई० द्वारा सभी निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके कोशी का टेलीकाम का विशेष पक्ष लिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीतिरिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीय विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसरण में अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित जानकारी प्रकट नहीं की जा सकती है।

फर्जी राशन कार्ड

6017. **श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों में काफी फर्जी राशन कार्ड हैं जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं भारी मात्रा में खुले बाजार में चली जाती हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) सभी फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और फर्जी राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। यद्यपि केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की वसूली, भंडारण और बल्क आवंटन करने के लिए जिम्मेदार है लेकिन गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के माध्यम से उचित तथा जवाबदेह तरीके से खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। 2000 के आबादी अनुमानों के अनुसार देश में 18.3 करोड़ परिवार हैं जिनके प्रति राज्य सरकारों ने 19.5 करोड़ राशन कार्ड जारी करने की सूचना दी है। प्रचालन में अधिक राशन कार्डों में जाली राशन कार्ड भी शामिल हैं।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने वर्ष 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों, चीनी और खाद्य तेलों के विपथन का आकलन करने के लिए मै० टाटा इकानामिक कंसलटेंसी सर्विसेज द्वारा अध्ययन कराया था। अध्ययन में राष्ट्रीय स्तर पर 36 प्रतिशत गेहूं, 31 प्रतिशत चावल, 23 प्रतिशत चीनी और 55 प्रतिशत खाद्य तेलों के विपथन होने का अनुमान लगाया था।

खाद्यान्नों के विपथन का एक कारण जाली राशन कार्डों और राशन कार्डों में जाली यूनिटों की मौजूदगी को भी बताया था।

फरवरी, 1997 में जारी किए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशा निर्देशों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया था कि वे लक्षित परिवारों की पहचान करने के काम में पंचायती राज्य संस्थाओं को शामिल करें। राज्यों को अनुदेश दिए गए थे। कि राशन कार्ड जारी करते समय इसके सम्भावित दुरुपयोग के विरुद्ध हर संभव सावधानी बरतें। जून, 1999 में जारी किए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकाधिक रूप से शामिल करने के लिए दिशा निर्देशों में राशन कार्डों के सही होने की जांच करने के लिए ग्राम पंचायत/ग्राम सभाओं की भूमिका पर जोर दिया गया है। भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध भी किया है कि घर-घर सर्वेक्षण करके जाली राशन कार्डों और राशन कार्डों में जाली यूनिटों को समाप्त करने के लिए आवधिक जांच करें ताकि राजसहायताप्राप्त खाद्यान्नों के विपथन की समस्या को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।

रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबंध

6018. **श्री जे०एस० बराड़ : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए कतिपय श्रेणियों के पदों को भरने पर प्रतिबंध है;

(ख) क्या यह प्रतिबंध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू किया गया है;

(ग) वर्ष 2000-2001 में सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों दोनों में समाप्त किए गए पदों तथा वर्ष 20001-2002 में समाप्त किए जाने वाले पदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने फालतू पदों का पता लगाने के लिए सभी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य मापन अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(च) यदि नहीं, तो पदों को फालतू घोषित करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं। हालांकि एक वर्ष से अधिक अवधि से खाली पड़े पदों को भरे जाने पर प्रतिबंध है। तथापि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक वर्ष में सीधी भर्ती रिक्तियों के एक तिहाई पदों को सीधे भरे जाने पर प्रतिबंध लगाने के अनुदेश भी जारी किए गए हैं बशर्ते यह विभाग की कुल स्वीकृत पद संख्या के 1 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) फालतू पदों की समाप्ति तथा कार्यात्मक तौर पर अतिरिक्त पदों का सृजन एक सतत् प्रक्रिया है। अत: विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न मदों पर खत्म किए गए पदों पर ऐसा कोई आंकड़ा केन्द्रीय तौर पर संकलित नहीं किया जाता है।

(घ) से (च) जनशक्ति अपेक्षाओं का आकलन करने के लिए केन्द्रीय सरकार में विभिन्न विभागों के कार्य-मापन अध्ययन का कार्य समय-समय पर कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस०आई०यू०) द्वारा किया जाता है तथा पदों की संख्या में कटौती/बढ़ोत्तरी का इसका परिणाम कार्यभार पर निर्भर करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पदों की आवश्यकताओं का आकलन सम्बद्ध निदेशक मंडलों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

जापान द्वारा निवेश

6019. श्री रामदास आठवले : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जापान द्वारा देश के किन उद्योगों में निवेश किया गया;

(ख) क्या जापान ने उक्त अवधि के दौरान भारत में कुछ संयुक्त उद्यम भी स्थापित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रत्येक संयुक्त उद्यम में जापान द्वारा कितनी पूंजी का निवेश किया गया;

(ङ) क्या जापान का चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ और संयुक्त उद्यमों में निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान जापान के अनुमोदित किये गये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों और उक्त अवधि में जापान से प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों का वर्ष-वार विवरण नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष (जनवरी से दिसम्बर)	प्रस्तावों की संख्या	अनमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (करोड़ रुपये में)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह की राशि (करोड़ रुपये में)
1998	67	1282.82	780.56
1999	91	1594.73	635.64
2000	65	827.54	681.55

जापान द्वारा निवेश करने के मुख्य क्षेत्र निम्न हैं :— परिवहन उद्योग, दूरसंचार तथा रसायन।

जापान से संबंधित संयुक्त उद्यमों, जो कि पहले से ही अनुमोदित कर दिए गये हैं और उक्त उद्यमों में से प्रत्येक में प्रस्तावित विदेशी इक्विटी की प्रतिशतता से संबंधित विवरण औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित किये गये एस०आई०ए० के मासिक न्यूजलैटर में समाहित किए गए हैं। उक्त न्यूजलैटर का सदन के पुस्तकालय सहित व्यापक रूप से परिचालन किया जाता है। और इसे एस०आई०ए० के वेबसाइट (एच०टी०टी०पी०://डब्ल्यू०डब्ल्यू० डब्ल्यू० एन०आई०सी० आई०एन०/आई०एन०डी०एम०आई०एन०) पर भी स्थापित किया गया है।

(ङ) और (च) जापान को 18 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजनाओं में निवेश करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिनमें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 30.6.2001 तक की अवधि में 77.59 करोड़ रुपये की राशि का निवेश प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

निर्यात धोखाधड़ी

6020. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय/डी०आर०आई० ने मुम्बई से मास्को को 400 करोड़ रुपए की निर्यात धोखाधड़ी के मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय निर्यातकों द्वारा भारत में शुल्क प्रतिअदायगी में बड़ी राशि का दावा करने हेतु निर्यातों का अधिक बीजक बनाया जाता है।

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए शुल्क प्रति अदायगी घोटालों का ब्यौरा क्या है और घोटाले में शामिल निर्यातकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक द्वारा कितने धन का दावा किया गया; और

(ङ) प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और धन की वसूली हेतु क्या कदम उठाये गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। धोखाधड़ी से मुम्बई से मास्को को वस्त्रों के निर्यातों की जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है। जांच करने वाली एजेंसियों द्वारा इस संबंध में अब तक 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) और (घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क गृहों द्वारा ऐसे अनेक मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें निर्यात माल का अधिक बीजक बनाया गया था ताकि निर्यातक कानूनी रूप से देय प्रतिअदायगी की राशि से अधिक राशि का दावा कर सकें। विगत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान पता लगाए गए मुख्य मामलों के ब्यौरा विवरण में दिए गए हैं (जिनमें धोखाधड़ी से प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये अथवा इससे अधिक की राशि की प्रतिअदायगी का दावा किया गया है)।

(ङ) सभी मामलों की जांच-पड़ताल की गयी थी तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अनुसार गलत माल के प्रति तथा धोखाधड़ी से प्रतिअदायगी का दावा करने में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त दांडिक कार्रवाई आरम्भ की गयी थी। प्रतिअदायगी के धोखा-धड़ी संबंधी अधिक गंभीर मामलों में गिरफ्तारी करने के साथ-साथ अभियोजन कार्रवाई का सहारा भी लिया गया था।

विवरण

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

क्रम सं०	निर्यातकों के नाम	अंतर्ग्रस्त प्रति-अदायगी की राशि (लाख रु० में) 10 लाख से अधिक के मामलों के लिए	सीमाशुल्क कार्यालय का नाम जिसने मामले का पता लगाया था
1	2	3	4
	1998-1999		
1.	मै० एन०एम० एक्सपोर्ट्स	61.67	बंगलौर
2.	मै० लीविया एक्सपोर्ट्स	122.17	जयपुर
3.	मै० फेयरडील वर्ल्ड इम्पैक्स	15.40	अहमदाबाद
4.	मै० रायजादा एक्सपोर्ट्स	21.95	अहमदाबाद
5.	मै० अलहुदा इन्टरनेशनल	11.06	चेन्नई
6.	मै० भगवती एक्सपोर्ट्स	11.09	नई दिल्ली
7.	मै० वन्डरलैंड ट्रेडिंग कं०	17.38	नई दिल्ली
8.	मै० ग्लिन्ट्स ग्लोबल्स	28.81	-वही-
9.	मै० बालाजी यूनिवर्सल (प्रा०) लि०	17.01	-वही-
10.	मै० शक्ति इन्टरनेशनल	17.13	-वही-
11.	मै० हैण्डलूम ओनली	41.41	-वही-
12.	मै० रादमी – वी एक्सपोर्ट्स	86.83	-वही-
13.	मै० ओपर्स फैशन	57.08	वही-
14.	मै० पुनीत एक्सप्रोर्ट्स, ओ०के० हौजरी	436	-वही-
15.	मै० परफैक्ट इकरौस (प्रा०) लि०	27.69	-वही-
16.	मै० वाम ओवरसीज	11.74	-वही-
17.	मै० वर्ल्ड फैशन	12.47	-वही-
18.	मै० आर०बी० निट एक्सपोर्ट्स	12.84	-वही-
19.	मै० नेहा इम्पैक्स एण्ड ब्राइट इम्पैक्स	35.00	-वही-
20.	मै० साली एक्सपोर्ट्स	47.00	डी०आर०आई०
21.	मै शिवजी एक्सपोर्ट्स	61.20	-वही-
22.	मै० परसियन कार्पेट्स	19.38	वही-
23.	मै० यूनिक इम्पैक्स एण्ड ग्लोबल आर्ट्स	164.79	-वही-
24.	मै० नीतू फैशन एण्ड अदर्स	93.60	-वही-
25.	मै० मेडीडेंट इंडिया	15.13	वही
26.	मै० पी०एस० इन्टरनेशनल	107.54	वही
27.	मै० मनीतोबा इन्क	31.43	-वही-
28.	मै० ब्रुक्स इंडिल०	31.43	-वही-
29.	मै० ओवरसीज बिजनेस	29.54	-वही-
30.	मै० रोमिल इण्डस्ट्रीज	50.48	-वही-

1	2	3	4
31.	मै० कनक एक्सपोर्ट्स	145.12	डी०आर०आई०
32.	मै० शेलकॉम एक्सपोर्ट्स	58.57	-वही-
33.	मै० विक्ट इंडिल०	51.65	-वही-
34.	मै० विक्टर इंडिल०	26.621	-वही-
35.	मै० ग्लोबस ऑफिस	39.05	-वही-
36.	मै० सी०एम०सी० एक्जिम प्रा०लि०	26.63	-वही-
37.	मै० सी०एम०सी० एक्जिम प्रा०लि०	21.86	-वही-
38.	मै० लिव्या एक्सपोर्ट्स	264.00	-वही-
39.	मै० तिराई ओवरसीज	34.91	-वही-
40.	मै० के०के० ट्रेडर्स	25.50	मुम्बई
41.	मै० शिव कृष्णा एक्सपोर्ट्स	18.18	मुम्बई
42.	मै० ए०जी० इन्टरनेशनल	11.15	मुम्बई
43.	मै० टोपाज एक्सपोर्ट्स एंड अदर्स	234.35	मुम्बई

क्रम सं०	निर्यातकों के नाम	अंतर्ग्रस्त प्रति-अदायगी की राशि (लाख रु० में) 10 लाख रुपए से अधिक के मामलों के लिए	सीमाशुल्क कार्यालय का नाम, जिसने मामले का पता लगाया था
1	2	3	4
	1999-2000		
1.	मै० नाम्बू नायकी एक्सपोर्ट्स	14.98	बंगलौर
2.	मै० मोकासी इंटरनेशनल	16.88	-तदेव-
3.	मै० सन शाईन इंडस्ट्रीज	18.65	-तदेव-
4.	मै० आदर्श टैक्सटाईलस्	17.66	-तदेव-
5.	मै० जे०जी० एक्सपोर्ट्स	12.00	चेन्नई
6.	मै० जिगर-ऐ-हिन्द	30.64	-तदेव-
7.	मै० ओ० मास्टर एक्सपोर्ट्स हाऊस	10.18	-तदेव-

1	2	3	4
8.	मै० सिदशेवा एक्सपोर्ट्स	33.00	डी०आर०आई०
9.	मै० ए०एम०पी० एक्सपोर्ट्स	90.61	तदेव
10.	मै० प्रेसिडेंट फैशन	317.27	तदेव
11.	मै० ओमेगा ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट्स	19.99	तदेव
12.	मै० एन०एम० एक्सपोर्टस	35.09	-तदेव-
13.	मै० क्रिऐटिव अपेरल्स	219.74	-तदेव-
14.	मै० कांची इम्पैक्स	20.23	-तदेव-
15.	मै० मिडलैंड वूलस एंड अन्य	57.54	-तदेव-
16.	मै० राधेश्याम स्टालमैच एंड अन्य	643.86	-तदेव-
17.	मै० डी०के० ब्रदर्स	23.38	-तदेव-
18.	मै० एपैक्स गारमेंट	29.87	-तदेव-
19.	मै० परफैक्ट माइक्रो	1701.00	-तदेव-
20.	मै० अरावली इंड० लि०	692.00	-तदेव-
21.	मै० संदीप इम्पैक्स	39.21	-तदेव-
22.	मै० एस०के० इंटरप्राइजिस	12.66	तदेव
23.	मै० एन०एम० एक्सपोर्ट्स	61.67	तदेव
24.	मै० नाम्बू नायाकी एक्सपोर्ट्स	14.98	-तदेव-
25.	मै० मारवैलो क्रिएशन्स	11.34	-तदेव-
26.	मै० ममला फैशन्स्	32.64	-तदेव-
27.	मै० सरला इंटरप्राइजिस	37.77	-तदेव-
28.	मै० इंटरापोर्ट इंडिया लि०	267.00	-तदेव-
29.	मै० पी०के० एक्सपोर्टस्	23.73	-तदेव-
30.	मै० लक्ष्मी एक्सपोर्ट्स	24.63	-तदेव-
31.	मै० एथनिक	290.00	-तदेव-
32.	मै० प्रिया इम्पैक्स (आई०) लि०	66.00	मुम्बई
33.	मै० श्री गणेश इंटरप्राइसिज	14.90	-तदेव-
34.	मै० एयर ट्रेड इंटरनेशनल	300.00	-तदेव-
35.	मै० सिम्स इंटरप्राइजिस	16.00	-तदेव-
36.	मै० स्पेन एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०	250.00	तदेव

क्रम सं०	निर्यातकों के नाम	अंतर्ग्रस्त प्रति-अदायगी की राशि (लाख रु० में) 10 लाख रुपए से अधिक के मामलों के लिए	सीमाशुल्क कार्यालय का नाम, जिसने मामले का पता लगाया था
	2000-2001		
1.	मै० सेल्फ निटिंग वर्क्स	22.57	बंगलौर
2.	मै० एलिट	14.43	अहमदाबाद
3.	मै० ट्रेड लिंक इंटरनेशनल	15.21	चेन्नई
4.	मै० लक्ष्मी ओवरसीज़ हौजरी	11.43	-तदैव-
5.	मै० अपडेट क्लोथिंग	10.75	-तदैव-
6.	मै० वाफ ट्रेडिंग	16.89	-तदैव-
7.	मै० अरुण एसोसिएटस	17.10	-तदैव-
8.	मै ए०के० इंटरप्राइज़ेस	70.32	-तदैव-
9.	मै० मेरिल एक्सप्रोर्ट	16.30	-तदैव-
10.	मै० क्लासिक एक्सपोर्टस् एंड अन्य	1400.00	डी०आर०आई०
11.	मै० क्लासिक क्लोथिंग	14.57	-तदैव-
12.	मै० आफाक लैदरस्	18.46	-तदैव-
13.	मै० पान क्लोथिंग	14.68	-तदैव-
14.	मै० बाबू इंटरप्राइजेस	62.84	-तदैव-
15.	मै० एलैक्स इंटरप्राइज़ेस	42.90	-तदैव-
16.	मै० ब्रिज इम्पेक्स	70.55	-तदैव-
17.	मै० एस०वाई० इन्दुआ	13.25	-तदैव-
18.	मै० एस०आर०जी० इंटरनेशनल	306.00	-तदैव-
19.	मै० ए०डी० एक्सपोर्ट्स	23.12	-तदैव-
20.	मै० कलेंडा एक्सपोर्टस् एंड अन्य	275.80	मुम्बई
21.	मै० एयर ट्रेड इंटरनेशनल	300.00	-तदैव-
22.	मै० ममता फैशनस्	16.00	-तदैव-
23.	मै० क्वालिटी एक्सपोर्टस्	75.60	-तदैव-
24.	मै० क्वालिटी अपारल्स्	56.00	-तदैव-

ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए अलग बीमा कम्पनी

6021. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र को जोखिम कवर प्रदान करने हेतु अलग बीमा कम्पनी स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में आई०आर०डी०ए० से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) देश में फसल बीमा कारोबार करने के लिए एक पृथक संगठन स्थापित करने की दृष्टि से ब्यौरे तैयार करने हेतु सरकार द्वारा गठित अन्त: मंत्रालयीन समूह ने इस प्रयोजन के लिए एक पृथक संगठन स्थापित करने की सिफारिश की है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की नई निवेश योजनाएं

6022. श्री पी०आर० खूंटे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस०आई०डी०बी०आई०) का व्यापार को अधिकतम स्तर तक बढ़ावा देने के लिए बाजार की आवश्यकताओं के मद्देनजर नई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि अच्छे कार्य निष्पादन वाले विद्यमान उन ग्राहकों/कारोबारी घरानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना अर्थात त्वरित वित्तपोषण योजना (प्रत्यक्ष वित्त) लागू की गई है, जिन्हें अतीत में वापसी अदायगी का संतोषजनक रिकार्ड रखने के कारण सिडबी द्वारा सहायता प्रदान की गई है, ताकि उन्हें थोक आर्डरों को पूरा करने की उनकी आकस्मिक अपेक्षाओं को पूरा करने या आंशिक

विस्तार और/या प्रौद्योगिक के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी व्यय पूरा करने में समर्थ बनाया जा सके।

सिडबी निम्नलिखित मूर्त और अमूर्त क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए एक न्वोन्मेषी और लचीली विपणन योजना भी परिचालित कर रही है :—

- मुख्य रूप से लघु, कुटीर और ग्रामोद्योग के उत्पादों के विपणन हेतु नए शोरूम स्थापित करना और या विद्यमान शौरूमों का जीर्णोद्धार करना।
- स्थायी प्रदर्शन केन्द्र, विपणन एम्पोरियम, डिजाइन और फैशन पूर्वानुमान केन्द्र आदि जैसे आधारभूत ढांचे का विकास करना जिससे अधिकांश लघु उद्योग क्षेत्र लाभान्वित हो सकें।
- लघु उद्योग एककों को डाटा बैंक, पुस्तकालय, इंटरनेट सेवाओं आदि जैसी विपणन सहायता प्रदान करने की सुविधाएं जुटाना।
- बाजार शौध, आर एंड डी, उत्पाद उन्नयन तथा मानीकीरकण, रणनीतिक विपणन योजना की तैयारी, विज्ञापन, ब्रांड तैयार करना, कैटलाग तैयार करना, बिक्री को बढावा, पर्यटन और विपणन के अनुकूल क्रियाकलापों में कार्मिकों को प्रशिक्षण जैसे अमुर्त क्रिया-कलाप।
- घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में लघु उद्योग के विपणन को बढ़ावा देने वाले कोई अन्य क्रियाकलाप।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दूरदर्शन सुविधाएं

6023. श्री विष्णु पद राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अंडमान जिले के हरी नगर, दिगलीपुर, मिल्लनग्राम, स्वराजग्राम और द्वीपों में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय क्षेत्रों में भी दूरदर्शन का कोई कवरेज नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रों में दूरदर्शन कवरेज प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में डिगलीपुर स्थित एक ट्रान्समीटर सहित आठ ट्रान्समीटर अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के अण्डमान जिले में स्थलीय कवरेज उपलब्ध करा रहे हैं और पांच ट्रान्समीटर निकोबार जिले में दूरदर्शन कवरेज उपलब्ध करा रहे हैं। तथापि, दूरदर्शन संकेत उपग्रह पद्धति के जरिए सम्पूर्ण देश में उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती द्वारा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के कवर न किए भागों सहित देश के विभिन्न भागों में दूरदर्शन स्थलीय कवरेज का विस्तार क्रमिक चरणें में किया जाता है और इस बारे में स्कीमें संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए तैयार की जाती है।

समाचार बुलेटिन

6024. श्री भर्तृहरि महताब : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्रों को प्रत्येक राज्य में दिन में दो बार सुबह और शाम क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कौन से दूरदर्शन केन्द्रों को यह सुविधा प्राप्त है; और

(घ) किन दूरदर्शन केन्द्रों में अभी तक नियमित रूप मे क्षेत्रीय भाषा में समाचार बुलेटिन प्रसारित नहीं किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) मे (ग) प्रसार भारती ने बताया है कि दूरदर्शन कुछ राज्यों में दूरदर्शन केन्द्रों से दिन में दो बार अर्थात प्रात: और सायं क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित कर रहा है। उक्त दूरदर्शन केन्द्रों की सूची इन केन्द्रों द्वारा प्रसारित समाचार बुलेटिनों के विवरण सहित विवरण-I में दी गई है।

(घ) नियमित क्षेत्रीय भाषा समाचार बुलेटिन प्रसारित न करने वाले दूरदर्शन केन्द्रों की सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

दूरदर्शन में विभिन्न क्षेत्रीय समाचार यूनिटों द्वारा प्रसारित समाचार बुलेटिनों का विवरण (15.8.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	दूरदर्शन केन्द्र का नाम	भाषा (भाषाएं) जिनमें समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं	समाचार बुलेटिनों के प्रसारण समय (0000 घंटे)
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	गुजराती	(i) 0830 0850 (सोम से शनि)
			0900-0920 (रविवार को)
			(ii) 1600-1605
			(iii) 1900-1920

1	2	3	4
2.	बंगलौर	कन्नड़	(i) 0745-0755 (ii) 1900-1915
3.	भुवनेश्वर	उड़िया	(i) 1900-1915
4.	भोपाल	हिन्दी	(i) 1900-1915
5.	कोलकाता	बंगला	(i) 0645-0655 (ii) 0850-0900 (iii) 1002-1007 (iv) 1600-1610 (v) 1900-1915 (vi) 2220-2235
		उर्दू	(vii) 1915-1925
6.	चैन्नई	तमिल	(i) 0700-0715 0715-0720 (समाचारपत्रों से) (ii) 1200-1205 (iii) 1430-1440 (iv) 1900-1905 (शनिवार और रविवार) (v) 2030-2100
7.	गुवाहाटी	असमिया	(i) 0902-0907 (ii) 1915-1930
		अंग्रेजी	(iii) 1900-1915
8.	हैदराबाद	तेलुगु	(i) 0750-0800 (ii) 1900-1915
		ऊर्द	(iii) 1915-1925
9.	जयपुर	राजस्थानी	(i) 1600-1615
		हिन्दी	(ii) 1900-1915
10.	जालन्धर	पंजाबी	(i) 0815-0830 (ii) 1700-1705 (iii) 1900-1915
11.	जम्मू	डोगरी	(i) 1900-1910
12.	लखनऊ	हिन्दी	(i) 1900-1915
		उर्दू	(ii) 1915-1920
13.	मुम्बई	मराठी	(i) 0830-0840 (सोम से शनि तक) 0900-0910 (रविवार को) (ii) 1430-1440 (iii) 1900-1915 (iv) 2130-2200
14.	पटना	हिन्दी	(i) 1900-1915
		उर्दू	(ii) 1915-1925
15.	श्रीनगर	कश्मीरी	(i) 0900-0905 (ii) 1430-1435 (iii) 1900-1915
		उर्दू	(iv) 1915-1930 (v) 1930-1935 (न्यूज मैगजीन कार्यक्रम)
16.	शिमला	हिन्दी	(i) 1900-1915
17.	तिरूवनन्तपुरम	मलयालम	(i) 0815-0825 (ii) 1700-1705 (iii) 1900-1915

टिप्पणी : 1. रविवार को सायंकालीन क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों का समय 1.3.2000 से 1830 बजे से बदलकर 1900 बजे कर दिया गया है।

2. विधान सभा सत्रों के दौरान सभी क्षेत्रीय समाचार एककों द्वारा सायंकाल में 1900 बजे के बुलेटिन के बाद विशेष विधान सभा समाचार प्रसारित किए जाते हैं।

विवरण

नियमित क्षेत्रीय भाषा समाचार बुलेटिन प्रसारित न करने वाले दूरदर्शन केन्द्रों की सूची (आज की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	दूरदर्शन केन्द्र
1	2
1.	पणजी
2.	पांडेचेरी
3.	शिलांग
4.	इम्फाल
5.	ईटानगर
6.	कोहिमा
7.	एजवाल
8.	अगरतला
9.	चंडीगढ़
10.	पोर्टब्लेयर
11.	गंगटोक
12.	रांची
13.	बरेली
14.	देहरादून
15.	रायपुर

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के क्षेत्राधिकार में भारतीय यूनिट ट्रस्ट को लाया जाना

6025. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अन्तर्गत आने वाली सभी योजनाओं को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। यू०टी०आई० ने सूचित किया है कि दिनांक 29 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार प्रचालन में 75 घरेलू स्कीमों में से 70 स्कीमें सेबी से अनुमोदित हैं।

सरकार के सुझाव पर यूटीआई ने श्री वाई०एच०मालेगाम की अध्यक्षता में कारपोरेट स्थिति-निर्धारण के संबंध में एक समिति का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों व म्यूचुअल फंड उद्योग में घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मक व वाणिज्यिक स्थिति निर्धारण की समीक्षा करे तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के म्यूचुअल फंड विनियमों का पूर्णतया अनुपालन करने में यू०टी०आई० को सक्षम बनाने हेतु संगत विधान में संशोधनों सहित समुचित अनुवर्ती कार्रवाई योजनाओं की अनुशंसा करे।

यू०टी०आई० ने सूचित किया है कि यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ऋण पुनर्भुगतान योजना

6026. **श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अगस्त, 2001 के इंडियन एक्सप्रेस में "जंक इन दुबई फ्रॉड इन मास्को, रिच इन मुम्बई" शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) ऋण पुनर्भुगतान योजना के अंतर्गत अब तक रूस को किए गए ऋण पुनर्भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ निर्यातकों द्वारा इस योजना का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं कि इस समझौते के अनुसार इस योजना के अंतर्गत किया गया निर्यात रूस को मिले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी हां। यह समाचार कि रूसी ऋण वापसी अदायगी स्कीम का धोखा देने का उल्लेख करता है, अन्य बातों के साथ-साथ, जैसा कि स्कीम के दुरुपयोग, जैसा कि जांचकर्ता एजेंसियों द्वारा पता लगाया गया है भारी धोखाधड़ी के साक्ष्य, कालेधन के वैधीकरण और रूस को प्रेषित बहुत से प्रेषणों को रास्ते में दुबई मोड़ने का पता लगाया गया है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बेईमान निर्यातकों द्वारा इस स्कीम का दुरुपयोग किया जा रहा है और पहले ही राज्य रुपया क्रेडिट की वापसी अदायगी से बहुत से भारतीय निर्यातकों द्वारा रूस को भारत से धोखा-धड़ी से किए गए निर्यातों के संबंध में विस्तृत जांच-पड़ताल करने का आदेश दिया है। जांच से अब तक प्रकट हुआ है कि विभिन्न निर्यातकों द्वारा रूस को निर्यात किए गए थे परन्तु रास्ते में उतार लिया गया और तीसरे पक्ष को अधिकांशतः दुबई में सौंप दिया गया था। ऐसे बहुत से प्रेषणों में शुल्क प्रतिअदायगी का धोखे से दावा भी शामिल है। डी०आर०आई० और सरकार की अन्य जांच-कर्ता एजेंसियों द्वारा जांच-पड़ताल जारी है।

(च) ऋण वापसी अदायगी के द्वारा रूस को भारत के निर्यातों के लिए मानीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बुलायी गई बैठक में बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी शाखाओं को राज्य क्रेडिट की वापसी अदायगी स्कीम के तहत रूस को निर्यातों से संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा करते समय सावधानी बरतें और तब तक क्रेडिट पत्रों में समझौता न करें जब तक कि वे कि उनके ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत किए दस्तावेजों के आधार पर संतुष्ट न हो कि उक्त दस्तावेजों के तहत कवर किया गया माल रूस पहुंचेगा। आसूचना एजेंसियों को भी सतर्क किया गया है कि रूस को जाने वाले माल के विपथन को रोकने के लिए सतर्क रहें।

[हिन्दी]

बैंकों के निदेशक

6027. **कुंवर अखिलेश सिंह :**
डा० बलिराम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के वे बैंक कौन-कौन से हैं जिसके निदेशक जन प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के वे बैंक कौन-कौन से हैं जिनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को निदेशक के रूप में अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है;

(ग) उक्त पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं और रिक्त पदों को कब तक भरने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्तियों सम्बद्ध संविधि में निहित मानदंड और प्रक्रिया के अनुसरण में की जाती हैं। जन प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता को संगत संविधि के अधीन विषय के रूप में विशेष रूप से शामिल नहीं किया जाता है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति करते समय विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव पर विचार किया जाता है। तथापि, सरकार बैंकों के बोर्डों के गठन में भारतीय समाज के विविधता को दर्शाने का प्रयास करती है।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर कंपनियों को लाभ

6028. श्री रामजी मांझी :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि सॉफ्टवेयर कंपनियों को प्रोत्साहन देने में की गई अनियमितताओं के कई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार छूटों और कटौतियों की प्रतीक्षा करने वाले निर्धारितियों के संबंध में रिकॉर्ड नहीं रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे मामलों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2001 (अध्याय 2) की रिपोर्ट संख्या 12 क में यह सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल प्रभारों में अनेक कम्प्यूटर साफ्टवेयर कंपनियों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80ज ज ङ, 10क और 10ख के अंतर्गत अनियमित और गलत कटौतियों की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) आयकर विभाग के संबंधित क्षेत्राधिकार वाले कार्यालयों में ऐसे सभी अभिलेख रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बताये गये सभी मामलों में गलतियों को सुधारने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

किरण लैदर इंटरनेशनल के विरुद्ध कार्रवाई

6029. श्री जी० पुट्टास्वामी गौडा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 में किरण लैदर इंअरनेशनल के मालिकों द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ 50 लाख रुपये की धोखा-धड़ी की गई थी और इस बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली में मामला दर्ज किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिये कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या बैंक के दोषी अधिकारियों और फर्म के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की गयी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सुश्री सरोज खुशवाह की स्वामित्व फर्म मैसर्ज किरण लैदर इन्टरनैशनल को सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की सुखदेव विहार शाखा, नई दिल्ली द्वारा 27.2.1996 को 70 लाख रुपये के निर्यात आदेश के लिए 50 लाख रुपये की पैकिंग ऋण यह निर्यात बिल सुविधा मंजूर की गई थी जो उनके ससुर की 77.12 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति की समर्थक प्रतिभूति के स्थान पर थी। आन्तरिक जांच के दौरान यह पता चला कि उधारकर्ता ने 6.60 लाख रुपये का नकद आहरण करके और 38.75 लाख रुपये चेन्नई के मैसर्ज कानकोर्ड लैदर के पक्ष में मांग ड्राफ्ट के माध्यम से विप्रेषित करके उन्हें जारी की गई सीमा का दुरुपयोग किया था जिन्होंने इन ड्राफ्टों को ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के साथ खाता खोलकर भुनाया था और इसके बाद खाता बन्द कर दिया गया। विप्रेषण के विरुद्ध फर्म ने कोई माल नहीं खरीदा था। बंधक भी स्वत्व विलेख की फोटोप्रति के आधार पर किया गया था जो अन्य दावेदारों द्वारा विवादग्रस्त है।

(ग) से (ङ) फर्म द्वारा धोखाधड़ी शाखा कार्यचारियों के सहयोग से की गई थी जिन्होंने नकद आहरण और स्वत्व विलेख की फोटोप्रति के विरुद्ध बंधक करने की अनुमति देकर सीमा का दुरुपयोग करने दिया। शाखा निधियों का अंतिम उपयोग करने में भी असफल रही। बैंक ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) के साथ एक शिकायत दर्ज की थी जिन्होंने जांच के बाद दोनों फर्मों/मालिकों और धोखाधड़ियों में लिप्त दो बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किए। बैंक ने ऋण वसूली अधिकरण में वसूली वाद भी दायर किया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के क्षेत्राधिकार में म्यूचुअल फंड को लाना

6030. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार म्यूचुअल फंड्स को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नियमों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा म्यूचुअल फंड्स को उचित रूप से धन मुहैया कराने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अनुसार म्यूचुअल फंडों का सेबी के साथ पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है। सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अन्तर्गत म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) म्यूचुअल फंडों द्वारा निवेशकों से एकत्रित निधियों का प्रबंध परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा किया जाता है। सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के लिए 10 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता निर्धारित की है। सेबी के विनियमों के अनुसार म्यूचुअल फंडों के न्यासियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये सेबी के विनियमों के अनुसार चलाई जा रही हैं। सेबी म्यूचुअल फंडों द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से और स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा किए गए आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से भी विनियमों के अनुपालन का अनुवीक्षण करता है।

एयर इंडिया के विनिवेश में जे०एम०एम०एस० की भूमिका

6031. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के लिए सरकार की ओर से विनिवेश प्रक्रिया में मैसर्स जे०एम० मार्गन स्टैन्ले की क्या भूमिका है;

(ख) क्या जे०एम० मार्गन स्टैन्ले के प्रमुख टाटा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों में अग्रणी प्रबंधक हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने जे०एम० मार्गन स्टैन्ले को एयर इंडिया के विनिवेश में निवेश बैंकर्स के रूप में नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार निवेश बैंकर्स की नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी तथा एयर इंडिया के विनिवेश में जे०एम० मार्गन स्टैन्ले की भूमिका की पूरी तरह जांच-पड़ताल की जाएगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) एयर इण्डिया में सरकारी इक्विटी के विनिवेश में सरकार को परामर्श और सहायता देने के लिए मैसर्स जे०एम० मॉर्गन स्टेनले प्राइवेट लिमिटेड (जे०एम०एम०एस०) को सलाहकर के रूप में नियुक्त किया गया है। जे०एम० मॉर्गन स्टेनले का उत्तरदायित्व विनिवेश के लिए एक संचालनात्मक योजना तैयार करना है। इनमें सभी प्रकार के विपणन पहलू तथा बातचीत से संबंधित मसलों पर परामर्श, विनिवेश से संबंधित दस्तावेजों/करारों को पक्का करना, विक्रय उपरांत का परामर्श और अन्य संबंधित मसले शामिल हैं।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मैसर्स जे०एम० मॉर्गन स्टेनले प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष को इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के निदेशक मण्डल में अपनी व्यक्तिगत हैसियत से एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था न कि टाटा ग्रुप के एक नियुक्ति के रूप में। वे 29 मार्च, 2001 को इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के निदेशक मण्डल में शामिल हुए थे और निदेशक मण्डल की किसी बैठक में उपस्थित हुए बिना उन्होंने 25 मई, 2001 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इस समय जे०एम० मॉर्गन स्टेनले टेलको लिमिटेड द्वारा उपर्युक्त आधार पर शेयरों को जारी करने के लिए अग्रणी प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है।

(ग) जी, नहीं। जे०एम० मॉर्गन स्टेनले को एयर इंडिया में विनिवेश के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है न कि निवेश बैंकरों के रूप में।

(घ) उपुर्यक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जे०एम० मॉर्गन स्टेनले की नियुक्ति पारदर्शी और प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से की गई है।

(ङ) और (च) सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया के लिए सलाहकारों की अहर्ता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों में निर्धारित मापदण्ड विभिन्न विनिवेश सौदों में सभी सलाहकारों पर समान रूप से लागू होंगे।

मसालों का निर्यात

6032. **श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड काली मिर्च और अन्य मसालों का निर्यात करने हेतु उनके उत्पादन को प्रोत्साहन दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 में तथा वर्ष 2001-2002 की प्रथम तिमाही में निर्यात किए गए विभिन्न मसालों की मदवार मात्रा कितनी है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में पिछले वर्ष के सदृश अवधि की तुलना में मसालों के निर्यात में 12% की कमी दर्ज हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस अवधि के दौरान मसाला निर्यात की मात्रा में भी जबरदस्त कमी आई है;

(च) क्या विदेशी बाजार भारत के घटिया किस्म के मसालों को अस्वीकार करते हैं; और

(छ) इस कमी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) मसाला बोर्ड का संबंध केवल इलायची के उत्पादन और सभी मसालों के निर्यात से है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) मसालों के निर्यात में प्रमुख गिरावट का कारण काली मिर्च के निर्यात में गिरावट है जिसका मसालों के निर्यात से होने वाली कुल आय में प्रमुख हिस्सा है। मिर्च के निर्यात में गिरावट वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्द्धी देशों द्वारा सस्ती कीमतों की पेशकश और आपूर्ति स्थिति में वृद्धि के कारण आयी है। मसालों के निर्यात में गिरावट के अन्य कारणों में शामिल हैं – जीरा, मेथी, अदरक और अन्य बीज मसालों के मामले में पर्याप्त मात्रा में निर्यात योग्य बेशी की अनुपलब्धता; अजमोदा व सौंफ के मामले में कम अंतर्राष्ट्रीय मांग और अदरक, धनिया, लाल मिर्च और मेथी के मामले में प्रतिस्पर्द्धी देशों द्वारा प्रदत्त सस्ती कीमतें।

(ङ) जी, हां।

(च) यद्यपि प्रमुख विदेशी क्रेताओं जैसे कि यू०एस०ए०, यूरोप, जापान आदि द्वारा अफ्लाटॉक्सिन, माइक्रोबिअल लोड, कीटनाशी अपशिष्ट इत्यादि के संदर्भ में गुणवत्ता मानदंडों के कड़े उपाय किए गए हैं। तथापि वे घटिया क्वालिटी होने के कारण भारतीय मसालों को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं।

(छ) मसालों के निर्यातों में गिरावट को रोकने के लिए प्रस्तावित कदमों में शामिल हैं :–

(i) पूर्वोत्तर सहित गैर-परम्परागत क्षेत्रों में काली मिर्च की खेती शुरू करना;

(ii) कृषि निर्यात जोनों में सेवा प्रदानकर्त्ताओं के जरिए निर्यात के प्रयोजन के प्रमुख मसालों अर्थात काली मिर्च, सोंठ, लाल मिर्च, हल्दी की खेती को प्रोत्साहित करना;

(iii) परम्परागत और गैर-परम्परागत क्षेत्रों में प्रमुख मसालों के जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना और थोक के साथ-साथ उपभोक्ता पैकों में जैविक मसालों के विपणन को समर्थन देना;

(iv) उच्च मूल्य वाली मदों जैसे कि वैनिला और वनस्पति मसालों की खेती शुरू करना और विशेषीकृत प्रसंस्करण के द्वारा मूल्यवर्द्धन को आगे बढ़ावा देना;

(v) सरकार की बाजार पहुंच संबंधी पहल कार्यक्रम के जरिए चुनिन्दा देशों विशेषत: एल०ए०सी० देशों में मूल्यवर्द्धित व प्रसंस्कृत मसालों को बढ़ावा देने के लिए बाजार अध्ययन एवं अनुसंधान करना;

(vi) विकसित देशों में उच्च मूल्य वाली मदों की शुरूआत करने के लिए मसालों के क्लिनिकल परीक्षण सहित स्वास्थ्य एवं औषधीय महत्व का अध्ययन करने हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य करना;

(vii) जापान को नमकीन अदरक के निर्यात के लिए पूर्वोत्तर में अदरक प्रसंस्करण के लिए संयुक्त उद्यम एककों की स्थापना करना;

(viii) गुणवत्ता मानदंडों के सुमेलीकरण को सहायता देना और गुणवत्ता उन्नयन के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ix) वाष्प विसंक्रमण, सुखा व पीसने, उत्तम सूक्ष्म निष्कर्षण एककों आदि जैसी बेहतर प्रसंस्करण एककों की स्थापना करना

विवरण

मात्रा : टन में

मूल्य : लाख रुपये में

मद	अप्रैल-मार्च 2000-01		अप्रैल-जून, 2001	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
काली मिर्च	19250	32632.75	7700	8240.00
इलायची (छोटी)	1100	5654.70	190	1091.25
इलायची (बड़ी)	1645	2768.75	275	450.00
लाल मिर्च	61000	19523.50	16500	5310.00
अदरख	6580	2295.40	1150	506.00
हल्दी	34500	9106.00	10500	2175.00
धनिया	11700	2742.50	1950	583.50
जीरा	13800	11743.50	3800	3387.00
अजमोदा	5250	1700.50	800	260.00
सौंफ	4000	1778.00	1400	600.00
मेथी	9050	1787.50	1250	362.50

1	2	3	4	5
अन्य बीज (1)	2425	896.25	950	332.50
लहसुन	11000	1040.30	700	126.00
अन्य मसाले (2)	35000	14490.00	9500	3300.00
करी पाउडर	6200	3997.00	1250	812.50
मिंट ऑयल	3875	12645.00	975	3493.75
स्पाइंस ओलियोरेसिन एवं अन्य तेल	3625	36405.00	950	9577.50
कुल	230,000	161206.65	59840	40607.50

बैंकों का कैश रिजर्व रेशो

6033. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह दिशानिर्देश जारी किए हैं कि बैंकों द्वारा अन्तर बैंक देयताओं के संबंध में 3 प्रतिशत तक कर न्यूनतम ''कैश रिजर्व रेशो'' बनाए रखने की आवश्यकता नहीं हैं;

(ख) ये दिशानिर्देश किस तिथि को जारी किए गए थे;

(ग) इस दिशानिर्देशों का बैकों को नकदी प्राथमिकता संबंधी अवस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु ''कैश रिजर्व रेशो'' में कमी लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को 11 अगस्त, 2001 से शुरू हुए पखवाड़े से 15 दिन और इससे अधिक की तथा एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाली अंतर बैंक सावधि जमाराशियों/मीयादी उधार देयताओं पर 3.0 प्रतिशत की न्यूनतम सांविधिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात की आवश्यकता के निर्धारण से छूट प्रदान की गई है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 15 दिन और इससे अधिक की तथा एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाली अंतर बैंक सावधि जमाराशियों/मीयादी उधार देयताओं पर 3.0 प्रतिशत की न्यूनतम सांविधिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात की आवश्यकता की छूट से यह आशा की जाती है कि बैंकों को लागत पर मामूली बचत होने के अतिरिक्त, अंतर-बैंक सावधि मुद्रा बाजार के विकास में सहायता मिलेगी।

दिनांक 19 अप्रैल, 2001 को घोषित भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक एवं ऋण नीति में यह कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का यह सुनिश्चित करने का सतत् प्रस्ताव है कि ऋण संबंधी सभी वैध आवश्यकताएं मूल्य की स्थिरता के अनुरूप पूरी की जाएं। इस उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक राजकोष बिलों की दुतरफा बिक्री/खरीद तथा आवश्यकतानुसार आरक्षित नकदी निधि अनुपात में और कमी सहित खुले बाजार के कार्यकलाप के माध्यम से चलनिधि की सक्रिय मांग के प्रबंधन की अपनी नीति रखेगा। तद्नुसार, 19 मई, 2001 से शुरू हुए पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात को 0.5 प्रतिशत बिन्दु कम करके 8.0 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत कर दिया गया। आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी किए जाने से बैंकों के उधार देने योग्य संसाधनों में लगभग 4500 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

सेलम मैग्नासाइट निगम का विनिवेश

6034. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु स्थित सेलम मैग्नासाइट निगम का विनिवेश किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेलम मैग्नासाइट निगम को आर्थिक एवं तकनीकी रूप से सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) सेलम, तमिलनाडु में स्थित मैग्नासाइट निगम नामक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम नहीं है। अत: इसके विनिवेश का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन

6035. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त संगठन से हमारे देश को मिले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय वस्तु निकाय है जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चीनी करारों का संचालन करता है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1992 लागू है और इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) विश्व के चीनी मामलों तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना।

(ii) चीनी के संबंध में तथा विश्व चीनी अर्थव्यवस्था में सुधार के तरीकों पर अंतर्सरकारी परामर्शों के लिए एक मंच मुहैया करना।

(iii) विश्व चीनी बाजार तथा अन्य स्वीटनरों के बारे में सूचना एकत्र तथा प्रदान करके व्यापार को सुविधा देना।

(iv) चीनी की बढ़ी हुई मांग को, विशेष रूप से अपारम्परिक उपयोगों के लिए, बढ़ावा देना।

(ख) 1961 से भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय चीनी करारों का सदस्य रहा है। विश्व के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में भारत के लिए आवश्यक है कि वह अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का सदस्य बना रहे। इस करार का सदस्य होने के नाते हम देशवार चीनी के उत्पादन/खपत और संभावित आयात/निर्यात, बाजार-समीक्षा, मूल्य और उनमें भावी प्रवृत्ति, सह-उत्पादों के उपयोग सहित चीनी उद्योग में हो रहे विभिन्न परिवर्तनों के आकलन तथा विभिन्न देशों में नीतियों में हो रहे परिवर्तनों और अन्य ऐसे मामलों के मुतालिक चीनी के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह संगठन हमें चुकन्दर चीनी उद्योग तथा कृत्रिम स्वीटनरों के बारे में विस्तृत इम्पेक्ट रिपोर्ट/विश्लेषण/आकलन भी उपलब्ध करता है। ये सभी सूचनाएं हमारे देश के लिए चीनी के आयात/निर्यात की योजना बनाने के लिए उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का सदस्य होने के नाते हम चीनी तथा गन्ने से संबंधित परियोजनाओं के लिए ''कॉमन फण्ड फॉर कमाडिटीज'' से धनराशि देने का भी अनुरोध कर सकते हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रतिनिधि को वर्ष 2001 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद का अध्यक्ष चुना गया था तथा अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद् का 19वां अधिवेशन 28 मई, 2001 से 30 मई, 2001 तक भारत में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ था।

रूग्ण सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

6036. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री शिवाजी माने :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के पुनरूद्धार पैकेज की जांच करने हेतु उच्चाधिकार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक वे रुग्ण सहकारी चीनी मिलें कौन-कौन सी हैं जिनके मामले में उक्त समिति द्वारा जांच की गई है और उनमें से प्रत्येक को राज्यवार और मिलवार उपलब्ध कराया गया पुनर्वास पैकेज क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सहकारी चीनी मिलों की रुग्णता के कारणों और इन मिलों के वित्तीय एवं भौतिक निष्पादन की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी हां, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से मामला प्राप्त होने पर संभावित व्यवहार्य सहकारी चीनी इकाइयों को जीवन-क्षम बनाने के पैकेजों की जांच करने अथवा अव्यवहार्य इकाइयों का रुग्ण चीनी मिलों की निकटवर्ती इकाइयों के साथ विलय करने के बारे में विचार करने के लिए सचिव (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

(ख) इस समिति ने अभी तक सहकारी चीनी मिल के किसी भी मामले को मंजूरी नहीं दी है। समिति द्वारा सहकारी चीनी फैक्ट्रियों को जीवनक्षम बनाने संबंधी पैकेजों से संबंधित कार्य आरम्भ करने से पहले चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि संभावित व्यवहार्य रूग्ण चीनी उपक्रमों को उनके पुनर्स्थापन के लिए सुगम शर्तों पर ऋण मुहैया किया जा सके। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) सहकारी चीनी मिलों का बन्द/रूग्ण होना कई कारणों से हो सकता है जैसे गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, अलाभकार आकार, प्लांट व मशीनरी का पुराना तथा खराब स्थिति में होना, तकनीकी तथा प्रबंधकीय अक्षमता, अत्यधिक गन्ना मूल्य जो बिक्री से प्राप्त वसूली के अनुरूप न हो।

नेपाल के माध्यम से आयात

6037. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नेपाल के साथ कोई बैठक आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है; उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने नेपाल के माध्यम से वनस्पति, एक्रिलिक यार्न और जिंक आक्साइड का आयात करने में वृद्धि करने का मुद्दा नेपाल सरकार के साथ उठाया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा भारतीय उद्योगों को बचाने के लिए सस्ते वनस्पति और अन्य उत्पादों के आयात को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए काठमांडू में 2-5 अगस्त, 2001 को भारत-नेपाल अंतर सरकारी समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। शिष्टमंडलों की अध्यक्षता भारत और नेपाल के वाणिज्य सचिवों द्वारा की गई थी। बैठक में चर्चा के मुद्दों में शामिल थे: निवेशों का संवर्द्धन एवं संरक्षण, मानदंडों को सुसंगत बनाना, यानीय ट्रैफिक का विनियमन, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार, संयुक्त उद्यम, नेपाल में उत्सर्जन संबंधी मानदंडों का भारतीय वाहनों के निर्यात पर प्रभाव, भारतीय प्रदेश के जरिए नेपाली व्यापार के पारगमन से संबंधित सुविधाएं और नेपाल में विनिर्मित वस्तुओं के भारत में शुल्क मुक्त प्रवेश की सुविधा।

(ग) से (च) भारतीय पक्ष ने उल्लेखित किया कि संधि द्वारा प्रदत्त अधिमानी व्यापार व्यवस्था के अधीन कुछ नेपाली वस्तुओं जैसेकि वनस्पति, एक्रिलिक यार्न, कॉपर वायर और जिंक आक्साइड के आयातों में बढ़ोतरी हुई हैं और इन आयातों का भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि भारतीय उद्योग की रक्षा के लिए संधि के तहत सुरक्षोपायों की जरूरत है। नेपाली पक्ष ने ऐसे उपाय किए जाने के प्रति चिन्ता व्यक्त की। तथापि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि इन समस्याओं को तत्काल आधार पर हल करने की जरूरत है।

संचयनी बचत एवं निवेश कंपनी के विरुद्ध शिकायतें

6038. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संचयनी बचत एवं निवेश कंपनी के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या निवेशक शिकायत मंच सहित कई निवेशक संघों ने इस संबंध में शिकायत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संचयनी बचत और निवेश (आई) लिमिटेड (एस०एस० आई०एल०) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 23 नवम्बर, 1994 को जमाराशियां स्वीकार करने के लिए रोका गया था। तथापि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 23 जुलाई, 1996 को प्रतिबंधक आदेश रद्द कर दिए। 6 फरवरी, 1999 को बैंक ने कंपनी को निदेश दिए कि वे नई जमाराशियां स्वीकार करना तत्काल बन्द कर दें और एक विशेष अधिकारी को भी कंपनी की कार्यप्रणाली देखने के लिए 1 अप्रैल, 1999 से नियुक्त किया गया था। कंपनी ने विशेष अधिकारी की नियुक्ति और जमाराशियां स्वीकार न करने से संबंधित अनुदेशों को चुनौती देते हुए मुम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ में एक समादेश याचिका दायर की। 13 अप्रैल, 1999 के अंतरिम आदेश द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने यथा पूर्व स्थिति बनाए रखने के निदेश दिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने 6 और 10 अगस्त, 1999 के आदेश में कंपनी को व्यादेश आदेश द्वारा और अधिक जमाराशियां स्वीकार करने में रोक लगा दी थी और माननीय न्यायमूर्ति अमल कुमार चटर्जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एस०एस०आई०एल० के विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के निदेश दिए थे। खण्ड पीठ ने अपने दिनांक 15 सितम्बर, 1999 के अंतरिम आदेश में जांच न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी को जारी रखने की अनुमति दी। एस०एस०आई०एल० ने खण्ड पीठ आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 3 नवम्बर, 1999 को एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। अगले आदेश तक भारत के उच्चतम न्यायालय ने 22 नवम्बर, 1999 को 3 नवम्बर, 1999 की तरह यथा पूर्व स्थिति के आदेश पारित किए थे। बैंक ने कंपनी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दायर सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय में अन्तरण के लिए और कंपनी को जनता से जमाराशियां स्वीकार करने से रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष 28 अप्रैल, 2000 को एक अन्तरण याचिका दायर की। मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

उड़ीसा में मिट्टी के तेल की किल्लत

6039. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की किल्लत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने मांग की पूर्ति करने हेतु उड़ीसा को किए जा रहे मिट्टी के तेल के आवंटन में वृद्धि करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के सुचारू एवं समुचित वितरण को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) बाढ़ से उत्पन्न स्थिति

की दृष्टि में भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य को जुलाई, 2001 के महीने में 5000 किलोलीटर (3891 टन) मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आवंटन किया है। तथापि, चूंकि जुलाई, 2001 के दौरान राज्य सम्पूर्ण अतिरिक्त आवंटन का उठान नहीं कर सका था इसलिए संघ सरकार ने जुलाई, 2001 में स्वीकृत 5000 किलोलीटर में से न उठाई गई मिट्टी के तेल की मात्रा के बदले अगस्त, 2001 में 2500 टन मिट्टी के तेल का आवंटन किया है।

एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड का पुनर्गठन

6040. डा० जसवंतसिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1997-98 में, सरकार ने एस०बी०आई० कैपिटल मार्केट्स लि० द्वारा निर्धारित टर्नअराउन्ड रणनीति पर आधारित एक वित्तीय एवं व्यवसाय पुनर्संरचना को अनुमोदित किया था। पुनर्संरचना पैकेज में 44 करोड़ रुपये का निवेश करना, 12.49 करोड़ रुपये के बकाया ऋण को इक्विटी में बदलना और बेल्टिंग एवं इंजीनियरिंग प्रभागों को संयुक्त उद्यम में बदलना शामिल था। वित्तीय पुनर्संरचना का कार्यान्वयन किया गया एवं बेल्टिंग प्रभाग के संबंध में संयुक्त उद्यम का गठन करने संबंधी कार्य पूरा कर दिया गया था। इंजीनियरिंग प्रभाग के लिए संयुक्त उद्यम गठन करने संबंधी प्रयास विफल रहे।

ए०वाई०सी०एल० के शेयर धारकों के मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य से कंपनी ने अप्रैल, 1999 में मैसर्स के०पी०एम०जी० इंडिया प्राइवेट लि० को ए०वाई०सी०एल० ग्रुप की आगामी पुनर्संरचना करने का परामर्श दिया।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारी उद्योग विभाग ने परामर्शदाता की सिफारिशों की जांच करने के लिए अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने मुख्य मुद्दों पर अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसकी अंतिम रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने ए०वाई०सी०एल० ग्रुप इक्विटी की क्रोस होल्डिंग का युक्तिकरण करने, हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड तथा टाइड वाटर ऑयल कंपनी (इंडिया) लि० में विनिवेश करने एवं डिसकॉन लि० में ए० वाई०सी०एल० की शेयर धारिता बढ़ाने का निर्णय लिया है। संयुक्त उद्यम के गठन के कार्य को सुगम करने के उद्देश्य से ए०वाई०सी० एल० की इंजीनियरिंग प्रभाग की एक पुनरुद्धार योजना कार्यान्वयनाधीन है।

राज्यों को विश्व बैंक से ऋण

6041. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री मंजय लाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के संबंध में राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों को विश्व बैंक ऋण की मंजूरी देते समय किन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी है; और

(घ) विश्व बैंक ऋण की बकाया धनराशि का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) जैसे-जैसे तैयारियां पूरी होती हैं, विचाराधीन परियोजनाओं के संबंध में विश्व बैंक के साथ वार्ताएं की जाती हैं। आम तौर पर प्राथमिकता तय करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकारें विश्व बैंक से सीधे ऋण नहीं लेतीं। यह कार्य भारत सरकार का है जो ऋण प्राप्त करती है और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को ऋण अंतरित करती है।

क्लियरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया

6042. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली पर गठित परामर्शदाता समूह ने क्लियरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा विदेशों में क्लियरिंग एजेन्ट की नियुक्ति की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पैनल ने विदेशी मुद्रा के क्लियरिंग के लिए अलग से गारंटी कोष की स्थापना की वकालत की है;

(ग) क्या इसने बैंकों और क्लियरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली से जोड़ने का भी सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) इस समूह ने पर्याप्त जोखिम नियंत्रण उपायक करते हुए लमफलूसी रिपोर्ट के न्यूनतम मानकों को पूरा करने तथा विस्तारित समय क्षेत्र, हानि भागीदारी व्यवस्था, आकस्मिक निधि की स्थापना आदि को लागू किए जाने की संभवना तलाश करने की सिफारिशें भी की हैं।

(ङ) दि क्लियरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी०सी०आई०एल०) को 30 अप्रैल, 2001 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, आई०सी०आई०सी०आई०, आई०डी०बी०आई० और जीवन बीमा निगम (एल०आई०सी०) जैसे प्रमुख प्रवर्तकों के साथ निर्गमित कर दिया गया था। सी०सी०आई०एल० घरेलू ऋण और मुद्रा बाजार लिखतों की निकासी और निपटान के साथ-साथ अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देनों के समन्वित निकासी और निपटान कार्य का संचालन करेगा। सी०सी०आई०एल० के पास विदेशी मुद्रा निकासी और निपटान कार्यों के लिए गारंटी निधि भी होगी।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

6043. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी सहायता से कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या कुछ परियोजनाएं विदेशी सहायता बंद होने के कारण रुकी हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी निधियों से इन परियोजनाओं का पुनरूद्धार करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) इस समय देश में विदेशी सहायता लेकर 299 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

6044. **श्री रामदास आठवले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कितनी बड़ी और मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ख) इनमें से कितनी इकाइयां निर्यातोन्मुखी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में इस संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) प्रत्येक राज्य में स्थापित निर्यातोन्मुख एककों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन एककों की स्थापना निजी क्षेत्र द्वारा की गई है। केन्द्र सरकार के पास चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार कोई एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

कार्य कर रहे निर्यातोन्मुख एककों का राज्य-वार ब्यौरा
(31.8.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	कार्य कर रहे निर्यातोन्मुख एकक
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	166
2.	बिहार	1
3.	छत्तीसगढ़	4
4.	गुजरात	182
5.	हरियाणा	59
6.	हिमाचल प्रदेश	8
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	झारखण्ड	5
9.	कर्नाटक	257
10.	केरल	34
11.	मध्य प्रदेश	28
12.	महाराष्ट्र	230
13.	उड़ीसा	7
14.	पंजाब	42
15.	राजस्थान	76
16.	सिक्किम	1

1	2	3
17.	तमिल नाडु	286
18.	उत्तर प्रदेश	81
19.	उत्तरांचल	1
20.	पश्चिम बंगाल	52
21.	अन्दमान एवं निकोबार द्विपसमूह	2
22.	दादर और नगर हवेली	9
23.	दिल्ली	32
24.	पाण्डिचेरी	5
	कुल	1589

[अनुवाद]

पाटनरोधी कदमों की समीक्षा

6045. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाटनरोधी महानिदेशालय ने घरेलू उद्योग पर पाटन रोधी कदमों के प्रभाव की समीक्षा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाटन रोधी उपायों पर औद्योगिक और गैर-औद्योगिक क्षेत्र के विचार प्राप्त किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या सूचना प्रदान की गई है; और

(ङ) पाटन रोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी०जी०ए०डी०) ने जुलाई, 2001 के महीनें में घरेलू उद्योग तथा प्रयोक्ता उद्योग के साथ कई बैठकें की ताकि पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले घरेलू उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि इस शुल्क ने घरेलू बाजार में इस उत्पाद की बाजार स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया है, जिसमें आयात मात्रा, कुल मांग, घरेलू उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा लाभ की प्राप्ति के रूप में हुए परिवर्तन शामिल हैं रसायन एवं पैट्रो-रसायन, भेषज एवं स्टील तथा अन्य धातु उद्योगों के प्रतिनिधियों को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया था। अनुचित व्यापार प्रणालियों के विरुद्ध उद्योग को संरक्षण देने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने के बारे में समय पर कार्रवाई करने के लिए डीजीएडी की भूमिका को सराहा गया।

इसके अलावा, घरेलू उद्योग को पाटनरोधी संकल्पनाओं, क्रिया-विधियों और पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध आदि के बारे में जानकारी देने के लिए घरेलू उद्योग, सी०आई०आई०, फिक्की, एसोचैम, पी०एच०डी०सी०सी०आई०, फिओ आदि के सहयोग से घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के साथ समय-समय पर पारस्परिक विचार विमर्श हुए हैं।

(ङ) सरकार ने पाटनरोधी जांच में तेजी लाने, क्रियाविधियों को सरल और कारगर बनाने तथा घरेलू उद्योग को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ शामिल हैं— पूर्णत: प्रलेखित याचिका के प्रस्तुत होने पर तुरंत जांच शुरू करना, घरेलू उद्योग को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभिक निष्कर्षों की सिफारिश करना, देश-भर में सेमिनारों/कार्यशालाओं/विचार- विनिमय सत्रों का आयोजन करना, पाटनरोधी नियमों और क्रिया विधियों के बारे में लघु उद्योगों को सुग्राही और जानकार बनाने के लिए पत्तन कार्यालयों में डी०जी०एफ०टी० अधिकारियों के जरिए सहयोग करना।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

6046. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक गैर निष्पादनकारी आस्तियों को घटाने के लिए कारपोरेट ऋणों को बट्टे खाते में डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नीति क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि के ऋण बट्टे खाते में डाले गए हैं और ऐसे ऋण लेने वालों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंकों की यह कार्यवाहियां इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों के अनुसार हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है और गैर निष्पादनकारी आस्तियों का वर्तमान मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक (पी०एस०बी०) अपनी अनुपयोज्य आस्तियों (एन०पी०ए०) का स्तर उन्नयन, समझौता/बट्टे खाते डालना और नकद वसूलियों के माध्यम से घटाते है। वर्तमान आय कर कानून के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनी अनुपयोज्य आस्तियों के लिए बनाए गए उपबंधों में उन्हें कर छूट नहीं मिलती है। अत: बैंक कर लाभ का दावा करने के लिए राशि बट्टे खाते डालने का सहारा ले रहे हैं। सामान्यत:, राशि बट्टे खाते डालने का सहारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपबंध बनाने के बाद ही लिया गया है और बट्टे खाते डालना उस सीमा तक होता है जहां तक उपबंध बनाए गए हैं। तथापि, इसे ऋण संबंधी छूट नहीं कहा जाता

क्योंकि सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसे तकनीकी बट्टे खाते डालने के बाद भी उधारकर्ताओं से अपनी देय राशि की चुकौती करने का प्रयास जारी रखते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों को उन्नयन, समझौता/बट्टे खाते डालने और नकद वसूली के माध्यम से घटाने की सूचना नीचे दी गई है :–

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1998-99	8720
1999-2000	10424
2000-2001	13650

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल अनुपयोज्य आस्तियां 54773 करोड़ रुपये थीं, जो उनके कुल अग्रिम का 12.4% थीं जबकि 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार यह 14.02% थीं।

एन०सी०सी०एफ० द्वारा अग्रिम धनराशि की वसूली

6047. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं आदि से अग्रिम धनराशि जमा/कार्यनिष्पादन जमानत तथा निविदा फार्म की लागत लिए जाने के संबंध में पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय में एक प्रक्रिया का अनुकरण किया जाता है लेकिन एन०सी०सी०एफ० में इस संबंध में ऐसी कोई निर्धारित लिखित प्रक्रिया नहीं है;

(ख) क्या ये संगठन कार्यनिष्पादन जमानत की राशि को एफ०डी०आर० के रूप में स्वीकार नहीं करते लेकिन बैंक ड्राफ्ट पर ही जोर देते हैं और इस धन पर ब्याज दिए बिना उसका उपयोग अपने दैनिक कारोबारी गतिविधियों में करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संगठन के पास पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय जैसी निर्धारित प्रक्रिया हो, यह अपने दैनिक कारोबार में जमानत की राशि का प्रयोग न करें और बैंक ड्राफ्टों के स्थान पर एफ०डी०आरस्० स्वीकार करें इसके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम, 1984 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त सहकारी संगठन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में व्यावसायिक और अन्य प्रशासनिक मामलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के निदेशक मंडल द्वारा इसके उप विधियों के उपबंधों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। प्रक्रिया के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण 10,000 रु० का पंजीकरण शुल्क जमा कराने के पश्चात किया जाता है जिसको ब्याज-मुक्त जमा समझा जाता है। इसके अलावा, यदि संविदाएं और शर्तें और निबंधन उनके द्वारा तय किए गए हों तो आपूर्तिकर्ताओं से पेशगी/सुरक्षा राशि जमा करने और कार्य-निष्पादन की गारंटी देने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ आपूर्तिकर्ताओं से निविदा फार्मों की कीमत वसूल नहीं करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्टॉक एक्सचेंजों के निर्वाचित निदेशकों के लिए आचार संहिता

6048. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त मंत्री स्टॉक एक्सचेंजों के निर्वाचित निदेशकों के लिए आचार-संहिता के बारे में दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6059 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए निर्वाचित निदेशकों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र कर ली गई है। लोक सभा को भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

सेबी ने सूचित किया है कि स्टॉक एक्सचेंजों के निदेशकों और कर्मचारियों के लिए उसने एक आचार संहिता तैयार की है जिसका उद्देश्य भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में पारदर्शिता को सुधारना है। आचार संहिता का उद्देश्य एक ईमानदार और पारदर्शी बाजार बनाने के लिए व्यावसायिक तथा आचरण संबंधी मानदंड स्थापित करना है।

आचार संहिता की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

- एक्सचेंज और निवेशकों से संबंधित मामलों के निपटान में ईमानदारी और पारदर्शिता
- एक्सचेंज के निर्वाचित पदाधिकारियों (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष) द्वारा स्वामित्व वाले खातों की प्रतिभूतियों की खरीद-फरोख्त करने पर प्रतिबंध

- एक्सचेंज के कर्मचारियों और निदेशकों के द्वारा प्रतिभूतियों के खरीद-फरोख्त को प्रकट करना
- निर्णय लेने में हितों के टकराव से बचना और
- सभी निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा लाभकारी हित को प्रकट करना
- विनियामक एजेंसियों/एक्सचेंज द्वारा निर्धारित सभी कानूनों/नियमों/विनियमों का अनुपालन करना और कर्तव्यों के निर्वहन में सम्यक् तत्परता का प्रयोग करना।

क्रियान्वित हो जाने के बाद आचार संहिता से यह आशा की जाती है कि एक्सचेंजों के व्यावसायिक और आचरण संबंधी मानदंडों में सुधार आएगा और निवेशकों के बीच इसकी कार्य प्रणाली के बारे में बेहतर जानकारी होगी। सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 में यह प्रावधान है कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित की रक्षा करना और यथोचित समझे जाने वाले उपायों के द्वारा प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और उसे विनियमित करना सेबी बोर्ड का उत्तरदायित्व है। सेबी ने सूचित किया है कि निवेशकों के हित और प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास की दृष्टि से उसने अपने कर्त्तव्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। सेबी द्वारा की गई जांचों के बाद मार्च और अप्रैल, 2001 के दौरान इसने विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 और 11ख के अनुसार कार्यवाही की है, इनमें आनन्द राठी और उसकी कंपनियां, केतन पारेख और उसकी कंपनियां, अरविन्द जौहरी, शंकर शर्मा और देविना मेहरा एवं उनके द्वारा नियंत्रित एवं उनसे जुड़ी कंपनियां, निर्मल बांग, किशोर बांग और दिलीप बांग तथा उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियां शामिल हैं जिन्हें स्टाक दलाल या उप-दलाल या मर्चेंट बैंककारी के रूप में कोई नया कारोबार करने से रोक दिया गया है। पालेम्बे सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिभूतियों की खरीद-फरोख्त करने से रोक दिया गया था। आनन्द राठी और अन्य दूसरे दलाल सदस्य निदेशकों को स्टाक एक्सचेंज, मुंबई के शासी बोर्ड में निदेशकों के रूप में कार्य करने से सेबी द्वारा पहले ही रोक दिया गया था। हर्षद मेहता को प्रतिभूतियों की खरीद-फरोख्त करने के स्थायी रूप से रोक दिया गया है। सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 24 के अंतर्गत उसके अभियोजन का भी आदेश दिया गया है। बी०पी०एल० लिमिटेड, वीडियोकॉन इंटरनेशनल और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पूंजी बाजार में प्रवेश करने से 2 से 4 वर्षों तक की अवधि के लिए रोक दिया गया है। सेबी द्वारा सेबी अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत तीन कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही करने का आदेश भी दे दिया गया है।

निवेशकों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सेबी अधिनियम, 1992 के उपबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से सरकार का इरादा कुछ विधायी परिवर्तनों का प्रस्ताव करने का है।

पूंजी बाजारों में संस्थानिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने, छोटे निवेशकों के संरक्षण तथा बाजार को अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने के लिए सेबी ने अनेक उपाय किए हैं। इनके अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत स्क्रीन आधारित तिजारत की शुरूआत, विभिन्न शहरों में व्यापार टर्मिनलों की स्थापना, बाजारों में पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता को सुधारने के लिए क्लीयरिंग कारपोरेशन की स्थापना, स्टाक एक्सचेंजों द्वारा व्यापार/निपटान गारंटी निधि की स्थापना, निक्षेपागारों की स्थापना तथा डिमैट प्रक्रिया का त्वरण, स्टाक एक्सचेंजों में निगरानी प्रणालियों की स्थापना, समुचित और अनुचित सुपुर्दगी के लिए एक समान मानदंडों को लागू करना, साप्ताहिक निपटान चक्र एवं नीलामी, निवेशक संरक्षण निधि और निवेशक सेवा निधि की स्थापना शामिल हैं।

सेबी ने सूचित किया है कि मार्च, 2001 के महीने में एक्सचेंज के कुछ सदस्य इस अवधि के दौरान बाजार की अस्थिर दशा के कारण अपनी देनदारी का भुगतान नहीं कर पाये। बड़े एक्सचेंजों में देय धनराशि और कम भुगतान की गई भुगतान राशि के ब्यौरा नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	एक्सचेंज	कुल देय धनराशि	कमी	कुल देयता में कमी का प्रतिशत
1.	बी०एस०ई०	4252.48	31.21	0.73
2.	एन०एस०ई०	4818.38	98.51	2.04
3.	सी०एस०ई०	871.43	95.40*	10.95
4.	डी०एस०ई०	232.98	0.89	0.38
5.	ए०एस०ई०	191.31	4.59	2.54

*इसमें से 91.36 करोड़ रुपए की धनराशि उन 10 सदस्यों की है जिन्हें कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता घोषित किया गया है।

किसी सदस्य द्वारा कम भुगतान किए जाने पर इस कमी की धनराशि को निर्धारित मानदंडों के अनुसार सामान्यतः एक्सचेंज की निपटान गारंटी निधि से ले लिया जाता है।

सेबी ने स्टाक एक्सचेंज में अधिक पारदर्शिता, बाजार की सघनता एवं पहुंच के विस्तार लेन-देनों में शीघ्रता और पूंजी बाजार लेन-देनों में सुरक्षा सुनिश्चित करके निवेशकों के हितों की सुरक्षा के विभिन्न उपाय किए हैं। सेबी द्वारा किए गए उपायों में व्यापार गारंटी निधि/निपटान गारंटी निधि की स्थापना, निवेशक सुरक्षा निधि की स्थापना, स्टाक एक्सचेंजों में निगरानी प्रणालियां, सर्किट फिल्टर के कार्यान्वयन और एक समान अंतः दिवसीय मूल्य बैंड, मार्जिन प्रणाली, अंतः दिवसीय व्यापार स्टाक दलालों के लिए पूंजी पर्याप्तता से संबद्ध सकल देनदारी सीमा निर्धारण आदि के कार्यान्वयन जैसे जोखिम प्रबंध उपायों का कार्यान्वयन शामिल है।

सरकार और सेबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूंजी बाजार व्यवस्थित, पारदर्शी, सुरक्षित और ईमानदारी के साथ कार्य करें। सरकार ने स्टाक बाजारों में संस्थानिक कार्य तंत्र और व्यापार पद्धतियों को सुधारने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों

की घोषणा की है : (i) स्टाक एक्सचेंजों को पारस्परिक रूप से अलग रखना जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबंध और व्यापार सदस्यता को एक-दूसरे से अलग रखा जाएगा; (ii) 200 श्रेणी "ए" स्टाकों के रोलिंग निपटान का विस्तार। इसका कार्यान्वयन 2 जुलाई, 2001 से कर दिया गया है; (iii) निवेशक संरक्षण उपबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सेबी अधिनियम, 1992 में विधायी परिवर्तनों का प्रस्ताव करना।

पत्रिकाओं से आय

6049. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष में रोजगार समाचार, योजना, कुरूक्षेत्र, बाल-भारती, आजकल के कुल परिचालन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन पत्रिकाओं से लाभार्जन कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्रिकावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास कुरूक्षेत्र और रोजगार समाचार को तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित करने की योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) रोजगार समाचार की बिक्री और इसमें दिए गए विज्ञापनों से 1706.89 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है जिसके लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान अलग से बजट रख गया है। तथापि, चूंकि प्रकाशन विभाग अन्य पत्रिकाओं के लिए वाणिज्यिक लेखा-जोखा नहीं रखता है इसलिए इससे संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) से (च) वर्तमान में कुरूक्षेत्र और रोजगार समाचार को तमिल तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के लिए रोजगार समाचार योजना, कुरूक्षेत्र, बाल भारती और आजकल के प्रसार को दर्शाने वाला विवरण

पत्रिका का नाम	2000-2001 के दौरान कुल प्रसार
1	2
रोजगार समाचार (अंग्रेजी)	239.03 लाख
रोजगार समाचार (हिन्दी)	46.11 लाख
रोजगार समाचार (उर्दू)	0.53 लाख
योजना (अंग्रेजी)	21084.2
योजना (हिन्दी)	284157
योजना (उर्दू)	1046
योजना (अन्य 10 क्षेत्रीय भाषाओं में)	332836
कुरूक्षेत्र (अंग्रेजी)	120242
कुरूक्षेत्र (हिन्दी)	112795
बाल भारती	84673
आजकल (हिन्दी)	71566
आजकल (उर्दू)	28804

कंपनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन

6050. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री पुन्नूलाल मोहले :
डा० बलिराम :
कुंवर अखिलेश सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शौंक टेक्नॉलोजीज और उसकी सहयोगी कंपनी मैसर्स पद्मिनी पोलिमर्स लिमिटेड, मूल्यों में हेरा-फेरी, अंदरूनी व्यापार, मूल्यों में गड़बड़ी, कंपनी के धन के दुर्विनियोजन में संलिप्त है और इसने कंपनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन भी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा किसी जांच-पड़ताल के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर विभाग में भर्ती पर प्रतिबंध

6051. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब से लागू है;

(ग) देश में संवर्गवार और सर्किलवार रिक्तियों की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार प्रतिबंध हटाने और रिक्तियों को भरने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी भर्ती के लिए समय सीमा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। 24.9.2000 के आदेश की शर्तों के अनुसार आयकर विभाग समेत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में भर्ती पर सामान्य प्रतिबंध लगा हुआ है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) दिनांक 24.9.2000 का भर्ती पर प्रतिबंध संबंधी आदेश उन पदों के संबंध में लागू नहीं होगा जिन्हें आयकर विभाग की पुर्नसंरचना के एक हिस्से के रूप में 31.8.2000 को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। विभाग रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में सक्रिय है और इसे यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

नेपाल से आयात

6052. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार भारत में नेपाली विमानों को आपूर्ति किए जाने वाली ईंधन पर उत्पाद शुल्क को माफ करने के लिए सहमत हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत में नेपाली वायुयान को सप्लाई किये गये ईंधन पर उत्पाद शुल्क को पूरी तरह से माफ नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाले विमान के टर्बाइन ईंधन खनिज तेल उत्पादों पर उस स्थिति में 24.94 रुपये प्रति किलो लिटर की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित है जब उनका नेपाल सहित, विदेश जाने वाले किसी वायुयान में उपभोग के लिए भंडार के रूप में निर्यात किया जाता हो।

ईरान द्वारा चावल को अस्वीकार किया जाना

6053. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से किन-किन देशों को चावल निर्यात किया जा रहा है;

(ख) इन देशों को वार्षिक रूप से चावल की कितनी अनुमानित मात्रा का निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या ईरान और कुछ अन्य देशों ने भारत से इन देशों को निर्यात किए गए चावल को खराब गुणवत्ता के कारण वापस कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार और निर्यातकों को क्रमश: विदेशी मुद्रा का अनुमानत: कितना घाटा हुआ; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान चावल (बासमती और गैर बासमती चावल दोनों) के निर्यातों की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :

मात्रा: मी० टन में
मूल्य: करोड़ रु० में

वर्ष	बासमती चावल		गैर बासमती चावल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1998-99	597793	1876.91	4365888	4403.85
1999-2000	638382	1780.34	1257793	1345.58
2000-01 (अ०)	848919	2141.94	683194	784.16
अप्रैल-मई, 2001(अ०)	110960	340.08	79983	84.03

(स्रोत : डी०जी०सी०आई० एंड एस०, कलकत्ता)

निर्यातों के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक अंकों में दिए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

अमेरिका के साथ भेल का सहयोग

6054. **डा० जसवंतसिंह यादव :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेल ने अमेरिकी फर्म के साथ तकनीकी सहयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भेल को नवीनतम प्रौद्योगिकी किस सीमा तक हस्तान्तरित की जायेगी ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भेल ने विगत में यू०एस०ए० की फर्मों के साथ तकनीकी सहयोग किया था तथा वह मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी मैसर्स वी-गोट एन०ई०एम० इंक तथा मैसर्स क्वामेर नेशनल के साथ सहयोग कर रहा है।

हाल ही में यू०एस०ए० की मैसर्स मैक्स कंट्रोल सिस्टम इंक के साथ तकनीकी सहयोग किया गया है। इस सहयोग से भेल पावर संयंत्र के उपयोग तथा विभिन्न प्रोसेस इंडस्ट्रीज दोनों के लिए आधुनिक कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के अभियंत्रण, निर्माण तथा अद्यतन तकनीकी की बिक्री करने में सक्षम होगा।

(ग) समझौते के तहत् अमेरिकन कंपनी कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के आकृति बनाने, जोड़ने, अभियंत्रण करने, निर्माण करने, जांच करने, स्थापना करने, शुरू करने तथा मरम्मत करने में भेल को अद्यतन तकनीकी में सक्षम बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करेगी।

वर्षा के कारण गेहूं की बर्बादी

6055. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तरी राज्यों में खरीदा गया गेहूं भंडार मई 2001 में हुई भारी वर्षा से बर्बाद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्षा के कारण कुल कितनी क्षति हुई और इसका अनुमानित मूल्य क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम खरीदे गए अनाज भंडार के भंडारण के लिए गोदामों की कमी का सामना कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी क्षति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) रबी विपणन मौसम 2001-02 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई वसूली के दौरान क्षतिग्रस्त हुए गेहूं की मात्रा और उसकी राज्यवार कीमत नीचे दी गई है :—

क्षेत्र	क्षतिग्रस्त मात्रा (टन में)	कीमत (लाख रुपए में)
पंजाब	268	16.35
हरियाणा	375	22.87
राजस्थान	199.58	12.47

(ग) और (घ) भरतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए स्टाक के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध कराई जाती है। पहली जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता (ढकी हुई और कवर तथा प्लिथ), इसके पास रखा स्टाक और इसका प्रतिशत उपयोग नीचे दिया गया है :—

	ढकी हुई	कैप	जोड़
क्षमता	267.18	83.38	350.56
स्टाक	260.82	74.54	335.36
उपयोग	98 प्रतिशत	89.0 प्रतिशत	96 प्रतिशत

इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी स्वयं की अतिरिक्त भंडारण क्षमता भी सृजित कर रहा है। केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों से भी कहा गया है कि वे सात वर्ष की गारंटी के आधार पर गोदामों का निर्माण करें। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम के फील्ड कार्यालयों को भी जब कभी आवश्यक समझा जाए गोदाम किराए पर लेने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

सरकार ने भंडारण क्षमता बढ़ाने और खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई का आधुनिकीकरण करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :—

(1) सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय नीति में खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और चलाने के लिए घरेलू और विदेशों दोनों के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के प्रयासों और संसाधनों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

(2) इस नीति में बनाओ और चलाओ आधार पर भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों के भंडारण के लिए निजी क्षेत्र द्वारा परम्परागत भंडारण गोदामों के सृजन और प्रचालन की परिकल्पना भी की गई है।

एम०पी०ई०डी०ए०, चेन्नई को निधियां

6056. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को आवंटित वित्तीय अनुदानों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एम०पी०ई०डी०ए०, चेन्नई के कार्यालय के माध्यम से समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नई योजना आरंभ की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण को पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित वित्तीय अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	आबंटित अनुदान लाख रु० में
1998-99	1340.89
1999-2000	1600
2000-01	2425

(ख) और (ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) समुद्री खाद्य प्रसंस्करण एककों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा मत्स्य पालन का संवर्धन करके समुद्री उत्पादों के निर्यात संवर्धन को सुकर बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन चेन्नई में स्थित एक कार्यालय समेत देश के विभिन्न भागों में स्थित उसके कार्यालयों के जरिए किया जाता है। इन योजनाओं में निम्नलिखित नई योजनाएं शामिल हैं अर्थात (i) प्रक्षीतीत ट्रकों/केन्टेनरों के अभिग्रहण हेतु वित्तीय सहायता, (ii) अंडज उत्पत्तिशालाओं में पी०सी०आर० प्रयोग शालाओं की स्थापना हेतु इमदाद, (iii) निस्सारण अभिक्रिया प्रणाली हेतु इमदाद, (iv) श्रिम्प/झींगा की खेती के क्षेत्रों इत्यादि में शीत कक्ष सुविधाओं की स्थापन हेतु इमदाद।

चीन में बनी वस्तुओं की तस्करी

6057. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ती उपभोक्ता वस्तुओं की चीन द्वारा कथित रूप से डंपिंग किए जाने के संबंध में भारत में जारी शोर शराबे को भारतीय उद्योग परिसंघ (सी०आई०आई०) द्वारा 'परिभ्रम' की संज्ञा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ का दृष्टिकोण क्या है;

(ग) क्या चीन का दौरान करने वाले भारतीय संसदीय, उद्योग और मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भारत में चीनी वस्तुओं की तस्करी संबंधी क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन दिए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत में चीनी वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं जैसीकि सी० आई०आई० द्वारा सूचना दी गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चीन के दौरे के बारे में सी०आई०आई० की रिपोर्ट चीन की सुधार प्रक्रिया, इसके प्रभाव तथा इसे हुए लाभों से संबंधित है।

(घ) और (ङ) तस्करी तथा इस प्रकार के अन्य अवैध क्रियाकलपों से निपटने के लिए भारत सरकार की अपेक्षित मशीनरी देश के विभिन्न भागों में सभी सीमा चौकियों पर उपलब्ध है।

बाएं हाथ की ओर से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध

6058. श्री मोहन रावले : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाएं हाथ की ओर से चलने वाले सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अनुमोदित वाहनों को संबद्ध कंट्रोल्स के साथ दाहिने हाथ वाले स्टीयरिंग के साथ फिट किया जाना होता है आयातित वाहनों के संबंध में, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 31.3.2001 को अधिसूचित किया कि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989, के तहत् रक्षा जरूरतों तथा वाहन निर्माताओं द्वारा अनुसंधान एवं विकास उद्देश्य को छोड़कर सभी आयातित वाहनों (नये/पुराने) में दाहिने हाथ की ओर स्टीयरिंग और कन्ट्रोल्स होंगे। हालांकि, बाएं हाथ के स्टीयरिंग तथा कन्ट्रोल्स वाले आयातित मूल के वाहनों की सीमित संख्या जिन्हें बैगेज रूल्स या तत्कालीन आयात नीति के विशेष प्रावधानों के तहत् आयातित किया गया है, वाले वाहन देश में चल रहे है। भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राज मार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाएं हाथ से चलने वाले मौजूदा वाहनों पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मूल्यों का निर्धारण

6059. डा० सुशील कुमार इन्दौरा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले व्यक्तियों और निर्यात के लिए गेहूं और चावल के अलग-अलग मूल्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न वर्गों के लिए मूल्य निर्धारित करते समय किन मानदंडों को अपनाया गया; और

(ग) वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के लिए गेहूं और चावल का मूल्य क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पूल में अधिशेष स्टाक का निपटान करने के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के उठान को बढ़ाने की दृष्टि से गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य इनकी आर्थिक लागत के क्रमश: लगभग 48 प्रतिशत और 70 प्रतिशत पर निर्धारित किए

गए हैं। गेहूं और चावल के निर्यात मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, भाड़ा प्रभारों और देश में अधिशेष स्टाक की स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) फिलहाल गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणियों के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
गेहूं	415	610
चावल		
(i) साधारण	565	795*
(ii) ग्रेड "ए"	565	830

*जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और उत्तरांचल के लिए लागू।

गेहूं और चावल के वर्तमान निर्यात मूल्य निम्नानुसार हैं :—

जिन्स	रुपये प्रति टन
गेहूं	4200
चावल	
(i) रॉ	5650
(ii) सेला	6000

[अनुवाद]

बिहार से मक्का की खरीद

6060. **श्री अरुण कुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपनी एजेंसियों को बिहार से मक्का खरीदने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक कितनी मक्का खरीदी गई;

(ग) क्या मक्का की खरीदारी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हुई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) चूंकि मक्का की खरीदारी के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए भारतीय खाद्य निगम ने वसूली प्रचालन नहीं चलाया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लीड एसिड बैटरी के आयात पर सीमा शुल्क

6061. **श्री एस० अजय कुमार :**
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू लीड एसिड बैटरी विनिर्माताओं को बाजार भागीदारी में विभिन्न उन देशों से किए जाने वाले सस्ते आयात के कारण छह प्रतिशत का नुकसान हुआ है जिन्हें तैयार उत्पादों में कम सीमा शुल्क देना पड़ता है;

(ख) क्या भारतीय बैटरी विनिर्माता संघ ने सरकार से लीड के आयात पर वर्तमान सीमा शुल्क की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने की अपील की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) एसिड बैटरियों का आयात किस सीमा तक पर्यावरण के लिए हानिकारक है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) अन्य संबंधित विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय सीमेंट निगम में अनिमितताएं

6062. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भारतीय सीमेंट निगम, नई दिल्ली के निदेशक (प्रचालन) के विरुद्ध व्यापक दांडिक कार्यवाही शुरू करने का सुझाव दिया था;

(ख) क्या भारतीय सीमेंट निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने भारी उद्योग मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी को सुझाव दिया था कि भारतीय सीमेंट निगम के निदेशक (प्रचालन) ने प्रत्यायोजित शक्तियों के उल्लंघन समेत वित्तीय अनियमितताएं की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

विशेष निरीक्षण इकाई की स्थापना

6063. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा जल भूतल परिवहन मंत्रालय में विशेष निरीक्षण इकाई (एस०आई०यू०) की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेष निरीक्षण इकाई ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय में कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस०आई०यू०) से टीम लीडर के रूप में एक वरिष्ठ विश्लेषक तथा टीम मेम्बर के रूप में दो कनिष्ठ विश्लेषकों को मिलाकर गठित एक टीम इन दिनों सड़क परिहवन तथा राजमार्ग मंत्रालय (पूर्ववर्ती भूतल परिवहन मंत्रालय) के सड़क स्कन्ध के जनशक्ति आवश्यकताओं के आकलन हेतु एक कार्य मापन अध्ययन पर कार्य कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय बिक्री कर की हिस्सेदारी

6064. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर में कर्नाटक की हिस्सेदारी चार प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक को अनुमानित कितना घाटा हुआ; और

(ग) कर्नाटक को राजस्व के घाटे की क्षतिपूर्ति करने हेतु यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फेरा/फेमा के अन्तर्गत गिरफ्तारी

6065. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 2000 से विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम और 1 अप्रैल से 31 मई, 2000 के बीच विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कितने लोगों को गिरफतार किया गया;

(ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम (फेमा) के तथाकथित उल्लंघन के आरोपियों के संबंध में निरुद्धता आदेश पारित करने को लेकर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) 1 जून, 2000 के बाद ''कोफेपोसा'' के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये ऐसे आरोपियों को निरुद्धता की पुनरीक्षा करते समय सलाहकार बोर्ड का संगत निर्णय क्या होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अंतर्गत 1 अप्रैल से 31 मई, 2000 तक 10 गिरफ्तारियां की गई थी।

(ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) एक स्वतंत्र अधिनियम है जो नजरबंद करने वाले प्राधिकारी को प्राधिकृत करता है कि वे किसी भी व्यक्ति के, अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी मुद्रा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किसी प्रतिकूल तरीके से उसे कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से यदि संतुष्ट हैं, तो नजरबन्दी आदेश जारी करें। यह पूर्णतः क्रियाकलाप आधारित प्रावधान है जो कोई भी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 अथवा विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 अथवा उसके उल्लंघन का उल्लेख नहीं करता है। इस तथ्य के बावजूद कि दिनांक 1.6.2000 से फेमा, 1999 ने फेरा, 1973 का स्थान ले लिया है, कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के अंतर्गत नजरबंदी आदेश जारी किए जाते हैं।

(ग) सलाहकार बोर्ड के समक्ष समीक्षा के लिए अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

सुपर बाजार में क्रय और विक्रय नीति

6066. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार में प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर वस्तुओं की खरीद, बिक्री तथा चयन के संबंध में कोई निष्पक्ष नीति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है कि सरकारी विभागों को स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं की बिक्री के लिए अधिकृत सहकारी समितियां जनता के हितों का ध्यान रखते हुए अच्छी किस्म की वस्तुएं अत्यधिक प्रति-स्पर्धात्मक मूल्यों पर बेचें और उनकी कानून पर आधारित बिक्री तथा खरीद संबंधी नति हो ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वे प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के जरिए अथवा विनिर्माताओं/वितरकों से सामान की खरीद की नीति का अनुसरण करते हैं। संगत खरीद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बाजार आसूचना, दरों की तुलना, गुणवत्ता जांच आदि जैसी विभिन्न जांचें की जाती है। जहां तक बिक्री का संबंध है, बिक्री दर प्रस्संकरण की लागतों (जहां लागू हो) और

संगत लाभ मार्जिन को जोड़ने के बाद तय की जाती है। मदों का चयन उपभोक्ताओं की जरूरतों के आधार पर किया जाता है।

(ख) सरकार ने दिल्ली में और दिल्ली से बाहर अवस्थित सरकारी विभागों को लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की आपूर्ति के लिए केंद्रीय भंडार, सुपर बाजार, दिल्ली और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को प्राधिकृत किया है। सरकार का प्रयास सहकारी भंडारों को प्रोत्साहित करके सहकारी आंदोलन को बल देना रहा है। किन्तु गुणवत्ता और संगत मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा के एक घटक को लागू करना अनिवार्य था और इसलिए तीन सहकारिताओं को प्राधिकार दिया गया है।

विभागों का आकार छोटा करना

6067. श्री ए० नरेन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन ऐसे कितने अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्तशासी निकाय हैं जो आकार छोटा किए जाने की प्रक्रिया में हैं;

(ख) इस संबंध में अधीनस्थ कार्यालय-वार तथा स्वायत्तशासी निकाय-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विभिन्न संसद सदस्यों/संगठनों से कुछ संगठनों का आकार छोटा न किए जाने का अनुरोध करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न संगठनों के आकार को छोटा करने के बारे में 2001-2002 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के संदर्भ में आकार छोटा किए जाने की प्रक्रिया में विद्यमान अधीनस्थ/स्वायत्तशासी निकायों और आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण के अंतर्गत समाप्त किए पदों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

संगठन का नाम	समाप्त किए गए पदों की संख्या
1	2
(i) भारत सरकार टकसाल, नौएडा	23
(ii) भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	83
(iii) बैंक नोट प्रेस, देवास	94
(iv) भारत सरकार टकसाल, मुम्बई	75
(v) भारत सिक्योरिटी प्रेस, नासिक	238
(vi) मुद्रा नोट प्रेस, नासिक	871
(vii) सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	126
(viii) भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता	188
(ix) राष्ट्रीय बचत संगठन	121
(x) भारत निवेश केन्द्र	पुनर्संचरना की प्रक्रिया को भी शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बचत संगठन (एन०एस०ओ०) के कर्मचारियों के स्थानांतरण के मामले में, राष्ट्रीय बचत संगठन के अधिशेष घोषित होने वाले कर्मचारियों के वित्त मंत्रालय से लेकर डाक विभाग इत्यादि में पुन: नियोजित किए जाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सिक्का और मुद्रा प्रभाग के मामले में आकार कम करने के लिए किसी भी संसद सदस्य की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 83 पदों को समाप्त करने के विरुद्ध तीन कर्मचारी यूनियनों, नामत: हैदराबाद टकसाल कर्मचारी यूनियन, टकसाल कार्मिक संघ और भारतीय मिंट मजदूर संघ की ओर से महा-प्रबंधक, भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद के माध्यम से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में उचित निर्णय लिया जाएगा।

बकाया कार्पोरेट कर

6068. श्री मणि शंकर अय्यर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के उपक्रमों पर कितना आयकर और कार्पोरेट कर बकाया है; और

(ख) बड़े औद्योगिक घरानों और बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशनों पर इनकी तुलना में कितनी बकाया देयताएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रु० से अधिक की बकाया मांग वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर कुल बकाया मांग 3554 करोड़ रु० है।

(ख) दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रु० से अधिक (उपर्युक्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर) की बकाया मांग वाले अन्य निगमित कर निर्धारितियों पर बकाया मांग 22,554 करोड़ रु० है।

निदेशक, वित्त, सी०सी०आई० के विरुद्ध आरोप पत्र

6069. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक वित्त, भारतीय सीमेंट निगम के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर बड़ी दंडात्मक कार्रवाई हेतु आरोप पत्र जारी किया गया है;

(ख) क्या उन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता निर्बाधन दे दी गई है;

(ग) क्या उनका पांच वर्ष का कार्यकाल मई, 2001 में समाप्त हो गया है;

(घ) क्या उनके कार्यकाल को बढ़ाने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) इन्हें अभी सतर्कता संबंधी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) लंबित सतर्कता अनुमोदन के अलावा पी०ई०एस०बी० की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद 3 महीनें की अवधि के लिए बिल्कुल तदर्थ आधार पर कार्यकाल को बढ़ाने की स्वीकृति मिल गई है।

सेबी के अध्यक्ष का न्यास

6070. डा० बलिराम :
श्री पी०आर० खूंटे :
श्री पुन्नू लाल मोहले :
कुंवर अखिलेश सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी के पूर्व अध्यक्ष का राजस्थान में अपना न्यास है और विभिन्न कंपनियों से इस न्यास को निधियां प्राप्त होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने यह सूचित किया है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष का राजस्थान में कोई न्यास नहीं है। इसके अतिरिक्त, सेबी ने यह सूचित किया है कि इसके पास सेबी के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री एस०एस० नादकर्णी का राजस्थान में कोई न्यास होने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) उक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

निवेशक संरक्षण विधेयक, 2001

6071. श्री विनय कुमार सोराके : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेशक संरक्षण विधेयक, 2001 में आपत्तिजनक दस्तावेजों का पता लगाने तथा उनकी बरामदगी के लिए 'सेबी' को और अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विधेयक के तहत 'सेबी' को किस प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करने का अधिकार दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) डा० एन०एल० मित्रा द्वारा तैयार की गई निवेशक संरक्षा संबंधी रिपोर्ट में, अन्य बातों के अलावा, यह अनुशंसा की गई है कि भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड को पूछताछ तथा जांच करने, तलाशी लेने, संपत्तियां जब्त करने तथा उनकी कुर्की करने तथा अभियोजन चलाने, वित्तीय धोखेधड़ी के मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, आदि की शक्तियां दी जानी चाहिए।

सरकार का इरादा अन्य बातों के अलावा निवेशक संरक्षा हेतु प्रावधान सुदृढ़ करने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में विधायी परिवर्तनों का प्रस्ताव करने का है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष/विश्व बैंक से संबद्ध नौकरशाह/मंत्री

6072. श्री महबूब जहेदी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार में ऐसे कौन-कौन से मंत्री/नौकरशाह हैं जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष/विश्व बैंक में कार्य कर चुके हैं;

(ख) क्या उन्हें अभी भी इन संगठनों से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक में नियुक्तियां/कार्य-समनुदेशन (एसाइन्मेंट) इन संगठनों द्वारा, विश्वव्यापी विज्ञापन देकर की जाती हैं और चयन सीधे उनके द्वारा किया जाता है, जिसका ब्यौरा इस विभाग में संकलित नहीं किया जाता है। भारत सरकार के कैप्टिव एसाइन्मेंट के संदर्भ में, उपरोक्त एसाइन्मेंट के लिए चयनित कर्मचारियों के मामले में, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा आदेश दिए जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय में वर्तमान मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक में कभी भी काम नहीं किया है। जहां तक आर्थिक कार्य विभाग में कार्यरत नौकरशाहों का संबंध है, जिन्होंने विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्य किया है, उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) में वर्तमान समय में कार्यरत समूह "क" अधिकारियों का ब्यौरा जो पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक में कार्य कर चुके हैं।

	अधिकारी	संगठन	वर्तमान समय में विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त किए जा रहे लाभ का ब्यौरा
1.	डा० राकेश मोहन, वित्त मंत्री के सलाहकार	विश्व बैंक	कुछ नहीं
2.	डा० शंकर एन० आचार्य, मुख्य आर्थिक सलाहकार	विश्व बैंक	वर्ष 2000 में 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर विश्व बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं
3.	श्री अशोक लाहिड़ी, आर्थिक सलाहकार	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक	कुछ नहीं
4.	डा० जैमिनी भगवती, भा०वि० सेवा, संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत	विश्व बैंक	कुछ नहीं

सी०सी०आई० में अनियमितताएं

6073. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 2001 को "दी इकोनोमिक टाइम्स" में "सी०सी०आई० चीफ इन आइ ऑफ स्टार्म बिफोर सेल्फ ऑफ" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) जी, हां। मार्च, 2001 में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पद की नियुक्ति करने के लिए सतर्कता संबंधी अनुमति देने से पहले केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विभिन्न आरोपों की जांच की थी।

[हिन्दी]

प्रसार भारती के कर्मचारियों के वेतनमान

6074. श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती ने आकाशवाणी के प्रशासनिक कर्मचारियों को छोड़कर तकनीकी और कार्यक्रम से संबंधित कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विसंगति के कारण प्रशासनिक कर्मचारियों में असंतोष है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट

6075. श्री ए० कृष्णास्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की गई उत्पाद शुल्क छूट योजना संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने पूर्वोत्तर में इस योजना के मौजूदा कार्यकरण के बारे में असंतोष जाहिर किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट योजना को चलाए जाने के कारण राजकोष को भारी घाटा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को उन उद्यमों की जानकारी है जो उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं ?

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कराए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) योजना अपने मौजूदा रूप में संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (छ) 1.3.2001 के बाद अपने विद्यमान रूप में छूट योजना के दुरुपयोग के कारण उत्पाद शुल्क अपवंचन के किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है। अत: भारी क्षति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। साथ ही कोई उपचारी कार्रवाई करने का भी प्रश्न ही नहीं उठता है।

यूरोपीय संघ द्वारा विकास-सहायता

6076. **श्री जी०एस० बसवराज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ, उसके द्वारा भारत को विकास-सहायता प्रदान करने की अपनी रणनीति की समीक्षा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूरोपीय संघ द्वारा राज्यों को सीधी सहायता प्रदान किए जाने की पेशकश की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है;

(घ) यदि हां, तो यूरोपीय संघ से सहायता के संदर्भ में राज्यों को क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। ''ईसी इंडिया पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट : स्ट्रैटेजिक एप्रोच फॉर दि इयर्स 2002 टू 2006'' शीर्षक वाला एक दस्तावेज, जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए ईसी-भारत सहयोग के प्रति यूरोपीय कमीशन का दृष्टिकोण निर्धारित किया गया है, नई दिल्ली में यूरोपीय कमीशन शिष्टमंडल से प्राप्त हुआ है।

(ख) दस्तावेज में ''शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए एक त्रि-आयामी भागीदारी'' तथा अधिक संक्षेप में ''प्रगति के लिए भागीदारी'' विकसित करने में यूरोपीय कमीशन के राज्योन्मुखी दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। इसमें राज्यों को प्रत्यक्ष सहायता का उल्लेख नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

ईंधन की कम खपत करने वाली कारें

6077. **श्री जे०एस० बराड़ :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार-निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन-क्षमता कितनी है;

(ख) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को देखते हुए सरकार ने विनिर्माताओं को केवल ईंधन का कम खपत करने वाली कारों के निर्माण के निदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (एस०आई०ए०एम०) के अनुसार, वर्ष 1999-2000 की अवधि में कारों की कुल स्थापित क्षमता 10,80,000 थी। इस अवधि में कारों का उत्पादन 6,39,888 था।

(ख) से (घ) ईंधन की कम खपत वाली कारों के उत्पादन के लिए सरकार की ओर से कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं दिये गये हैं। इस प्रकार, देश में उत्सर्जन के कड़े मानदंड लागू होने से यह सुनिश्चित होता है कि कार निर्माता बाजार में टिके रहने में सक्षम होने के लिए, कम ईंधन की खपत वाली कारों का निर्माण करते हैं।

होटलों पर आयकर छापे

6078. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने हाल ही में दिल्ली के कुछ प्रमुख होटलों और रेस्तराओं पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगे की जांच से यह पता चला है कि इन होटलों और रेस्तराओं ने गत तीन वर्ष के दौरान करोड़ों रुपए का आयकर वंचन किया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान दिल्ली के पांच सितारा होटलों और प्रमुख रेस्तराओं ने प्रतिवर्ष होटल-वार कुल कितना आयकर अदा किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) वित्त वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान तीन होटलों/रेस्तरांओं के संबंध में तलाशी ली गई थी और जब्ती, अनुमानित छुपाई गई आय और चुकाए गए करों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

समूह का नाम होटल/रेस्तरां	तलाशी की तारीख	कुल जब्ती (लाखों में)	अनुमानित छुपाई गई आय (करोड़ों में)	चुकाया गया कर (लाखों में) वित्त वर्ष 2000-01	वित्त वर्ष 2001 02
मैसर्स बीकानेरवाला समूह	9.3.2000	35.39	1.83	1.08	शून्य
मैसर्स एवरग्रीन स्वीट हाऊस	3.11.2000	20.57	19.57	शून्य	5.18
मैसर्स मेट्रोपोलिटन होटल, निक्को	21.11.2000	267.41	73.50	शून्य	शून्य

उपर्युक्त मामलों में ब्लाक कर निर्धारण कार्यवाहियां जारी हैं और उन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

बैंक कर्मचारियों के एल०टी०सी०

6079. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान बैंक आफ इंडिया से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगने वाले अधिकारियों को बैंक प्राधिकारियों ने एल०टी०सी० का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी अधिकारियों को किस प्रकार मुआवजा देने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) छुट्टी रियायत यात्रा (एल०टी०सी०) तब उपलब्ध कराया जाता है जब अधिकारी को उपयुक्त छुट्टी मंजूर कर दी जाती है। बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1972 के विनियम 31 में व्यवस्था है कि किसी अधिकारी को छुट्टी की मंजूरी सेवा की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करनी होती है। बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि कार्य की आवश्यकता के कारण, कुछ वी०आर०एस० का विकल्प देने वाले कर्मचारियों द्वारा आवेदन की गई छुट्टी को मना कर दिया गया और वे एल०टी०सी० का लाभ नहीं उठा पाये।

(ग) बैंक ने आगे बताया है कि उन ऐसे मामलों में जहां प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण छुट्टी मना कर दी गई ऐसे मामलों में छुट्टी के रूप में अधिकारियों को प्रतिपूरक छुट्टी लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फिक्की शिष्टमंडल की विदेश यात्रा

6080. श्री जी०एस० बसवराज : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिक्की शिष्टमंडल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने के लिए पाकिस्तान, स्पेन, जर्मनी और अमेरिका की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और शिष्टमंडल के सदस्य कौन-कौन थे;

(ग) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में भारत और इन देशों के बीच कोई समझौते किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शिष्टमंडल की यात्रा से किस सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (ग) केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के नेतृत्व में, सरकार और कारोबारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 35 सदस्यीय एक 'फिक्की' प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के नेतृत्व में सरकार और कारोबारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक और 29 सदस्यीय 'फिक्की' प्रतिनिधिमंडल ने जून, 2001 में स्पेन और जर्मनी का दौरा किया।

इन उपर्युक्त दोनों प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य एक अनुकूल निवेश लक्ष्य के रूप में भारत की छवि को बढ़ाना था।

इसके अलावा, भारत-पाकिस्तान वाणिज्य और उद्योग चैंबर की द्वितीय बैठक के अवसर पर 'फिक्की' के एक अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) इन दो प्रतिनिधिमंडलों के दौरों ने, उक्त देशों के संभावित निवेशकों में एक निवेश लक्ष्य के तौर पर भारत के प्रति रुचि बढ़ाने में योगदान दिया।

आई०डी०बी०आई० को मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले संगठन का दर्जा दिया जाना

6081. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :
श्री ए० कृष्णास्वामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आई०डी०बी०आई० को मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले संगठन का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके दीर्घाकालिक बांड्स पर कोई शुल्क रियायत देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस स्थिति में आई०डी०बी०आई० के दीर्घकालिक बाण्डों पर कोई ड्यूटी सब्सिडी देने का प्रस्ताव नहीं है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा-पटल रखे गए पत्र

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) उन तथ्यों, परिस्थितियों और घटनाओं जिनके परिणामस्वरूप पुलिस को 24 फरवरी, 2000 को संसद मार्ग, नई दिल्ली पर वकीलों के प्रदर्शन पर बल का प्रयोग करना पड़ा, की जांच हेतु गठित न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग का प्रतिवेदन [खंड-I, खंड-II, (भाग-I और भाग-II क और ख) और खंड-III]

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4111/2001]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : महोदय, मैं डॉ० मुरली मनोहर जोशी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4112/2001]

(3) (एक) राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4113/2001]

(5) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई के वर्ष 1999 2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4114/2001]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल०टी० 4115/2001]

(9) (एक) आंध्र प्रदेश प्रधामिका विद्या परिषद्, हैदराबाद (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश) के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश प्रधामिका विद्या परिषद्, हैदराबाद (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश) के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपुर्यक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4116/2001]

(11) (एक) उड़ीसा प्राइमरी एजूकेशन प्रोग्राम अथारिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राइमरी एजूकेशन प्रोग्राम अथारिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपुर्यक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल०टी० 4117/2001]

(13) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपुर्यक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4118/2001]

(15) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंगुएज, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंगुएज, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपुर्यक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4119/2001]

(17) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपुर्यक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4120/2001]

(19) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की उपधारा 33 के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा (क्षेत्रीय समिति की स्थापना तथा क्षेत्रीय अधिकारिता) (संशोधन) विनियम, 2001, जो 9 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 23 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4121/2001]

(20) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

(तीन) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपुर्यक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4122/2001]

(22) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपुर्यक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4123/2001]

(24) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपुर्यक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4124/2001]

(26) महर्षि सांदिपणि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(27) उपुर्यक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4125/2001]

(28) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(29) उपुर्यक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4126/2001]

(30) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपुर्यक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4127/2001]

(32) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपुर्यक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4128/2001]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) टी०पी०डी०एस० के अंतर्गत अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक चावल के आवंटन और ग्रहण को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) टी०पी०डी०एस० के अंतर्गत अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक गेहूं के आवंटन और ग्रहण को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4129/2001]

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : महोदय, मैं श्री शरद यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वायुयान (संशोधन) नियम, 2001, जो 28 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 485(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2001, जो 21 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 383 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2001, जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 400 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4130/2001]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4131/2001]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : महोदय, मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 719(अ), जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(दो) का०आ० 722(अ), जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास—विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(तीन) का०आ० 723(अ), जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम—भुवनेश्वर खंड) को चौड़ा किये जाने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(चार) का०आ० 761(अ), जो 7 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास—विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा किये जाने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(पांच) का०आ० 762(अ), जो 7 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास—विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा किये जाने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(छह) का०आ० 720(अ), जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास—विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा किये जाने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(सात) का०आ० 724(अ), जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास—विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा किये जाने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(आठ) का०आ० 740(अ), जो 1 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम—भुवनेश्वर खंड) को चौड़ा किये जाने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(नौ) का०आ० 721(अ), जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]

हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर टॉल प्लाजा का निर्माण करने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(दस) का०आ० 738(अ), जो 1 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 28 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 602(अ) में संशोधन करना है।

(ग्यारह) का०आ० 739(अ), जो 1 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(बारह) का०आ० 741(अ), जो 1 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर चार लेनों के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(तेरह) का०आ० 751(अ), जो 6 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर विद्यमान 2 लेन वाले मंडल—भीलवाड़ा खंड को 4/6 लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(चौदह) का०आ० 752(अ), जो 6 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पर विद्यमान 2 लेन वाले उदयपुर—मंगलवार खंड को 4/6 लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(पन्द्रह) का०आ० 753(अ), जो 6 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 और 79 पर विद्यमान 2 लेन वाले उदयपुर—मंगलवार—चित्तौडगढ़ खंड को 4/6 लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(सोलह) का०आ० 772(अ), जो 10 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य राजमार्ग संख्या 7क पर किशनगढ़ से नसीराबाद तक भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(सत्रह) का०आ० 773(अ), जो 10 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर गुलाबपुरा से स्टेशन नगर, तहसील मंडल तक की भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(अठारह) का०आ० 777(अ), जो 10 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कोटपुतली—जयपुर खंड के बीच के भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4132/2001]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : सभा पटल पर रखती हूं :

(1) संघ लोक सेवा आयोग वर्ष 1999-2000 का पद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को स्वीकार न किए जाने के कारण स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4133/2001]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : महोदय, मैं डा० वल्लभभाई कथीरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपुर्यक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4134/2001]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : महोदय, मैं "एनरान को गारंटी" के बारे में श्री ताराचन्द भगोरा और श्री श्रीनिवास पाटील, संसद सदस्यों के तारांकित प्रश्न संख्या 369 के 22 मार्च, 2001 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4135/2001]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट (वालेंटरी हेल्थ सर्विसेज), चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट (वालेंटरी हेल्थ सर्विसेज), चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट (वालेंटरी हेल्थ सर्विसेज), चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4136/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अंतर्गत महानियंत्रक पेटैंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4137/2001]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अर्जन) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा 4 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 11 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी०ओ०/पी०आर०एस०/लीगल/मिसले 2869/एस०ए०के०/2000-2001 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 30 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3 (सी)/31-10/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 25 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए० एक्स०आई०/एस०टी०/ओ०एस०आर०/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी०ई०आर०: आई०आर०डी०: 2853: 2000 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 25 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3929 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई० आर०एस०: 124क: 6480: एन०ए०के० में प्रकाशित हुए थे।

(सात) यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कारपोरेशन बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 2 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी०ए०डी०: आई०आर०: ओ०एस०आर०: अमेंड: 579: 2000-2001 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 5

[श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन]

फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी०ए०सी०/मिसले/2001/2808 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई०आर०/अमेंड/01/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 24 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई०आर०डी०/184/234 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4138/2001]

(2) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) समनुषंगी बैंक सामान्य विनियम, 1959 के विनियम 42 में संशोधन जो 16 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०बी०डी० संख्या 10/2000 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) समनुषंगी बैंक सामान्य विनियम, 1959 के विनियम 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16 और 16क में संशोधन जो 6 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०बी०डी० 9/2000 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर/हैदराबाद/इंदौर/ मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/ट्रावनकोर अधिकारी सेवा विनियम के विनियम 50 में संशोधन जो 27 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०बी०डी०/1/2001 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4139/2001]

(3) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (संशोधन) विनियम, 2000 जो 3 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4140/2001]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 2001 जो 13 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 590(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (कतिपय निबंधन और सेवा-शर्तें) (संशोधन) नियम, 2001 जो 14 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 591(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबन्ध निदेशक (कतिपय निबंधों और सेवा-शर्तों की पुनरीक्षा) (संशोधन) नियम, 2001 जो 14 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 592(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम (अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों को उपदान का भुगतान) (संशोधन), नियम 2001 जो 14 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 593(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4141/2001]

(5) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2001 जो 13 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 775(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (अधिकारी और विकास कर्मचारिवृन्द का पर्यवसान, अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति) (संशोधन) स्कीम, 2001 जो 14 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 780(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों का सुव्यवस्थीकरण तथा अन्य सेवा-शर्तें) (संशोधन) स्कीम, 2001 जो 14 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 781(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल०टी० 4142/2001]

(6) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक)

अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर तथा स्टेट बैंक आफ मैसूर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदनों लेखापरीक्षित लेखाओं तथा उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4143/2001]

(7) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4144/2001]

(दो) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4145/2001]

(तीन) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4146/2001]

(चार) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4147/2001]

(पांच) देना बैंक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4148/2001]

(छः) इंडियन बैंक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4149/2001]

(सात) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 4150/2001]

(आठ) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4151/2001]

(नौ) आन्ध्रा बैंक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4152/2001]

(दस) कार्पोरेशन बैंक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4153/2001]

(ग्यारह) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4154/2001]

(बारह) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4155/2001]

(तेरह) विजया बैंक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4156/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री दिग्विजय सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 14 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 637(अ) जो 3 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, और जो निर्यातोन्मुख इकाइयों, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों द्वारा समस्त सामुद्रिक उत्पादों के निर्यात के लिए उपकर की दर यथा मूल्यानुसार शून्य प्रतिशत विनिर्दिष्ट किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिये* संख्या एल०टी० 4157/2001]

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) एम०एम०टी०सी०, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम०एम०टी०सी०, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4158/2001]

(4) (एक) शैलाक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शैलाक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शैलाक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4159/2001]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : महोदय, मैं श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 803(अ), जो 20 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं को निरस्त करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल०टी० 4160/2001]

(2) (एक) कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4161/2001]

(3) (एक) कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (2 और 3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल०टी० 4162/2001]

(5) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप (सामान्य) संशोधन नियम, 2001, जो 25 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 551(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 4163/2001]

अपराह्न 12.03 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की पंद्रह से अठारहवीं तक हुई बैठकों में के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03-½ बजे

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

डा० बी०बी० रमैया (एलूरू) : महोदय, मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय – 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में दिशा निर्देशों में संशोधन करने के प्रस्ताव' संबंधी सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं "कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000" के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारत-पाक संबंधों का संवर्धन

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि जुलाई, 2001 में भारत-पाकिस्तान शिखर सम्मेलन के पूर्व बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री ने कतिपय एकपक्षीय पहलकदमियों की घोषणा की थी जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिल सके और जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति और स्थायित्व की स्थापना में सहायक हो।

ये पहलकदमियां हमारी इस सतत धारणा की उपज थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की आधारशिला दोनों देशों के लोगों के मानस और दिलों में रखी जानी चाहिए।

हमारा मानना है कि दोनों देशों के बीच संवर्द्धित व्यापार की अपनी गति होगी और हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तद्नुसार, 4 जुलाई, 2001 को प्रधानमंत्री ने वाणिज्य मंत्रालय को 50 ऐसे टैरिफ लाइनों की पहचान करने के अनुदेश दिये थे जिनमें पाकिस्तान से आयात पर से टैरिफ समाप्त किया/कम किया जा सकता है।

वाणिज्य मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालय परामर्श की प्रक्रिया का पालन करते हुए इन 50 टैरिफ लाइनों की पहचान की है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करने के पश्चात् राजस्व विभाग इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी करेगा।

**50 टैरिफ लाइनों की सूची*

क्र० सं०	एच०एस० कोड	जिन्स का विवरण
1	2	3
1.	071230	मशरूम तथा कवक, सूखे
2.	080211	ताजे बादाम अथवा छिलके में सूखे
3.	080212	छिलके वाले बादाम-ताजे अथवा सूखे
4.	080250	पिस्ता ताजे अथवा सूखे
5.	080420	अंजीर ताजे अथवा सूखे
6.	080520	मंदरिन (सन्तरे तथा सतसुमासहित) क्लेमेनिटिनीज, विलकिंग और इसी प्रकार के निम्बू वंश संकर ताजे/सूखे
7.	081100	फ्रोजन फल और मेवे
8.	081200	संरक्षित फल
9.	081310	सूखे आड़ू
10.	081340	अन्य सूखे फल
11.	251010	अनग्राउन्ड प्राकृतिक कैल्सियम फासफेट्स, प्राकृतिक एलुमिनियम कैल्सियम फास्फेट्स और फासफेटिक चाक
12.	283650	कैल्सियम कार्बोनेट
13.	300110	ग्रन्थि और अन्य अंग, सूखे पाउडर युक्त अथवा पाउडर रहित
14.	300120	ग्रन्थि अथवा अन्य अंगों का अरक अथवा उनका स्राव
15.	300640	डेंटल सीमेन्ट और अन्य डेंटल फिलिंग; बोन रिकन्सट्रक्सन सीमेंट

*सभा पटल पर रखा गया

1	2	3
16.	300660	हार्मोन्स अथवा स्पर्मिसिडिज पर आधारित गर्भ-निरोधक रासायनिक सम्पाक
17.	330410	ओठों को बनाने का सम्पाक
18.	330420	आंखों को बनाने का सम्पाक
19.	330430	नख प्रसाधन अथवा पाद चिकित्स सम्पाक
20.	330491	कोम्प्रेसड पाउडर अथवा कोम्प्रेसड रहित पाउडर
21.	3330499	अन्य ब्यूटी/मेकअप/त्वचा बचाव सम्पाक
22.	330510	शेम्पू
23.	330520	स्थायी रूप से संकेत करने अथवा सीधे रहने का सम्पाक
24.	330530	बाल-रोगन
25.	330590	अन्य
26.	330620	दांतों के बीच के हिस्से को साफ करने के लिए प्रयोग में आने वाला यार्न (डेंटल फ्लोस)
27.	330690	अन्य
28.	330710	शेव बनाने से पहले शेव बनाते समय अथवा शेव बनाने के पश्चात् प्रयोग में आने वाले सम्पाक
29.	350300	जिलेटिन
30.	410210	भेड़ या मेमना की कच्ची खाल ऊन सहित।
31.	410410	बोवाइन स्किन यूनिट का पूरा चमड़ा जिसका सतही क्षेत्र 28 वर्ग फीट (2.6 वर्गमीटर) से अधिक न हो।
32.	410619	अन्य बकरी/बकरी के बच्चे का स्किन चमड़ा शोधित/पुनर्शोधित तैयार न किया हुआ।
33.	440399	खुरदरी अन्य लकड़ी
34.	490110	एकल सीट में मुद्रित पुस्तकें आदि डब्ल्यू/एन फोल्डिड।
35.	490199	सं० 4901 शीर्ष वाली अन्य मुद्रित पुस्तकें इत्यादि।
36.	490210	सप्ताह में कम से कम चार बार छपने वाला अखबार, जर्नल इत्यादि।
37.	690410	इमारती ईंटें
38.	741022	तांबा मिश्रण की पर्णी, बैक्ड
39.	901849	दंत चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग होने वाले अन्य उपकरण एवं यंत्र।
40.	901890	चिकित्सा विज्ञान के अन्य उपकरण एवं यंत्र।
41.	902119	हड्डी/हड्डी टूटने से संबद्ध अन्य यंत्र।
42.	902129	अन्य (दंत उपस्कर)
43.	903300	अध्याय 90 की, मशीनों, यंत्रों, उपकरणों/उपस्करों के पुर्जे एवं सहायक सामग्री जो कहीं उल्लिखित नहीं है।
44.	940210	डेन्टिस्ट कुर्सियाँ।
45.	940330	कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के फर्नीचर।
46.	940340	रसोई में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के फर्नीचर।
47.	940350	सोने के कमरे में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के फर्नीचर।
48.	940360	लकड़ी के अन्य फर्नीचर
49.	940380	अन्य सामग्री का फर्नीचर जिसमें केन, बेंत, बांस अथवा इसी प्रकार की सामग्री शामिल है।
50.	940390	पुर्जे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 4164/2001]

अपराह्न 12.08 बजे

सरकारी विधेयक — *पुरः स्थापित*

(एक) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक*

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र में खनिज स्रोतों के विकास और विनियमन का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र में खनिज स्रोतों के विकास और विनियमन का तथा उससे संबंधित या उसके

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 31.8.2001 में प्रकाशित।

आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

(दो) संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं० 20 पर विचार करेगी। श्रीमती मेनका गांधी।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो अनुसूचित जातियों के हितों से संबंधित है। *(व्यवधान)* माननीय मंत्री महोदया आश्चर्यजनक रूप से आज अनुपस्थित हैं। *(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की विधानसभा द्वारा 'चेन' समुदाय को शामिल किए जाने की सर्व सम्मति से की गयी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है और इस सूची से बाहर रखा गया है। *(व्यवधान)* इस मामले में मंत्री महोदय की सरासर लापरवाही अब साफ जाहिर हो गयी है। *(व्यवधान)* यह एक संविधान संशोधन विधेयक है जो अनुसुचित जातियों के हितों से संबंधित है। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत हो तो अब हम अगली मद को लेगें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, यह डिपार्टमेंट एस०सी०एस०टी० के सवाल पर कभी गंभीर नहीं हो पाता है। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष जी, यह एस०सी० से संबंधित विधेयक है और मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। लगता है सरकार इस सवाल पर गंभीर नहीं है। *(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 31.8.2001 में प्रकाशित।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष जी, सरकार एस०सी०एस०टी० के मामले में गंभीर नजर नहीं आती है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि मंत्री महोदया नहीं आ सकतीं तो उन्हें विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचना देते हुए किसी अन्य मंत्री को प्राधिकृत करना चाहिए। *(व्यवधान)* ऐसी प्रथा है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया गृहमंत्री जी की बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह अनुसूचित जातियों के हितों के प्रति स्वयं मंत्री महोदया की पूर्ण उपेक्षा को दर्शाता है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री की बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों के प्रति स्वयं माननीय मंत्री महोदया की पूर्ण उपेक्षा को दर्शाता है। वह पुर:स्थापन के समय स्वयं सदन में उपस्थित क्यों नहीं हैं ? *(व्यवधान)* हम इससे सहमत नहीं हो सकते। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय से पूर्व अनुमति मांगी थी या नहीं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों से संबंधित मामले को सरकार गम्भीरता से नहीं ले रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कृपया हमें बताइए कि उन्होंने संविधान संशोधन से संबंधित इतने महत्वपूर्ण मामले के पुर:स्थापन के समय अनुपस्थित रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति मांगी थी। यह हल्का ममला नहीं है। यह अनु० जातियों और अनु० जनजातियों से संबंधित है। *(व्यवधान)* हम इससे सहमत नहीं हो सकते। यदि अनुमति मांगी गई थी तो हम बैठ जाएंगे। यदि अनुमति नहीं मांगी गई थी तो मैं महसूस करता हूं कि यह उनकी अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के हितों की पूर्ण उपेक्षा है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या उन्होंने माननीय अध्यक्ष को लिखा है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं सत्तापक्ष के सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगी गई थी या नहीं। बस, इतनी सी बात है। *(व्यवधान)*

श्री माधव राव सिंधिया (गुना) : यह सदन के प्रति पूर्ण अनादर और अवमानना को दर्शाता है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह सदन का अवमान है। जब यह कार्य-सूची में सम्मिलित है तो उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए था। *(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं केवल क्षमा मांगना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभा से क्षमा मांगना चाहते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या वह संबंधित मंत्री की ओर से सभा से क्षमा मांग रहे हैं ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक क्षण उनकी बात तो सुनिए।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यह संविधान संशोधन है। मंत्री महोदया को यहां उपस्थित होना चाहिए था। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा कि उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखा है या नहीं। अब वह कुछ कहना चाहते हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की चिंता को समझता हूं। यह सरकार की ओर से चूक है। मैं अपनी साथी और मंत्री की अनुपस्थिति के लिए सरकार की ओर से क्षमा मांगता हूं।

मैं सभा का अनुग्रह और आपकी अनुमति चाहता हूं। हम उन्हें उपस्थित होने के लिए कहेंगें। यदि वह उपस्थित होने की स्थिति में नहीं हैं तो हम इस महत्वपूर्ण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य का अनुमोदन लाएंगे। इसकी अनुमति दी जाए।

श्री माधवराव सिंधिया : पहले उन्हें सभा के प्रति खेद व्यक्त करना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह बात पहले ही कह चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद को लेंगे।

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण बिल इंट्रोडयूस होने जा रहा है। होम मिनिस्टर साहब ने रीग्रेट कर दिया है। मैं समझाता हूं कि आपको यह बिल इंट्रोडयूस करने की परमिशन देनी चाहिए। *(व्यवधान)* चेयर को यह अधिकार है कि वह इस बिल को इंट्रोडयूस करने की परमिशन दे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही आ चुकी हैं। अब वह विधेयक को पुर:स्थापित कर सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय पहले वह माफी मांगें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एपॉलॉजाइज कर रही हैं और आप सुनते नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य की भावना का ध्यान रख रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने सभा से क्षमा मांगी है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : विलम्ब से आने के लिए मैं हृदय से क्षमा मांगती हूं *(व्यवधान)* किसी कारण से, मेरा यह मानना गलत था कि यह अपराह्न 12.30 बजे लिया जाएगा। मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहती हूं कि विधेयक का खंड 2 जो मोटे टाइप में छपना था, असावधानीवश नहीं छापा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल अनुसूचित जातियों की भलाई के लिये लाया जा रहा है और इसके लिये सरकार से बहुत दिनों से आश्वासन मिल रहा था। बिहार और उत्तर प्रदेश में नोनिया जाति के लोग मिट्टी आदि का काम करते हैं जबकि मल्लाह जाति के लोग मछली मारने का काम करते हैं। इन दोनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इनको अनुसूचित जाति में रखा जाना चाहिये। देश के अन्य राज्यों, यथा-पश्चिम बंगाल में दोनों जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में हैं। इस संबंध में बार-बार लिखा-पढ़ी की गई है और विभाग से हमें आश्वासन भी मिला है कि इस पर विचार कर रहे हैं और इसे जल्दी ही करेंगे। इसके लिये राज्य सरकारों ने अनुशंसा भी की है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, अभी बिल इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, इस पर आब्जैक्शन हो तो कहिये, अभी बिल पर बोलना नहीं है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, इस बिल में पान, सावासी, पनर जातियों का जिक्र है लेकिन नोनिया और मल्लाह जातियो को छोड़ दिया गया है। यहां बार-बार आश्वासन मिलने के बाद भी इन दोनों जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिये मैं इस बिल का प्रतिवाद करता हूं। सरकार स्पष्ट करे कि इन दोनों जातियों को इस विधेयक में शामिल किया जायेगा। *(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, सरकार स्पष्ट करे कि वस्तुस्थिति क्या है और इन दोनों जातियों को क्यों छोड़ दिया गया है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, इस समय आप नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी आपत्ति लिखित में दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पुर:स्थापित स्तर पर बोलने के लिए आपको लिख कर देना होता है। यह केवल पुर:स्थापित स्तर पर है। आप चर्चा के स्तर पर बोल सकते हैं। इस समय ऐसा मत करो।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आपको पुर:स्थापित स्तर पर बोलने के लिए अपनी आपत्ति लिखित में देनी चाहिए थी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की पूरी छूट है किन्तु इस स्तर पर नहीं। यह विधेयक पुर:स्थापित स्तर पर है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप इस स्तर पर नहीं बोल सकते। यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को व्यापक विधेयक लाना चाहिए था। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, यह पुर:स्थापित स्तर पर है। आप बाद में चर्चा में भाग ले सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह, आप जो कहना चाहते थे, पहले ही कह चुके हो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, इस स्तर पर भी मुझे विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिये, मैं अनुमति मांगने से पहले दो मिनट कुछ कहना चाहूंगी।

कई सदस्य, जैसे डा० रघुवंश प्रसाद सिंह कहने जा रहे हैं कि आपने यह शामिल नहीं किया और आपने वह शामिल नहीं किया। वास्तव में गत 50 वर्षों में किसी भी तरह का कुछ भी शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उस वक्त कोई कार्यविधि नहीं बनाई गई थी कि किसी जाति विशेष को शामिल किया जाना चाहिये अथवा नहीं। 1998 में, जब मैं पहली बार मंत्री बनी, तो कार्य विधि बनाई गई थी।

इसके बाद, अब कार्य-विधियां आसान हैं। राज्य से अनुरोध आते ही उसे तुरन्त भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। जब भारत का महापंजीयक इसे स्वीकृत करता है, तो यह आयोग के पास जाता है। जैसे ही आयोग इसे स्वीकृति देता है, वह हमारे पास आता है। यह एक लम्बी सी प्रक्रिया है, जिसे हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाने का प्रयास करते रहे हैं। कुछ राज्यों ने अपनी पूरी सूची भेजी दी है किन्तु महापंजीयक के पास इसे देखने के लिये कर्मचारी नहीं है। कई बार महापंजीयक 'हां' कहता है किन्तु आयोग 'नहीं' कह देता है।

[श्रीमती मेनका गांधी]

तब इसे राज्य को वापिस भेज दिया जाता है। अत: मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि प्रत्येक जाति और समुदाय की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है। वास्तव में, महापंजीयक ने कहा, ''मेरे पास कोई मानव विज्ञानी नहीं है, जो इसका अध्ययन करे।'' उनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं थे। *(व्यवधान)* तब मैंने पिछले वर्ष अपनी ओर से उन्हें परामर्शदाता दिये ताकि वह इसे शीघ्रातिशीघ्र कर सकें।

हमने कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है, जो पिछले 50 वर्षों में नहीं किया गया। इस संबंध में बहुत से विधेयक आएंगें। यह पहला भाग है, जिसकी स्वीकृति सभी तीनों और मंत्रि मंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। अब यह जितना जल्दी संभव हो उतनी जल्दी प्रस्तुत कर दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : अगला भाग कब प्रस्तुत किया जायेगा ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय मैं विधेयक पुर: स्थापित* करती हूं।

अपराह्न 12.21 बजे

(तीन) संचार अभिसारिता विधेयक**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 21 लेंगे। श्री राम विलास पासवान।

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संचार के (जिसके अंतर्गत प्रसारण, दूर संचार और मल्टीमीडिया भी है) प्रबंध और अन्तर्वस्तु का व्यवस्थित रीति से संवर्धन करने, उसे सुकर बनाने और उसका विकास करने और संचार के सभी माध्यमों के प्रबंध का विनियमन करने के लिए एक स्वायत्त आयोग की स्थापना के लिए और एक अपील अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि संचार के (जिसके अंतर्गत प्रसारण, दूरसंचार और मल्टीमीडिया भी है) प्रबंध और अन्तर्वस्तु का व्यवस्थित रीति से संवर्धन करने, उसे सुकर बनाने और उसका विकास करने और संचार के सभी माध्यमों के प्रबंध का विनियमन करने के लिये एक स्वायत्त आयोग की स्थापना के लिए और एक अपील अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक पुर: स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 12.22 बजे

[अनुवाद]

(चार) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 22 पर आते हैं। श्री अरुण जेटली।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि कंपनी अधिनयम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.22½ बजे

[अनुवाद]

(पांच) महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 23 लेगें। श्री अरुण जेटली।

---

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुर: स्थापित

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 31.8.2001 में प्रकाशित

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 31.8.2001 में प्रकाशित

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली : मैं विधेयक पुर: स्थापित* करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला मद ''नियम 377 के अधीन मामले'' हैं। आइये अब हम शान्ति से कार्यवाही चलायें। तत्पश्चात् 'शून्य काल' होगा। प्रो० रासा सिंह रावत, आप कृपया केवल अनुमत पाठ ही पढें और उसमें कुछ भी न जोड़ें।

अपराह्न 12.23 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में तेल शोधन कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : देश के अनेक राज्यों में जहां तेल एवं गैस पाये जाते हैं अथवा नहीं भी पाये जाते हैं वहां सरकार के द्वारा तेल शोधक कारखाने रिफाइनरीज स्थापित किए गए हैं जहां देश में पैदा किया हुआ अथवा विदेश से मंगाया हुआ 'क्रूड ऑयल' से शोधन कर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डामर, नापथा आदि विभिन्न उत्पाद तैयार किये जाते हैं। विगत कई वर्षों से राजस्थान की विभिन्न सरकारों तथा राजनैतिक दलों की ओर से निरन्तर यह मांग उठती रही है कि जब पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि विभिन्न राज्यों में जहां तेल गैस आदि की खुदाई नहीं होती है वहां अन्य राज्यों अथवा विदेशों से मंगाये हुए 'क्रूड ऑयल' को पाइप लाइनों द्वारा पहुंचाकर बड़े-बड़े तेल शोधक कारखाने स्थापित किये गये हैं। उसी प्रकार राजस्थान में भी तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जाए। राजस्थान में जैसलमेर, नागौर, बिकानेर आदि क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज और खुदाई भी हो रही है तथा कुछ स्थानों पर तेल उपलब्ध भी हुआ है तथा राजस्थान तेल उत्पादक क्षेत्रों के नजदीक पड़ता है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान में भी किसी उपयुक्त स्थान पर तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी शीघ्र स्थापित की जाए।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

(दो) बिहार के सारण जिले में डीजल/रसोई गैस/पेट्रोल के और अधिक बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय बिहार में सारन जिला, भारत सरकार द्वारा पहचान किये गये अत्यधिक पिछड़े सौ जिलों में से एक है। वहां पर जिले में, जहां कई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है, तेजी से बढ़ते यातायात के लिये खुदरा दुकानें/ईंधन केन्द्र स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। वृहद ग्रामीण और अर्द्ध-ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ब्लॉक स्तर पर और अधिक रसोई गैस वितरण केन्द्रों का अनुरोध है।

अत: मैं पैट्रोलियम मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर नयागांव, सोनपुर बाईपास, आमी, डोरीगंज में और राष्ट्रीय राजमार्ग 102 पर रेवा घाट, कटसा, छपरा —गरखा बाइपास, सोनोहु बाजार पर डीजल और पेट्रोल विक्रय केन्द्र और अमनौर, मिर्जापुर (मरहौरा), देरीनी —(दरियापुर), परसा और नैनी (छपरा सदर) में आम स्थानों पर डीजल/पैट्रोल केन्द्र तथा सोनोहू, अमनौर, परसा, दरियापुर, शामकुरिया और देरनी के ब्लाकों में मिट्टी के तेल के डिपो/केन्द्र तथा अमनौर, तरैयां, गरखा, परसा, इसुआपुर, तरैया और सोनपुर में रसोई गैसे वितरण केन्द्र खोलने का अनुरोध करूंगा।

(तीन) छत्तीसगढ़ राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, 1 नवम्बर, 2000 को नए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, परन्तु मध्य प्रदेश से अलग होते समय छत्तीसगढ़, प्रदेश बंटवारे में विकास हेतु पर्याप्त राशि नहीं देकर कर्ज़ दिया गया जिससे छत्तीसगढ़ की आम जनता, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़े वर्गों, महिलाओं तथा किसानों का विकास अवरूद्ध हो गया है। बार-बार अकाल होने से किसानों की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। केन्द्र सरकार द्वारा पिछले समय में दी गई मदद भी पर्याप्त नहीं साबित हुई। इस वर्ष कवर्धा जिले के पंडीरिया विकास खंड कुन्डा क्षेत्र में अकाल की विकट समस्या है। वर्तमान में आजादी के 53 वर्षों बाद भी छत्तीसगढ़ में सड़क, नाली, पुल, पुलिया, कालेज, हाईस्कूल, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, शिक्षित बेरोजगारों हेतु रोजगार, तथा महिलाओं का उत्थान करने की समुचित व्यवस्था नहीं है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के विकास हेतु सरकार विशेष आर्थिक पैकेज 200 करोड़ रुपये प्रदान करे।

(चार) आन्ध्र प्रदेश में सुल्लूरपेट में नवजीवन एक्सप्रेस का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० एन वेंकटस्वामी (तिरूपति) : महोदय, सुल्लुरपेट अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात एक उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र है। यह सुल्लुरपेट मुख्य नगर से 12 कि०मी० है, जो चेन्नई और आंध्र प्रदेश के गुडुर के बीच है। इस केन्द्र में कार्यरत अनेक वैज्ञानिक, देश के सभी भागों से और मुख्य रूप से गुजरात से आते हैं। नवजीवन एक्सप्रेस एकमात्र रेलगाड़ी है, जिसका गुजरात और तमिलनाडु के बीच कई अन्य राज्यों के बीच से होते सीधा सम्पर्क है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि सुल्लुरपेट गुडुर से 70 कि०मी० और चेन्नई से 80 कि०मी० के बीच स्थित है। एस०एच०ए०आर० (शार) केन्द्र पर कार्यरत वैज्ञानिकों/कर्मचारियों को या तो गुडुर उतरना पड़ता है और सड़क से 70 कि०मी० यात्रा करनी पड़ती है अथवा उस स्थान पर पहुंचने के लिये चेन्नई से वापिस 80 कि०मी० यात्रा करनी पड़ती है। 12000 से अधिक कार्मिकों को, जो एसएचएआर केन्द्र पर कार्यरत हैं, असुविधा हो रही है। सुल्लुरपेट पर नवजीवन एक्सप्रेस को एक मिनट रोकने की अत्यन्त आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि नवजीवन एक्सप्रेस को सुल्लुरपेट पर रोका जाए।

(पांच) कर्नाटक की मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम संबंधी परियोजना के लिए जापानी इंटरनेशनल कोआपरेटिव एजेंसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी० पुट्टास्वामी गौडा (हासन) : महोदय, भारतीय चिकित्सा परिषद् ने 1996 में बंगलौर-मेडिकल कालेज, मैसूर मेडिकल कालेज, कर्नाटक चिकित्सा विज्ञान संस्थान, हुबली और विजयनगर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बेल्लारी और सभी जुड़े अस्पतालों का निरीक्षण किया और इन अस्पतालों की अवसंरचना में कुछ कमियों की ओर इशारा किया, जिसके परिणामस्वरूप इन चार कालेजों में स्नातक-पूर्व विद्यार्थियों का प्रवेश 600 सीटों से घटकर 400 सीटें हो गया।

आधुनिक उपचार सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य के साथ ही "बंगलौर मेडिकल कालेज और उससे जुडे शिक्षण अस्पतालों के लिये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का सुधार" नामक परियोजना हेतु जपानी अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी एजेन्सी से 60 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है। यह सहायता उपस्करों के रूप में होगी। सम्पूर्ण सहायता अनुदान के रूप में होगी और इसमें राज्य की कोई भागीदारी नहीं होगी।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले को वह जल्द से जल्द निपटाये और जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एजेन्सी से सहायता प्राप्त करने में बंगलौर मेडिकल कालेज की मदद करें।

(छह) आन्ध्र प्रदेश में पार्वतीपुरम में रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा० डी०वी०जी० शंकर राव (पार्वतीपुरम) : महोदय, पार्वतीपुरम आन्ध्र प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय है। यह एक अंग्रेणी व्यापार केन्द्र है। बहुत बड़ी संख्या में लोग और व्यापारी उड़ीसा के पडोसी जिलों और अन्य राज्यों से व्यापार के लिये यहां आते हैं। एक रेल लाइन पार्वतीपुरम नगर से होकर जाती है। वहां पर रेलवे फाटक रेलगाड़ी के गुजरने के लिये घण्टों बन्द पड़ा रहता है। वाहनों का और अन्य ट्रैफिक जाम रहता है और परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा होती है। वहां पर एक रेलवे फ्लाईओवर की आवश्यकता है।

मैं माननीय रेल मंत्री से पार्वतीपुरम में एक रेलवे फ्लाईओवर की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह करता हूं। इससे शहर के लोगों को बहुत राहत पहुंचेगी।

[हिन्दी]

(सात) तवारिया अनुसूचित जनजाति के लोगों को समाज विरोधी/आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकने के लिए इन लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान तावरिया जनजाति द्वारा किए गए अपराधों की तरफ खींचना चाहता हूं। ये आदिवासी पूरे भारत में घूम कर हत्याएं और लूट के कार्य संपादित कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र खीरी में कई घटनाएं इन जनजातियों के गिरोहों द्वारा की गई हैं जिनमें पूरे के पूरे परिवारों की जघन्य हत्या कर दी गई है तथा लूटपाट की गई है। ये गिरोह अंतर्जनपदीय तथा अंतर्राज्यीय स्तर पर कार्यरत हैं जिनके अपराधों की रोकथाम के लिए अंतर्जनपदीय तथा अंतर्राज्यीय स्तर पर पुलिस का सहयोग तथा डाटा संकलन आवश्यक है।

सरकार से अनुरोध है कि इन आपराधिक प्रवृत्ति की जनजातियों के पुनर्वास की व्यवस्था करे तथा इनकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष व्यवस्था करे।

(आठ) बिहार में भोजपुर और इसके समीपवर्ती जिलों में उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना जिला का पालीगंज अनुमंडल का दुल्हीन बाजार, पालीगंज और मसौढ़ी प्रखंड उग्रवाद की चपेट में आ गया है। कारण-उद्योग विहीन इलाका है। इन जिलों के हजारों की संख्या में पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। इनके समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। खेतिहर मजदूर भी बेकार हैं। विवश और लाचार होकर ये लोग समाज की मुख्य

धारा से कट रहे हैं और असामाजिक संगठनों के साथ जुड़ रहे हैं। कृषि की हालत भी ठीक नहीं है।

अत: श्रीमान् के माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन जिलों में यथाशीघ्र छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि विवश और लाचार लोगों को रोजगार मिल सके और ये लोग समाज की मुख्य धारा में लौट सकें।

(नौ) देश के विशेष रूप से बिहार के गन्ना उत्पादकों को देय राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की अधिकांश चीनी मिलों में गन्ना उत्पादक कृषकों के करोड़ों रुपए बाकी हैं। कीमत का भुगतान नहीं हो रहा है। कृषक परेशान हो रहे हैं। बिहार राज्य में अवस्थित चीनी मिलों द्वारा भुगतान की स्थिति तो और भी बदतर है। जाहिर है, गन्ने की खेती काफी खर्चीली होती है। चीनी मिलों में गन्ने की आपूर्ति कर देने के पश्चात् समय पर उसकी कीमत का भुगतान नहीं होने से गन्ना कृषकों को अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ती है। अत: ऐसा प्रावधान हो कि गन्ना-आपूर्ति के 15 दिनों के अन्दर उसकी कीमत का निश्चित भुगतान हो अन्यथा जब तक राशि बाकी रहे, उसका बैंक दर से ब्याज दिया जाए।

अत: अनुरोध है कि सरकार गन्ना कृषकों को तत्काल बकाया गन्ना-कीमत का भुगतान कराएं एवं विलम्ब होने पर ब्याज सहित उसके भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कराए।

[अनुवाद]

(दस) मुरादाबाद जिले में बिजली की निरन्तर आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद) : मुरादाबाद अपने समृद्ध पीतल निर्यात के कारण देश के लिये बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाता है। एक बहुत बड़ा ग्रामीण कृषि आधार इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारे परिश्रमी किसान हमारे कृषि उत्पादन को अत्यधिक बढाएं।

तथापि जिले में बिजली की बाधापूर्ण और दुखद आपूर्ति से उद्योग और कृषि दोनों को, और उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय हित को एक खतरा उत्पन्न होता है।

देश के राजकोष में शहर और जिले के अत्यधिक वित्तीय-वित्तीय योगदान को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद जिले के लिये बिजली आपूर्ति की समस्या को सुलझाने और दूर करने के लिये केन्द्रीय निधियों को या तो प्रत्यक्षत: अथवा उ०प्र० सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाने की संभावना विचारणीय है।

(ग्यारह) देश में "निजी टेलीविजन पे चैनलों" पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन चैनल के अलावा अन्य भुगतान करने वाले 'पे चैनल्स' के व्यवस्थापक निरंकुशता की ओर अग्रसर हैं जिससे कस्बाई क्षेत्रों तथा अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में केबल आपरेटर्स काफी आर्थिक दबाव एवं आर्थिक हानि का सामना कर रहे हैं।

जैसे अमरीका में एडेसीबिलिटी सिस्टम लागू है। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भी स्वीकृति दी थी। संभवत: अधिक धन के खर्च के कारण वह भारत में संभव नहीं हो सका। अत: भुगतान करने वाले चैनल्स को नियंत्रित करने के लिए कड़े निर्देश की आवश्यकता है ताकि कस्बाई तथा अर्धनगरीय क्षेत्रों के केबल आपरेटर्स इस निरंकुशता से निजात पा सकें।

मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार उपभोक्ताओं की माली हालत को ध्यान में रखकर भुगतान करने वाले चैनल्स को प्रतिबंधित करने की कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन आज के शेष मामलों* को सभा पटल पर रखा माना जाए।

(बारह) उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए पुनरीक्षित दीर्घकालिक कार्ययोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहाण्डी) : भारत के योजना आयोग द्वारा उड़ीसा के केबीके जिलों के लिये संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिये।

(तेरह) राजस्थान में बीकानेर में रेल परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर डूडी (बीकानेर) : रेवाड़ी से बीकानेर मीटरगेज रेलवे लाईन को ब्राडगेज में बदलने तथा सामरिक दृष्टि से कोलायत से फलौदी नई रेलवे लाईन का निर्माण करने हेतु सर्वे हो चुका है। बीकानेर से चेन्नई तथा बीकानेर से गोहावटी नई ट्रेन चलाने तथा बीकानेर–हावड़ा एक्सप्रेस में कोच बढ़ाने की मांग भी लम्बे अर्से से की जा रही है। परन्तु इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा बीकानेर शहर के अंदर से जो रेलवे लाईन गुजरती है, उसमें बाईपास ट्रैक बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। बीकानेर जिले को एशियन डेवलपमेंट बैंक से करीब 175 करोड़ रुपये ऋण मिला है, उसमें से 16 करोड़ का प्रावधान रेलवे लाईन की

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री रामेश्वर डूडी]

मरम्मत तथा ओवरब्रिज बनाने के लिए रखा गया है। यदि बाईपास ट्रेक की स्वीकृति मिल जाती है तो इस धनराशि का उपयोग इस योजना में किया जा सकता है। मेरी भारत सरकार से मांग है कि उक्त सभी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान कर इसी वर्ष के अनुपूरक बजट में शामिल किया जाये।

[अनुवाद]

(चौदह) कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में समुद्री भू क्षरण रोकने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार (मैसूर) : कर्नाटक राज्य तटीय पट्टी के साथ मिट्टी के बढते हुये कटाव के कारण गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है। राज्य की तटीय पट्टी लगभग 300 कि०मी० है। यह मंगलौर से करवर तक फैली है, जिसमें अरब सागर से जुड़ने वाली बड़ी संख्या में नदियों के गिरने के कारण बने बहुत से ज्वारनदमुखों वाले तीन जिले शामिल हैं। इस 300 कि०मी० में से 215.685 कि०मी० की समुद्र तट लम्बाई की पहचान कटाव से बचाने के लिये की गई है। कर्नाटक राज्य सरकार ने 575/- करोड़ रुपये की एक मास्टर योजना तैयार की है और बाह्य वित्तपोषण के लिये सितम्बर 1997 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की है।

चूंकि समुद्र जनित कटाव रोधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करना तत्काल आवश्यक है अतः, मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में समुद्र जनित कटाव रोधी कार्य कलापों को गति प्रदान करने के लिये पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाये।

(पन्द्रह) राजस्थान में बाजरे का समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम रघुनाथ चौधरी (नागौर) : राजस्थान में किसानों की उपज ''बाजरा'' के गिरते बाजार भाव से राजस्थान का समस्त किसान जगत चिन्ता में डूबा हुआ है। तीन वर्षों से जो किसान अकाल से मुकाबला कर रहा था, जीवन यापन के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन कर गया था, इस बार अच्छी वर्षा से उनके चेहरे पर रौनक दिखने लगी थी पर फिर से चेहरे मुर्झाने लगे हैं। जहां पिछले कई वर्षों से बाजरा के बाजार भाव 400 रुपये व 500 रुपये प्रति क्विन्टल के बीच थे, अचानक अच्छी फसल की आशा से रुपये 200 प्रति क्विंटल पर पहुंच गये हैं। बाजार एडवांस सौदा 150-160 रुपये प्रति क्विन्टल पर कर रहा है, जो कि किसान को लागत भाव प्रति क्विन्टल से भी आधा नहीं है। किसानों की चिन्ता में कृपा कर सहभागी बनें। कृषि मंत्री व प्रधान मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि किसानों की उपज को सपोर्टिंग कीमत पर बाजार में सीधा खरीदने का प्रबंध करावें।

[अनुवाद]

(सोलह) देश में बीड़ी कर्मकारों की दशा में सुधार लाए जाने की आवश्यकता

श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : बीड़ी कर्मकारों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। उनमें से अधिकतर बेरोजगार है। यहां 3 लाख बीड़ी कर्मकार है। उनमें से अधिकतर सहकारी क्षेत्र के अधीन कार्य कर रहे है। मैं केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने और उनकी कार्यकरण स्थिति में सुधार के लिये सभी राहत उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

प्रथम चरण के रूप में तत्काल शुल्क प्रारम्भ किया जाना चाहिये।

(सत्रह) प्रसिद्ध लेखक और स्वतंत्रता सेनानी श्री यशपाल की जन्मशताब्दी के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रेमचंद के बाद हिन्दी जगत के सुप्रतिष्ठित एवं प्रगतिशील कथाकारों में यशपाल का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। जब भी स्वतंत्रता आंदोलन, साहित्य सम्पादन व समाज में शोषण, उत्पीड़न तथा संघर्ष की चर्चा होती है, तो यशपाल को भुलाया नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि इसने भारत को यशपाल के रूप में एक प्रतिभाशाली साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी दिया।

राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर लोहे के चने चबाते हुए अंगारों के पथ पर चलने वाले ऐसे क्रान्तिकारी साहित्यकारी थे, जिन्होंने अपनी स्वतंत्र चेतना की लौ को जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रज्जवलित रखा। यशपाल का जन्म 03.12.1903 में हुआ और 2.12.1976 को स्वर्गवास हुआ। सन् 2003 में इस महान साहित्यकार स्वतंत्रता सेनानी की जन्मशती होगी। मेरा आग्रह है कि इस अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट प्रकाशित करे।

[अनुवाद]

(अठारह) रक्षा कार्मिकों के लिए समान रैंक समान पेंशन स्कीम लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने मूलवेतन का 50 प्रतिशत पेंशन लेने के लिए 33 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है। अफसर से नीचे रैंक के व्यक्तियों के मामले में उनकी सेवा के वास्तविक वर्षों में पांच वर्ष और जोड़े जाते हैं। पहले सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार और सूबेदारों को क्रमशः 17, 22, 24, 26 और 28 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना होता था। किन्तु सिविल में उनके समकक्ष पदधारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त

करने पर सेवानिवृत्त होंगे चाहे उनका ग्रेड कुछ भी रहा हो और इस प्रकार वे पेंशन पाने के लिए पात्र हैं जबकि रक्षा सेवाओं में अफसर रैंक से नीचे के व्यक्तियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के लिए ये दो मानदंड न्यायोचित नहीं हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए आवश्यक है कि पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए सेवा के न्यूनतम वर्षों की संख्या कम करना आवश्यक है। सरकार से मेरा यह भी आग्रह है कि रक्षा कार्मिकों के लिए उनकी सेवा के वर्षों को न देखते हुए एक रैंक एक पेंशन नीति कार्यान्वित की जाए।

(उन्नीस) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात है। किसी जमाने में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजधानी रहा यह शहर कई वर्षों तक वाणिज्यिक केंद्र रहा है। भारत की स्वतंत्रता के समय से यह जिला धीरे-धीरे आर्थिक अंधकार में चलता चला जा रहा है। जो थोड़ी सी औद्योगिक इकाइयां बढ़ी थीं वे भी अब समाप्त हो गई हैं। तथापि, यह जिला खेती में सम्पन्न हैं। इसे पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला माना जाता है। किन्तु एक के बाद एक जूट मिल बंद होने के कारण जिले के जूट किसान बदहाल हैं।

बेरोजगार युवाओं की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है जिससे सीमावर्ती जिले में सामाजिक समास्या उत्पन्न हो रही है। मैं सरकार से प्रस्ताव करता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी का संस्थान स्थापित करने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। यह जिला बड़े महत्वपूर्ण स्थान पर है जो उत्तर और दक्षिण बंगाल को जोड़ता है। यह बांग्लादेश से लगा हुआ है। ज्ञान आधारित उद्योग के युग में मैं समझता हूं कि यह जिला महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि मेरे जिले में बड़ी संख्या में प्रतिभावान युवा उपलब्ध हैं।

(बीस) केरल में नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक के एजेंटों के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री टी० गोविन्दन (कासरगौड़) : मैं केरल में उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक के दैनिक जमा संग्रहण एजेंटों की कठिनाइयों की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अभी संग्रहण एजेंटों को 3.5% कमीशन मिल रहा है। इन लोगों की आजीविका का साधन मात्र यह कमीशन है। कई शाखाओं में एक से अधिक एजेंट काम कर रहे हैं। इसलिए इन एजेंटों की आय बहुत कम है। बैंक प्रबंधन ने उनकी आय पर 10.2% आयकर लगाने का आदेश दे दिया है। उन सभी एजेंटों को आयकर अदा करना होगा जिन्हें 2500/- रुपए कमीशन मिल रहा है। कितनी अजीब बात है कि बैंक और अन्य कर्मचारियों को 50,000/- रुपए से ऊपर की आय होने पर आयकर देना होता है।

इस संदर्भ में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कमीशन एजेंटों को प्रभावित करने वाले परिपत्र को वापस लिया जाए। मैं समझता हूं कि बैंक प्रबंधक वित्त मंत्रालय के आयकर भुगतान संबंधी आदेश का गलत निर्वचन कर रहे हैं। मैं इस मामले की जांच करने के लिए वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

(इक्कीस) आन्ध्र प्रदेश में विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मस्तिष्क शोथ (जापानी "ऐनसेफैलाइटिस) रोग के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला (नेल्लौर) : आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सितम्बर से दिसम्बर के दौरान अनेक बच्चे प्रतिवर्ष जापानी ऐन्सेफैलाइटिस से मर जाते हैं। ये गरीबी रेखा से नीचे वाले होते हैं। वे टीकाकरण की ऊंची लागत नहीं उठा सकते जिससे कि उनके बच्चे बच सकते हैं। जब तक गरीब लोगों के बच्चों के नि:शुल्क टीकाकरण में केन्द्र सरकार सहायता नहीं करती, वे मरते ही रहेंगे।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि आंध्र प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार जापानी ऐन्सेफैलाइटिस वैक्सीन खरीदने में आवश्यक सहयोग प्रदान करे क्योंकि गरीब लोगों को नि:शुल्क टीके लगाकर सरकार द्वारा जापानी ऐन्सेफैलाइटिस उन्मूलन कार्यक्रम चलाना अतिआवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में 'शून्य काल' शुरू होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमि० और स्मिथ एंड स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमि० सरकारी क्षेत्र की दो फार्मास्युटिकल्स लिमि० हैं। *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, स्टॉक मार्केट गिरने के लिए तहलका वाले जिम्मेवार हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर व्यवस्थित होगा तो आपको भी चांस मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री राजी प्रताप रूड़ी : महोदय, तहलका वाले स्टॉक मार्केट में शामिल रहे हैं जिससे देश अस्थिर हुआ। इनके चलते देश को 14000 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, आज का शून्यकाल एक बजे तक चलेगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं शून्य काल में से कुछ क्षण लूंगा किन्तु कृपया मुझे मौका दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मौका मिलेगा। किंतु अभी-अभी मैंने उन्हें बोलने को कहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह आप अपने ही शून्यकाल का समय बर्बाद कर रहे हैं। आज यह केवल एक बजे तक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आज सबको चांस मिलेगा ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, मैंने उन्हें बोलने को कहा है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : हमें कैसे चांस मिलेगा। *(व्यवधान)* हम लगातार नोटिस दे रहे हैं। *(व्यवधान)* मुंबई शहर में मिल मजदूरों का आन्दोलन शुरू है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, मैंने उन्हें बोलने को कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय भारतीय औषध एवं भेषज लिमि० (आई०डी०पी०एल०) तथा स्मिथ और स्टेनीस्ट्रीट भेषज लिमि० लम्बी अवधि से शिथिल पड़े हुए हैं। इन दोनों सरकारी क्षेत्र के भेषज उपक्रमों की स्थापना जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन के लिए की गयी थी। आई०डी०पी०एल० की तीन इकाईयां हैं। ये ऋषिकेश, हैदराबाद और गुड़गांव में हैं। आई०डी०पी०एल० की स्थापना जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण और इन औषधियों को गरीब लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए की गयी थी। इन दोनों सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले को बी०आई०एफ०आर० के पास विचार के लिए भेजा गया था और बी०आई०एफ०आर० ने सरकार से एक पुनरूज्जीवन प्रस्ताव देने के लिए कहा। पर भारत सरकार ने अब तक बी०आई०एफ०आर० को पुनरूज्जीवन प्रस्ताव नहीं भेजा है। ये दो भेषज उपक्रम हैं।

प्रधानमंत्री जी यहां मौजूद हैं। उन्हें आई०डी०पी०एल० की समस्या की जानकारी है। हम उनसे कई बार मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि सरकार आई०डी०पी०एल० को पुनरूज्जीवित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। *(व्यवधान)* श्री येरननायडू, आप भी आई०डी०पी०एल० को पुनरूज्जीवित किए जाने में रूचि रखते हैं क्योंकि हैदराबाद में इसकी बड़ी इकाई स्थित है।

आपका प्रतिनिधिमंडल भी प्रधानमंत्री से कई बार मिल चुका है।

हम यह जानना चाहेंगे कि आई०डी०पी०एल० और एस०एस० पी०एल० को पुनरूज्जीवित किए जाने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी। एस०एस०पी०एल० पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह एक छोटा एकक है और इसे पुनरूज्जीवित करने के लिए बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता नहीं है। आई०डी०पी०एल० के लिए सरकार को इस उपक्रम को पुनरूज्जीवित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। *(व्यवधान)* आई०डी०पी०एल० के कामगारों को दो महीनों से वेतन नहीं मिला है। *(व्यवधान)* कामगार भूखे मर रहे हैं। इसलिए इन दोनों महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के भेषज (फार्मास्यूटिकल) उपक्रमों को पुनरूज्जीवित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीर हाट) : महोदय मैं इस विषय पर उनके विचारों का समर्थन करता हूं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री और पूरी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आज से एक सप्ताह के भीतर बंगाल में त्यौहारों का दौर आरंभ होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं कि उत्सव के दौरान औद्योगिक कामगारों के लिए मूल मुद्दा उनकी मजदूरी तथा उनका बोनस होता है। इण्डियन आयरन और स्टील कम्पनी के पुनरूज्जीवन योजना, जिसके लिए हमने दलगत राजनीति से उपर उठकर माननीय प्रधानमंत्री से मेकॉन के पैकेज को लागू करने के लिए अनुरोध किया था, अभी तक लागू नहीं हो पायी है।

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम भारी उद्योग मंत्री से मिले जिन्होंने इस सभा को आश्वासन दिया कि वे एम०ए०एम०सी०, नेशनल टेनरीज, टांगरा के साथ-साथ बर्न स्टैण्डर्ड, हावड़ा के मामले पर फिर से विचार करेंगे क्योंकि पिछले चार महीनों से उनके कामगारों को वेतन तथा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मुझे आपको यह बताते हुए खेद हो रहा है कि पिछले सप्ताह एक कामगार ने आत्महत्या कर ली। यह वाकई भयानक है। यह हमारे राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि त्यौहारों का मौसम शुरू होने से पहले नेशनल जूट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियरिंग, हावड़ा और बर्नपुर के बने स्टैण्डर्ड एककों, एम०ए०एम०सी० और नेशनल टैनरीज. और विशेषकर आई०आई०एस०सी०ओ० के एककों पर ध्यान देगी। कुल मिलाकर यह 1.5 मिलियन लोगों के भविष्य का फैसला करेगा। इसलिए आप स्थिति की कल्पना कर सकते हैं।

उन्होंने 'रेल रोको', 'राजधानी रोको' के लिए पहले से ही एक योजना बना ली है। मैंने कल ही दो मजदूर संघों को व्यक्तिगत रूप से फोन किया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे त्यौहार के दिनों में ऐसे काम नहीं करें और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी परेशानी को समझ रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें और इन एककों के लिए जिम्मेदार माननीय मंत्री देखें कि उनकी शिकायतें दूर की जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, माननीय भारी उद्योग मंत्री द्वारा इस सभा में दिए गए आश्वासन के बावजूद उन्हें उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं आपकी आभारी हूं।

दलगत राजनीति से हटकर मैं माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य तथा श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा व्यक्त विचारों का पूर्ण समर्थन करती हूं। यह एक सच्चाई है कि पश्चिम बंगाल का औद्योगिक परिदृश्य आज अत्यन्त बुरी दशा में है। हमें अपने 'सेल', आई०आई० एस०सी०ओ०, एम०ए०एम०सी० (दुर्गापुर), एन०जे०एम०सी०, नैशनल टैनरीज, टांगरा, आई०डी०पी०एल० और जूट मिलों पर गर्व है।

आई०आई०एस०सी०ओ० का आधुनिकीकरण काफी समय से लंबित है। क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री से एक अनुरोध कर सकती हूं जो कि यहां उपस्थित हैं ? आज इस सत्र का आखिरी दिन है और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती बल्कि मैं माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आई०आई०एस०सी०ओ० के आधुनिकीकरण का कार्य काफी समय से लंबित है यद्यपि सरकार का इस मामले को बी०आई०एफ०आर० को सौंपे जाने का प्रस्ताव है। सितम्बर महीने में सरकार द्वारा इसके रिवाइवल पैकेज का प्रस्ताव बी०आई०एफ०आर० को प्रस्तुत किया जाना है। मुझे कहा गया है कि सरकार आई०आई०एस०सी०ओ० के आधुनिकीकरण के संबंध में 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करने जा रही है।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि सितम्बर के महीने में इसकी अंतिम तिथि है। यदि हम इस अवधि के दौरान यह प्रस्ताव नहीं सौंप सके तो हमारे ये महत्वपूर्ण उपक्रम भी समाप्त हो जायेंगे। यही कारण है कि मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि आई०आई० एस०सी०ओ० के आधुनिकीकरण के लिए सरकार अपना प्रस्ताव निर्धारित अवधि तक अवश्य सौंप दे ताकि कामगारों को कष्ट भोगने से बचाया जा सके।

महोदय, मैं एम०ए०एम०सी०, एलॉय स्टील, टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एन०टी०सी० मिलों और एन०जे०एम०सी० मिलों के बारे में कहना चाहती हूं। देश भर के जूट मिलों तथा कपड़ा मिलों के कामगार, जिसमें मेरा राज्य भी शामिल है अपार दुःख भोग रहे हैं क्योंकि कोई कार्य योजना नहीं है। मैं सरकार से एक विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने का अनुरोध करती हूं ताकि वह मामले की गहराई में जाकर कार्मिकों के दुःखों को दूर कर सके। सरकार इस बारे में निश्चित रूप से एक मास्टर प्लान तैयार करे।

महोदय, सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों — बर्न स्टैण्डर्ड, जेसोपक्ष, ब्रीथवेट सरकार से माल डिब्बों के निर्माण का ऑर्डर प्राप्त करते रहे हैं। परन्तु अब यह कार्य मिलना बन्द हो गया है। मैं जानती हूं कि यदि यह कार्य मिलना पूरी तरह बन्द हो गया तो इन एककों के कामगारों को अपार कष्ट झेलना पड़ेगा। मैं यह नहीं जानती कि सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रमों को यह कार्य क्यों नहीं मिल रहे हैं और वे इस संबंध में पीछे क्यों रह गए हैं। संभवत: संवाद की कमी हो सकती है और यही कारण है कि सही समय के भीतर कार्य के लिए आदेश प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसके कारण वे रुग्ण हो रहे हैं। मैं सरकार से इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देने का अनुरोध करती हूं। मैं अनुरोध करती हूं कि करोड़ों कामगारों को बेरोजगार नहीं होने दिया जाना चाहिए।

मैं सरकार से देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति को देखते हुए सहायता करने का अनुरोध भी करना चाहती हूं। देश को प्रति वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है पर कोई मास्टर प्लान नहीं है और कोई समग्र कार्य योजना नहीं है। जब भी बाढ़ आती है तो हम इसके लिए करोड़ों रुपए देते हैं। पर हमें कोई कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि बाढ़ को रोका जा सके। हमें बाढ़ आने पर केवल रुपए देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं चाहूंगी कि सरकार इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश भर के सभी राज्य बिजली बोर्ड भारी घाटे में चल रहे हैं। अब कई राज्य सरकारों ने नाफ्था आधारित बिजलीघरों के साथ बिजली खरीद करार किए हैं। केवल 1400 मेगावाट नाफ्था आधारित बिजलीघरों पर कार्य चल रहा है। हम दूसरे देशों को सस्ती दरों पर नाफ्था का निर्यात कर रहे हैं और ऊंचे दरों पर नाफ्था का आयात कर रहे हैं। अब भारत सरकार ने उर्वरक संयंत्रों को उत्पाद शुल्क तथा अन्य शुल्कों को लगाए बिना देशी नाफ्था का निर्यात करने का निर्णय लिया है। हम इसकी आपूर्ति उर्वरक संयंत्रों को क्यों कर रहे हैं ? यह किसानों का उत्पाद है। यहां तक कि बिजली बोर्डों की 80 प्रतिशत बिजली कृषक समुदाय को ही आपूर्ति की जाती है। आम भार उपभोक्ताओं के ऊपर है। नाफ्था आधारित बिजलीघरों के साथ जो भी समझौता किया जा रहा हो, अन्तत: उसका भार उपभोक्ता के ऊपर ही पड़ेगा।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जिनका नैफ्था — आधारित विद्युत परियोजनाओं के साथ विद्युत खरीद करार (पी०पी०ए०) हुआ है — के मुख्यमंत्रियों ने इस संबंध में माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से सहायता हेतु अनुरोध किया। वे भी इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं। अब भी वे घाटा उठा रहे हैं और इसके बाद वे और घाटा उठाएंगे। हम कृषक समुदाय, विशेषकर कृषि क्षेत्र के लिए उत्पादित की जाने वाली बिजली का ज्यादातर उपयोग कर रहे हैं।

एक बार जब हमने यह सुविधा उर्वरक उद्योग को दे दी है तो हम यह सुविधा विद्युत बोर्डों को भी क्यों न दें ? मैं आपके माध्यम से इस संबंध में सरकार से सहायता के लिए अपील कर

[श्री के० येरननायडू]

रहा हूं। यह एक नीतिगत निर्णय है। इससे विद्युत बोर्डों को सहायता प्राप्त होगी। अंततः इससे उपभोक्ताओं पर बोझ भी कम होगा।

महोदय, सरकारी क्षेत्र में कर्नाटक स्थित कुद्रेमुख आयरन एंड स्टील प्लांट अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा है। भारत सरकार ने पांच वर्षों के लिए पट्टा दिया है। अब इस्पात मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बातचीत शुरू की है। परंतु पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पट्टे को बढ़ाया नहीं है। जब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें कई सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, के संबंध में पट्टा नहीं बढ़ाया जाता है तो उद्योग का कोई उपयोग नहीं है। हाल ही में, कुद्रेमुख संयंत्र ने अपने कार्यों में वृद्धि की है। अतः अनेक गैर सरकारी संगठनों ने इस स्थान पर पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में याचिकाएं दायर की हैं और वे बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं।

इस परिदृष्य में, सरकार को इस एकक के लिए पट्टे का नवीकरण और 15 वर्षों की अवधि के लिए करने हेतु कदम उठाने चाहिए। अन्यथा इससे संबंधित सभी उद्योग रुग्ण हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। अतः प्रधान मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे इस उद्योग को सहायता प्रदान करें। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, माननीय सदस्य श्री के०एच० मुनियप्पा और श्री विनय कुमार सोराके इस विषय पर श्री येरननायडू का सहयोग कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, इस प्रकार शोर मत कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जो लोग हज के लिए जाते हैं, उनको अत्यधिक असुविधा होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली से हज के लिए चले जाते हैं लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को अत्याधिक असुविधा होती है। हज यात्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। प्रधान मंत्री जी ने इस सम्मेलन में खुद भाग लिया था और 5 अगस्त 1999 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों को परेशानी होती है, उनके लिए हम सीधे लखनऊ से उड़ान की व्यवस्था करेंगे। तीन साल व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अभी तक लखनऊ से हज यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। *(व्यवधान)* 8000 हज यात्रियों को अत्यधिक असुविधा होती है, उनके परिवार के लोगों को असुविधा होती है। *(व्यवधान)* 15000 रुपया अतिरिक्त व्यय होता है, उनके परिजन परेशान होते हैं। यह अत्यधिक गंभीर मामला है। *(व्यवधान)* चूंकि प्रधान मंत्री जी का कमिटमेंट हज यात्रियों के लिए था, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि तीन साल व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अभी तक लखनऊ से हज यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। *(व्यवधान)* लखनऊ आपका संसदीय क्षेत्र भी है, इस नाते भी आपका फर्ज बनता है। *(व्यवधान)* अगर घोषणा को अमल में नहीं लिया जाएगा, *(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री जी यहां मौजूद है, *(व्यवधान)* अगर घोषणा को अमलीजामा नहीं पहनाया जाएगा, *(व्यवधान)* मैं माननीय प्रधान मंत्री जी मे जानना चाहता हूं कि क्या तीन साल पहले की गई घोषणा को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रधान मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फ़रनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, वैस्टर्न उत्तर प्रदेश में भयावह स्थिति बनी हुई है। *(व्यवधान)* वहां वकील हड़ताल पर गये हुए हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बाधा मत डालिए। उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : प्रधान मंत्री जी की घोषणा को तीन साल हो गये हैं, *(व्यवधान)* चूंकि यह मुसलमानों से संबंधित सवाल है, *(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी यहां सदन में मौजूद हैं और इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी ने जो तीन साल पहले घोषणा की थी, वह बताएं कि इसको अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया ? *(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। *(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री जी यहां सदन में बैठे हैं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें हाउस में बैठना नहीं है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अब अपने स्थान पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सईदुज्जमा जो कुछ बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा : उपाध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट को लेकर आज वैस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है और खासकर माननीय प्रधान मंत्री जी यहां सदन में मौजूद हैं, *(व्यवधान)* मुझे पहले बुलाया गया है तो मुझे पहले सुना जाये। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन जी, आपने जो कुछ कहना था, कह दिया। अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा : मुझे बुलाया गया है और यह व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। *(व्यवधान)* वैस्टर्न उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की बैंच को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है, *(व्यवधान)* वाजपेयी जी जब राज्य सभा के मैम्बर थे तो 1986 में उन्होंने प्रश्न किया था कि वैस्टर्न उत्तर प्रदेश में हाई-कोर्ट की बैंच होनी चाहिए। *(व्यवधान)* पूरे प्रदेश में स्थिति बिगड़ी हुई है। *(व्यवधान)* वैस्टर्न उत्तर प्रदेश में वकील और व्यापारी हड़ताल पर हैं। *(व्यवधान)* वाजपेयी जी ने 1986 में यह प्रश्न किया था कि वैस्टर्न उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की एक बैंच होनी चाहिए। *(व्यवधान)* प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन लॉ मिनिस्टर भारद्वाज जी ने कहा था कि सरकार ने उसे नियमानुसार मान लिया है। *(व्यवधान)* तो अब इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ? इसको तुरंत बनाया जाये। *(व्यवधान)* और जो स्थान है, उसको चयन करने का भी अधिकार भारत सरकार को दिया था। *(व्यवधान)* उस समय जब उन्होंने प्रश्न किया था तब वह राज्य सभा के मैम्बर थे तो आज प्रधान मंत्री हैं और यहां सदन में मौजूद हैं, *(व्यवधान)* उस समय जो उन्होंने प्रश्न किया था और सरकार ने उसे मान लिया था तो आज वैस्टर्न उत्तर प्रदेश में हाई-कोर्ट की बैंच की स्थापना का ऐलान करें। *(व्यवधान)* जब पूरे उत्तर प्रदेश में भयंकर स्थिति बनी हुई है और आज यहां प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं, *(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर प्रश्न है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बाधा उत्पन्न मत कीजिए। उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, हमने सभी की बातें शांत रहकर सुनी हैं। यह उचित नहीं है कि जब आपने इन माननीय सदस्य को बोलने को कहा है तो वे सब बाधा डाल रहे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैं उन्हें बता रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाये। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष जी, इनकी बात सुनी जाये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, मैं इतने अधिक सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यही तरीका है ? वे सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा : यह बहुत गंभीर मामला है। *(व्यवधान)* हाई-कोर्ट बैंच को लेकर वैस्टर्न उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत भयावह बनी हुई है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप यह चाहते हैं कि मैं अंतिम दिन उनका नाम लूं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया आप अपने सदस्यों से कह दीजिए कि वे अच्छा व्यवहार करें। आप अपने दल के नेता हैं। मैं केवल आपका सहयोग मांग रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हम तो उनको बिठा रहे हैं और आप गुस्सा हो रहे हैं। *(व्यवधान)* हम भी अपने-अपने मंडल में जाते हैं, *(व्यवधान)* आपका गुस्सा होना या डांटना ठीक नहीं है। *(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही बोल लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी एक सीमा है।

(व्यवधान)

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : आपने उन्हें बोलने को कहा है, परंतु उनकी माइक का स्विच ऑन नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने के पहले बटन दबाना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रघुनाथ झा को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, गरीबी उन्मूलन, मातृत्व भत्ता, इंदिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जवाहर रोजगार एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से जिलों में जाते हैं। परन्तु दुःख के साथ व्यक्त करना पड़ता है कि उपरोक्त कार्यक्रमों में माननीय सासंदों की भूमिका नगण्य होकर रह गई है। कई बार सदन में इसमें सांसदों की प्रभावकारी भूमिका हो, विषय पर चर्चा हो चुकी है। परन्तु अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

महोदय, सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं उनसे मांग करना चाहता हूं कि सांसदों की भूमिका इन योजनाओं के कार्यान्वयन में क्या हो, इस पर सरकार अविलम्ब निर्णय करें। *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, एन०टी०सी० मैनेजमेंट ने गुजरात पैटर्न पर वी०आर०एस० लागू करने का एक नोटिस जारी किया है। इस पैटर्न के अन्तर्गत एन०टी०सी० के एक कर्मचारी को 1.5 लाख से 2 लाख रुपये मिलेंगे। यदि मुम्बई पैटर्न लागू किया जाता है, तो उसे 4 से 5 लाख रुपए मिल सकेंगे। मुम्बई की सभी एन०टी०सी० कर्मचारी यूनियन्स गुजरात पैटर्न के अंतर्गत वी०आर०एस० लागू करने का विरोध कर रही हैं। अनेक मिलें रा-मैटीरियल, काटन और वर्किंग कैपिटल न मिलने के कारण बन्द हो गई हैं। पता चला है कि एन०टी०सी० की सरप्लस लैंड को बेचकर सरकार को 2005 करोड़ रुपए मिलेंगे।

अपराह्न 12.58 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सरप्लस लैंड बेचने से मिलने वाली राशि मुम्बई की मिलों को दी जाएगी। इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ? मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गुजरात पैटर्न के अन्तर्गत जारी नोटिस रद्द कर उसके स्थान पर मुम्बई पैटर्न लागू किया जाए।

[अनुवाद]

श्री होलखोमांग हौकिप (बाह्य मणिपुर) : महोदय, मणिपुर में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। उनमें से दो राष्ट्रीय राजमार्ग बन्द हैं तथा एक ठीक है। मैं मणिपुरी भाषा में बोलना चाहता हूं जो संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुरी भाषा में बोलना चाहता हूं जो आठवीं अनुसूची में शामिल है। लगभग ढ़ाई महीने से मणिपुर में दोनों मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग बन्द हैं तथा लोगों को खाद्य सामग्री न मिलने के कारण परेशानी हो रही है। कोई भी भोजन सामग्री और आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है। सड़क पर ट्रकों को उनमें लदे माल सहित जला दिया गया। महोदय, मैं जिस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं वह यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 150 पर कोई बाधा नहीं है। उपभोक्ता वस्तुएं ढोने वाले ट्रक और अन्य परिवहन वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 150 पर चल सकते हैं। अतः, केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि वह इस राष्ट्रीय राजमार्ग विशेषकर तानलोन और तिपाईमुख के बीच के राजमार्ग को सुधारने संबंधी कार्य करे। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 150 बाधारहित, सुरक्षित और शांत है। ट्रकों और अन्य ट्रांसपोर्ट वाहनों को इसी राजमार्ग से भेजा जाना चाहिए। यदि खान-पान संबंधी उपभोक्ता सामग्री राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 150 द्वारा तैथू होकर जीरी से लाई जाएं तो मणिपुर में शांति हो जाएगी।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मसले की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं झुंझुनू जिले की कांस्टीट्यूएंसी नम्बर चार, राजस्थान से लोक सभा में आता हूं। झुंझुनू जिले में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जमाने से भर्ती दफ्तर है। 1962 से चाइना अग्रेशन के पहले से वहां के जवानों को जयपुर का जो रिक्रूटिंग आफिसर है, जिसके तहत झुंझुनू आता है, वे कोटा, बारा, जैसलमेर बाड़मेर झालावाड़ आदि स्थानों पर भेजते हैं। जहां कहीं भी भर्ती का दफ्तर नहीं है। झुंझुनू में मेडिकल आफिसर, रिक्रूटिंग आफिसर एवं सारा स्टाफ है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राजीव प्रताप रूडी जी, हाउस में ऐसा करना ठीक नहीं है।

श्री शीश राम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह स्थान, जहां वे भर्ती के लिए भेजे जाते हैं, 700-800-900 किलोमीटर की दूरी पर झुंझुनू से पड़ता है। उन्हें वहां आपने-जाने में चार दिन खर्च होते हैं। उनके कम से कम दो-ढाई हजार रुपए खर्च होते हैं। यह जरूरी नहीं है

---

*...*मूलतः मणिपुरी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कि सारे भर्ती हो जाएं। उनमें कोई भर्ती होता है, कोई नहीं होता है। आर्मी के लिए भर्ती की एक प्रक्रिया है। वहां से तीन बार जाना पड़ता है – पहली बार परीक्षा देने के लिए, दूसरी बार भर्ती के लिए और तीसरी बार फाइनल मेडीकल के लिए जाना पड़ता है। अब अजमेर की बजाए जयपुर, राजस्थान के रिक्रुटिंग आफिस का हेड क्वार्टर हो गया है, मैं नहीं समझता कि वे क्या कारण समझते हैं। झुंझुनू के जवान आर्मी में सर्वाधिक हैं। *(व्यवधान)* आबादी के हिसाब से राष्ट्र में झुंझुनू के जवान सर्वाधिक हैं। उन्हें कोटा, बूंदी, झालावाड़ भेजना गलत है। इसकी जांच करवा कर इसके पीछे क्या कारण है, यह बताया जाए ताकि उन्हें संतोष हो सके, जब कि वहां पर रिक्रूटिंग आफिस पूरे स्टाफ के साथ मौजूद है। धन्यवाद।

अपराह्न 1.03 बजे

[अनुवाद]

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज, तेरहवीं लोक सभा का सातवां सत्र, जो 23 जुलाई, 2001 को आरंभ हुआ था, का समापन हो रहा है। सभा की कुल 29 बैठकें हुईं जो 174 घंटे तक चलीं।

सत्र के दौरान, लोक सभा ने अनेक महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाए। वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) तथा मणिपुर राज्य से संबंधित बजट सभा के पूर्ण सहयोग से पारित किए गए।

लोक सभा ने 35 विधेयकों का अनुमोदन किया जो अपने आप में एक रिकार्ड है। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक जो पारित किए गए, वे हैं – अंतर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक, 2001; संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 2000; भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक, 2001 जिसने वर्ष 2000 के अध्यादेश सं० 1, का स्थान लिया; संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्रों के नये सिरे से परिसीमन किए जाने पर 2026 तक रोक लगाने तथा 1991 की जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या के आधार पर लोक सभा और विधान सभाओं में अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के पुनर्निर्धारण की व्यवस्था है; संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001; तथा मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2001।

सभा में नियम 193 के अधीन लोकमहत्व के छह महत्वपूर्ण मामलों पर उपयोगी चर्चा की। ये हैं : (एक) भातर और पाकिस्तान के बीच आगरा में हाल ही में हुई शिखर वार्ता के संबंध में प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य; (दो) देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन-धन की क्षति; (तीन) शिक्षा का भगवाकरण; (चार) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश; (पांच) नयी दूरसंचार नीति, 1999 और सामान्य रूप से सरकार के लाइसेंस तथा राजस्व अर्जन पर उसका प्रभाव, एवं विशेष रूप से सीमित मोबिलिटी संबंधी मुद्दा; तथा (छह) खाद्यान्न की अनुपलब्धताके कारण देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों के सामने आ रहीं गंभीर समस्याएं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा द्वारा यू०एस०-64 के कुप्रबंधन तथा इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा समय पर कार्रवाई न किए जाने का मामला स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया गया जिसे कि सभा द्वारा सात-घंटे की लंबी चर्चा के बाद अस्वीकृत किया गया। तत्पश्चात, मैंने 3 अगस्त, 2001 को दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें यह निर्णय किया गया था कि सभा में चर्चा किए गए मुद्दों सहित यू०टी०आई० से संबंधित सभी मुद्दों पर स्टॉक बाजार घोटाला संबंधी वर्तमान संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से दो महत्वपूर्ण मामले उठाए गए और संबंधित मंत्रियों ने उनपर वक्तव्य दिए। ये थे : (एक) जम्मू – कश्मीर के डोडा में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की हाल ही में हुई हत्याओं से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम और (दो) देश में जूट उत्पादकों और जूट उद्योग के समक्ष आ रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अविलंबनीय लोक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर मंत्रियों द्वारा चौदह वक्तव्य दिए गए।

प्रश्न काल के संबंध में, सूचीबद्ध किए गए 580 तारांकित प्रश्नों में से सभा में 87 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। शेष 493 तारांकित प्रश्नों और 6,081 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभापटल पर रखे गए। विभिन्न विषयों पर चार आधे-घंटे-की-चर्चाएं भी हुईं।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में, सत्र के दौरान 60 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। यह प्रावधान करने के उद्देश्य से कि संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव के साथ वैकल्पिक सरकार का प्रस्ताव करने वाला एक संगठित प्रस्ताव भी शामिल होगा, भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक पर सत्र के दौरान आगे चर्चा की गई तथा इसे सभा की अनुमति से वापस लिया गया। दूसरा विधेयक जिसमें राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों और गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, पर चर्चा आधूरी रही।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, एक संकल्प को जिसमें सरकार से यह आग्रह किया गया है कि विगत कुछ वर्षों से लम्बित सभी परियोजनाओं के समयबद्ध ढंग से पूर्ण होने के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन करते हुए कार्यक्रम बनाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त निधि की व्यवस्था होने के पश्चात ही नई स्कीमें शुरू की जाएं ताकि वे निश्चित समय में पूरी हो सकें, सभा की अनुमति से इसे वापस लेने के पूर्व पूरी सभा का भरपूर समर्थन मिला था। मात्रात्मक प्रतिबंधों को वापस लेने के निर्णय की समीक्षा करने के बारे में एक और संकल्प पर आंशिक चर्चा हो पायी।

सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 277 मामले उठाए जबकि सदस्यों ने लोकमहत्व के 300 से अधिक मामले शून्य काल में उठाए। इस सत्र में विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों ने पंद्रह प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

माननीय सदस्यगण, हम सब मिलकर सदैव यही प्रयास करते आए हैं कि सभा की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलती रहे। दुर्भाग्य से कभी-कभी सभा का बहुमूल्य समय सभा के मध्य में आकर कुछ सदस्यों द्वारा उच्छृंखल आचरण करके बर्बाद होता है। इस सत्र में भी ऐसा हुआ। मैं दलों के नेताओं का आभारी हूं जिन्होंने एकमत से राय व्यक्त की है कि सभा के मध्य आने पर अब से रोक लगाई जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे हर सम्भव प्रयास करेंगे के उनके सदस्य सभा के मध्य में जाकर, उच्छृंखल आचरण न करें। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम अनुशासित और सुचारू ढंग से सभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे तो इससे हमारी अपनी ही नहीं बल्कि संसद की भी गरिमा बढ़ेगी।

वाद-विवाद और चर्चा लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का सार होता है, हमें दूसरे सदस्य के अपनी बात कहने के अधिकार का भी सम्मान करना चाहिए और प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत इस सम्मानपूर्ण सभा में उससे अपनी असहमति व्यक्त करने के अपने अधिकार का भी सम्मान करना चाहिए।

यह बताना रोचक होगा कि व्यवधान के कारण जहां इस सत्र में 29 घंटे 31 मिनट बर्बाद हुए, वहीं इस समय की पूर्ति करने के लिए देर रात को या मध्याह्न भोजन के दौरान बैठक बढ़ाकर इस सभा को अतिरिक्त 42 घंटे 52 मिनट बैठना पड़ा। यह पूरी सभा के सहयोग देने से ही सम्भव हो सका।

सभा के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, सभा में विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और उपनेताओं तथा उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों एवं वास्तव में इस सभा के प्रत्येक सदस्य ने मुझे और मेरे सहयोगियों — माननीय उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका के सदस्यों को जो सहयोग दिया उसके लिए मैं उन सबका अत्यंत आभारी हूं।

मैं लोक सभा सचिवालय और सहायक एजेंसियों के कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं जिनके मूल्यवान सहयोग से यह सभा चली। मीडिया के लोगों ने जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के प्रारम्भ में हमारे मन में कई मामले कौंध रहे थे यथा, आगरा शिखरवार्ता, यू०टी०आई० संकट, कई घोटालों की पर्तें खुलना, अनसुलझा अयोध्या मुद्दा, किसानों और छोटे उद्योगपतियों पर विश्व व्यापार संगठन का बढ़ता प्रभाव, विनिवेश की प्रक्रिया और शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण।

महोदय, आपके प्रयासों से और सभा के सदस्यों के प्रयासों से इनमें से कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई। शायद प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष के बीच सहमति नहीं थी। किन्तु सभा ने और राष्ट्र ने प्रत्येक प्रमुख बात को सुना। यही लोकतंत्र का सार है।

फिर भी, इस सत्र में दो अतिरिक्त सप्ताह जुड़ने के बावजूद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। महोदय, इस संदर्भ में, और अनुशासन लागू करने की पहल का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। मेरा और मेरी पार्टी का आप में, सदस्यों के अपनी राय व्यक्त करने और मामले उठाने के अधिकार को कम किए बिना निष्पक्ष ढंग से अनावश्यक और छोटे-छोटे व्यवधानों को नियंत्रित करने की आपकी योग्यता में पूरा विश्वास है।

इस सत्र के प्रारम्भ में हमारी जो कार्य सूची थी उसके अतिरिक्त इस अवधि में कई तात्कालिक मुद्दे आए। देश के सबसे गरीब लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं जबकि हमारे खाद्यान्न भंडार भरे पड़े हैं। कई क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है। गुजरात में भूकम्प राहत का काम अधूरा रहा। इसके अतिरिक्त, इस सत्र के दौरान केरल, उड़ीसा और बिहार बाढ़ की चपेट में आ गए।

जम्मू-कश्मीर में हिंसा चरम पर पहुंच गई। एन०एस०सी०एन० करार से जिसे बाद में आशोधित किया गया, मणिपुर और अन्य स्थानों पर अत्यधिक असंतोष फैल गया। आज भी पूर्वोत्तर के लोगों में असन्तोष मौजूद है और हमें लगता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में लम्बे समय से चले आ रहे असन्तोष और परेशानियों के लिए हमने अभी तक नया समाधान नहीं ढूंढा है।

हाल ही में, तहलका ने जिस सच्चाई का पर्दाफाश किया था उसे भी रिपोर्टरों द्वारा अपनाए गए तरीकों पर विवाद खड़ा करके शांत करने की स्थिति बन गई थी।

महोदय, कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्य हुए हैं। तथापि, दुर्भाग्य से महिला आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विधान आज भी इन्तजार कर रहा है। हम आज भी प्रधान मंत्री जी के उस वायदे के पूरा होने का इन्तजार कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वे हम महिलाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस मुद्दे पर सर्वसम्मति कायम करने का प्रयास करेंगे।

सरकार की वे विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण हैं जिनका प्रभाव हमारे देश के सर्वाधिक गरीब लोगों के कल्याण पर पड़ा। हम जनसंख्या नीति और कृषि नीति पर चर्चा करने को अत्यधिक उत्सुक हैं। हम करगिल रिपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली पर चर्चा करने के लिए भी अति उत्सुक हैं। हम गरीबी उन्मूलन योजनाओं और कुल रोजगार वृद्धि दर में गिरावट को गम्भीरता से लेते हैं। हम दसवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र पर भी चर्चा करने को उत्सुक हैं।

महोदय, इन सभी मुद्दों पर हमें बहुत कुछ कहना है और हमें आशा है कि आपके माध्यम से सरकार इन सब मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर हमें देगी।

महोदय, अंत में जिस योग्यता, दक्षता और धैर्य के साथ आपने इस सत्र का संचालन किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं यहां उपस्थित अपने सभी सहयोगियों के लिए भी मंगल कामना करती हूं।

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, पावस का सत्र अपनी समाप्ति पर है। आज ओणम का त्यौहार है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों और सदन के सदस्यों का अभिनन्दन करना चाहता हूं। कल गणपति विसर्जन है। गणपति वुद्धि के देवता हैं। हमें उनसे भी कुछ लेने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, आपने सत्र की उपलब्धियों का उल्लेख किया – सचमुख कई मामलों में सदन के काम उल्लेखनीय रहे हैं। अगर दिन में काम नहीं हुआ, तो हम रात में बैठे, देर तक बैठे। काम खत्म करने की दृष्टि से तो यह ठीक है लेकिन दिनचर्या के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। आपने बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। सदन में अनुशासन रहना चाहिये। जब हम प्रतिपक्ष में थे, तब से हम अनुशासन की बात कर रहे हैं। जो नये-नये प्रतिपक्ष में आये हैं, उनके सहयोग की आवश्यकता है।

यहां अलग-अलग विचाराधाराएं हैं। उन विचारधाराओं को सदन में रखने का अवसर मिलता है। मैं सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाता, लेकिन जब विश्व में आर्थिक दृष्टि से एक मंदी आई हुई है, तब हम अपनी अर्थव्यवस्था को सम्भाल कर आगे बढ़ने में सफल हो रहे हैं। यह बात उल्लेखनीय है और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। मैं आंकड़ों में नहीं जाता कि किस क्षेत्र में हमने कितनी उपलब्धि की है, मैं इसका भी विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि यह अवसर उसके लिए नहीं है, आज हम इस बात पर प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं कि अच्छे वातावरण में सत्र की समाप्ति हो रही है। यह वातावरण केवल समाप्ति के समय नहीं रहना चाहिए। ऐसा वातावरण प्रारंभ में भी रहना चाहिए और मध्य में भी रहना चाहिए।

चर्चा के लिए समय मिल सकता है, सरकार कभी चर्चा करने से कतराई नहीं है। हम अपने विचार स्पष्टता के साथ रखते हैं। आरोप लगाये जाते हैं उनका खंडन करते हैं। लेकिन आरोपों-प्रत्यारोपों की भी एक सीमा होनी चाहिए। लोकतंत्र बिना मर्यादा के नहीं चल सकता और अगर मर्यादा स्वेच्छा से हो, स्वत: स्फूर्त हो, सभी दलों के सदस्य मिलकर आपस में बैठकर फैसले कर लें, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छे वातावरण की सृष्टि होगी।

सत्र आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र की उपलब्धियां हम गिना रहे हैं। लेकिन जनमानस में सदन की जो तस्वीर उभरती है, वह ऐसी नहीं है जिस पर भारतीय लोकतंत्र, जो संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वह गर्व कर सके। इसमें सबके सहयोग से स्थिति सुधारी जा सकती है। मैं आपका अभिनन्दन करता हूं, आपने बड़ी कुशलता के साथ सदन का संचालन किया है और सभी सदस्यों का भी मैं इस अवसर पर अभिनन्दन करता हूं।

अपराह्न 1.23 बजे

राष्ट्रगीत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खड़े हो जाएं क्योंकि अब "बंदे मातरम की धुन" बजाई जाएगी।

(राष्ट्रगीत की धुन बजाई गयी)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.24 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/19/29/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 38. के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।